Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Computershare (P) Ltd. Unit: SyndicateBank,
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 to 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032,
Ph.: 040 67162222 or 040 67181518 (D), Fax: 040 23001153,
Toll Free No. 1800-345-4001

Permitted to post on prepayment of postage in cash in
Business Post Centre, Manipal - 576104 under P.M.G., S.K.
Region, Bangalore - 560001 vide license
KTASK/BO/3/180000/2015-2016/29.05.2015 to 30.05.2015
with postage of ₹19/- (Rupees Nineteen Only)

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

www.syndicatebank.in

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2014-2015

सिंड विकास यात्रा

नवोन्मेषी संचालन
निष्ठापूर्ण निष्पादन

Synd Growth Story

Driven by INNOVATION
Performance through DEDICATION

Over ₹4.61 Lakh Crore Global Business

More than 4.68 Crore Satisfied Customers

29,000+ Employees

3500+ Branches

3400+ ATMs

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2014 - 2015

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Sri T K Srivastava, ED receiving Second Best Bank Award by Financial Express for FY 2012-13 on 04.02.2015 from Sri Jayant Sinha, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank

वित्तीय लक्ष्यों को पाने का आसान तरीका
Take the flexible route to your financial goals...

Synd RD Plus

सुविधाजनक आवर्ती जमा योजना
A Flexible Recurring Deposit Scheme

वर्तमान निदेशक मंडल / Present Board of Directors

श्री टी के श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक
Sri T K Srivastava
Executive Director

श्री अरुण श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.
Sri Arun Shrivastava
Managing Director & C.E.O.

श्री रवि शंकर पाण्डेय
कार्यकारी निदेशक
Sri Ravi Shankar Pandey
Executive Director

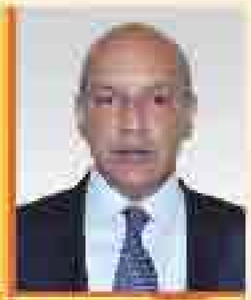

श्री एन प्रदीप राव
निदेशक
Sri N Pradeep Rao
Director

श्री बद्री नारायण कर
निदेशक
Sri Badri Narayan Kar
Director

श्री रविकुमार शंकर अय्यर
निदेशक
Sri Ravikumar Shankar Iyer
Director

श्री संजय अनंत मांजरेकर
निदेशक
Sri Sanjay Anant Manjrekar
Director

डॉ सी आर मंसूर अहमद
निदेशक
Dr C R Mansur Ahmed
Director

श्री आनंद के पंडित
निदेशक
Sri Anand K Pandit
Director

श्री अतुल अशोक गालांडे
निदेशक
Sri Atul Ashok Galande
Director

वर्तमान महाप्रबंधक गण / Present General Managers

श्री के संतोष कामत
Sri K Santhosh Kamath

श्री के प्रीतम लाल
Sri K Preetam Lal

श्री सतीश कुमार ठक्कर
Sri Satish Kumar Thakkar

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

श्री नागराज राव आई पी
Sri Nagaraja Rao I P

श्री शशिशेखर पद्मराज
Sri Sasishekar Padmaraj

श्री टी रवींद्रनाथ
Sri T Ravindranath

श्री वी गणेशन
Sri V Ganesan

श्री उदय शंकर मजूमदार
Sri Uday Sankar Majumdar

श्री एच भास्कर
Sri H Bhaskar

श्री तिरुमप्पा ए के
Sri Thirumappa Shri K

श्री कमल कुमार
Sri Kamal Kumar

वर्तमान महाप्रबंधक गण / Present General Managers

श्री वी अशोकन
Sri V Ashokan

श्री लक्ष्मीनारायण राव
Sri Laxminarayana Rao

श्री एम मोहन रेड्डी
Sri M Mohan Reddy

श्री विनायक एम भट
Sri Vinayak M Bhat

श्री बी गणेश पै
Sri B Ganesh Pai

श्री के मंजुनाथ
Sri K Manjunath

श्री एन माधुकुट्टिमारन
Sri N Madhavikuttimaaran

श्री बिजय कुमार पंडित
Sri Bijay Kumar Pandit

श्री गोपीनाथ टी अय्यर
Sri Gopinath T Iyer

श्री विनायक एम हम्बिंग
Sri Vinayak M Hombing

श्री डी वी एस एस प्रसाद
Sri D V S S Prasad

कार्यक्रम / Events

दिनांक 20.10.2014 को आयोजित संस्थापना दिवस समारोह में अन्य निदेशकों के साथ कार्यपालक निदेशक गण

Executive Directors with other Directors on Founder's Day celebrations on 20.10.2014.

माननीय वित्तमंत्री को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लाभांश का चेक प्रदान करते हुए पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Former CMD handing over Dividend Cheque for the FY 2013-14 to Hon'ble Finance Minister.

श्री तरलबालु जगद्गुरु एजुकेशन सोसाइटी, चित्रदुर्गा जिला को सिंडिकेटबैंक द्वारा बस दान किया गया।

Bus donated by SyndicateBank to Sri Taralabalu Jagadguru Education Society, Chitradurga District.

89 वें संस्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बैंक के संस्थापकों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए कार्यपालक निदेशक गण।

Executive Directors offering floral tributes to our Founders on the occasion of 89th Foundation Day celebrations.

कार्यक्रम / Events

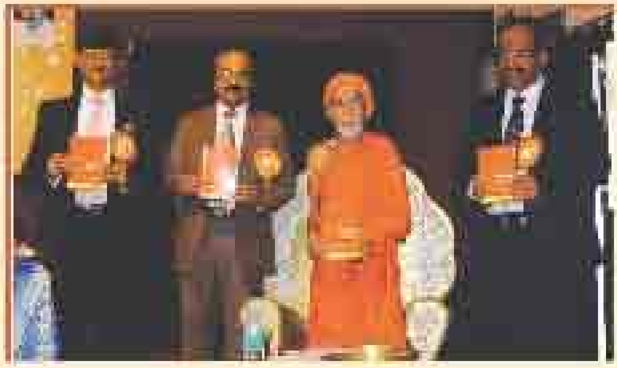

20 अक्तूबर 2014 को प्रधान कार्यालय, मणिपाल में आयोजित 89 वें संस्थापना दिवस के अवसर पर "हिन्दी लिखें, पढ़ें और बोलें" पुस्तक का विमोचन करते हुए उडुपि पेजावर मठ के महास्वामी श्री श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी

Released a Book titled 'Write, Read and Speak Hindi' by Sri Sri Sri Vishwesha Tirtha Swamiji, Hon'ble Seer of Udupi Pejawara Mutt on the occasion of our 89th Foundation Day at Manipal on 20.10.2014

दि. 28.08.2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ

Launch of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana on 28.08.2014.

दिनांक 11.02.2015 को प्रेस बैठक

Press Meet 11.02.2015

बेंगलूर में एसएलबीसी बैठक का आयोजन। सिंडिकेटबैंक, कर्नाटक राज्य में एसएलबीसी का संयोजक है।

SLBC Meeting held at Bengaluru. SyndicateBank is the convenor for Karnataka State.

कार्यक्रम / Events

18 अक्तूबर 2014 को बेंगलूरु में आयोजित रक्तदान शिविर का दीप प्रज्ज्वलन के साथ उद्घाटन करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री एस आंजनेय प्रसाद।

Sri Anjanaya Prasad, Executive Director lighting the lamp on the occasion of Blood Donation Camp organised on 18.10.2014 at Bengaluru.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेते हुए कार्यपालक निदेशक श्री एस आंजनेय प्रसाद और श्री टी के श्रीवास्तव।

Sri Anjanaya Prasad and Sri T K Srivastava, Executive Directors participating in the Independence Day celebrations.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित गृह पत्रिका प्रतियोगिता में हमारी हिंदी पत्रिका 'जागृति' को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। 13 नवंबर 2014 को मुंबई में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम जी राजन से पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे कार्यपालक निदेशक श्री टी के श्रीवास्तव।

Our Hindi Magazine "Jagriti" got 4th place in Hindi House Magazine Competition conducted by Reserve Bank of India. Our Executive Director Sri T K Srivastava receiving the award from RBI Governor Sri Raghuram G Rajan at the prize distribution function held at Mumbai on 13.11.2014.

केंद्रीय कार्यालय, बेंगलूरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

International Women's Day celebrations at Corporate Office, Bengaluru.

145 वीं गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेते हुए सिंड परिवार।

SyndParivar participating in the Swachh Bharat Abhiyan on the occasion of 145th Gandhi Jayanthi celebrations.

दि. 27.10.2014 से 01.11.2014 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निगम कार्यालय, बेंगलूरु में शपथ दिलाते हुए कार्यपालक निदेशक श्री टी के श्रीवास्तव।

Sri T K Srivastava, Executive Director administered the pledge at Corporate Office, Bengaluru during Vigilance Awareness Week observed from 27.10.2014 to 01.11.2014.

2 अक्तूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु के आसपास, स्टाफ सदस्यों के साथ सफाई करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री एम आंजनेय प्रसाद।

Executive Director Sri M Anjaneya Prasad along with other staff members of Corporate Office, Bengaluru undertook cleaning of areas around Corporate Office as part of Swachh Bharat Abhiyan on 02.10.2014 on the occasion of Gandhi Jayanthi.

कार्यपालक निदेशक श्री टी के श्रीवास्तव तथा श्री रवि शंकर पाण्डेय की उपस्थिति में कार्यग्रहण करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव।

Sri Arun Shrivastava assuming charge as Managing Director & CEO in the presence of Sri T K Srivastava, Executive Director and Sri Ravi Shankar Pandey, Executive Director

बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिट / Units Financed by Bank

कोयिली अस्पताल, कण्णूर मुख्य शाखा
Koyili Hospital, Kannur Main Branch

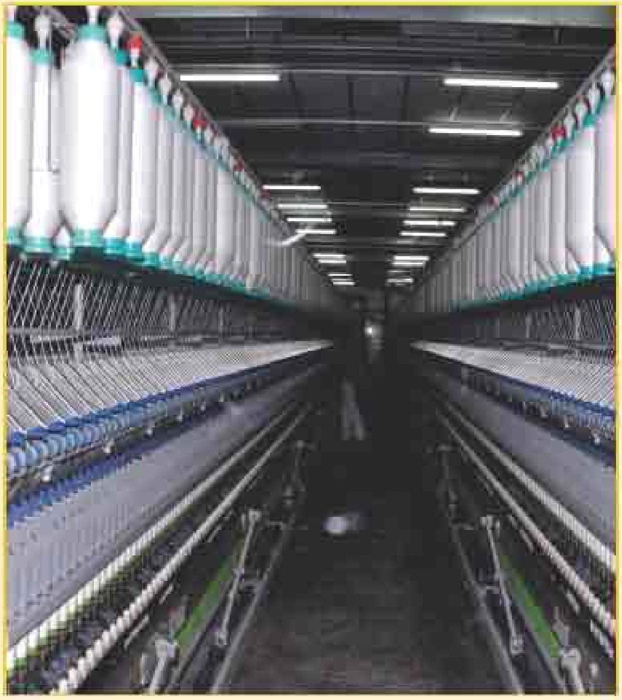

हमारी भिलवाड़ा शाखा द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त नितिन स्पिनर्स यूनिट
Nitin Spinners Unit
Financed by our Bhilwara Branch

हमारी भिलवाड़ा शाखा द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त आरएसडब्ल्यूएम–राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल
RSWM-Rajasthan Spinning & Weaving Mills-
Financed by our Bhilwara Branch

विषय सूची CONTENTS

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2014 – 2015

	पृष्ठ Page
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement	3
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	13
• नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	73
• बासेल – III प्रकटीकरण – मार्च 2015 Basel III Disclosures – March 2015	147
• लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	173
• तुलन-पत्र Balance Sheet	176
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	177
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	178
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	184
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	191
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	213
• समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet	215
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	258
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	269
• ईसीएस अधिदेश फार्म ECS Mandate Form	271
• फार्म 2बी Form 2B	273
• नैगम अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	275
• पते में परिवर्तन का फार्म Change of Address Form	276
• अप्रदत्त लाभांश Unpaid Dividends	278
• अनुबंध Annexure	279

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री टी के श्रीवास्तव, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri T K Srivastava,** *Executive Director*
श्री आर एस पाण्डेय, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri R S Pandey,** *Executive Director*
श्री एच प्रदीप राव, *निदेशक*	**Shri H Pradeep Rao,** *Director*
श्री रुद्र नारायण कर, *निदेशक*	**Shri Rudra Narayan Kar,** *Director*
श्री शंकरन भास्कर अय्यर, *निदेशक*	**Shri Sankaran Bhaskar Iyer,** *Director*
श्री संजय अनंत मांजरेकर, *निदेशक*	**Shri Sanjay Anant Manjrekar,** *Director*
डॉ. सी आर नसीर अहमद, *निदेशक*	**Dr. C R Naseer Ahamed,** *Director*
श्री आनंद के पंडित, *निदेशक*	**Shri Anand K Pandit,** *Director*
श्री अतुल अशोक गलांडे, *निदेशक*	**Shri Atul Ashok Galande,** *Director*

लेखा-परीक्षक	Auditors
मेसर्स जे एन शर्मा एण्ड कंपनी	M/s J N Sharma & Co.
मेसर्स रमणलाल जी शाह एण्ड कंपनी	M/s Ramanlal G Shah & Co.
मेसर्स के एन गोयल एण्ड कंपनी	M/s K N Goyal & Co.
मेसर्स गणेशन एण्ड कंपनी	M/s Ganesan and Company
मेसर्स विष्णु राजेन्द्रन एण्ड कंपनी	M/s Vishnu Rajendran & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	Registrars & Share Transfer Agents
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड	M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
यूनिट: सिंडिकेटबैंक	Unit: SyndicateBank
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,	Karvy Selenium Tower B.,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली	Plot No. 31 to 32, Gachibowli
फिनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा	Financial District, Nanakramguda,
हैदराबाद – 500 032	Hyderabad 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या	Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)	040 67161516 (D)
फैक्स: 040 23001153	Fax No. 040 23001153
टॉल फ्री नं.: 1800-345-4001	Toll Free No. 1800-345-4001

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से तथा मैं, अपनी ओर से बैंक की इस सोलहवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान आपके बैंक द्वारा प्राप्त किए गए विशिष्ट निष्पादनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

आपके पास सुलभ संदर्भ हेतु 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और बैंक के वार्षिक लेखे की लेखा-परीक्षित एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के महत्त्वपूर्ण निष्पादनों पर चर्चा करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि जिस बाज़ारी परिस्थिति में हमने निष्पादन किया है उसके बारे में अपने व्यापक आर्थिक परिवेशों पर चर्चा करूँ।

व्यापक आर्थिक परिवेश

वर्ष के दौरान वैश्विक एवं देशी आर्थिक परिवेश अस्थिर एवं संदिग्ध रहा है। मंद वैश्विक वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की अनिश्चितता ने भारत जैसी उभरती हुई बाज़ारी अर्थव्यवस्थाओं पर अपना प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, यूरो क्षेत्र, जापान तथा ग्रीक में हुई कमज़ोरी से उत्पन्न जोखिम, चीन में हुई मंदी, तेल की कीमतों से जुड़ी भूराजनीतिक जोखिमों तथा मुद्रा एवं पण्य कीमत की अनियमित प्रवृत्ति से होनेवाली वैश्विक समुत्थान की प्रक्रिया में जोखिम पैदा हो गया है।

उपर्युक्त वैश्विक परिवेश में, देशी अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र में हुई गिरावट से उत्पन्न मंदी को भी झेला है। विनिर्माण क्षेत्र में हुई इस मंदी ने न केवल कॉरपोरेट जगत से ऋण की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है बल्कि निवेश प्रणाली को भी मंद कर दिया है जिसका प्रभाव हमें सभी क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसके फलस्वरूप, बैंकिंग की वृद्धि आर्थिक निष्पादन से भी प्रभावित हो गई है तथा ऋण वृद्धि में धीमी गति, उच्च ब्याज दर, लाभ

MANAGING DIRECTOR & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the board of directors and on my personal behalf, I am delighted to welcome you all to this 16th Annual General Meeting of the Bank.

It gives me immense pleasure placing before you the highlights of your Bank's performance during the financial year 2014-15.

The Annual Report for the Financial Year ending 31st March 2015, along with the Director's Report, Audited Annual Accounts and Auditors Report of your Bank are with you for some time as ready reference.

Before I present the performance highlights of the Bank during the year 2014-15, let me quickly cover the macro economic trends and market condition under which we performed – as it influences our operation.

MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT

During the year, global and domestic economic outlook remained highly volatile and uncertain. The weak global growth and continuing uncertainties in the international financial markets have had their impact on emerging market economies like India. Besides, risk emanating from weakness in Euro area, Japan and Greek, slowdown in China, geopolitical risks surrounding oil prices and the uneven effects of movement in currency and commodity price continue to pose risk to global recovery process.

Amidst the above global trend, domestic economy also witnessed slowdown due to slump in industrial and manufacturing sector. This slowdown in manufacturing has not only adversely impacted the credit demand from corporate, but also weakened the investment cycle which impact has been seen by us across the sectors. The growth of the banking, in turn, also influenced by the performance of the economy and the banking industry continue to

मार्जिन का कम हो जाना तथा एनपीए में वृद्धि के रूप में बैंकिंग उद्योग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है।

सीएसओ द्वारा जारी अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पिछले वर्ष की 6.9% की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 7.4% वद्धि का अनुमान लगाया गया था। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में पिछले वर्ष 2013-14 में दर्ज 3.7%, 4.4% एवं 9.1% की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमशः 1.1%, 5.9% एवं 10.6% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) की संचयी वृद्धि, वर्ष 2013-14 में 0.1% की संकुचन के साथ वर्ष 2014-15 में 2.8% हो गया है। विनिर्माण क्षेत्र, वर्ष 2013-14 की 0.8% की तुलना में वर्ष 2014-15 में बढ़कर 2.8% हो गया। यद्यपि, अर्थव्यवस्था, वृद्धि की ओर लौटने का संकेत तो दे रही है फिर भी बुनियादी संरचना में धीमी गति से वृद्धि, उद्योग से मंद ऋण की मांग, उच्च कॉरपोरेट कर दर तथा कमज़ोर निवेश के माहौल ने देश को वृद्धि पथ पर अग्रसर होने में बाधा डाल रहा है।

मुद्रा आपूर्ति, पिछले वर्ष की संबंधित अवधि की 13.6% की वृद्धि की तुलना में 20 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 11.1% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाते हुए 105659.9 बिलियन हो गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियाँ पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के दौरान दर्ज 14.1% की वृद्धि की तुलना में 20 मार्च 2015 तक 11.4% हो गई हैं जबकि बैंक उधार में पिछले वर्ष की 13.9% की तुलना में 9.5% (20 मार्च 2015 तक) की धीमी वृद्धि हुई। बैंकों को प्रदत्त भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष स्वैप सुविधा ने डॉलर आगमन को बढ़ावा दिया जिससे वर्ष 2014-15 में भारतीय शेयरों एवं बांडों में एफआई आगमन $45.50 बिलियन दर्ज किया गया।

पिछले चार महीनों से थोक कीमत स्फीति में निरंतर कमी आ रही है तथा खाद्य पदार्थों, विनिर्माण वस्तुओं एवं इंधन उत्पादों के कीमत में हुई गिरावट के कारण फरवरी में यह गिरकर -2.06% पर आ गई है। तथापि, फरवरी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जनवरी के 5.19% की तुलना में 5.37% तक पहुँच गया है।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद, मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि ग्राहक संतुष्टि, उत्पाद नवोन्मेषण, तकनीकि उन्नयन तथा प्रमुख खंडों में आवश्यक रणनीतियों को अपनाने पर निरंतर ध्यान देते हुए आपके बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान पुनः अच्छा वित्तीय निष्पादन दर्शाया है। संक्षेप में वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का निष्पादन निम्नलिखित हैं:

- वैश्विक कारोबार, 31.03.2014 के ₹388584 करोड़ के मुकाबले 31.03.2015 की स्थिति में 19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹461192 करोड़ हो गया।
- वैश्विक जमाराशियाँ, 31.03.2014 के ₹212343 करोड़ के मुकाबले 31.03.2015 की स्थिति में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹255388 करोड़ पर पहुँच गई।
- वैश्विक अग्रिम, 31.03.2014 के ₹176241 करोड़ के मुकाबले 31.03.2015 की स्थिति में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹205804 करोड़ हो गया।
- घरेलू कासा जमाराशियाँ, 31.03.2014 के ₹55911 करोड़ की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2015 की स्थिति

face strong headwinds in the form of slow growth in credit offtake, higher interest rate, thinning of profit margins and rising NPAs.

As per the advanced estimate released by CSO, country's GDP is projected to grow 7.4% in 2014-15 as compared to 6.9% of the previous year. Agriculture, industry and services sector are projected to grow at 1.1 per cent, 5.9 per cent and 10.6 per cent respectively, in 2014-15 as compared to 3.7 per cent, 4.4 per cent and 9.1 per cent respectively recorded in 2013-14. The cumulative growth of the IIP (Index of Industrial Production) stood at 2.8% in 2014-15, from a contraction of 0.1% in 2013-14. Manufacturing sector grew by 2.3% in 2014-15 as compared to construction of 0.8% in 2013-14. Even though economy showed signs of rebound, growth still remains tepid as slow growth in infrastructure, lacklustre credit demand from industry, high corporate tax rates and weak investment climate are still impeding the country to achieve the higher growth trajectory.

The money supply grew by 11.1 per cent y-o-y to 105659.9 billion as at Mar. 20, 2015 as against a growth of 13.6% recorded during the corresponding previous period. Aggregate deposits of SCBs grew by 11.4% upto Mar. 20, 2015 as against 14.1% recorded during the corresponding period previous year whereas Bank credit showed a meagre growth of 9.5% (upto Mar. 20, 2015) as against 13.9% of the corresponding period of the previous year. RBI special swap facilities provided to Banks triggered dollar inflows leading to FII inflows to record $45.50 billion into Indian shares and bonds in 2014-15.

The wholesale price inflation is consecutively declining over the last four months and dipped to -2.06% in February due to fall in the prices of food articles, manufactured items and fuel products. However, the Consumer Prices Index (CPI) for February nudged up to 5.37% as against 5.19% in January.

Despite all these challenges, I am pleased to announce that your Bank has again delivered a good financials during the year 2014-15, by constantly focusing on customers' satisfaction, product innovation, technology upgradation and following the strategies related to niche segments. In a nutshell, the Bank's performance during the year 2014-15 is outlined below:

- Global business increased by 19% from ₹388584 crore as at 31.03.2014 to ₹461192 crore as at 31.03.2015.
- Global Deposits increased by 20% from ₹212343 crore as at 31.03.2014 to ₹255388 crore as at 31.03.2015.
- Global Advances increased by 17% from ₹176241 crore as at 31.03.2014 to ₹205804 crore as at 31.03.2015.
- Domestic CASA deposits increased by 14% from ₹55911 crore as at 31.03.2014 to ₹63671 crore as at

में ₹63671 करोड़ हो गयी। 31.03.2015 की स्थिति में कुल घरेलू जमाराशि का 28.25 प्रतिशत घरेलू कासा जमाराशि का रहा।

- परिचालन लाभ वर्ष 2013-14 के ₹3563 करोड़ के मुकाबले 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹4007 करोड़ हो गया जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ ₹1523 करोड़ दर्ज किया गया।
- एनपीए के अंतर्गत कुल नकद वसूली ₹2214.34 करोड़ रही, जिसमें मौजूदा एनपीए में ₹1054.19 करोड़ की मूल वसूली रही और वर्ष के दौरान बने नए एनपीए में से ₹631.68 करोड़ की वसूली हुई। कुल नकदी वसूली के अंतर्गत अप्रभारित ब्याज के रूप में ₹527.55 करोड़ भी शामिल है।
- वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वर्ष 2013-14 के 2.79 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 2.38 प्रतिशत रहा।
- बैंक की ब्याजी आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹18621.27 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹21615.16 करोड़ हो गई है।
- गैर-ब्याजी आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹1323.94 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में 59.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹2109.59 करोड़ हो गई।
- प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में ₹28.21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹24.38 हो गया।
- प्रति शेयर बही मूल्य वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹189.63 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 की स्थिति में सुधर कर ₹197.24 हो गया।
- ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) वित्तीय वर्ष 2013-14 के 16.81 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13.30 प्रतिशत हो गया है।
- औसत आस्तियों पर (आरओए) वित्तीय वर्ष 2013-14 को 0.78 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 0.58 प्रतिशत रहा।
- बैंक ने 47 प्रतिशत के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹460 करोड़ की पूँजी लगाई है।
- सकल एनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 2013-14 के 2.62 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3.13 प्रतिशत हो गया।
- निवल एनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 2013-14 के 1.56 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1.90 प्रतिशत हो गया।
- प्रावधान कवरेज अनुपात वित्तीय वर्ष 2013-14 के 70.02 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 66.61 प्रतिशत हो गया।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने दिनांक 31.03.2015 तक 303 शाखाएँ खोलकर कुल 3552 शाखाओं का (लंदन शाखा सहित) कीर्तिमान बनाया है। इनमें से 1150 ग्रामीण, 936 अर्ध शहरी, 783 शहरी और 682 महा नगरीय शाखाएँ हैं। अब देश को हर प्रांत और संघ शासित प्रदेशों में हमारे बैंक ने उपस्थिति दर्ज करायी है।

31.03.2015. Domestic CASA deposits stood at 28.25% of total domestic deposits as at 31.03.2015.

- Operating profit grew by 12% from ₹3563 crore in 2013-14 to ₹4007 crore in FY 2014-15 whereas Bank earned a net profit of ₹1523 crore during 2014-15.
- Total cash recovery in NPAs amounted to ₹2214.34 crore, which includes principal recovery of ₹1054.19 crore in existing NPAs & ₹631.68 crore in fresh NPAs slipped during the year. Total cash recovery includes ₹527.55 crore towards uncharged interest.
- Global Net Interest margin (NIM) stood at 2.38% in 2014-15 as against 2.79% in 2013-14.
- Interest Income of the bank grew by 16% from ₹18621.27 crore in FY 2013-14 to ₹21615.16 crore in FY 2014-15.
- Non-interest income grew by 59.34% from ₹1323.94 crore in FY 2013-14 to ₹2109.59 crore in FY 2014-15.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹24.38 in FY 2014-15 as against ₹28.21 in FY 2013-14.
- Book Value per Share improved from ₹189.63 in FY 2013-14 to ₹197.24 in FY 2014-15.
- Return on Equity (ROE) stood at 13.30% in FY 2014-15 as against 16.81% in FY 2013-14.
- Return on Average Assets (RoA) for 2014-15 stood at 0.58% as against 0.78% in FY 2013-14.
- Bank has proposed final dividend of 47%.
- Govt of India has infused capital of ₹460 crores during the last quarter of 2014-15.
- Gross NPA Ratio stood at 3.13% in FY 2014-15 as against 2.62% in FY 2013-14.
- Net NPA Ratio stood at 1.90% in FY 2014-15 as against 1.56 % in FY 2013-14.
- Provision Coverage Ratio stood at 66.61 % in FY 2014-15 as against 70.02 % in FY 2013-14.

BRANCH NETWORK

Bank has opened 303 branches during the year and reached a mile stone of 3552 branches as at 31.03.2015 (including a branch in London) comprising of 1150 Rural, 936 Semi Urban, 783 Urban and 682 Metro Branches. Bank has presence in all the States and Union Territories of the country.

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यक्षमता में सुधार लाने तथा संगठन के कारोबार में विकास, शाखाओं/कारोबार इकाइयों पर प्रभावी नियंत्रण, क्षेत्राधीन की शाखाओं को भौगोलिक दृष्टि से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बैंक ने 3 नए क्षेत्रीय कार्यालयों; लुधियाना, वाराणसी तथा विशाखपट्टणम, का गठन किया।

नये उत्पादों का विकास

बैंक नवोन्मेष पर विश्वास करता है और यह मानता है कि ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार वर्तमान उत्पादों और सेवाओं को विकसित करना अनिवार्य है ताकि मार्जिन और बाज़ार में शेयर को बने रहें। नवोन्मेषी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान कई नए उत्पादों को शुरू किया है।

देयता उत्पाद

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा शुरू किए गए उत्पादों में, सिंड दिशा III एवं IV (नया जमाराशि उत्पाद आकर्षक ब्याज दर पर 444 दिनों के लिए है), सिंडबालशक्ति (नाबालिग के लिए नया उत्पाद), सिंडस्मार्टजेन (जीवन को महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आकर्षक बचत योजना), सिंडस्मार्टशी (महिलाओं के लिए एक लचीला बचत योजना), सिंडजूनियर मिल्यनेयर (एक अनोखा संयुक्त उत्पाद- बचत बैंक एवं आवर्ती जमाराशि) शामिल हैं।

आस्ति उत्पाद

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा शुरू किए गए मुख्य आस्ति उत्पादों में, सिंडकॉन्ट्रेक्टर (एमएसई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए), सिंडमहिलाशक्ति (महिला उद्यमियों को वित्तपोषण के लिए), सिंडकुटीर (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय समूह श्रेणी के लिए आवास ऋण योजना), सिंडहोटल (होटलों/रेस्तरां और लॉज/फास्ट फुड सेंटर/मोटेल (ढाबा) आदि को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए), सिंडज्वेलर (सोने/चाँदी के आभूषण के कारोबार से जुड़े उद्यमियों की कार्यकारी पूँजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए), सिंडकनेक्ट (केंद्र/राज्य सरकार, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों और "फार्चून500" कंपनियों के कर्मचारियों की ऋण अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए), सिंडडिलाइट (मौजूदा आवास ऋण ग्राहकों के लिए झंझट रहित ऋण उत्पाद), सिंडटिंबर (लकड़ी के व्यापार, लकड़ी एवं लकड़ी से बने उत्पादों के आयात, लकड़ी प्रसंस्करण इकाईयों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए)शामिल हैं।

सिंडप्रिविलेज टैब बैंकिंग: कार्यालय या घर बैठे अपने खाते खोलने की सुविधा ग्राहकों को प्रदान करने के लिए बैंक ने ''सिंडप्रिविलेज टैब बैंकिंग'' नाम से एक सुदृढ़ नया उत्पाद शरू किया है।

ई-पासबुक : मोबाइल फोन के माध्यम से अपने खातों के प्रबंधन में ग्राहकों को सहूलियत प्रदान करने हेतु बैंक ने एक अद्भुत मोबाइल एप्लीकेशन ''सिंड ई-पासबुक'' की शुरुआत की है, जो बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तैयार की गई है। यह एन्ड्रॉय्ड, आई-फोन, विंडोज तथा ब्लैक बैरी के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने मोबाइल पर ई-पासबुक प्राप्त कर सकते हैं, अपना खाता विवरण देख सकते हैं, अपने लेन-देन

RE-ORGANIZATION OF REGIONS

In order to improve the efficiency and business of the organization, institutionalise more effective span of control over the branches/business units, rationalizing geographical spread of branches across the regions, Bank has opened 3 new Regional Offices at *Ludhiana, Varanasi* and *Visakhapatnam* during the FY 2014-15.

NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Bank believes in innovation and perceives that development of new products & services as well as improvement in existing ones as per the customers' requirements is inevitable to maintain margins and market share. To keep up with this trend of innovation forward, Bank envisaged and launched various new products during the year.

Liability Products

The main liability products launched by Bank during the year includes: Synd Disha III & IV (a new deposits product for 444 days with attractive interest rate), Synd Balasakti (a new product for minors), Synd SmartGen (an attracting savings scheme for meeting life's important goals); Synd SmartSHE (a flexible saving scheme for women), SyndJuniorMillionaire (a unique combo product-SB & Recurring deposits).

Assets Products

The main Assets products launched by Bank during the year includes: Synd Contractor (for financing MSE), Synd Mahila Shakthi (for financing women entrepreneurs), Synd Kuteer (housing loan scheme for Economically Weaker Section/ Low Income Group category), SyndHotel (a loan product to extend credit facilities to Hotels/Restaurants and Lodges /Fast Food Centres/Motels (Daba) etc.), SyndJeweller (to meet the working capital requirements of entrepreneurs engaged in Gold/Silver ornaments business), Synd Connect (to meet loan requirements of employees of Central /State Government Departments, reputed Public Sector Undertakings and "Fortune 500" Companies), Synd Delight (a hassle free loan product to existing housing loan customers), SyndTimber (to extend credit facilities for Timber Trading, Import of Wood and Wooden products, Wood Processing Units).

SyndPrivilege Tab Banking: To provide the customers the comfort of opening account at their doorstep in the office or at home, Bank has launched a sophisticated new product "SyndPrivilege Tab Banking".

E-Passbook: To facilitate the customers to manage their account through mobile phone, Bank has introduced an interactive mobile application "Synd e-Passbook" designed to provide banking enquiry services available for Android, iPhone, Windows and Black Berry. Under the facility, customers can get e-Passbook on their mobile, view their account details, search their transaction history,

की जानकारी ले सकते हैं, अपने खाता विवरण को एसएमएस/ई-मेल/वाट्स-एप्प पर प्राप्त कर सकते हैं तथा बिना किसी झंझट के लेन-देनों के लिए अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी डाल सकते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम

बैंक, देश के कृषि और सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में हमेशा आगे है। कृषि, एमएसएमई, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान कई कार्यनीतियाँ बनाई हैं।

- ❖ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम 31.03.2014 के ₹52015.78 करोड़ के मुकाबले 10.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2015 तक ₹57281.44 करोड़ पर पहुँच गया है, जो अपेक्षित 40 प्रतिशत के मुकाबले ए एन बी सी का 40.41 प्रतिशत है ।
- ❖ कृषि ऋण 31.03.2014 के ₹22070.99 करोड़ के मुकाबले 17.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2015 तक ₹26205.38 करोड़ पर पहुच गया है, जो ए एन बी सी का 18.49 प्रतिशत है।
- ❖ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) का ऋण 31.03.2014 के ₹17933.39 करोड़ के मुकाबले 10.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2015 तक ₹19874.34 करोड़ पर पहुँच गया है।
- ❖ कमज़ोर वर्ग को दिये गये ऋण 31.03.2014 को ₹12758.08 करोड़ के मुकाबले 31.03.2015 तक ₹14405.22 करोड़ पर पहुंच गया हो, जो एएनबीसी का 10.16 प्रतिशत हो गया (अधिदेशी आवश्यकता 10 प्रतिशत)।
- ❖ अल्पसंख्यक समुदाय को दिये गये ऋण 31.03.2014 के ₹8308.31 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 31.03.2015 तक ₹9012.28 करोड़ पर पहुंच गया है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.73% हो गया है (अधिदेशी आवश्यकता 15 प्रतिशत)।

वित्तीय समावेशन

देश के सुदृढ़ तथा सुदीर्घ संवृद्धि हासिल करने के लिए वित्तीय समावेशन की नितांत आवश्यकता है । आपका बैंक समाज की समावेशी वृद्धि और वित्तीय रूपांतरण के लिए महत्वपूर्ण चालक के रूप में इस लक्ष्य को हासिल करने में जुट गया है।

- ❖ दि. 31.03.2015 की स्थिति में, बैंक ने 103.80 लाख मूल बचत बैंक जमा खाते खोले हैं और 7.34 लाख केसीसी, 0.43 लाख जीसीसी तथा 6.28 लाख स्मार्ट कार्ड/मोबाइल सुविधायुक्त खाते उपलब्ध कराए हैं।
- ❖ गांवों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान 31.03.2015 तक 14196 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 5.74 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना" एक अग्रणी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 31.03.2015 तक 3496559 खाते खोले, जिनमें शेष राशि ₹505 करोड़ है । बैंक, 31.03.2015 तक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 3350302 रूपे कार्ड जारी कर चुका है ।

SMS/e-mail/WhatsApp-their account details and they can add their personalized remarks to the transactions without any hassle.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank is committed towards agricultural and social development of the country and always in forefront in socio-economic transformation of the country. Bank has taken various steps to increase the flow of credit to agriculture, MSME, weaker section and minority community during the year.

- ❖ Priority Sector Credit increased by 10.12% from ₹52015.78 crore as at 31.03.2014 to ₹57281.44 crore as at 31.03.2015 which stands at 40.41% of ANBC against the required level of 40%.
- ❖ Total Agricultural Credit increased by 17.92% from ₹22070.99 crore as at 31.03.2014 to ₹26205.38 crore as at 31.03.2015, forming 18.49% of ANBC.
- ❖ Credit to Micro and Small Enterprises (MSE) increased by 10.82% from ₹17933.39 crore as at 31.03.2014 to ₹19874.34 crore as at 31.03.2015.
- ❖ Credit to Weaker Section increased from ₹12758.08 crore as at 31.03.2014 to ₹14405.22 crore as at 31.03.2015, forming 10.16% of ANBC (mandatory 10%).
- ❖ Credit to Minority Community increased from ₹8308.31 crore as at 31.03.2014 to ₹9012.28 crore as at 31.03.2015, forming 15.73% (mandatory level of 15%) of Priority Sector Credit.

FINANCIAL INCLUSION

Financial inclusion is imperative to achieve solid and long-lasting growth of the country. Your Bank pursues this goal as a crucial driver for inclusive growth and financial transformation of the society.

- ❖ As at 31.03.2015 Bank has 103.80 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts and has extended 7.34 lakh KCCs, 0.43 lakh GCCs and issued 6.28 lakh Smart Cards/Mobile enabled accounts.
- ❖ To promote financial literacy in the villages, 14196 financial literacy programmes were organized during the year upto 31.03.2015, in which 5.74 lakh persons were benefitted.

PMJDY (Prime Minister's Jan Dhan Yojana)

"Prime Minister's Jan Dhan Yojana" is a flagship financial inclusion programme which has been launched by Govt of India. Bank has opened 3496559 number of accounts under PMJDY with a balance of ₹505 crore as at 31.03.2015. Bank has also issued 3350302 RuPay Cards under PMJDY as at 31.03.2015.

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

ई-लांच डीबीटीएल के अंतर्गत हमारे बैंक को 42.97 लाख के क्रेडिट प्राप्त हुए हैं और ₹141.92 करोड़ रकम का लाभ हिताधिकारियों के खाते में जमा किया गया है ।

तकनीकी पहल

बैंक ने परिचालन क्षमता और उत्पादकता हासिल करने और ग्राहक सेवा में वृद्धि लाने के लिए तकनीकी क्षेत्र में और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में पर्याप्त प्रगति की है । बैंक की सभी शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से युक्त हैं । बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड, पीओएस टर्मिनल आदि सुविधाएं प्रदान करता रहा है और इसके साथ-साथ बैंक ने प्रर्याप्त वितरण चैनलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं । बैंक द्वारा शुरू की गई कुछ तकनीकी पहल नीचे प्रस्तुत हैं:

- बैंक, देश भर में 2126 केंद्रों पर दि. 31.03.2015 की स्थिति में 3427 एटीएम चालू कर चुका है। विश्वभर के एटीएम और पीओएस टर्मिनलों का इस्तेमाल करने के लिए बैंक का 106.75 लाख से अधिक कार्ड आधार है।
- बैंक ने सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक रिलीफ बॉंड, ओल्टास, ईजिएस्ट, विभिन्न राज्यों के राज्य-कर की वसूली आदि शामिल हैं।
- बैंक, शिक्षा, आवास, वाहन और वेतन पर दिए जानेवाले ऋणों सहित सभी प्रकार के खुदरा ऋणों के ऋण प्रस्तावों का केंद्रीकृत पंजीकरण और उनकी स्थिति का ऑन-लाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- बैंक ने मिड कॉरपोरेट और लार्ज कॉरपोरेट ऋण के प्रणाली आधारित मूल्यांकन/प्रक्रिया (एलएपीएस) को कार्यान्वित करने की पहल की है।
- सीटीएस समाशोधन क्रियाकलाप ग्रिड आधारित है। इसका कार्यान्वयन देश भर में समयबद्ध तरीके से किया जाता है। ऐसे 66 एमआईसीआर केंद्र कार्यरत हैं, जहाँ केंद्रीकृत समाशोधन का कार्यान्वयन पूर्ण रूप से किया गया है।
- बैंक, 30 चुनिंदा स्थानों पर ई-लांज सुविधाएँ प्रदान कर रहा है ताकि ग्राहक 24 X 7 आधार पर खातों का संचालन कर सकें।
- ''सिंड प्रोटेक्ट'' - आरएसए सेक्यूर आईडी का उपयोग करते हुए द्वि-घटक प्रमाणीकरण : धोखाधड़ी से निधि अंतरण को रोकने के लिए हार्ड/सॉफ्ट टोकनों के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए जानेवाले इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए यह एक उन्नत समाधान है। हमारे ग्राहकों द्वारा इंटरनेट आधारित लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई है।
- एफआई गेटवे सोल्यूशन, जो एफआई लेनदेनों के अंतर-परिचालनीयता के लिए सहूलियत प्रदान करता है साथ ही एईपीएस (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) लेनदेनों को भी सहायता प्रदान करती है।

DIRECT BENEFIT TRANSFER

Under re-launched DBTL, 42.97 lakh credits have been received with our Bank and benefit amounting to ₹141.92 crore has been credited to beneficiaries' accounts.

TECHNOLOGICAL INITIATIVES

Your Bank has made substantial progress in technological front and providing state of the art technology to achieve operational efficiency and productivity and to enhance the customer service. All Branches of the Bank are on the Core Banking Solution (CBS) platform. Bank has been providing Internet Banking, Mobile Banking, Missed Call Banking, SMS Banking, Credit Card & Debit Card, POS terminals etc. and also undertook several initiatives to encourage the usage of alternate delivery channels. Some of the technological initiatives taken by the bank are outlined below:

- Bank has operationalised 3427 ATMs as at 31.03.2015, spread across 2126 Centres across the country. Bank has a Card-base of over 106.75 lakh for global access to ATMs and POS Terminals.
- Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States etc.
- Bank is providing facility for Centralised Registration and On-line tracking of the status of the Loan proposals for all types of Retail Loans including Education, Housing, Vehicle and Salary.
- Bank has taken initiative to implement system based appraisal/process (Laps) for Mid corporate and large corporate credit and the same is under process of implementation.
- CTS clearing activities is Grid-based. This is implemented throughout the country in a phased manner. There are 66 MICR centers where Centralised Inward Clearing has been implemented in full.
- Bank is providing e-Lounge facilities in 30 identified locations to enable the customers to have access on 24 X 7 basis.
- "Synd Protect" - Two-Factor Authentication using RSA SecurID: It is an Advanced Solution for internet banking transactions by customers, through hard/soft tokens, to prevent transfer of Funds fraudulently. This has been introduced with a view to enhance the security of internet based transactions by our customers.
- FI Gateway solutions which facilitates Interoperability of FI transactions also facilitates AEPS (Aadhhar Enabled Payment systems) transactions.

गठजोड़ कार्यनीति एवं संयुक्त उद्यम

कारोबार, खासकर गैर निधि आधारित कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने अपने बचत बैंक खाताधारकों को जीवन बीमा रक्षा प्रदान करने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लि. के साथ अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम की व्यवस्था की है, सामान्य बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए यूआईआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और म्यूचुअल फंड उत्पादों के संवितरण के लिए 9 प्रमुख आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह गठजोड़ की व्यवस्था लाभदायक साबित हुआ है और बैंक का गैर निधि आधारित कारोबार वृद्धि दर्शा रहा है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान कई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों को आयोजित किया है, जिनमें जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल बांटना, सरकारी स्कूल को वाटर कूलर देना, गरीबों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए मंदिर, ट्रस्ट और लोकोपयोगी सोसाइटी को दान, एसएलआई, डीवीडी, पीडीडी तथा ऑटिज्म जैसे विकास में विकारवाले बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना, मरीजों को एक दिन का भोजन वितरित करने के लिए अस्पतालों को दान, नदी स्वच्छीकरण परियोजना को दान, विशाखपट्टणम में हुद-हुद साइक्लोन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत कैंपों को दान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए दान, जम्मू और कश्मीर में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दान, मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल को एम्बुलेन्स का दान, कॉलेजों/संस्थाओं को आरओ वाटर प्यूरिफायर का दान, मानसिक रूप से अस्वस्थों के लिए विशेष स्कूल के लिए दान आदि शामिल हैं।

शिकायत निवारण प्रणाली

बैंक ने अपने वितरण चैनलों के अंतर्गत आनेवाली शिकायतों के निवारण प्रणाली की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्राहक सेवा, जमाराशियों, ग्राहक शिकायत निवारण, चैक की वसूली, सेवा में विभिन्न कमियों के कारण देय क्षतिपूर्ति आदि के संबंध में बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीतियाँ हैं, जिनकी समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल सहित विभिन्न स्तरों पर आवधिक रूप से की जाती है।

नई पहल

बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने और बाज़ार की अपेक्षाओं के अनुरूप न केवल लाभ में संवृद्धि को सुरक्षित रखने बल्कि कारोबार वृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए बैंक अपनी कार्यनीतियों को और परिचालन क्षमताओं को पंक्तिबद्ध करने के लिए निरंतर रूप से अपनी कार्यनीतियों का संशोधन कर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपने कॉरपोरेट लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों का अनुकरण किया है:

❖ लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को शुरुआती तौर पर खुदरा ऋणों के लिए लागू किया गया है और बाद में इसे एमएसएमई मिड कॉरपोरेट तथा बड़ी राशि के ऋण आवेदनों के लिए भी लागू किया जाएगा।

STRATEGIC ALLIANCE & JOINT VENTURES

To increase the business, particularly non-fund based, Bank has undergone strategic alliance and joint ventures with *SBI Life Insurance Co. Ltd.* for providing life insurance cover to the savings bank account holders of the Bank, signed MoU with *UIIC* for distribution of General Insurance products and signed MoU with nine leading Asset Management Companies for distributing Mutual Fund products. This tie-up has proved to be fruitful and Bank's non-fund based business is showing accelerating trend.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank undertook various CSR activities during the year 2014-15 which includes distribution of blankets to needy persons; water coolers to Govt. school; donation to temple, trust, charitable and philanthropic society for conducting various service activities for poor people; providing training to the children with development disorders such as SLI, DVD, PDD and Autism; donation to hospitals for providing free meals for one day to the patients; donation towards river rejuvenation project, donation to Hud Hud cyclone relief camps for victims in Vishakhapatnam; donation towards making toilets in Government Schools under Swachh Bharat Abhiyan, donation towards rehabilitation of flood victims in Jammu & Kashmir, donation of Ambulance to Medical Colleges & Hospital, donation of RO Water Purifier to colleges/Institutes, donation to special school for mentally retarded so on.

GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM

Your Bank has taken various steps to improve the effectiveness of its grievance redressal mechanism across its delivery channels. The Bank has Board approved policies on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. which are being periodically reviewed at different levels including by the Board of Directors of the Bank.

NEW INITIATIVES

To meet the ever growing challenges of banking sector and to realign its strategies and operational efficiencies with market forces, Bank continuously reinventing its strategies as per the changing market scenario not only to preserve bottom line but also to speed up the business growth. During the year, Bank has pursued the following strategies to meet its corporate objectives during the year:

❖ Lending Automation Processing Systems have been introduced for retail loans initially and will be extended to MSME, Mid Corporate, Large Credit applications.

❖ एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु, बैंक ने बेंगलूरु एवं अन्य केंद्रों में "एमएसएमई बैठक" का आयोजन किया।

❖ बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए, बैंक ने 15 से 20 दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान ''सिंड महिलाशक्ति सप्ताह'' मनाया, जो महिला उद्यमियों को वित्तीय सम वेशन से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

❖ बैंक ने एक नवोन्मेषी कार्यनीति को जोड़ा है जिसके तहत क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय/कॉरपोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय में कार्यरत सहायक महा प्रबंधक एवं उससे ऊपर के कार्यपालकों द्वारा ऐसी 300 बड़ी/मध्यम शाखाओं को गोद लिया गया है, जो 3 वर्षों की अवधि में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी शाखा के रूप में उभरकर आई हैं और जिनमें संभाव्य संवृद्धि की क्षमता अंतर्निहित है।

कारोबार संवर्धन अभियान

कारोबार संवर्धन, बैंक नीति का प्रमुख बिंदु है और बैंक अपने विभिन्न उत्पादों और वर्तमान में जारी और नई विकसित सेवाओं को सबके ध्यान में लाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहता है। इस कड़ी में बैंक ने वर्ष के दौरान अनेकों संवर्धन कार्यक्रम किए जैसे कि, ''कासा सुविधा अभियान'', ''आवास एवं वाहन ऋणों के लिए प्रोत्साहन आधारित अभियान'', ''प्रति सप्ताह एक नॉन-सिंगिल प्रीमियम पॉलिसी अभियान'' और ''विशेष मीयादी जमा अभियान-**सिंड वेलकम-2015**''।

जोखिम प्रबंधन एवं पूँजी आयोजना

आपके बैंक में सुस्पष्ट और मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियाँ और संरचना है, जिनका विभिन्न नीतिगत निर्णयों में सुचारू रूप से पालन किया गया है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को ऋण जोखिम का ध्यान रखनेवाली ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के समय परिचालनगत जोखिम पहलुओं पर ध्यान देते हुए आस्ति देयता एवं चलनिधि जोखिम की देख-रेख करनेवाली आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का पूरा सहयोग प्राप्त है।

आपका बैंक बासेल III अनुपालन करता है और वर्ष के दौरान पूँजी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बैंक ने पूँजी के बेहतर उपयोग के उपाय अपनाए हैं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान दो ट्रेन्चस में ₹1150 करोड़ के अरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय बासेल III अनुपालन टायर II बॉंडों (10 वर्ष की अवधि) को जारी किया है अर्थात् दिसंबर 2014 में 8.95% प्र.व. की कूपन दर पर ₹750 करोड़ और मार्च 2015 के दौरान 8.75% प्र.व. की कूपन दर पर ₹400 करोड़।

भारत सरकार ने भी मार्च 2015 के दौरान 3,74,74,541 ईक्विटी शेयरों को प्रति शेयर के ₹122.75 के निर्गम मूल्य पर अधिमानी आबंटन के आधार पर ₹460 करोड़ पूँजी (प्रीमियम सहित) लगाई है।

प्रशिक्षण एवं विकास

आपका बैंक इस तथ्य पर विश्वास करता है कि मानव संसाधन योजना, उत्तराधिकारी योजना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए बहुत

❖ To augment credit flow to MSME sector, Bank has organized *"MSME Meet"* in Bangalore and other centres.

❖ In order to extend financial assistance to large number of women entrepreneurs, Bank observed *"SyndMahilaShakthi Week"* during the period from 15 to 20th December 2014, which is a step towards Financial Inclusion of Women Entrepreneurs.

❖ Bank has articulated an innovative strategy of adoption of at least 300 large/medium branches which are having potential to grow exponentially and becoming Exceptionally Large Branch in a span of 3 years by the Executives of Asst. General Manager cadre and above functioning in Regional Offices/Field General Manager Offices/Corporate Office/Head Office.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Bank considers business promotion as an integral part of its policy and making continuous effort to popularize its various products and services – newly developed as well as existing ones. In this course bank has held numbers of promotion campaigns during the year viz. "CASA Advantage Campaign", "Incentive Based Campaign for Housing Loans and Vehicle Loans", "One Non-Single Premium Policy Per Week Campaign" and "Special Term Deposit Campaign-*SYND WELCOME-2015.*"

RISK MANAGEMENT & CAPITAL PLANNING

Your Bank is having a well articulated and board approved risk management strategies & framework which has been deftly followed in various policy decisions. The Risk Management Committee (RMC) of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) which takes care of the Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) looking after the Asset Liability and Liquidity Risk, while Operational Risk Management Committee is taking care of operational risk aspects.

Your Bank is a Basel III compliant and has taken various capital optimization measures to improve the quality of capital during the year. Bank has raised Unsecured Non-Convertible Redeemable Basel III compliant Tier II bonds (of 10 years) of ₹1150 crore during FY 2014-15, in two tranches. ₹750 crore at coupon rate of 8.95% p.a in December 2014 & ₹400 crore at coupon rate of 8.75% p.a during March 2015.

Government of India has also infused ₹460 crore capital (including premium) in March 2015 by way of preferential allotment of 3,74,74,541 equity shares at issue price of ₹122.75 per share.

TRAINING & DEVELOPMENT

Your Bank believes that strategic HR plan is crucial for succession planning, training and development of the

महत्वपूर्ण हैं। बैंक ने बड़े पैमाने पर सेवा निवृत्ति को ध्यान में रखकर अधिकारियों को शाखा प्रमुखों के कार्य को अपनाने हेतु प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम बनाया है। वर्ष 2014-15 के दौरान एस.आई.बी.एम. और 7 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा 10323 अधिकारियों के लिए 495 कार्यक्रम और 4287 कामगार कर्मचारियों के लिए 111 कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके अलावा, भारत में प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2526 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और 8 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान बैंक का औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहा, जिससे बैंक के कारोबार के समग्र विकास में सहूलियत मिली है। यूनियन/संगठन नैगम लक्ष्य के प्रति प्रतिक्रियाशील और सक्रिय भी है।

पुरस्कार

- फाइनान्शियल एक्सप्रेस भारत के बेस्ट बैंक सर्वे 2012-13 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में हमारे बैंक को ''**द्वितीय श्रेष्ठ बैंक**'' का सम्मान प्राप्त हुआ।
- स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरल द्वारा हमारे बैंक को ''**समग्र निष्पादन में द्वितीय सर्वोत्तम बैंक के रूप में बैंकिंग एक्सलेन्स पुरस्कार 2013**'' प्रदान किया गया है।
- आरसेटी की गतिविधियों को कार्यान्वित करने में समस्त बैंकों में से हमारे बैंक को श्री जयराम रमेश, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा ''**बेस्ट बैंक अवार्ड**'' प्रदान किया गया।

अगली मंजिल

पिछले वर्ष विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को देश-विदेश की विभिन्न चुनौतियों, संरचनागत असंतुलन, ढाँचागत गतिरोध, औद्योगिक मंदी, उच्च ब्याज दर, बढ़ी हुई वित्तीय जोखिम तथा गैर-समन्वित अर्थव्यवस्था नीति की रूपरेखा सहित भूराजनीतिक एवं राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये आर्थिक चुनौतियाँ वर्तमान वर्ष में भी जारी रहनेवाली हैं परंतु इनका असर विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होगा।

बढ़ते हुए अस्थिर पूँजी प्रवाह, वित्तीय बाज़ार में अशांति, तेल बाज़ार में उतार-चढ़ाव की अनिश्चितता, डॉलर की मज़बूत स्थिति में होना तथा उभरते हुए एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक परिदृश्य के कमज़ोर होने के कारण, वैश्विक बाज़ार अभी भी नाजुक बना हुआ है जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में अस्थिरता है। बाह्य क्षेत्रों का योगदान सीमित होगा क्योंकि डॉलर के मजबूत स्थिति में होने के कारण निर्यात में विकास दर लगातार गिरती जा रही है। अतः चालू वर्ष, बैंकिंग क्षेत्र के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण है।

यद्यपि, अभी भी अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर से गुज़र रही है, भारत सरकार की अच्छी नीतियों की घोषणा से समूचे निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य के होते हुए भी अच्छे दिन दिखाई देने शुरू हो गए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार की ओर अग्रसर है तथा पुनरुद्धार के शुभ संकेत हैं।

employees. Considering the large scale retirement, Bank has devised a new programme to groom the officers by motivating and empowering them to assume role of Branch Heads. During the year 2014-15, 495 Programmes covering 10323 Officers and 111 Programmes covering 4287 workmen employees were conducted by the SIBM and 7 Training Centres. In addition, 2526 officials were trained through external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further, 8 executives/officers were also deputed to overseas training programme.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year Industrial Relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the Business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the Corporate goals.

ACCOLADES & AWARDS

- Our Bank has been adjudged as "**SECOND BEST BANK**" under PSB category by Financial Express India's best banks survey 2012-13.
- Bank has been awarded "**Banking Excellence Award 2013 for the second best public Bank in overall performance"** by State forum of Bankers Club, Kerala.
- Bank has been conferred "**Best Bank Award**" amongst all the Banks in the RSETI movement by Sri Jairam Ramesh, Hon'ble Minister for Rural Development, Government of India.

THE WAY AHEAD

Last year, many of the world economies encountered various country-specific challenges, including structural imbalances, infrastructural bottlenecks, industrial slow-down, high interest rate, increased financial risks and un-coordinated macroeconomic policy framework, as well as geopolitical and political tensions. Although these macroeconomic challenges are supposed to be continuing in the current year also, but their intensity will vary from country to country.

The global recovery is still fragile leading to instability in the domestic economy due to risks arising out of volatile capital flows, turbulence in financial market, uncertainties in oil price movement, strong appreciation of the dollar and weak economic prospects of Emerging & Developing Market Economies. The contribution from the external sector will be limited, as export growth are continuously falling due to strong appreciation in dollar. Hence, the current year has thrown even more intense challenges for the banking sector.

Though economy is still passing through a difficult phase, green shoots have been started appearing amidst the entire depressing economic scenario, on the back of good policy announcements by the Govt. of India, taking the country for Big Bang reforms which are positive for growth revival.

अपनी बेहतर वित्तीय स्थिति तथा मज़बूत पूँजी आधार से बैंक ने उपर्युक्त चुनौतियों से उबरने के लिए स्वयं को सुसज्जित बनाया है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, उत्पाद नवीनता, आक्रामक विपणन, कर्मचारियों के बीच कौशल का विकास तथा संस्थागत व्यावसायिकता के द्वारा बैंक ने विकास की संभाव्यता को बरकरार रखने का कदम उठाया है। बैंक, विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए कौशल समुच्चय के विकास की ओर अग्रसर है जो शुरुआती कगार पर है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए नए कॉरपोरेट थीम के रूप में ''एस्पायर'' को अपनाया है जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

गुणवत्तायुक्त कारोबार प्राप्त करना
धारणीय संवृद्धि
संपूर्ण निष्पादन
अभिशासन में सुधार
दबावग्रस्त आस्तियों को कम करना
उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बैंक ने बाज़ार में पहले से ही मज़बूत आधार स्थापित कर लिया है तथा अपने समर्पित कर्मचारियों, कार्यपालकों एवं स्वस्थ नैगम अभिशासन की सहायता से वर्तमान वर्ष में और अधिक वृद्धि हासिल कर पाएगा।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को, उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संस्था के निष्पादन को बुलंदियों तक पहुँचानेवाले अपने सभी सिंडियन की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण एवं मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ।

अंत में, मैं आप सभी को इस बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सादर, आपका

(अरुण श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 16.05.2015

Your Bank's good financials and strong capital base has equipped it to withstand the above challenges. Bank has taken step to sustain and rebuild its growth potential by continuously focusing on customer-centric approach, product innovation, aggressive marketing, skills development and institutionalising professionalism among staff. Bank is in the haste of developing a new set of skills to meet the credit requirement of various productive sectors which are now set in motion.

Keeping in view the above trend, Bank has opted "ASPIRE" as the new Corporate Theme for the year 2015-16, which signifies as under:

Acquire Quality Business
Sustainable Growth
Perform 360 Degree
Improve Governance
Reduced Stressed Assets
Excellence in Customer Service

I would like to pronounce that your Bank has already laid a strong foundation in the market and are poised to achieve much higher growth during the current year with the support of its dedicated staff, executives and good corporate governance.

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India, for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our esteemed customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by Syndians for enabling the Bank to scale new heights of performance.

Finally, I thank one and all of you for attending this meeting.

With regards,

Yours Sincerely,

(Arun Shrivastava)
Managing Director & CEO

Place : Manipal
Date : 16.05.2015

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल, 31मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

पुनरुत्थान एवं आशावादी शुभ संकेतों के साथ वर्ष 2014 का आगमन हुआ लेकिन, मंद निवेश के कारण पूरे विश्व के देशों और क्षेत्रों में संवृद्धि की संभावित गति बाद में अनियमित एवं धीमी हो गई। इस दौरान वैश्विक व्यापार में मंद वृद्धि, प्रमुख मुद्राओं में गिरावट, तेल की कीमतों में भारी गिरावट तथा बाह्य संवेदनशीलता ने आग में घी का काम किया। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि में कमी, हितकारी चाइनिज मुद्रास्फीति और यूरो जोन अर्थव्यवस्था में गिरावट से पूरे वर्ष वैश्विक समुत्थान की स्थिति डावांडोल रही। चाइनिज अर्थव्यवस्था की मंद वृद्धि से भी कई एशियाई देशों की संभावित वृद्धि पीछे की ओर लुढ़कती हुई देखी गई।

आगे, मध्यपूर्व लिबिया एवं यूक्रेन में चल रहे भूराजनीतिक तनाव ने वैश्विक समुत्थान में अस्थिरता का माहौल पैदा किया और इससे भी वैश्विक तेल बाजार में विघटन हुआ। अग्रिम पंक्ति की कई अर्थव्यवस्थाओं में, उत्पादन अंतराल अभी भी बहुत अधिक है, मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम है और ब्याज दर को कम करने में मुद्रा प्राधिकारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जो कि संवृद्धि की गति को धारा प्रवाह बनाने के लिए अपेक्षित है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरीका ने संभावित वृद्धि से भी अधिक म जबूती दिखाई है लेकिन जापान, जो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी भी अपस्फीति की स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के भीतर पैदा हो गई है। जिससे आर्थिक विकास रुक-सा गया है। उभरती हुई कई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सहायक मैक्रोइकॉनोमिक नीति भी उन देशों, जहाँ आपस में पर्याप्त समन्वय एवं सहयोग का अभाव रहता है, में अपनाई जानेवाली भिन्न आर्थिक नीतियों के कारण सीमित विकास दर्ज कर पाए हैं। तेल आपूर्ति का झटका बरकरार रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता अभी भी जारी है और मांग में बदलाव एवं बाजार की स्थिति तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण पैदा होनेवाला जोखिम अभी भी उच्च स्थिति में है।

आई एम एफ की वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण ने पिछले वर्ष की तरह 2014 में लगभग 3.3 प्रतिशत की वैश्विक जी.डी.पी. का अनुमान लगाया है। वर्ष 2015 में वैश्विक जी.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। 2013 की तुलना में 2014 में जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.3 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत, अमेरीका में 2.2 प्रतिशत से 2.4 प्रतिशत, यूरोजोन में -0.5 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत तथा इंगलैंड में 1.7 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था

DIRECTORS' REPORT

The Board is pleased to present the Bank's Directors' Report along with the Audited Balance Sheet as at 31st March 2015 and the Profit & Loss Account Statement for the Financial Year ended 31st March 2015.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Macro Economic Scenario

Global Perspective

The year 2014 started with a good sign of revival and optimism, but later on turned into uneven and fragile in between leaving the expected growth momentum across Regions and Countries of the globe, mainly on account of weak investment. Slow growth in global trade, depreciation in major currencies, sharp decline in oil prices and external vulnerabilities during the period also added fuel to the fire. The weaker than expected growth in emerging market economies, benign Chinese inflation and gloom in the euro zone economies continued to falter global recovery throughout the year. The slow growth in Chinese economy also has its impact on downward revision in growth forecast in many of the Asian counties.

The rise in geopolitical tensions in the Middle East, Libya and Ukraine further played spoilsport in global recovery and also leads to disruption in global oil market. In most of the advanced economies, output gaps are still substantial, inflation is below target, and monetary authorities facing difficulties in lowering the interest rate which is desired to streamline the growth momentum. Among advanced economies, the United States showed stronger than expected growth, but Japan, the third-largest economy of the world is still struggling to overcome deflationary spiral as developed within the economy, leading to stagnant economic growth. In many emerging market economies, macroeconomic policy space to support growth remains limited due to divergent monetary policies as followed in these countries which lack proper coordination & cooperation among themselves. The uncertainty in world economy about the persistence of the oil supply shock still continues and the risk arising out of shift in demand and market conditions and exchange rate fluctuations are still elevated.

IMF's World Economic Outlook has estimated Global GDP to be around 3.3 percent in 2014, similar to the previous year level. World GDP is projected to grow by 3.5 percent in 2015. While advanced economies grew by 1.8 per cent, United States by 2.4 per cent, Euro Zone by 0.8 per cent and United Kingdom by 2.6 per cent in 2014 as compared to 1.3 per cent, 2.2 per cent, -0.5 per cent and 1.7 per cent respectively in 2013; growth in Emerging Market &

(ईएमडीई) की वृद्धि दर 2013 में 4.7 प्रतिशत से घटकर 2014 में 4.4 प्रतिशत हो गई है। जापान की अर्थव्यवस्था में 2013 के 1.6 प्रतिशत के स्थान पर 2014 में 0.1 प्रतिशत की अप्रत्याशित गिरावट अनुमानित है।

घरेलू विकास

बेहतर नीति निर्धारण एवं घोषणाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ तेल की कीमतों में भारी गिरावट से भारत की संवृद्धि क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के तहत, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा मानी जानेवाली संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, आधार वर्ष को 2011-12 में परिवर्तित करने के बाद, देश की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2013-14 में जबरदस्त बढ़ोत्तरी के साथ 6.9 प्रतिशत हो गयी है जब कि पिछली प्रक्रिया के अनुसार यह 4.7 प्रतिशत अनुमानित थी। सी.एस.ओ. ने भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2014-15 में 7.4 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8 से 8.5 तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। यद्यपि, यह आंकड़ा एक बेहतर संकेत देता है फिर भी भारत में समुत्थान के लिए अभी भी कई प्रमुख मैक्रो सूचकों को स्थान देता है; जैसे, आई आई पी तथा फैक्ट्री आउटपुट डाटा जिसमें यह दर्शाया जाए कि अर्थव्यवस्था अभी भी अपनी क्षमता के अंतर्गत ही परिचालित है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी नवीनतम उपलब्ध डाटा के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अप्रैल-जनवरी के दौरान 0.1 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अप्रैल-जनवरी के दौरान 2.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शायी गई है। यह मुख्यत: मूल वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2013-14 के अप्रैल-जनवरी में क्रमश: 1.6 प्रतिशत एवं -0.8 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अप्रैल-जनवरी में क्रमश: 7.4 प्रतिशत तथा 5.7 प्रतिशत की भारी वृद्धि के कारण संभव हुआ है। आई.आई.पी. में 75.5 प्रतिशत की भागीदारी रखनेवाले विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 के अप्रैल-जनवरी में -0.3 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अप्रैल-जनवरी में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2015 में विनिर्माण क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

उच्चतर खाद्य मूल्यों के कारण, खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2015 में 5.19 प्रतिशत की तुलना में फरवरी 2015 में बढ़कर 5.37 प्रतिशत हो गई है।

मुद्रा आपूर्ति में वर्षानुवर्ष 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो, 21 फरवरी 2014 को ₹93585.8 बिलियन से बढ़कर 20 फरवरी 2015 को ₹104382.4 बिलियन हो गई है। बैंकिंग क्षेत्र के निवल विदेशी विनिमय आस्तियों (एन.एफ.ए.) में वर्षानुवर्ष 14.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो, 21 फरवरी 2014 को ₹18812.2 बिलियन से बढ़कर 20 फरवरी 2015 को ₹21607.2 बिलियन हो गई है।

बैंकिंग परिदृश्य

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) की समग्र जमाराशियाँ (20 फरवरी 2015 तक की स्थिति में) ₹84748.2 बिलियन दर्ज की गई जिसमें, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 15.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, मांग जमाराशियाँ ₹11.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹7690.8

Developing Economies (EMDEs) plunged from 4.7 per cent in 2013 to 4.4 per cent in 2014. Japan's economy is estimated to shrink unexpectedly from 1.6 percent in 2013 to 0.1 percent in 2014.

Domestic Development

India's growth potential is shining again on account of sharp drop in oil prices and also likely beneficiary of good policy decisions and announcements. Against the above backdrops, as per the revised methodology followed by Central Statistical Organisation after shifting the base year to 2011-12 Country's GDP drastically improved to 6.9 per cent in FY 2013-14 as against 4.7 per cent estimated under previous methodology. CSO has estimated India's GDP to grow at 7.4 per cent in FY 2014-15 and 8.0 to 8.5% in FY 2015-16. Though this figure indicates good signs, recovery in India has still to be surfaced as many key macro indicators viz. IIP and factory output data indicating that economy is still operating well below the capacity.

As per the latest available data released by Central Statistics Office (CSO), Index of Industrial Production (IIP) showed a thin recovery from 0.1 per cent during April-Jan FY 2013-14 to 2.5 per cent during April-Jan FY 2014-15. This is mainly because of sharp rise in basic goods and capital good production from 1.6 per cent and -0.8 per cent in April-Jan FY 2013-14 to 7.4 per cent and 5.7 per cent respectively in April-Jan 2014-15. Manufacturing sector which weights 75.5 per cent in the IIP grew by 1.7 per cent in Apr-Jan, FY 2014-15 as against -0.3 per cent in Apr-Jan, 2013-14. Manufacturing sector is pegged to grow 6.8 per cent in fiscal 2015.

The retail inflation rose to 5.37 per cent in Feb 2015 as compared to 5.19 per cent in Jan 2015, mainly due to higher food prices.

The money supply grew by 11.54 per cent y-o-y from ₹93585.8 billion as at Feb.21, 2014 to ₹104382.4 billion as at Feb.20, 2015. Net foreign exchange assets (NFA) of Banking Sector grew by 14.86 per cent y-o-y from ₹18812.2 billion as at Feb.21, 2014 to ₹21607.2 billion as at Feb.20, 2015.

Banking Scenario

Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) increased by 11.9 per cent y-o-y (up to Feb 20, 2015) to ₹84748.2 billion as compared to growth of 15.4 per cent recorded during the corresponding period of the previous year. Demand deposits grew by 11.05 per cent

बिलियन हो गई और सावधि जमाराशियाँ 11.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹77057.5 बिलियन हो गई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) का ऋण, (20 फरवरी, 2015 तक की स्थिति में) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 14.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10.4 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹64533.9 बिलियन दर्ज किया गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का खाद्येतर ऋण, 10.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹63536.5 बिलियन हो गया जबकि, खाद्य ऋण 6.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹997.4 बिलियन हो गया।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का निवेश, (20 फरवरी 2015 तक की स्थिति में) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 13.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹25365.4 बिलियन दर्ज की गई।

बाह्य क्षेत्र वृद्धि

वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से वैश्विक मांग पर भारी प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप पूँजी के आगमन की गति धीमी पड़ गई और इस वजह से भारत का निर्यात क्षेत्र प्रभावित हुआ। वैश्विक मांग की मंद स्थिति एवं इकाई मूल्य के नकदीकरण में लगातार गिरावट से निर्यात का निष्पादन बाधित हुआ है।

निर्यात का संचयी मूल्य यू.एस. डालर की मदों में अप्रैल-जनवरी 2013-14 के यूएसडी 258721.45 मिलियन की जगह अप्रैल-जनवरी 2014-15 की अवधि में यूएसडी 265037.38 मिलियन हो गया है, जिसमें वर्षानुवर्ष 2.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि, आयातों का संचयी मूल्य यू एस डालर की मदों में अप्रैल-जनवरी 2013-14 के दौरान यूएसडी 375253.67 मिलियन की जगह अप्रैल-जनवरी 2014-15 की अवधि में यूएसडी 383411.33 मिलियन हो गया है और उनमें वर्षानुवर्ष 2.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

तेल के आयात का मूल्य अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान यूएसडी 124747.13 मिलियन आंका गया जो अप्रैल-जनवरी 2013-14 के यूएसडी 135396.32 मिलियन की तुलना में 7.87 प्रतिशत कम है जबकि, गैर-तेल आयात का मूल्य अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान यूएसडी 258664.20 मिलियन था जो अप्रैल-जनवरी 2013-14 के यूएसडी 239857.35 मिलियन की तुलना में 7.84 प्रतिशत अधिक था।

व्यापार घाटे का आकलन, अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान समग्रत: यूएसडी 118373.95 मिलियन था जो, अप्रैल-जनवरी 2013-14 के दौरान दर्ज किए गए घाटे, यूएसडी 116532.22 मिलियन की तुलना में अधिक था।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ 28 फरवरी 2014 के यूएसडी 294.36 बिलियन की तुलना में 27 फरवरी 2015 को बढ़कर यूएसडी 338.07 बिलियन हो गयी। विदेशी मुद्रा आस्तियाँ 28 फरवरी 2014 के यूएसडी 266.90 बिलियन की तुलना में 27 फरवरी 2015 को बढ़कर यूएसडी 312.20 बिलियन हो गई।

पिछले वर्ष की तुलना में फरवरी 2015 को रुपये में यू एस डालर, पांउड स्टर्लिंग, जापानी येन तथा यूरो की तुलना में क्रमश: 0.45 प्रतिशत, 7.90 प्रतिशत, 14.99 प्रतिशत और 18.51 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई।

to ₹7690.8 billion and time deposits grew by 11.47 per cent to ₹77057.5 billion during the period.

Bank credit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) increased by 10.4 per cent y-o-y (up to Feb 20, 2015) to ₹64533.9 billion as compared to a growth of 14.0 per cent recorded during the corresponding period of the previous year. Non-food credit of SCBs grew by 10.40 per cent to ₹63536.5 billion whereas food credit registered a decline of 6.41 per cent to ₹997.4 billion.

Scheduled Commercial Banks (SCBs)' Investment in Govt. and other approved securities increased by 13.4 per cent y-o-y (up to Feb 20, 2015) to ₹25365.4 billion as compared to a growth of 13.9 per cent recorded during the corresponding period of the previous year.

External Sector Growth

The global financial turmoil had a dampening effect on global demand and slowed down capital inflows which affected India's export sector. Export performance has been constrained by weak global demand conditions and the persisting fall in unit value realizations.

The cumulative value of Exports for the period Apr-Jan 2014-15, in US dollar terms was USD 265037.38 million as against USD 258721.45 million for Apr-Jan 2013-14 registering a y-o-y growth of 2.44%. Whereas the cumulative value of Imports for the period Apr-Jan 2014-15, in US dollar terms was USD 383411.33 million as against USD 375253.67 million for Apr-Jan 2013-14 registering an increase of 2.17% on y-o-y basis.

Oil imports during Apr-Jan 2014-15 were valued at USD 124747.13 million which was 7.87 per cent lower than USD 135396.32 million during Apr-Jan 2013-14. While non-oil imports during Apr-Jan 2014-15 were valued at USD 258664.20 million which was 7.84 per cent higher than USD 239857.35 million during Apr-Jan 2013-14.

The trade deficit, in absolute terms, during Apr-Jan 2014-15 was estimated at USD 118373.95 million which was higher than the deficit of USD 116532.22 million recorded during Apr-Jan 2013-14.

Foreign exchange reserves stood at USD.338.07 billion as at February 27, 2015 as compared to USD 294.36 billion as at February 28, 2014. Foreign Currency Assets stood at USD.312.20 billion as at Feb 27, 2015 as compared to USD 266.90 billion as at Feb 28, 2014.

The rupee appreciated by 0.45 per cent against US dollar, 7.90 per cent against Pound sterling, 14.99 per cent against the Japanese yen and 18.51 per cent against euro y-o-y during Feb 2015 over the previous year.

नई भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी वक्तव्य

बैंक ने भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी अपना कथन तय किया है, जो न केवल दूरगामी लक्ष्य तय करने में मार्गदर्शक होगा बल्कि नया कारोबार प्राप्त करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, भविष्य में बाजार की संभाव्यताओं की कल्पना करके उसके आकार का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। इसके साथ-साथ इन अवसरों को दूरगामी कारोबार लक्ष्य और लाभों के रूप में बदलने में भी सहूलियत प्रदान करता है।

हमारी भविष्यदृष्टि 2020:

"ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त-सक्षम वैश्विक बैंक बनना"

हमारा लक्ष्य 2020:

1. **समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।**
   - ए) नवोन्मेषी, आवश्यकता-आधारित एवं सुगम्य बैंक-उत्पाद सहित वित्तीय सुपर बाजार बनना।
   - बी) उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी दर्ज करते हुए वित्तीय मानदंडों सहित भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के 5 शीर्ष बैंकों में अपना स्थान बनाना।
   - सी) सामाजिक जिम्मेदार बैंक बनते हुए वित्तीय समावेशन में आगे रहना।
2. **अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अति मान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।**
   - ए) पूर्ण उत्पाद ज्ञान के साथ प्रथम पंक्ति में श्रेष्ठ सेवा प्रदान करने का जुनून
   - बी) ग्राहकों के सभी मामलों के समाधान के लिए एकल संपर्क केंद्र
   - सी) त्वरित एवं प्रभावी शिकायत निवारण
3. **अति सुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहां कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरित महसूस करें।**
   - ए) सही जगह पर सही व्यक्ति, के सिद्धांत पर युवा, चुस्त एवं अभिप्रेरित कार्यबल
   - बी) भर्ती, प्रशिक्षण, प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार योजना आदि सहित उच्च कोटी की मानव संसाधन पहल
   - सी) सभी प्रकार के पहलों को कार्यान्वित करने हेतु सशक्त मानव संसाधन प्रबंधन के लिए सुपरिभाषित एवं पारदर्शी मानव संसाधन नीति।
4. **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों के लिए सुखद माहौल तैयार करना।**
   - ए) समय बचाने वाला अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं का नेटवर्क
   - बी) कागजरहित बैंकिंग परिवेश, अधिकाधिक प्रयोक्ता अनुकूल डिजिटल चैनल
   - सी) शाखाओं में श्रेष्ठ बुनियादी सुविधा एवं आरामदायक परिवेश
5. **सशक्त वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन**
   - ए) ₹10 लाख करोड़वाला कारोबारी आकार, 5000 शाखाएं, 8000 एटीएम और निवल अनर्जक आस्ति 1% से कम
   - बी) ₹10,000 करोड़ से अधिक परिचालनगत लाभ तथा लगातार उच्च लाभांश की अदायगी।

NEW VISION & MISSION STATEMENTS

Bank has chalked out a Vision & Mission Statement which acts as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals, but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and sizing future market potentials and for converting these opportunities into a long term business goal and advantages.

Our Vision 2020:

"Be a leading financially strong universal bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach".

Our Mission 2020:

1. **Be a leading provider of banking solutions providing range of financial services to all strata of society**
   - a. Financial Supermarket with innovative, tailor made & flexible Bank products
   - b. Among top 5 PSBs in India on financial metrics with significant international presence
   - c. Be a socially responsible Bank and leader in financial inclusion
2. **Be a highly recognized and visible brand, known for its customer service**
   - a. Passion to deliver excellent service at front desk with full product knowledge
   - b. Single point of contact solution for all customer issues
   - c. Quick and efficient grievances redressal
3. **Be the most preferred place to work where employees feel proud and motivated**
   - a. Young, energetic and motivated workforce with right person at the right place
   - b. Best in class HR initiatives including recruitment, training, talent management, succession planning etc.,
   - c. Well defined and transparent HR Policy, robust HRM for implementation of all initiatives.
4. **Have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders**
   - a. State of the art network infrastructure with zero downtime.
   - b. Paperless banking environment, most user friendly digital channels
   - c. Excellent infrastructure and ambience at branches
5. **To Deliver strong financial and operational performance**
   - a. Business size of ₹10 lac Crores, 5000 branches, 8000 ATMs and Net NPA < 1%
   - b. Operating profit of > ₹10000 Crores, Consistently high dividend payout.

वर्ष 2014-15 के लिए कॉरपोरेट रणनीति

कारोबारी चुनौतियों को पूरा करने के लिए बैंक ने विवेकपूर्ण ढंग से एक कॉरपोरेट रणनीति तैयार की है ताकि कारोबार स्तर, ग्राहक सेवा, अभिशासन और अनुपालन में सुधार लाया जा सके। भविष्य के लक्ष्य एवं चुनौतियों के पूर्वानुमान के साथ प्रमुख मुद्दों के निपटान हेतु बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अपने कॉरपोरेट थीम के रूप में **"IGNITE"** को चुना है, जिसका विस्तार इस प्रकार:

2014-15 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वोत्तम बैंक बनने का **आह्वान।**

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए कासा की भागीदारी बढ़ाते हुए नए ग्राहकों की खोज तथा **नया कारोबार जुटाना।**

प्रभावशाली निगरानी द्वारा एस.एम.ए. के नियंत्रण तथा वसूली में बढ़ोत्तरी लाकर **अनर्जक आस्ति के स्तर को कम करना।**

कामकाज में कमजोर क्षेत्रों को सशक्त बनाने हेतु **श्रेष्ठ कारोबारी व्यवहार** प्रणाली व नियंत्रण संस्थापित करना।

कृषि, एम.एस.एम.ई. तथा खुदरा ऋणों में पर्याप्त वृद्धि तथा **निपटान अवधि को कम करना।**

प्रौद्योगिकी की मदद से ब्रांड इमेज एवं बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाकर **कारोबार का विस्तार करना।**

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएं

पूँजी एवं आरक्षित निधि

31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त पूँजी ₹662.06 करोड़ (प्रति शेयर ₹10 की दर से 662059172 ईक्विटी शेयर) हो गई।

बैंक की प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष, पिछले वर्ष के मुकाबले 10.49 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013-14 के ₹11219.61 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹12396.72 करोड़ हो गए।

निवल मालियत

बैंक की मूर्त निवल मालियत (प्रारक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन को छोड़कर), महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करते हुए 31 मार्च 2014 के ₹10663 करोड़ से 31 मार्च 2015 को ₹12095 करोड़ हो गई है।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 47 प्रतिशत (₹4.70 प्रति शेयर) अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश के रूप में कुल व्यय (लाभांश कर को शामिल करके) ₹374 करोड़ रहा।

कारोबार वृद्धि

बैंक का वैश्विक कारोबार, वर्ष 2013-14 के ₹ 388584 करोड़ की जगह 2014-15 में ₹18.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹461192 करोड़ हो गया है। वहीं, बैंक के घरेलू कारोबार में 18.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है,

CORPORATE STRATEGY FOR 2014-15

Bank is prudently pursing corporate strategy for meeting the business challenges. In order to improve the business level, customer service, governance and compliance and to address the key issues with an anticipation of future goal & challenges, Bank had adopted "IGNITE" as its new corporate theme for the financial year 2014-15 which signifies as under:

Invoke Passion
to be the best Bank among PSBs for 2014-15

Garner new Business,
sourcing new clients with increased share of CASA through good customer service

NPA level to be reduced
with increased recoveries and with containment of SMAs through effective monitoring.

Institutionalise best business practices,
systems and controls, reducing weak areas in working

Turnaround time to come down
and credit to agriculture, MSME & Retail to expand substantially.

Expand business
through leveraging technology and enhance brand image and market share

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2014-15

Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3000 crore and the paid-up capital ₹662.06 crore (662059172 equity shares of ₹10 each) during the financial year ended at 31.03.2015.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹11219.61 crore in 2013-14 to ₹12396.72 crore in 2014-15 registering a y-o-y growth of 10.49 per cent over the previous year.

Net worth

Tangible Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) improved significantly from ₹10663 crore as at March 31, 2014 to ₹12095 crore as at March 31, 2015.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has proposed a Dividend of 47 per cent (₹4.70 per share) for the year ended March 2015. The total outgo in the form of dividend (inclusive of dividend tax) during the year 2014-15 was ₹374 crore.

Business Growth

The global business of the Bank grew by 18.69 per cent from ₹388584 crore in 2013-14 to ₹461192 crore in 2014-15,

जो 2013-14 के ₹330701 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹390555 करोड़ हो गया है।

जमाराशि संग्रहण

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ, 20.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2013-14 के ₹212343 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में ₹ 255388 करोड़ दर्ज की गई। बैंक की घरेलू जमाराशियाँ, वर्ष 2013-14 के ₹186966 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 20.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹225402 करोड़ दर्ज की गई ।

कासा जमाराशियाँ

बैंक की घरेलू कासा जमाराशियाँ वर्ष 2013-14 के ₹55911 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 के दौरान 13.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 63671 करोड़ हो गई। 31-03-2015 की स्थिति के अनुसार घरेलू जमाराशि पर घरेलू कासा का प्रतिशत 28.25 रहा ।

ऋण अभिनियोजन

बैंक का वैश्विक अग्रिम, वर्ष 2013-14 के ₹176241 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 16.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹205804 करोड़ दर्ज़ किया गया। घरेलू अग्रिम, वर्ष 2013-14 के ₹143735 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 14.90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹165153 करोड़ दर्ज़ किया गया। पिछले वर्ष के 83.00 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान वैश्विक ऋण जमा अनुपात 80.58 प्रतिशत रहा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, वर्ष 2013-14 के ₹52016 करोड़ से बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹57281करोड़ हो गया जो, एएनबीसी का 40.41 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम, वर्ष 2013-14 के ₹18807 करोड़ से बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹21505 करोड़ हो गया जो एएनबीसी का 15.17 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 13.50 प्रतिशत है।

एमएसई अग्रिम, वर्ष 2013-14 के ₹18697 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 6.30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹19874 करोड़ दर्ज़ किया गया।

एमएसएमई अग्रिम, वर्ष 2013-14 के ₹19800 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 24.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹24665 करोड़ दर्ज़ किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ, वर्ष 2013-14 के ₹3562.95 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 12.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹4007.29 करोड़ दर्ज़ किया गया है।

बैंक का निवल लाभ, 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹1711.46 क रोड़ के मुकाबले दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ₹1522.93 करोड़ रहा जिसमें 11.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

कर्मचारी उत्पादकता

31मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी करोबार, ₹14.30 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2015 को ₹15.39 करोड़ दर्ज़ किया गया। प्रति कर्मचारी लाभ, 31 मार्च 2014 के ₹6.83 लाख की तुलना में 31 मार्च 2015 को ₹5.55 लाख दर्ज़ किया गया।

whereas, Bank's domestic business rose by 18.10 per cent from ₹330701 crore in 2013-14 to ₹390555 crore in 2014-15.

Deposit Mobilization

Global deposits of the Bank grew by 20.27 per cent from ₹212343 crore in 2013-14 to ₹255388 crore in 2014-15. Domestic deposits grew by 20.56 per cent from ₹186966 crore in 2013-14 to ₹225402 crore in 2014-15.

CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹55911 crore in 2013-14 to ₹63671 crore in 2014-15, registering a growth of 13.88 per cent. Percentage of domestic CASA to domestic deposits stood at 28.25 per cent as at 31.03.2015.

Credit Deployment

The Bank's global advances rose from ₹176241 crore in 2013-14 to ₹205804 crore in 2014-15 registering a growth of 16.77 per cent. Domestic advances grew by 14.90 per cent from ₹143735 crore in 2013-14 to ₹165153 crore in 2014-15. The global credit deposit ratio stood at 80.58 per cent in 2014-15 as compared to 83.00 per cent of the last year.

Priority Sector Advances increased from ₹52016 crore in 2013-14 to ₹57281 crore in 2014-15 forming 40.41per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Direct Agriculture Advances increased from ₹18807 crore in 2013-14 to ₹21505 crore in 2014-15 forming 15.17 per cent of ANBC as against mandatory level of 13.50 Per cent.

MSE Advances increased from ₹18697 crore in 2013-14 to ₹19874 crore in 2014-15, registering a growth of 6.30 per cent.

MSME Advances increased from ₹19800 crore in 2013-14 to ₹24665 crore in 2014-15, registering a growth of 24.57 per cent.

Profitability

The Bank has registered an increase of 12.47 per cent in Operating profit from ₹3562.95 crore in 2013-14 to ₹4007.29 crore in 2014-15.

Net profit of the Bank stood at ₹1522.93 crore as at 31.03.2015 as against ₹1711.46 crore as at 31.03.2014, recording a decline of 11.02 per cent.

Employees' Productivity

Business per employee of the Bank improved from ₹14.30 crore as at March 31, 2014 to ₹15.39 crore as at March 31, 2015. Profit per employee stood at ₹5.55 lakh as at March 31, 2015 as compared to ₹6.83 lakh as at March 31, 2014.

SyndicateBank

आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय, वर्ष 2013-14 के ₹19945.21 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 18.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹23724.75 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की ब्याजी आय, वर्ष 2013-14 के ₹18621.27 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 16.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹21615.16 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय, वर्ष 2013-14 के ₹1323.94 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 59.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹2109.59 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, वर्ष 2013-14 के ₹13080.51 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 23.04 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹16094.87 करोड़ हो गया।

बैंक का परिचालन व्यय, 2013-14 के ₹3301.75 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 9.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹3622.59 करोड़ हो गया।

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

ए) आस्तियों पर प्रतिलाभ, वर्ष 2013-14 के 0.78 प्रतिशत के स्थान पर 2014-15 में 0.58 प्रतिशत हो गया है।

बी) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम), वर्ष 2013-14 के 2.79 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 2.38 प्रतिशत हो गया है।

सी) बैंक के अग्रिमों पर अर्जन, वर्ष 2013-14 के 9.59 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 9.34 प्रतिशत हो गया है।

डी) बैंक की जमाराशियों की लागत, वर्ष 2013-14 के 6.56 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 6.73 प्रतिशत हो गई है।

ई) बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस), वर्ष 2013-14 के ₹28.21 की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹24.38 हो गया है।

एफ) बैंक का प्रतिशेयर बही मूल्य, वर्ष 2013-14 के ₹189.63 की तुलना में वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹197.24 हो गया है।

जी) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ, वर्ष 2013-14 के 1.56 प्रतिशत की जगह वर्ष 2014-15 में 1.90 प्रतिशत हो गई हैं।

एच) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ, वर्ष 2013-14 के 2.62 प्रतिशत की जगह वर्ष 2014-15 में 3.13 प्रतिशत हो गई हैं।

आई) बैंक का अनर्जक आस्ति प्रोविजन कवरेज अनुपात, वर्ष 2013-14 के 70.02 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 66.61 प्रतिशत हो गया है।

जे) बासेल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी आर ए आर), वर्ष 2013-14 के 11.41 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 10.54 प्रतिशत हो गया है।

के) ईक्विटी शेयरों पर लाभांश, वर्ष 2013-14 के 55 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 47 प्रतिशत हो गया है।

Income & Expenditure

The Bank's total income rose by 18.95 per cent from ₹19945.21crore in 2013-14 to ₹23724.75 crore in 2014-15.

The Bank's interest income rose by 16.08 per cent from ₹18621.27 crore in 2013-14 to ₹21615.16 crore in 2014-15.

The non-interest income of the Bank improved by 59.34 per cent from ₹1323.94 crore in 2013-14 to ₹2109.59 crore in 2014-15.

The Interest expenditure of the Bank stood at ₹16094.87 crore in 2014-15 as against ₹13080.51 crore in 2013-14, recording an increase of 23.04 per cent.

Operating expenditure of the Bank increased by 9.72 per cent from ₹3301.75 crore in 2013-14 to ₹3622.59 crore in 2014-15.

Important Financial Ratios

a) The Return on Assets stood at 0.58 per cent in 2014-15 as compared to 0.78 per cent in 2013-14.

b) The Bank's Net Interest Margin (NIM) stood at 2.38 per cent in 2014-15 as compared to 2.79 per cent in 2013-14.

c) The yield on advances of the Bank stood at 9.34 per cent in 2014-15 as compared to 9.59 per cent in 2013-14.

d) The cost of deposits of the Bank stood at 6.73 per cent in 2014-15 as compared to 6.56 per cent in 2013-14.

e) The Earning per share (EPS) of the Bank stood at ₹24.38 in 2014-15 as compared to ₹28.21 in 2013-14.

f) The Book Value per share of the Bank improved from ₹189.63 in 2013-14 to ₹197.24 in 2014-15.

g) Net NPA percentage to net advances stood at 1.90 per cent in 2014-15 as compared to 1.56 per cent in 2013-14.

h) Gross NPA percentage to Gross Advances stood at 3.13 per cent in 2014-15 as compared to 2.62 per cent in 2013-14.

i) NPA provision coverage ratio of the Bank stood at 66.61 per cent in 2014-15 as compared to 70.02 per cent in 2013-14.

j) The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank, as per Basel III stood at 10.54 per cent in 2014-15 as compared to 11.41 per cent in 2013-14.

k) Dividend on equity shares stood at 47 per cent in 2014-15 as compared to 55 per cent in 2013-14.

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने नेटवर्क में 303 नई शाखाओं को जोड़ा है जिससे 31.03.2015 तक बैंक की शाखाओं की कुल संख्या (लंदन शाखा सहित) 3552 हो गई। इसमें 1116 शाखाएँ कम बैंक सुविधावाले जिलों में तथा 924 शाखाएँ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में हैं।

वर्ष के दौरान उपरोक्त में से 5 शाखाएँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली गईं। वर्ष के दौरान बैंक ने 19 मिड कॉरपोरेट शाखाएँ खोली।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक को अपनी 25% नयी शाखाएँ, 5-6 टीयर की बैंकिंग सुविधा से रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोलनी होगी।

देशी शाखा नेटवर्क में 1150 ग्रामीण, 936 अर्ध-शहरी, 783 शहरी तथा 682 महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। 31.03.2015 तक स्थापित कुल ए.टी.एम. की संख्या बढ़कर 3427 हो गई।

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, बैंक का ग्राहक आधार 46 मिलियन हो गया।

खुदरा उधार

खुदरा उधार हमेशा से ही बैंक का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यद्यपि बैंकिंग कार्यनीतियाँ तेजी से रूपांतरित हो रही हैं फिर भी, खुदरा उधार को एक महत्वपूर्ण संविभाग माना जाता रहा है एवं वह निवल ब्याज मार्जिन को बढ़ाने और जोखिम प्रसार में अपना योगदान देता रहा है।

बाज़ार की प्रवृत्ति को देखते हुए बैंक ने अपनी कार्यनीतियों को नियमित आधार पर बाज़ार की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप पुन:निरूपित करके उत्पादों को तैयार किया है ताकि संविभाग की संवृद्धि में निरंतरता बनी रहे।

31 मार्च 2015 को समाप्त राजकोषीय वर्ष के दौरान खुदरा ऋण की वृद्धि, 31 मार्च 2014 को समाप्त राजकोषीय वर्ष की तुलना में 6.36 प्रतिशत हो गई है। बैंक का कुल बकाया खुदरा ऋण 31 मार्च 2015 की स्थिति में ₹22256.44 करोड़ हो गया है जो कुल बकाया सकल देशी अग्रिम का 13.47% है।

खुदरा ऋण में बढ़ोत्तरी लाने हेतु निम्न उपाय किये गये हैं:

1) मौजूदा और नये आवास ऋण खातों के लिए, ऋण राशि और अवधि को नज़रअंदाज करते हुए आधार दर पर समान ब्याज दर (10.25%) निर्धारित की गई।
2) गुणवत्तायुक्त आवास ऋण संविभाग को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने आवास ऋण प्रदान करने के लिए अनुमोदित भवन निर्माताओं को साथ लिया है। कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा प्रतिष्ठित भवन निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया है ताकि उनके द्वारा आवास ऋण आवेदनों को जुटाया जा सके।
3) आवास ऋण आवेदनों को जुटाने और उन्हें कारोबार में बदलने के लिए अनुमोदित भवन निर्माताओं को नकद पुरस्कार दिया जाता है।

EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year the Bank has added 303 brick and mortar branches to its network and the total number of branches (including London Branch) stood at 3552 as on 31/03/2015. These include 1116 branches in under banked Districts and 924 branches in minority concentration Districts.

Out of the above, 5 branches are opened in the North Eastern Part of India during the year. Bank opened 19 Mid corporate branches during the year.

As per RBI guidelines, Banks are required to open 25 per cent of the new branches in rural unbanked tier 5-6 centres.

The domestic branch network consisted of 1150 rural , 936 semi-urban, 783 urban and 682 metro branches. The total number of ATMs installed upto 31st March 2015 stood at 3427.

The bank has a customer base of 46 million as at March 31, 2015.

RETAIL LENDING

Retail lending continues to be the thrust area of the Bank. Though Banking strategies are undergoing rapid transformations, Retail lending continues to be the important Portfolio and is contributing towards increasing Net Interest Margins and risk diffusion.

Keeping in view the market trends, the Bank has redesigned strategies and repositioned products, customizing on a regular basis to the changing market requirements thus enabling continuity in the growth of the portfolio.

During the fiscal year ended 31st March 2015, the growth in retail credit was 6.36% over the fiscal year ended 31st March 2014. Bank's total outstanding retail loans amounted to ₹22256.44 crore as at 31st March 2015 constituting 13.47 % of the total outstanding gross domestic advances.

Initiatives taken for accelerating Retail Credit growth:

1) Uniform ROI at B R (10.25 %) for existing as well as new Housing Loan accounts irrespective of size and tenor of loan.
2) In order to ensure quality housing loan portfolio, bank adopted approved builders route to extend housing loans. Reputed Builders are empanelled by Corporate Office to facilitate sourcing of HL applications through them.
3) Cash Incentive is paid to approved builders for sourcing HL applications which are converted to business.

4) केवल आवास ऋणों के प्रसंस्करण के लिए 14 सी.पी.सी. कार्यरत हैं।

5) नये कारोबार को जुटाने में कर्मचारी सदस्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं/ सी.पी.सी. के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है।

6) दिनांक 31.03.2015 तक कार एवं आवास ऋणों पर संसाधन तथा प्रलेखन प्रभारों में छूट दी गई।

7) ऋण आवेदनों को जुटाने एवं उन्हें कारोबार में बदलने हेतु, कार डीलरों एवं उनके बिक्री प्रबंधकों को सेवा प्रभार अदा किया जाता है। चार पहिया वाहन डीलरों के बिक्री प्रबंधकों को प्रति ऋण ₹1000/- अदा किया जाता है। यह प्रोत्साहन योजना दिनांक 31.03.2015 तक वैध था।

8) कार ऋणों को जुटाने के लिए दि. 10.12.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान बैंक ने विशेष अभियान चलाया। अभियान अवधि के दौरान, बैंक ने 12133 कार ऋणों को संवितरित किया, जिसकी कुल रकम ₹669.72 करोड़ थी।

9) राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और फार्चून कंपनियों के कर्मचारियों की ऋण आवश्यकतों की पूर्ति हेतु सिंडकनेक्ट नाम की एक नई पीबीएस योजना की शुरुआत की गई।

10) सिंडमार्गेज योजना को बाजार में अधिक स्पर्धात्मक बनाने के लिए वर्धित ऋण रकम के साथ आशोधित किया गया।

11) गैर-कृषि उद्देश्य के लिए आधार दर +1.50 प्रतिशत (11.75%) की घटी हुई ब्याज दर पर 12 महीने की अवधि के भीतर एकबारगी भुगतान वाला (बुलेट पेमेंट) एक नया स्वर्ण ऋण उत्पाद शुरू किया गया है।

12) बैंक ने, दिनांक 1.10.2014 से 31.12.2014 तक खुदरा ऋणों पर केन्द्रीकृत ध्यान देने के लिए सभी शाखाओं के माध्यम से रिटेल क्रेडिट समारोह-2014 का आयोजन किया गया। इसके अलावा, बैंक ने दिनांक 19.1.2015 से 30.01.2015 तक और दिनांक 2.3.2015 से 14.3.2015 तक रिटेल क्रेडिट कैंप भी आयोजित किया।

13) शैक्षिक ऋण प्रस्तावों को जुटाने के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के साथ गठजोड़ व्यवस्था की गई।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम

मार्च 2015 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्यमों को कुल ₹ 24665.05 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया, जो वर्ष के दौरान 24.57% की वृद्धि दर्शाता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के अग्रिमों का स्तर ₹ 21911.35 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें 17.19% की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2015 तक एमएसई को दिये गये अग्रिमों का हिस्सा एमएसएमई को दिये गये अग्रिमों का 88.84% है।

एमएसएमई कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान कई उपायों को कार्यान्वित किया है। केवल एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंक के पास 69 विशेष शाखाएँ हैं।

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, बैंक ने ''सिंड महिला शक्ति'' योजना की शुरुआत की और दिनांक 15.12.2014 से 20.12.2014 तक

4) 14 CPCs are functioning exclusively for processing of Housing Loans.

5) The bank also launched incentive schemes to the regional offices /branches /CPCs to encourage staff to canvass new business.

6) Processing and Documentation Charges on Housing loans and Car Loans waived up to 31.3.2015.

7) Car dealers and their Sales Executives are paid service charges for sourcing loan applications converted to business. Sales Executives with Four Wheeler Dealers are paid ₹1000/- per loan. The Scheme was in force upto 31.3.2015.

8) Bank launched special campaign to mobilize car Loans during 10.12.2014 to 31.3.2015. During the campaign period, Bank disbursed 12133 Car loans amounting to ₹669.72 crore.

9) SyndConnect a new PBS Scheme launched to cater to the credit needs of employees of State / Central Govt departments, Reputed Public Sector Undertakings and Fortune Companies.

10) SyndMortgage scheme is modified with enhanced loan amount to make it more competitive in the market.

11) A new Gold Loan product with Bullet repayment within 12 months period introduced for non agriculture purposes with reduced interest rate of BR + 1.50% (11.75%).

12) Bank observed Retail Credit Festival - 2014 from 1.10.2014 to 31.12.2014 through all branches to focus lending to Retail Loans. Bank also observed Retail Credit Camps from 19.1.2015 to 30.1.2015 and also from 2.3.2015 to 14.3.2015.

13) Tie ups with premier Educational Institutions were executed to mobilize education loan proposals.

ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME) SECTOR

Advances to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) reached ₹24665.05 crore as at March 2015, registering a growth of 24.57 per cent during the year.

Advances to Micro and Small Enterprises (MSEs) reached a level of ₹21911.35 crore, recording a growth of 17.19 per cent. Advances to MSEs accounted for 88.84 per cent of the total advances to MSMEs as at March 2015.

To give a boost to MSME business, the Bank implemented various measures during the year. The Bank is having 69 specialized branches for lending to MSME sector.

Towards empowering Women Entrepreneurs, Bank has launched "SyndMahilaShakthi" scheme and observed

विशेष सप्ताह का आयोजन किया। इस सप्ताह के दौरान बैंक ने 14087 खातों के अंतर्गत ₹163.05 करोड़ ऋण संवितरित किए।

एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध कराने में जोरदार पहल के रूप में, सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के अंतर्गत ₹5.00 लाख तक के ऋणों के लिए गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क का वहन पूरी तरह से बैंक द्वारा किया जाता है और ₹50.00 लाख तक के अन्य सभी ऋणों के मामले में देय शुल्क का 50% वहन बैंक द्वारा किया जाता है। सीजीएमएसई से रक्षित खातों के मामले में बैंक ने ब्याज दर में 0.25% कटौती की है ।

प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन बनानेवाली कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन का नवीकरण किया गया है ताकि एमएसई क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की खरीदी के लिए उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

बैंक के एमएसएमई ऋण उत्पादों के ब्रांड छवि निर्माण के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष के दौरान कई प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। एमएसएमई प्रस्तावों को जुटाने के लिए वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न केन्द्रों में बड़ी मात्रा में एमएसएमई क्रेडिट कैंपों का आयोजन भी किया है।

प्रस्तावों को जुटाने के उद्देश्य से, 10.11.2014 से 20.12.2014 की अवधि के दौरान डॉक्टरों, ट्रान्सपोर्टरों, ठेकेदारों, मार्बल्स व टैक्सटाइल उद्यमियों, महिला उद्यमियों के लिए, बैंक ने एमएसएमई उत्पादों हेतु समर्पित विशिष्ट सप्ताहों का आयोजन भी किया।

बैंक ने अपनी सभी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में आटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम (एलएपीएम) की शुरुआत की है ताकि एमएसएमई ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया की गति बढ़ाई जा सके जिससे एमएसएमई इकाइयों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। एमएसएसई प्रस्तावों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है जिसकी सहायता से एमएसएमई उधारकर्ता अपने ऋण प्रस्तावों का पता करके उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने में बैंक के अनुभव के आधार पर और गत्यात्मक आर्थिक विकास, सरकारी निदेश, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और सामाजिक आर्थिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण, खास तौर पर, कृषि के लिए ऋण देने पर विशेष ध्यान दिया गया।

वर्ष के दौरान समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने कई रणनीतियाँ बनाईं जिनमें संपोषणीय ऋण वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, बेहतर आय की प्राप्ति और समाज के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए वैविध्यपूर्ण ऋण संविभागों का रख-रखाव शामिल है। अपनी स्थिति के समेकन और आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अपनी संवृद्धि को बरकरार रखा है। कृषि एसएमई, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म वित्त और अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

बड़ी संख्या में प्राप्त होनेवाले ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान एवं ऋण संबंधी निर्णयों को शीघ्र लेने के उद्देश्य से, बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भावी ग्राहकों को उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'ऑन लाइन रिक्वेस्ट' सुविधा की शुरुआत की है। भावी ग्राहक बैंक के

special week from 15.12.2014 to 20.12.2014. During the week, bank has disbursed ₹163.05 crore involving 14087 accounts.

As a proactive measure to promote collateral free lending to MSEs, the Bank is absorbing entire guarantee fee and annual service fee payable for loans up to ₹ 5.00 lakh under all Govt. sponsored schemes and 50% of fee payable for all other loans up to ₹50.00 Lakh. Bank reduced interest rate by 0.25% in respect of CGMSE covered accounts.

MOUs with reputed commercial vehicle manufacturing companies were renewed to expand credit to borrowers for purchase of commercial vehicles under MSE sector.

The Bank actively participated in various exhibitions, workshops and seminars during the year to build brand image of the Bank's MSME loan products. The bank also organized series of MSME credit camps at various centers during the year to mobilize MSME proposals.

The bank also organized dedicated specific weeks for MSME products during 10.11.2014 to 20.12.2014 for Doctors, Transporters, Contractors, Marbles and Textiles Manufacturing & Traders and Women Enterprisers to mobilize proposals.

The Bank also introduced an Automated Loan Processing System (LAPS) in all branches and regional offices for speedy processing of MSME loan proposals, there by facilitating timely availability of credit to MSME units. Online Tracking for MSME proposals is provided to facilitate MSME borrowers to track and know the status of the applications.

PRIORITY SECTOR CREDIT

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and keeping in view the dynamics of Economic Growth, Government Directives, National Priorities and Socio-Economic Obligations, thrust was given to Priority Sector lending especially lending to agriculture during the year.

Bank has adopted various strategies during the year to achieve sustainable credit growth, improved asset quality, higher earnings and for maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure inclusive growth. The Bank has continued its growth under Priority Sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were Agriculture, SMEs, Education, Housing, Micro Finance and other productive sectors of the economy.

For quick disposal of large number of credit applications and to hasten credit decisions, the bank has introduced the "Online Request" from prospective clients covering credit requirements under various segments of Priority Sector. The prospective clients can access the Bank's website

वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित फार्मेट के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों को विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित प्रणाली सृजित पावती तत्काल उपलब्ध करायी जाती है जिससे वे अपने आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹57281.44 करोड़ तक पहुँच गया है, (मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹52015.78 से) जो 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 40.41 प्रतिशत बनता है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 29.16 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमजोरवर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान रखा गया। कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹14405.22 करोड़ तक पहुँच गया जो एएनबीसी का 10.16 प्रतिशत है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिदेश 10 प्रतिशत से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2014 के ₹8981 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 को ₹12939.05 करोड़ हो गए, जो 5 प्रतिशत के अधिदेशी स्तर की तुलना में एएनबीसी का 9.13 प्रतिशत बनता है। इसी प्रकार, अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण, मार्च 2014 के ₹8308 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 को ₹ 9012.28 करोड़ हो गए, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.73% प्रतिशत है, जबकि इसके लिए अनिवार्य अपेक्षा 15 प्रतिशत है।

कृषि एवं अनुषंगी कार्यकलाप

मार्च 2015 को कृषि क्षेत्रक ऋण का स्तर ₹26205.38 करोड़ तक पहुँच गया (मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹22070.99 करोड़ से) जो, अधिदेशात्मक 18 प्रतिशत के मुकाबले ए.एन.बी.सी. का 18.49 प्रतिशत है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹21504.72 करोड़ है जो 13.50% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में ए.एन.बी.सी. का 15.17 प्रतिशत बनता है।

बैंक ने 20.48 लाख से भी अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किया है। वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत ₹14468.92 करोड़ की राशि संवितरित की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संवितरित राशि ₹11187.90 करोड़ थी। बैंक ने वर्ष के दौरान अपने ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से 175961 नये किसानों को अपना ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा के लिए औसतन 85 नए किसान जुड़ गए हैं।

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एसकेसीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, हमारा बैंक सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी) योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का संशोधित दिशानिर्देश कार्यान्वित कर रहा है तथा संशोधित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

- पाँच वर्षों के लिए स्टेगर्ड सीमा का निर्धारण
- चेक बुक तथा एटीएम/डेबिट कार्ड (रुपे किसान कार्ड) के निर्गमन का प्रावधान, जिससे किसान अपने एसकेसीसी खातों के परिचालन में प्रभावी रूप से लेन-देन के लिए सक्षम हो सकेंगे।

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 3.56 लाख सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और ₹3631.05 करोड़ वितरित किए। इस प्रकार, मार्च 2015 तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या,

and submit their request for loan through application form prescribed therein. System generated acknowledgement is provided immediately to the applicants with unique reference number which they can use to track their applications.

Priority Sector Advances:

Priority Sector Advances of the Bank reached a level of ₹57281.44 crore as at March, 2015 (from ₹52015.78 as at March 2014) constituting 40.41% of ANBC against the mandatory level of 40%. The Bank has covered more than 29.16 lakh customers under Priority Sector Advances. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, Minorities, Weaker sections and Women are fully met. Advances to Weaker Sections have reached a level of ₹14405.22 crore forming 10.16% of ANBC, thereby surpassing the mandatory requirement of 10%. The advances to women customers increased from ₹8981 crore as at March 2014 to ₹12939.05 crore as at March, 2015, forming 9.13% of ANBC against the mandatory level of 5%. Similarly, advances to minorities increased from ₹8308 crore as at March, 2014 to ₹9012.28 crore as at March 2015, forming 15.73% of Priority Sector Advances surpassing the mandatory requirement of 15%.

Agriculture and Allied activities:

Credit to Agricultural Sector reached a level of ₹26205.38 crore forming 18.49% of ANBC as at March 2015 (from March 2014 level of ₹22070.99 crore), against the mandatory requirement of 18%. The Direct Agriculture credit being ₹21504.72 crore constituted 15.17% of ANBC against the mandatory requirement of 13.50%.

Bank has covered more than 20.48 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under Special Plan for Agricultural Credit during the year amounted to ₹14468.92 crore against the disbursement of ₹11187.90 crore during the last year. The Bank brought 175961 new farmers into its fold during the year through Rural/Semi-Urban branches, registering an average of 85 new farmers per Rural and Semi-Urban branch.

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC):

As per the directions of RBI, Bank is implementing the revised guidelines of Kisan Credit Card under Syndicate Kisan Credit Card (SKCC) Scheme and the revised guidelines involve the following.

- Fixation of staggered limit for five years.
- Provision for issuance of Cheque book and ATM / Debit Cards (Rupay Cards) which will enable the farmers to effectively transact their operations in their SKCC accounts.

The Bank has issued 3.56 lakh Syndicate Kisan Credit Cards and disbursed ₹3631.05 crore during the year 2014-15. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards

नवीकरणों को छोड़कर, 19.48 लाख हो गई हैं, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा ₹7242.05 करोड़ हैं। मार्च 2015 की स्थिति में, 1,78,000 नियमित एसकेसीसी खातों के तहत रुपे किसान कार्ड जारी किए गए हैं। मार्च 2015 तक, वर्ष के दौरान सिंडिकेट किसान समृद्धि क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, बैंक ने 140 कार्ड जारी किए हैं, जिनकी कुल ऋण सीमा ₹1.87 करोड़ है। यह योजना आवश्यकता आधारित अल्पावधि ऋण प्रदान करने के साथ-साथ झंझट रहित निवेश ऋण प्रदान करती है।

सिंड किसान स्वर्ण- कृषि हेतु आभूषण ऋण

सिंड किसान स्वर्ण के अंतर्गत बकाया अग्रिमों का स्तर मार्च 2014 की स्थिति में 4862.16 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 की स्थिति में 5682.21 करोड़ हो गया, जिसमें वर्षानुवर्ष 16.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि हेतु निवेश ऋण

कृषि ऋण में स्थायी वृद्धि को बनाए रखना बैंक की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने इस श्रेणी के अंतर्गत 1831.26 करोड़ वितरित किए। मार्च 2015 की स्थिति में निवेश ऋण के अतंर्गत बकाया स्तर 10860.73 करोड़ है। यह, कुल प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का 50.50 प्रतिशत है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक ने पूरी तरह से सहभागिता की है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा., महिला एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों के चयन पर विशेष जोर दिया गया। 31.03.2015 की स्थिति में, इन योजनाओं, जैसे, एनआरएलएम, पीएमईजीपी, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई, एसआरएमस, एनयूएलएम, पीएमआरवाई तथा सरकार द्वारा प्रायेजित अन्य योजनाओं के अंतर्गत, 132646 उधारकर्ता खातों में कुल ₹2779.95 करोड़ बकाया हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के समय अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन एवं नवीकरण कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में सभी जिला मुख्यालयों में तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 या उससे अधिक आबादी वाले अन्य सभी शहरों में एनयूएलएम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने का विशेष प्रयास किया है ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2014 के ₹3497.55 करोड़ की तुलना में मार्च 2015 में बढ़कर ₹3926.57 करोड़ हो गया, जो वर्षानुवर्ष 12.27% की वृद्धि दर्शाता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से अ.जा./अ.ज.जा. अग्रिमों का हिस्सा 6.85% है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (जैसे, एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमईजीपी) तथा डीआरआई योजनाओं के

issued so far up to March 2015, excluding the renewals, is 19.48 lakh with a total credit limit of ₹7242.05 crore. As at March, 2015, Rupay Kisan Cards have been issued in case of 1,78,000 operative SKCC A/cs. Under Syndicate Kisan Samrudhi Credit Card Scheme, the Bank has issued 140 cards with a credit limit of ₹1.87 crore during the year up to March 2015, which provides hassle free investment credit in addition to need based short-term credit.

Synd Kisan Swarna – Jewel loans to Agriculture:

Outstanding level of advances under Synd Kisan Swarna has increased from ₹4862.16 crore as at March 2014 to ₹5682.21 crore as at March 2015, registering a year on year growth of 16.87%.

Investment Credit to Agriculture. :

It is a thrust area of the Bank to promote sustained growth in farm credit. The Bank has disbursed ₹1831.26 crore under this category during 2014-15. The outstanding level under investment credit as at March 2015 is ₹10860.73 crore. It constitutes 50.50% of Total Direct Agricultural advances.

Government Sponsored Schemes:

TThe Bank continued to participate in poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government in full scale. Special emphasis was laid on coverage of SC/ST, Women and Minority beneficiaries under these schemes. The total amount outstanding under these schemes viz. NRLM, NULM, PMEGP, SRMS, PMRY, SGSY,SJSRY and other Govt. sponsored scheme is ₹2779.95 crore with 132646 borrowal accounts as on 31.03.2015. Special thrust was given to extend financial support to SC/ST/OBC and Minorities, while implementing the Govt. sponsored schemes. National Urban livelihood Mission scheme is a revamped & restructured scheme of Swarna Jayanthi Shahari Rojgar Yojana being operative with effect from the financial year 2014-15. In the 12th Five Year Plan, NULM is being implemented in all District headquarters and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 census.

Advances to SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. Sponsored Schemes is reviewed at regular intervals. Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes.

Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹3497.55 crore as at March 2014 to ₹3926.57 crore as at March 2015, registering year on year growth of 12.27%. The share of SC/ST advances in the total advances of Priority sector Advances is 6.85%. Disbursement and outstanding position of advances to SC/ST under Govt.

अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी अग्रिमों का वितरण तथा बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी जा रही है:

वर्ष 2014-15 (मार्च 2015 तक) के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित तथा डीआरआई योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों को वितरित किए गए अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	कुल वितरण		जिनमें अ.जा./ अ.ज.जा. के		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	724	32.11	124	3.51	17.12
एनआरएलएम	21588	711.79	1809	43.23	8.38
एनयूएलएम	387	5.25	47	0.63	12.14
डीआरआई	1601	17.18	144	0.19	8.99

मार्च 2015 को सरकार द्वारा प्रायोजित तथा डी आर आई योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को बकाया अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	बाकी बकाया		जिनमें अ.जा./ अ.ज.जा. के		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमआरवाई	2416	20.07	303	2.10	12.54
पीएमईजीपी	2111	83.44	238	6.24	11.27
एनआरएलएम	109854	2511.46	20591	475.65	18.74
एसजेएसआरवाई/ एनयूएलएम	4233	35.38	593	3.91	14.01
एसआरएमएस	40	0.20	13	0.08	32.50
डीआरआई	3392	8.34	467	1.49	13.77

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विभिन्न ऋण उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु बैंक ने अनेकों उपाय किए हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2014 के ₹8308.31 करोड़ की तुलना में 8.47% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2015 में ₹9012.28 करोड़ हो गया। यह, 15% की अधिदेश अपेक्षा की तुलना में पीएसए का 15.73% बनता है। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रधानमंत्री के नऐ 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सच्चर समिति की सिफारिशों की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाने के लिए बैंक द्वारा 2010 में 0.25 से लेकर 0.50 प्रतिशत तक की विशेष रियायती ब्याज योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान भी जारी रखा गया।

कमज़ोर वर्गों को अग्रिम

मार्च 2015 की स्थिति में, कमज़ोर वर्गों को वितरित अग्रिमों का बकाया स्तर 14405.22 करोड़ हो गया, जो 10 प्रतिशत की अधिदेशी आवश्यकता की तुलना में एएनबीसी का 10.16 प्रतिशत है।

Sponsored Schemes (i.e. NRLM, NULM, PMEGP) and DRI scheme are furnished in the following tables:

Advances disbursed to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI Scheme during 2014-15 (up to March-2015):

(Amount ₹ in crore)

Scheme	Total Disbursement		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	724	32.11	124	3.51	17.12
NRLM	21588	711.79	1809	43.23	8.38
NULM	387	5.25	47	0.63	12.14
DRI	1601	17.18	144	0.19	8.99

Outstanding advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI Scheme as at March 2015:

(Amount ₹ in crore)

Scheme	Balance outstanding		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMRY	2416	20.07	303	2.10	12.54
PMEGP	2111	83.44	238	6.24	11.27
NRLM	109854	2511.46	20591	475.65	18.74
SJSRY/ NULM	4233	35.38	593	3.91	14.01
SRMS	40	0.20	13	0.08	32.50
DRI	3392	8.34	467	1.49	13.77

Advances to Minorities:

Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for popularizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to Minorities rose from ₹8308.31 crore as at March 2014 to ₹9012.28 crore as at March 2015, registering a year on year growth of 8.47%. This constitutes 15.73% of PSA against mandatory requirement of 15%. The information pertaining to credit flow to Minority communities and status on implementation of Prime Minister's New 15 point programme for Minorities' community and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest concession scheme ranging from 0.25% to 0.50% was introduced by the Bank during 2010 for the benefit of Minority Community under Priority Sector lending, the same is continued during 2014-15.

Advances to Weaker section:

Outstanding level of advances to Weaker Section stood at ₹14405.22 crore as at March 2015, constituting 10.16% of ANBC against mandatory requirement of 10%.

स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ना

वर्ष 2014-15 के दौरान मार्च 2015 तक 34808 नये स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को ऋण सुविधा से जोड़ा गया तथा ₹943.33 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान दी गई। मार्च 2015 की स्थिति में स्वयं सहायता समूहों का बकाया अग्रिम 109854 खातों में ₹2511.46 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त, ₹71.06 करोड़ की ऋण सहायता के साथ 3988 संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी) को जोड़ा गया। मार्च 2015 की स्थिति में जेएलजी को अग्रिम बकाया 4736 खातों में शेष बकाया ₹52.43 करोड़ था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर भूमिहीन किसानों को कृषिगत कार्यकलापों के लिए संस्थागत वित्त पोषण हेतु ''भूमिहीन किसान'' के तहत 5 लाख संयुक्त कृषक समूहों को वित्त पोषण करने का निर्णय लिया है। संयुक्त कृषक समूह एक ऐसा अनौपचारिक समूह है जिसमें 4-10 व्यक्तिगत किसान एक साथ मिलकर जे एल जी वित्त के माध्यम से संस्थागत ऋण का लाभ उठाते हैं। केन्द्रीकृत ध्यान आकर्षित करने तथा एसएचजी/जेएलजी के तहत त्वरित वृद्धि के लिए हमारी शाखाओं ने दिनांक 10.11.2014 से 15.11.2014 तक पूरे देश में एसएचजी/जेएलजी सप्ताह तथा दि. 12.01.2015 से 24.01.2015 तक जेएलजी पखवाड़ा का आयोजन किया। जनवरी 2015 के दौरान कर्नाटक राज्य में हमारी शाखाओं द्वारा एक विशेष एसएचजी-बैंक सहबद्धता माह का आयोजन किया गया।

बैंक से जुड़े एसएचजी की समस्त महिला सदस्यों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित जन श्री बीमा योजना में भाग ले रहा है जिसके प्रीमियम पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का दोहरा लाभ यह है कि एस एच जी के बीमित सदस्य के दो बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के शिक्षा सहयोग योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान करने में हुई प्रगति

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अधीन 8.35 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया है । वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने 2% ब्याज अनुदान के साथ ₹59.27 करोड़ का लाभ प्रदान किया है और समय पर अदायगी हेतु 3% की दर से ₹19.32 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया है। इस प्रकार से पात्र किसानों के लिए ऋण पर प्रभावी दर 4% वार्षिक हो जाती है।

सौर उर्जा का उपयोग

सौर उर्जा के उन्नयन हेतु बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है और जल तापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। हमारा बैंक वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत सौर विद्युत प्रणाली तथा सौर जल तापन प्रणाली को वित्त उपलब्ध कराने की योजना के कार्यान्वयन में लगा हुआ है। वर्ष 2014-15 के दौरान, मार्च 2015 तक हमारे बैंक ने सौर गृह विद्युत प्रणाली की 644 इकाइयों के लिए ₹3.41 करोड़ तथा सौर जल तापन प्रणाली की 72 इकाइयों के लिए ₹0.24 करोड़ वित्त प्रदान किया है।

Credit linkage of Self Help Groups / Joint Liability Groups:

34808 new Self Help Groups (SHGs) were credit linked upto March 2015 with a credit support of ₹943.33 crore during the year 2014-15. The outstanding advances to SHGs as at March 2015 is 109854 accounts with an outstanding balance of ₹2511.46 crore.

In addition, 3988 Joint Liability Groups (JLGs) were credit linked with a credit support of ₹71.06 crore. The outstanding advances to JLG as at March 2015 was 4736 accounts with an outstanding balance of ₹52.43 crores. In the current financial year, GOI have decided to finance 5 lakh joint farming groups under "Bhoomi Heen Kisan" to provide access to large number of land less farmers to institutional finance for farming activities. A joint farming group is informal group comprising of 4 to 10 individual farmers who come together to access institutional credit through JLG mode of financing. In order to give focused attention, and accelerate growth under SHG/JLG, our branches have organized nationwide SHG/JLG week from 10.11.2014 to 15.11.2014 and JLG fortnight during 12.01.2015 to 24.01.2015. A special SHG-Bank linkage month was celebrated by our branches in Karnataka State during January 2015.

The Bank is participating in Jana Sree Bima Yojana of LIC of India to extend insurance cover to all the women members of SHGs credit linked to Bank wherein the premium is subsidized by GOI. This scheme has an add-on benefit under Shiksha Sahayog Yojana wherein two children of the insured member of SHG are provided with scholarship at no additional cost.

Progress in extending interest subvention benefit to farmers:

The Bank has passed on benefit to 8.35 lakh farmers during 2014-15 under interest subvention scheme of the Govt. of India. The bank has extended the interest subvention benefit @ 2% to the tune of ₹59.27crore and ₹19.32 crore as additional incentive subvention @ 3% for timely payment during 2014-15 and making the eligible farmer derive credit at the effective prescribed interest rate of 4% p.a.

Harnessing Solar Energy:

The Bank has been actively promoting solar energy application by implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). During the year 2014-15 up to March 2015, the Bank has financed ₹3.41 crore for 644 units of Solar Home Lighting Systems and ₹0.24 crore for 72 units of Solar Water Heating Systems.

संचयी तौर पर अब तक, बैंक ने सौर गृह विद्युत प्रणालियों की 11920 इकाइयों के लिए ₹25.73 करोड़ का वित्तपोषण किया है । मार्च 2015 तक बैंक ने संचयी तौर पर सौर जल तापन प्रणालियों की 3665 इकाइयों के लिए ₹102.59 करोड़ का वित्तपोषण किया है।

ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

उत्पादकता/उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों तथा उद्यमियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के क्षेत्र में नये तकनीकों को अपनाने तथा बढ़ावा देने में हमारा बैंक आगे रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान हमारी शाखाओं द्वारा 1647 ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 119516 किसान/ग्रामीण लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ व्याख्यान, कृषि संबंधी प्रदर्शनी, कृषिगत/पशुपालन सेमिनार, पशु स्वास्थ्य जाँच कैंप, कृषिगत प्रदर्शनी/कैट्ल शो/किसान मेला, कृषक दौरा, स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रम, वन महोत्सव इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया। दिनांक 11.11.2014 को पूरे देश में ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया गया।

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)

बैंक ने देशभर में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है। इन संस्थाओं ने वर्ष 2014-15 के दौरान 23962 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 11756 महिलाएँ थी और 6441 अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के थे। शुरू से अबतक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 365303 हैं। नियोजन की दर 73 प्रतिशत है।

हमारे रुडसेटी मॉडेल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडेल के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। बेंगलूरु में रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी के अनुप्रवर्तन कक्ष की स्थापना की गई है जो इन संस्थानों तथा पूरे भारत में इनके कार्यकलापों की निगरानी करता है।

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी.)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। अब तक बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंड आरसेटी) को स्थापित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 सिंड आर सेटी को 'एए+' और 6 सिंड आर सेटी को 'एए' श्रेणी प्रदान की है। हमारे फरीदाबाद तथा कोट्टियम सिंड आरसेटी को पूरे देश में क्रमश: श्रेणी I तथा II के तहत सर्वश्रेष्ठ सिंड आरसेटी के रूप में घोषित किया गया है। इन संस्थाओं ने वर्ष 2014-15 के दौरान 417 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 11766 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें 6304 महिलाएं थीं तथा 3080 अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 113489 है। नियोजन की दर 67% है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

सिंडिकेट बैंक तथा विजया बैंक ने दोनों बैंकों के अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्र (जो पहले वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र के नाम से जाना

Cumulatively so far, the Bank has financed ₹25.73 crore for 11920 units of Solar Home Lighting Systems. The cumulative number of Solar Water Heating Systems financed by the Bank is 3665 units amounting to ₹102.59 crore up to March 2015.

Rural Extension Education Programmes:

The Bank has been in the forefront of promoting adoption of new technology in the field of agriculture and rural enterprises enabling farmers & entrepreneurs to improve the productivity / production. 1647 Rural Extension Education Programmes benefitting 119516 farmers / villagers were organized by our branches during the year 2014-15. These programmes included Expert Lectures, Agricultural Demonstrations, Agricultural / Animal Husbandry Seminars, Animal health Check-up Camps, Agricultural Exhibitions / Cattle shows, Kisan Melas, Farmers' exposure visits, Self-employment Awareness Programmes, Vanamahotsavas etc. A nationwide REEP day was celebrated on 11.11.2014.

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

Bank has co-sponsored 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 23962 candidates during the year 2014-15. Out of these trained candidates 11756 were women & 6441 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 365305. The settlement rate is 73%.

Our RUDSETI model has been accepted by Govt. of India: Ministry of Rural Development, as a role model to be replicated in each District of the Country. A Monitoring cell of National Academy of RUDSETIs has been established at Bangalore for monitoring these RSETI institutes and their activities Pan India.

Syndicate Rural Development Trust (SRDT):

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self employment among the rural poor, especially women. So far, the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. 9 SyndRSETIs have been graded 'AA+' and 6 SyndRSETIs have been graded 'AA' by MoRD, Govt. of India. Our Faridabad and Kottiyam SyndRSETIs were adjudged as the best RSETIs in the entire country under category I and II respectively. These institutes have conducted 417 training programmes during the year 2014-15, benefitting 11766 persons, of whom 6304 were women and 3080 were from SC / ST category. Total candidates trained since inception are 113489. The settlement rate is 67%.

Financial Literacy Centres(FLCs):

Syndicate Bank and Vijaya Bank have jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust, Manipal on 20.10.2010 to set up

जाता था) शुरू करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से दिनांक 20.10.2010 को मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की। इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 4.2.2009 के अनुसार की गई जो एफएलसीसी की स्थापना के संदर्भ में था।

यह न्यास अब तक 5 राज्यों में हमारे बैंक के अग्रणी जिलों में 46 वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना कर चुका है। इन केंद्रों ने अब तक 12602 साक्षरता कैंप चलाकर 1695 गाँवों के 489334 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफआईआरसी)

भा.रि.बैं. की सलाह पर हमारे बैंक ने 5 राज्यों में 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्रों (एफआईआरसी) की स्थापना की है। ये संसाधन केंद्र बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं, बैंकिंग सेवाओं तथा इनके उत्पादों, भा.रि.बैं. एवं इनके कार्यों; करेंसी नोटों इत्यादि के प्रदर्शन के माध्यम से सूचना के स्थाई स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक के पास संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित देशभर के 27 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा (डीएलआरसी) एवं जिला परामर्शदाता समिति (डीसीसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजना प्रक्रिया पूरी हो गई है और भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित समय सूची के अनुसार जिला ऋण योजना (डी.सी.पी.) 2014-15 की शुरुआत की गई। बैंक कर्नाटक राज्य और संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एस.एल.बी.सी. और लक्षद्वीप के लिए यू.टी.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 3 राज्यों के 18 जिलों में 1348 शाखाएं हैं। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य कारोबार मानदंडों के संदर्भ में देश के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में श्रेष्ठ है। बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार 31 मार्च 2015 को ₹42101 करोड़ रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशियाँ तथा अग्रिम बढ़कर क्रमश: ₹23381 करोड़ तथा ₹18720 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹16433 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल अग्रिमों का 87.78% है। उनका कुल कृषि अग्रिम ₹13372 करोड़ तक पहुँच गया जो कुल अग्रिमों का 71.43% है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों को 10.94 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं जिनका कुल ऋण बकाया ₹7844 करोड़ है। वे क्षे.ग्रा.बैं. अपनी स्थापना के बाद से लगातार लाभ कमा रहे हैं। वर्ष 2015 की स्थिति में ₹409 करोड़ का कर पश्चात निवल लाभ अर्जित किया है।

बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा.बैं. ने शतप्रतिशत सी.बी.एस. को लागू किया है। तीनों क्षे.ग्रा.बैं. एपीबीएस/एनएसीएच प्लेटफॉर्म, ईसी तथा

Financial Literacy Centres (earlier called Financial Literacy and Credit Counselling Centres) in the Lead Districts of both the Banks. The FLCs are established on the lines of Model Scheme for setting up of FLCCs issued by RBI vide their circular dated 04.02.2009.

The Trust has so far set up 46 FLCs on behalf of our Bank in our Lead Districts in five states. These FLCs have conducted 12602 Literacy Camps covering 1695 villages benefitting 489334 persons.

Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs):

As advised by RBI, our Bank has set up 21 Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs) in 5 States. These FIRCs provide a permanent storehouse of information in the form of Exhibition on various facets of Banking, banking services and its products, RBI and its functions, Currency Notes etc.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 27 districts inclusive of UT of Lakshadweep across the country. All the Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2014-15 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme.

REGIONAL RURAL BANKS

There are three Regional Rural Banks sponsored by our Bank. These RRBs are covering 18 districts in 3 states with a network of 1348 branches. RRBs sponsored by our Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total Business of RRBs sponsored by our Bank stood at ₹42101 crore as at March 2015.

The total deposits and advances of the RRBs have reached a level of ₹23381 crore and ₹18720 crore respectively. The total Priority Sector Advances stood at ₹16433 crore constituting 87.78 percent of the total advances as at March 2015. Agriculture advance have reached a level of ₹13372 crore forming 71.43 percent of total advances. All the RRBs have issued 10.94 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹7844 crore. The RRBs are making profit continuously since inception and earned a net profit after Tax of ₹409 crore as at March 2015.

All the RRBs sponsored by our Bank have moved towards 100% implementation of CBS. All the three RRBs have

सीपीएसएमएस 2.6 वर्जन के माध्यम से एनजीआरटीजीएस, एनईएफटी का कार्यान्वयन कर चुके हैं। क्षे.ग्रा. बैंकों ने पीएमजेडीवाई में सक्रिय रूप से भाग लेकर 1385100 बचत खाते खोले हैं और समस्त खाताधारकों को दिनांक 31.03.2015 तक रुपे कार्ड जारी कर दिया है। तीनों क्षे.ग्रा. बैंकों में सिस्टम आधारित एन पी ए क्रियान्वित की गई है। बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के निदेशानुसार एफ आई योजना (2013-16) को क्रियान्वित कर चुके हैं।

ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग

ऋण निगरानी प्रणाली को और भी व्यापक बनाने तथा अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता को अनवरत बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय में एक अलग विभाग का गठन किया है जिसके प्रमुख महा प्रबंधक होते हैं। इस विभाग में विशेष विनिर्दिष्ट खाता कक्ष, ऋण निगरानी कक्ष तथा कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन कक्ष को वर्ष 2014 में मिलाकर ऋण निगरानी और समीक्षा विभाग बनाकर एक व्यापक ऋण निगरानी नीति की शुरुआत की गई है।

यह विभाग मुख्य रूप से ऋण निगरानी हेतु नीति बनाने, कॉरपोरेट कार्यालय/ एफजीएमओ/ क्षे.का. स्तर से मंजूरी की समीक्षा, समुचित सावधानी एवं विधिक अनुपालन की समीक्षा तथा मंजूरी की शर्तों का अनुपालन, कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा मंजूर उधारकर्ता खातों की निगरानी, ₹10 करोड़ से अधिक के दबावग्रस्त खातों, कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन, बड़े ऋणों से संबंधित सूचना के केंद्रित भंडार (क्रिलिक) के माध्यम से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समय रहते पहचान तथा पुनरुद्धारन इत्यादि के लिए जिम्मेदार है।

प्रभावी तथा समयबद्ध निगरानी के लिए, ₹1.00 करोड़ तथा इससे अधिक के उधार खातों के लिए प्रणाली आधारित मासिक निगरानी रिपोर्ट तैयार की गई है ताकि ऋण/खातों के संबंध में अधिक से अधिक गुणवत्तापरक सूचना प्राप्त हो सके जिससे खाते की नवीकरण की स्थिति, विभिन्न निरीक्षण/लेखा परीक्षा संबंधी ब्यौरे, इकाई का दौरा, बीमा सुरक्षा, प्रतिभूति का सृजन, इकाई का निष्पादन, बैंकिंग व्यवस्थाएं, रेटिंग ब्यौरे, आदि जैसे खातों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होगी। मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करती है तथा उच्च प्रबंधन को विभिन्न उद्योगों जैसे, विनिर्माण, सेवाएं, बुनियादी संरचना, पूंजी बाजार/वाणिज्यिक रीयल इस्टेट/मिलों आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की ऋण एक्सपोजर को गुणवत्ता पर समग्र दृष्टि बनाये रखती है।

विशिष्ट विनिर्दिष्ट खाते

समस्यावाले खाते, जिनकी अनियमितताओं, कमजोरी की प्रारंभिक प्रतीक की पहचान के लिए वर्ष 2009 में अलग से एक विशेष निगरानी खाता विभाग की स्थापना की गई ताकि, गुणवत्तापरक परिसंपत्ति बनाए रखने के लिए समय पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। ये समस्यापरक खाते विशेष निगरानी खाते के रूप में जाने जाते हैं।

इस विभाग को मानक परिसंपत्तियों के तहत दबावग्रस्त खातों की समग्र निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है तथा ये विभिन्न प्रयोजनमूलक विभागों के प्रयोग के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियों के समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गुणवत्तापरक एम आई एस तैयार करता है। इस विभाग को उचित रिपोर्टिंग

implemented NGRTGS, NEFT, on boarded with APBS/NACH platform, ECS and CPSMS 2.6 version. RRBs have actively participated in PMJDY and have canvassed 1385100 SB accounts and issued RuPay Cards to all account holders as on 31.03.2015. System generated NPA is implemented in all the three RRBs. All the three RRBs sponsored by our Bank have implemented FI Plan (2013-2016) as per the direction of Reserve Bank of India and Government of India.

CREDIT MONITORING AND REVIEW DEPARTMENT

In order to have a more comprehensive system of monitoring the credit and to ensure advances' asset quality on an ongoing basis, Bank has constituted a separate vertical at Corporate Office headed by a General Manager, in which the Special Mention Accounts Cell, Credit Monitoring Cell and Corporate Debt Restructuring Cell are merged into Credit Monitoring and Review Department and introduced a comprehensive Credit Monitoring Policy in 2014.

The Department is primarily responsible for framing policies related to Credit Monitoring, review of sanctions at Corporate Office/FGMOs/ROs, review of Due Diligence and Legal Compliance and compliance of terms of sanctions, monitoring of Borrowal accounts sanctioned by Corporate Office, Stressed Accounts of ₹10.00 crore and above, Corporate Debt Restructuring, early recognition and revitalization of stressed assets through Central Repository of Information on Large Credits(CRILIC) etc.

For effective and timely monitoring, a system based Monthly Monitoring Report for borrowal account of ₹1.00 crore and above is devised in order to have maximum possible and qualitative information in respect of loan accounts facility wise which will give deep insight to various aspects of an account like, health of the account, renewal status, various Inspection/ audit details, unit visits, Insurance coverage, security creation, performance of the unit, banking arrangements, Rating details etc. The Monthly Monitoring Report acts as an early warning system and facilitates the top management to have an overall view on the health of the credit exposure to various industries like manufacturing, services, Infrastructure, sensitive sectors like Capital Market/ Commercial Real Estate/Commodities etc.

Special Mention Accounts:

A separate Special Monitoring Accounts Department was established in 2009, in order to identify the problem accounts showing early sign of irregularities, sickness so that timely effective action can be taken to maintain the quality of assets. These problem accounts are known as Special Monitoring Accounts.

The Department is vested with the responsibility of overall monitoring of stressed accounts under Standard assets and generates quality MIS to be used by various functional departments for managing the overall quality of the Bank's

प्रणाली/एमआईएस तैयार करने तथा नियमित अंतराल पर आंकडा संग्रहण का काम सौंपा गया है। यह विभाग नियमित अंतराल पर सीधे सीबीएस से आंकड़े डाउनलोड करता है तथा शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों से उसका अनुवर्तन करता है। साथ ही, यह विभाग एक निश्चित कट-ऑफ सीमा से बाहर के खातों की निगरानी करता है। यह विभाग कट-ऑफ सीमा के आधार पर क्षेत्रीय प्रमुखों, एसएमए कार्यबल, क्षेत्रीय कार्यालय के दबावग्रस्त लघु परिसंपत्ति वसूली टीम (स्टार) तथा शाखाओं की वसूली टीम के माध्यम से अन्य खातों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अनुवर्तन करता है।

पुनर्गठित खातों के संदर्भ में नियमित अंतराल पर आंकडे/ एमआईएस के संग्रहण का काम भी इस विभाग को सौंपा गया है। इन विशिष्ट विनिर्दिष्ट खातों का बारीकी से निगरानी किया जाता है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उधार खातों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, वित्तीय कठिनाइयों / कमज़ोरियों की शीघ्र पहचान करते हुए पुनर्गठन पैकेज का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जाता है। यह विभाग उधारकर्ताओं द्वारा सहमत पुनर्गठन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में ऐसे पुनर्गठित खातों की निगरानी करता है।

यह विभाग ₹1.00 करोड़ तथा अधिक मूल्य के एस एम खातों सहित एसएम खातों का शाखावार, आकार-अनुसार तथा क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत करता है तथा एस.एम. खातों की समीक्षा उच्च प्रबंधन को मासिक आधार पर तथा बोर्ड के प्रबंधन समिति को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करता है। यह विभाग पुनर्रचित खातों से संबंधित ब्यौरे तिमाही अंतराल पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल को भी प्रस्तुत करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1.4.2014 से शुरू किये गए दबावग्रस्तता की शीघ्र पहचान तथा बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीय भंडार की स्थापना, जिसे "अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जागृत करने के लिए संरचना-संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्ययोजना (सीएपी) पर मार्गदर्शी सिद्धांत" नाम भी दिया गया है, की भी हमारे विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। ऐसे उधारकर्ताओं, जिनकी सी. आर. आई. एल. सी. में ₹5 करोड़ या उससे अधिक की समग्र निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित राशि एसएमए 2 के रूप में है, उनकी भी रिपोर्टिंग इस विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाती है।

नैगम ऋण विभाग

बैंक, निगमों को उनकी लघु एवं दीर्घावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान करता है। ₹100 करोड़ से ऊपर के ऋण प्रस्तावों का प्रबंधन नैगम ऋण विभाग द्वारा किया जाता है। ये ऋण, कार्यशील पूंजी वित्तीयन, सावधि ऋण वित्तीयन, परियोजना वित्तीयन जैसे, कमर्शियल रियल इस्टेट, बुनियादी व अन्य परियोजनाएँ, भविष्य में प्राप्त किराये के प्रति ऋण, शेयर समूहों की खरीदी इत्यादि के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

परियोजना मूल्यांकन एवं सिडिकेशन कक्ष

परियोजना मूल्यांकन समिति का गठन विस्तृत मूल्यांकन को तैयार करने/ टीईवी अध्ययन/सूचनात्मक ज्ञापन की जाँच करने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना मूल्यांकन कक्ष का दायित्व है कि वह सावधि ऋण प्रस्तावों के मामले में जहाँ परियोजना लागत ₹70 करोड़ या उससे अधिक है और

Credit portfolio. The department is entrusted with the task of devising appropriate reporting system / MIS and collecting data on regular periodicity. Department downloads data from CBS system directly at frequent intervals and follows up with the branches / Regional Offices. The department monitors accounts beyond a certain cut off limit. The department follows up with Regional Offices for monitoring other accounts through the Regional heads, SMA task force, Stressed Tiny Assets Recovery Team (STAR) at Regional Offices and Recovery teams at branches on the basis of cut off limits.

The department is also entrusted with the collection of data / MIS on regular intervals in respect of restructured accounts. The Special Mention Accounts are closely monitored and time bound implementation of restructuring package being carried out by quick detection of financial distress/weak nesses, careful assessment of the borrowal accounts, in accordance with RBI guidelines. The department monitors status of such restructured account in confirmity with the restructuring commitments agreed by the borrowers.

The department submits branch-wise, size-wise and sector-wise details of SM accounts along with the details of high value SM accounts of ₹1.00 crore & above and also submit review of SM accounts to Top Management on monthly rests and to Management Committee of Board on quarterly rest. Department also submits details of restructured accounts on quarterly rests to CMD / Board of Directors.

Early Recognition of Stress and Setting up of Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) introduced by RBI from 01.04.2014 named as "FRAMEWORK FOR REVITALIZING DISTRESSED ASSETS IN THE ECONOMY –GUIDELINES ON JOINT LENDERS' FORUM (JLF) AND CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP)" is also being monitored by our department. The reporting of borrowers having aggregate fund-based and non-fund based exposure of ₹5 crore and above as SMA 2 in CRILC is being attended by the Department.

CORPORATE CREDIT DEPARTMENT

The bank extends finance to corporates for their short term as well as long term requirements. Exposures of above ₹100 crore are handled by Corporate Credit Department. The loans offered are Working capital finance, Term Loan finance, Project finance such as Commercial real estate, Infrastructure projects and other projects, Loan against future rent receivable, Portfolio buyouts etc.

Project Appraisal & Syndication Cell

Project Appraisal Cell has been constituted for preparation of Detailed Appraisal/ Vetting of TEV study/ Information Memorandum. PAC undertakes detailed appraisal in respect of Term Loan proposals with project cost of ₹70

उत्पादन/निर्माण की प्रक्रिया युक्त मामलों में जहाँ बैंक का भाग ₹35 करोड़ से अधिक है का विस्तृत मूल्यांकन करे।

उन परियोजनाओं के मामले में, जिनका सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों/निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों/अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है, ऐसे मामले में ₹100/- करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों की जाँच पी.ए.सी. द्वारा की जाती है। इस प्रकार के उपाय से ऋण प्रस्तावों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी और अल्प सूचना पर ही शाखाओं को त्वरित सेवा दी जा सकेगी।

समूह के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिये एक सिंडिकेशन कक्ष की स्थापना की गई है। सिंडिकेशन के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा कुछ सूचनात्मक ज्ञापन तैयार किये गये थे। इस पहल से बैंकों को शुल्क आधारित आय बढ़ाने के साथ-साथ बैंक के लिये गुणवत्तावाली उच्च मूल्य आस्तियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी और बैंक के एन आई एम में भी सुधार होगा।

मिड कॉरपोरेट विभाग

कॉरपोरेट कार्यालय स्थित, मिड कॉरपोरेट विभाग वाणिज्यिक स्थावर संपदा एमएफआई इंफ्रास्ट्रक्चर, निम्न प्राथमिकता उद्योग और नये व्यापारिक समूहों सहित ₹35 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच के ऋण प्रस्तावों की देख-रेख कर रहा है। उच्च मूल्य के अग्रिमों को देखने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित 198 शाखाओं को पदनामित किया गया है।

मिड कॉरपोरेट ग्राहक वर्ग को ध्यान में रखकर बैंक ने वर्ष 2014-2015 के दौरान, देश के प्रमुख शहरों में 22 नई विशेषीकृत मिड कॉरपोरेट शाखाएँ खोली हैं। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बैंक की विशेष मिड कॉरपोरेट शाखाओं की संख्या 24 है। इन विशेषीकृत शाखाओं में सहायक महा प्रबंधक के स्तर तक के प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को नियुक्त किया गया है। इन शाखाओं में उच्च मूल्य ऋणों को प्रदान किया जाता है और यहाँ फुटकर व्यापार नहीं किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की इन 24 शाखाओं ने ₹5029 करोड़ की उल्लेखनीय व्यापार वृद्धि दर हासिल की है। वर्ष 2015-16 के दौरान, हम इन शाखाओं से ₹8500 करोड़ के नये कारोबार की आशा रखते हैं।

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

एनपीए प्रबंधन की समस्त पहलुओं के समाधान हेतु बैंक की वसूली नीति बनाई गई है। अनर्जक आस्तियों की सभी श्रेणियों का समाधान करने में क्षेत्र पदाधिकारियों को निपुण बनाने हेतु वर्ष 2014-2015 के दौरान, ''अनर्जक आस्तियों की व्यापक वसूली नीति'' के नाम से एक पुस्तिका तैयार की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में ''व्यापक वसूली नीति'' में समय-समय पर आशोधन किये जाते हैं।

कृषि ट्रैक्टर ऋण, बही शेष ₹5,00,000/- या उससे कमवाली संदेहास्पद और हानि आस्तियों के अंतर्गत छोटे एनपीए खाते के अंतर्गत पात्र कृषकों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने विशेष एकमुश्त निपटान योजना लागू की। वर्ष के दौरान कृषि अैर संबद्ध कार्य कलापों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त संबंधी एनपीए के निपटान हेतु एक विशेष एकमुश्त निपटान योजना प्रारंभ की गई ज़िससे मुश्किल में

crore and above and Banks exposure of above ₹35 crore where production / Construction / process is involved.

In respect of projects already appraised by PSBs/ All India Financial Institutions/ leading Private Sector Banks/ other reputed agencies, vetting is done by PAC for exposures above ₹100 crore. This initiative will reduce the Turn Around Time (TAT) for credit proposals as well as providing such services to our branches at a short notice.

A Syndication Cell has been constituted for arranging loans under Syndication. A few Information Memorandums were prepared by PAC during the current FY for Syndication purpose. This initiative will increase the fee based income for the Bank and also will help in creating quality high value good assets for the bank and also for improving the NIM of the Bank.

MID CORPORATE DEPARTMENT

Mid Corporate Department at Corporate Office is handling proposals between ₹35 crore and ₹100 crore including Commercial Real Estate, MFIs, Infrastructure, Low Priority Industries and New Business Group. 198 branches of the Bank in various places in the country have been designated for handling high value advances.

During 2014-15, Bank has opened 22 new specialized Mid Corporate Branches in key cities of the country to have focused attention to the Mid Corporate Clientele. As on 31.03.2015, the Bank is having 24 such specialized Mid Corporate Branches. These specialized branches are posted with trained and experienced people upto the cadre of Asst.General Manager and are focusing only on high value credit growth and no retail business is being entertained in these branches. Bank has achieved incremental business of ₹5029 crore from these 24 branches for 2014-15. During the year 2015-16, we expect to add ₹8500 crore new business from these branches.

ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAS

Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enabled the field functionaries in resolving any category of Non Performing Accounts by bringing out a booklet on "Comprehensive Recovery Policy for Non Performing Assets" during 2014-15. The Comprehensive Recovery Policy is being modified from time to time to be in line with the guidelines of RBI/GOI.

Bank has introduced/extended special OTS schemes for considering proposals of farmers eligible under agricultural tractor loans, small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5,00,000/- and below, and of Micro and Small Enterprises borrowers. During the year, a special OTS scheme for settling NPAs of farmers under direct finance to Agriculture & allied activities was

फंसे किसानों को लाभ हो सके। ₹4.00 लाख या उससे कम नीचे के एनपीए शिक्षा ऋणों के निपटान हेतु एक विशेष एकमुश्त निपटान योजना तैयार की गई, जिससे शिक्षा ऋण के ऋणियों को लाभ हो सके।

बैंक ने पूरे वर्ष सभी शाखाओं में "सिंड अदालतों" के माध्यम से मिलें, बात करें और निपटान करें की नीति के आधार पर बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों के देयों का निपटान किया। क्षेत्र/समूह/शाखा स्तर पर दिनांक 10.06.2014, 19.08.2014, 18.11.2014 और 10.02.2014 को चार बृहद सिंड अदालतों का आयोजन करके 57779 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया और ₹613.04 करोड़ के प्रस्तावित रकम पर ₹169.23 करोड़ वसूले गये।

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान नोटिस जारी करके और सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों पर कब्जा/नीलामी करके ₹577.99 करोड़ की उल्लेखनीय राशि वसूल की। शाखा स्तर के प्रयास, सूचीबद्ध दक्ष एजेंसियों और अनुमोदित मूल्यांकिकी के सहयोग के साथ पूरे हुये।

'सिंड वसूली अभियान 1415' के नाम से 15 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक विशेष गहन वसूली अभियान सफलतापूर्वक चलाकर अधिकतम वसूली की गई।

वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक क्षेत्र के बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें चिह्नित किया गया और 31 मार्च 2015 से पहले कई खातों को सफलतापूर्वक निपटा लिया गया। ₹10 लाख के कम की विशेष निगरानी आस्तियों/अनर्जक खातों की अत्यधिक संख्यावाली शाखाओं को मदद करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित दबावग्रस्त लघु परिसंपत्ति वसूली (स्टार्ट) टीम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

उच्च मूल्य के सभी एनपीए खातों की निगरानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है और इन खातों के निपटान हेतु प्रभावी ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। जिसके फलस्वरूप, बड़ी संख्या में एनपीए खातों का निपटान संभव हो सका।

वर्ष के दौरान, एनपीए खातों में ₹2214.34 करोड़ की नगद वसूली की गई, जिसमें से ₹1054.19 करोड़ की वसूली पुराने एनपीए खातों में और ₹631.68 करोड़ की वसूली नये एनपीए खातों में की गई। इसमें से ₹527.55 करोड़ की वसूली अप्रभारित ब्याज पर की गई।

वित्तीय समावेशन पहल

1396 बीसीए की व्यवस्था करके तथा 41 शाखाएँ एवं 2 सैटेलाइट कार्यालय खोलने के साथ निर्धारित तिथि 26.01.2015 से पहले अर्थात 31.12.2014 को ही बैंक ने 2000 से कम आबादी वाले सभी आबंटित 4827 गाँवों को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त किया।

बैंक के पास 103.80 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते हैं और बैंक ने 7.34 लाख केसीसी, 0.43 लाख जीसीसी तथा 6.28 लाख स्मार्ट कार्ड और मोबाइल खाते जारी किये हैं।

बैंक ने 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में 942 यूएसबी स्थापित किये, जिन्हें बीसीए की सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं। मूल शाखा से एक नामित

introduced for the benefit of distressed farmers and a Special OTS Scheme was also formulated for settling NPA education loans with original sanctioned limit of ₹4.00 lakh & below for the benefit of education loan borrowers.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues at "Synd Adalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat Synd Adalats were conducted at regional/cluster/branch level on 10.06.2014, 19.08.2014, 18.11.2014 and 10.02.2014 and 57779 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹169.23 crore with an offer amount of ₹613.04 crore.

Bank was able to register a substantial recovery of ₹577.99 crore during the year 2014-15 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002. The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive NPA recovery campaign named "Synd Vasuli Abhyan-1415" was held successfully from 15th July 2014 to 31st March 2015 for maximizing recovery.

Top NPAs from each Region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2015. Stressed Tiny Asset Recovery team (START) stationed at Regional Offices are being extensively utilized for assisting the branches having high concentration of Special Monitoring Assets / Non Performing Accounts of below ₹10.00 lakh.

All high value NPA accounts are monitored personally by Chairman & Managing Director/ Executive Directors and vigorous follow up is made for resolving these accounts. On account of this, large number of NPA accounts could be resolved.

The Total cash recovery in NPAs amounted to ₹2214.34 crore, which includes principal recovery of ₹1054.19 crore in existing NPAs & ₹631.68 crore in fresh NPAs slipped during the year. The total cash recovery includes ₹527.55 crore towards uncharged interest.

FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES

The Bank has covered all the allotted 4827 villages of less than 2000 population by 31.12.2014, as against the target date of 26.01.2015, by engaging 1396 BCAs and opening 41 branches and 2 Satellite Offices.

Our Bank has 103.80 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts and has extended 7.34 lakh KCCs, 0.43 lakh GCCs and issued 6.28 lakh Smart cards / mobile enabled accounts.

Bank has established 942 USBs in the villages having population of over 2000 which are provided with the

अधिकारी, पहले से ही निर्धारित निश्चित तिथि पर यूएसबी का दौरा कर उन्हें गैर-वित्तीय सेवाएं जैसे खाता विवरणी जारी करना, बकाया राशि की जाँच आदि उपलब्ध कराता है। नामित अधिकारियों के पास लैपटाप उपलब्ध कराया गया है और वे बीसीए को मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे वह यूसीबी का उपयोग एक व्यवहार्य बैंकिंग बिक्री केंद्र के रूप में कर सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन नामक योजना को माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 28.08.2014 को ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना'' के रूप में शुरू किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य यह था कि सभी वंचित ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका एक बैंक खाता खोला जाये, जिससे वे लोग, जो मूल बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें मुख्य वित्तीय धारा में शामिल किया जाये और वे खाताधारक, विभिन्न वित्तीय उत्पादों का लाभ उठा सकें, यथा, ₹1 लाख के बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड, लघु पेंशन उत्पाद, खाते के 6 माह तक सफल संचालन के बाद उसमें ₹5000/- तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा। उन ग्राहकों, जिन्होंने 31.3.2015 तक कुछ पात्रता शर्तों के अधीन, पीएम जेडीवाई के अंतर्गत खाते खोले हैं उनको ₹30,000/- की जिवन बीमा रक्षा उपलब्ध करायी गयी है।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत होने वाली प्रगति की भारत सरकार द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है, जिसकी जांच बिंदु है, बीएसबीडी खाते खोलना, रुपे डेबिट कार्ड जारी करना, गाँवों में मकानों का सर्वे करना, शनिवार को खाते खोलने का साप्ताहिक कैंप लगाना और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को खाते खोलने का मेगा कैंप लगाना, राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था और बैंक मित्र को यूनीफार्म उपलब्ध कराना, आदि।

बैंक ने 16.08.2014 से 31.01.2015 की अवधि तक पीएमजेडीवाई योजना के तहत 3496559 बीएसबीडी खाते खोले हैं।

डीएफएस द्वारा बताये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों पर बैंक की अनुपालन रिपोर्ट-

1) **मकानों का कवरेज:** बैंक को पीएमजेडीवाई योजना के तहत में 3146 एसएसए व 1923 अर्बन वार्ड आबंटित किये गये थे जिनमें बैंक खाते खोले जाने थे। इन सभी एसएसए व वार्ड में समयसीमा के भीतर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया। 45,84,549 परिवारों में से 45,84,045 परिवारों (99.99%) के खाते 31.03.2015 तक खोले जा चुके हैं। परिवारों के कहीं अन्य स्थान पर जाकर बस जाने के कारण 504 परिवारों के खाते नहीं खोले जा सके।

2) **बैंक के अग्रणी जिलों में परिवारों के कवरेज को संतृप्तता:** 27 जिलों में जहाँ बैंक के पास अग्रणी जिला दायित्व है, वहाँ 100% परिवारों को कवर किया जा चुका है। इन सभी 27 अग्रणी जिले के परिवारों को बैंक खातों से संतृप्त घोषित किए जा चुके हैं और डीएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार इन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर से संतृप्तता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है।

services of BCAs. A designated Officer from the Base Branch is visiting the USB on a pre-determined fixed day to provide non-financial services like issue of statement of accounts, balance enquiry etc. Designated Officers are provided with laptop facility and they will be guiding the BCAs for making the USBs as viable banking outlet.

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA:

The Scheme, National Mission on Financial Inclusion, was launched as "Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana" by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with an objective of covering all the uncovered households in the villages and urban wards with a bank account to provide banking facilities so that the left out people who are deprived of basic banking facilities are included into the mainstream of financial system and the account holders derive benefits from a range of financial products, such as RuPay Debit Cards with ₹1.00 lakh Insurance cover, Micro-pension products, Overdraft facility upto ₹5000/- after completion of 6 months and subject to satisfactory transactions in the accounts. Life insurance cover of ₹30,000/- was also made available for the customers who have opened accounts up to 31.03.2015 under PMJDY, subject to some eligibility conditions.

GOI has been reviewing the Bank's progress under PMJDY during weekly Video Conference meetings on the action points such as opening of BSBD accounts, Issue of RuPay Debit cards, Survey of households in the villages, organizing weekly account opening camps on Saturdays and monthly Mega account opening camps on last Saturday of every month, establishing Grievance Redressal Mechanism at the State level, providing Uniform to Bank-Mitras etc.

Bank has opened 3496559 BSBD accounts under PMJDY from 16.08.2014 to 31.01.2015.

Compliance by the Bank on the guidelines suggested by DFS are as follows:

1. **Coverage of Households:** Bank has been allotted 3146 SSAs and 1923 Urban Wards under PMJDY for coverage of households with Bank accounts. Survey was completed in all these SSAs and Wards as per the timeline. Out of 45,84,549 total households, Bank accounts were opened in 45,84,045 households (99.99%) as on 31.03.2015 and 504 households have remained without Bank accounts due to migration of the families.
2. **Saturation in Coverage of Households in the Lead Districts of the Bank:** 100% saturation has been achieved in the 27 districts where Bank has got Lead Bank responsibility. All the 27 Lead Districts have been declared as fully saturated in coverage of all the households with Bank accounts and Saturation Certificates are obtained from the District Magistrates / Collectors of these dstricts, as per the directions of DFS.

3) **रुपे कार्ड जारी करना, रुपे डेबिट कार्ड का एक्टिवेशन करना:** बैंक द्वारा सभी पात्र खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं। 31.03.2015 तक खुले 34,96,559 पीएमजेडीवाई खातों से से 33,50,302 खातों में रुपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं और 22,87,262 कार्ड एक्टिवेट किये जा चुके हैं। शाखाओं द्वारा रुपे कार्ड के एक्टिवेशन पर नगद प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है और कार्डों के शीघ्र एक्टिवेशन का अभियान भी प्रारंभ किया गया है।

4) **वित्तीय साक्षरता:** बैंक, जेजेएफएलसीसी ट्रस्ट के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार-प्रसार कर रहा है। जिनके द्वारा बैंक के अग्रणी जिलों में 46 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफआईआरसी) खोले गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान इन एफएलसी ने 14,196 वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किये हैं और 5,74,176 लोगों को इसका लाभ प्रदान किया है। बैंक ने और भी विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किये हैं, जैसे - विभिन्न देशी भाषाओं में ब्रोशरों और पैम्फलेटों की छपाई और उनका वितरण तथा गाँव के प्रमुख स्थानों पर बैनरों एवं पोस्टरों का प्रदर्शन।

5) **संशोधित डीबीटीएल:** भारत सरकार ने दिनांक 01.01.2015 से सभी जिलों में संशोधित डीबीटीएल (पहल-प्रत्यक्ष हस्तांतरिक लाभ) की शुरुआत की है। दि. 15.11.2014 से बैंक ने 54 चुने हुये जिलों की 678 शाखाओं के माध्यम से डीबीटीएल के प्रथम चरण की, शुरुआत कर दी है, जिसमें 11 राज्यों को कवर किया गया है और अब, 01.01.2015 से बैंक 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 515 जिलों की 3551 शाखाओं के माध्यम से डीबीटीएल को लागू कर रहा है। ईपीएसओ मुंबई, डीबीटीएल का नोडल केंद्र है। हमारे पास 27 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व है।

बैंक ने दोनों विकल्पों को लागू किया है, विकल्प-I (ग्राहक सूचना आंकडों का सत्यापन, एनपीसीआई के माध्यम से ओएमसी द्वारा दिये गये नाम और खाता संख्या) और विकल्प-II (हमारी शाखाओं में स्थित खाते से एलपीजी कंज्यूमर नंबर को जोड़ना) गैर-आधार गैस ग्राहकों के लिए।

हमारे बैंक को 15.11.2014 से 31.01.2015 की अवधि के दौरान 4302985 डीबीटीएल जमा प्राप्त हुये जिनकी राशि ₹142.15 करोड़ थी। इनमें से ₹141.92 करोड़ की राशि 42,96,599 खातों में सफलतापूर्वक जमा कर दी गई और ₹0.23 करोड़ की राशि को, 6386 खातों के बंद होने और खातों का नाम व संख्या का मिलान न होने के कारण वापस कर दिया गया है।

6) **अर्थपूर्ण एवं समग्र वित्तीय समावेशन (एमएचएफआई):** बैंक ने 7 चुने हुये गाँवों में अर्थपूर्ण एवं समग्र वित्तीय समावेशन को लागू किया है यथा, पी एम बुढनी (क्षे.का. बिजापुर), हेरावडा (क्षे.का. कारवार), न्यू बिम्ब्लिटन (अंडमान निकोबार द्वीप), फिरोज़पुर नामक (क्षे.का. फरीदाबाद), टिगडोली (क्षे.का. बेलगाम), शिवरामपुरम (क्षे.का. नेल्लूर) और सुलता (क्षे.का. हुबली)। नैगम सामाजिक दायित्व के तहत, इन गांवों में आवश्यकता आधारित विकास की गतिविधियाँ चलाई गई हैं ताकि इन गाँवों को आदर्श गाँवों में परिवर्तित किया जा सके। बैंक का लक्ष्य है इन गाँवों में, स्वयं सहायता समूह हेतु वर्क शेड

3. **Issue of RuPay Cards, Activation of RuPay Cards:** Bank is issuing RuPay cards to all the eligible account holders. Out of total 34,96,559 PMJDY accounts opened as on 31.03.2015, RuPay cards are issued in repsect of 33,50,302 accounts and 22,87,262 cards are activated. An Incentive scheme has been formulated on activation of RuPay cards by branches and also launched a Campaign for quick activation of cards.

4. **Financial Literacy:** Bank is promoting Financial Literacy through JJFLCC Trust which has opened 46 Financial Literacy Centers (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centre (FIRC) in the Lead Districts of the Bank. These FLCs have conducted 14,196 Literacy Camps benefitting 5,74,176 persons during the year 2014-15. Bank has also taking up various financial literacy activities, such as printing and distribution of Brochures, Pamphlets in vernacular languages, display of Posters and Banners at prominent places in the villages.

5. **Modified DBTL:** GoI has launched Modified DBTL (PAHAL – Pratyaksha Hastantarik Labh) in all the districts from 01.01.2015. Bank has implemented the First Phase of DBTL through 678 branches in 54 select districts, covering 11 States from 15.11.2014, and Bank is now implementing DBTL through 3551 branches in 515 districts, covering 35 States/Union Territories from 01.01.2015. EPSO, Mumbai is the Nodal Center for DBTL. We have Lead Bank responsibility in 27 districts.

Bank has implemented both Option-I (Verification of Consumer information data- Name and account number- given by OMCs through NPCI) and Option-II (Linking of LPG Consumer numbers to accounts in our branches) for Non-Aadhaar Gas consumers.

Our Bank has received 4302985 DBTL credits, amounting to ₹142.15 crore during the period from 15.11.2014 to 31.01.2015, out of which an amount of ₹141.92 crore has been credited successfully in respect of 42,96,599 accounts and an amount of ₹0.23 crore is returned in respect of 6386 accounts due to closure of accounts and mismatch of account numbers/names of the account holders.

6. **Meaningful & Holistic Financial Inclusion (MHFI):** Bank has implemented Meaningful & Holistic Financial Inclusion in 7 select villages, i.e., P M Budni (Bijapur RO), Herawada (Karwar RO), New Bimbliton (Andaman Nicobar Islands), Firozpur Namak (Faridabad RO), Tigadoli (Belgaum RO), Sivaramapuram (Nellore RO) and Sulta (Hubli RO), by implementing need based developmental activities as part of 'Corporate Social Responsibility' to transform these villages into Model

का निर्माण, सरकारी विद्यालयों में शौचालय, पीने का पानी उपलब्ध कराना, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, ई-लर्निंग की सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं कार्यक्षमता का निर्माण, सड़क पर सोलर लाइटें, आदि गतिविधियाँ आयोजित करना।

7) **ओवरड्राफ्ट सुविधा:** पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित आईबीए दिशानिर्देशों की अनुसार बैंक ने पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है।

8) **पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बीमा दावे:** बैंक ने, दि. 31.03.2015 तक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दर्ज किये गए 12 दावों (एक दुर्घटना तथा 11 स्वाभाविक मृत्यु दावे) में से 7 बीमा दावों का निपटान किया है।

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, मुंबई में निधियों के सुदक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीएंडआईबीडी) के दो स्कंध हैं यथा (1) विदेशी विनिमय कोष तथा (2) देशी कोष। इसके अतिरिक्त, टीएंडआईबीडी बैंक के समुद्रापारीय कारोबार के लिए निगरानी एवं नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

विदेशी मुद्रा कोष:

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग हमारे बैंक का 'ए' श्रेणी का कार्यालय है जो, विदेशी विनिमय स्थित नोस्ट्रो एवं वोस्ट्रो खातों का रखरखाव करता है। इसके अलावा, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, समुद्रपारीय कारोबार तथा कोष परिचालनों के विकास और अनुवर्ती कार्रवाई की भी निगरानी करता है।

टीएंडआईबीडी, मुंबई में बैंक का केंद्रीय डीलिंग रूम स्थापित है जो बैंक के विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों का देखरेख करता है।

हमारा बैंक पहला ऐसा बैंक है जिसने अत्याधुनिक वेब प्लैटफार्म बनाकर समुद्रपारीय प्रतिपक्षी बैंकों के साथ वेब आधारित कारोबार प्रारंभ किया है। बैंक की 102 नामित शाखायें (श्रेणी बी) हैं जो, पूर्णतया एफएक्स लेन-देनों की देख-रेख करती हैं और 389 नामित शाखाएँ बैंक के एफसीएनआर कारोबार का प्रबंधन को करती हैं। बैंक की सभी 3551 देशी शाखाओं में एनआरई/एनआरओ जमाराशियों को स्विकृत किया जाता है।

बैंक, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का सदस्य है जिसके द्वारा यूएसडी/आईएनआर की अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार का निपटान होता है। बैंक, सीसीआईएल के माध्यम से कंटीन्यूएस लिंक सैटेलमैंट (सीएलएस) द्वारा क्रॉस करेंसी डील का निपटान करता है।

बैंक करैंसी फ्यूचर्स में व्यापार करने के लिए तीन एक्सचेंजों एमसीएक्स-एसएक्स; एनएसई और यूएसई का ट्रेडिंग सह क्लीयरिंग सदस्य है।

villages. The Bank aims at undertaking activities such as construction of SHG work shed, toilets in Government schools, providing drinking water facility, free health check up camps, providing e-learning aids, training and capacity building, solar street lighting etc. in the villages.

7. **Overdraft facility:** As per IBA guidelines on providing Overdraft facility up to ₹5000/- under PMJDY, Bank has started providing OD facility to PMJDY account holders.

8. **Insurance Claims under PMJDY:** Bank has got 7 insurance claims settled (One Accidental and 11 Natural death claims), against 12 claims lodged under PMJDY up to 31.03.2015.

TREASURY & INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT

Bank has accorded importance to treasury functions and efficient management of Integrated Treasury Operations.

Treasury and International Banking Dept. (T&IBD) has two wings viz,(1) Foreign Exchange Treasury and (2) Domestic Treasury. Besides, T&IBD is also functioning as monitoring and controlling office for the Overseas Operations of the Bank.

FOREX TREASURY

Treasury and International Banking Dept. T&IBD is the only 'A' Category Office in our Bank which maintains Foreign Exchange Position, Nostro and Vostro Accounts. T&IBD also monitors Foreign Exchange Business, Correspondent Banking Relationship and Overseas Business Operations of our London Branch.

The Bank's centralized dealing room at T&IBD, Mumbai handles the Foreign Exchange Dealing operation of the Bank.

The Bank is one of the first to undertake Web-based trading with Overseas counter party Banks by using state-of-the-art Web platforms. The Bank is having 102 designated Branches (Category "B") to handle full-fledged Foreign Exchange transactions and 389 nominated branches to handle the FCNR business of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all the 3551 Domestic branches of the Bank.

The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd., (CCIL) for settlement of Inter- Bank Forex Deals in USD/INR Segment. Further, the Bank also settles Cross-Currency Deals through CCIL with Continuous Linked Settlement (CLS) Bank.

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and USE (merged with BSE) for undertaking Proprietary based position in Currency Futures.

बैंक केवल सामान्य एवं सरल व्युत्पन्नों को ही प्रदान करता है और किसी प्रकार के जटिल व्युत्पन्न उत्पादों को बैंक अवसर नहीं देता है। वर्तमान व्युत्पन्न लेन-देनों के मामले में बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

बैंक ने घरेलू और फारैक्स कोष के संचालन, समाधान, निपटान तथा स्टेट थ्रु प्रॉसेस के जरिए बैंक के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कर उसे शाखाओं तक पहुँचाने के लिए इंटीग्रेटैड ट्रेजरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (आईटीएमएस) लागू किया है। बैंक ने ग्राहकों के साथ सीधे संवद करने हेतु विभिन्न केंद्रों पर निर्यात आयात बैठकों का आयोजन किया है।

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹938085 करोड़ के विदेशी कारोबार की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का कुल विदेशी कारोबार ₹ 1106779करोड़ रहा, और पिछले वित्तीय वर्ष के ₹899727 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का अंतर बैंक कारोबार ₹1064587 करोड़ रहा।

निर्यात वित्त:

निर्यात के क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। सिंड एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना एक विशिष्ट योजना है, जिसके तहत, पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्य शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है ताकि और अधिक निर्यातकों को इसमें शामिल किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर रुपी निर्यात ऋण की पेशकश की गई। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराकर रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया। बैंक ने विभिन्न केंद्रों में अपने ग्राहकों के साथ सीधे संवाद हेतु आयात/निर्यात बैठकों का आयोजन भी किया है।

विनिमय कंपनियाँ:

बैंक द्वारा मेसर्स मुसंडम एक्स्चेंज कंपनी, जो सल्तनत ऑफ ओमान का एक विनिमय है, का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। बैंक ने खाड़ी देशों से भारत में बेहतर किफायती निधि अंतरण हेतु 10 विदेशी बैंकों के अतिरिक्त, 7 एक्स्चेंज हाउसों से लाभप्रद रुपया आहरण व्यवस्था किया है।

केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष

हमारे बैंक के एनआरइऊ संविभाग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए टीएंडआईबीडी ने 26 दिसंबर 2012 से केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष की स्थापना की है ताकि हमारे बैंक द्वारा संचालित विनिमय संस्थान यानी मुसंदम विनिमय कंपनी द्वारा जुटाए दए एनआरई खातों को शीघ्र खोला जा सके। शाखाओं के लिए ऐसे खाते खोलकर टीएंडआईबीडी, चेक बुक, एटीएम कार्ड और इंटरनेट आईडी आदि से युक्त एनआरई किट ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए सीधे विनिमय प्रतिष्ठान को भेजता है।

घरेलू कोष

प्रभावशाली बाज़ार का लाभ उठाते हुए बैंक के कारोबार डेस्क ने ईक्विटी और कर्ज बाज़ार दोनों से कारोबार लाभ प्राप्त किया है। गुणवत्तायुक्त एवं रेटेड

The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions.

The Bank has implemented Integrated Treasury Management Software (ITMS) which has essential features like integration of Domestic and Forex Treasury, simplicity in Settlement operations for Rupee and Foreign Exchange Treasury and timely Nostro Reconciliation. The new system also provides seamless interactions with branches for their trades.

The total Forex Turnover of the Bank was ₹1106779 crore for the current financial year, as compared to ₹938085 crore for the previous financial year. The Inter-Bank turnover of the Bank was ₹1064587 crore for the current financial year as compared to ₹899727 crore for the previous financial year.

Export Finance

The Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to export sector. The coverage under the SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters. Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Subvention Scheme, as designed by Reserve Bank of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest. Bank also conducted Exports/Imports meet at various centers to have direct interaction with the clients.

Exchange Companies

The Bank is managing One Exchange House M/s. Musandam Exchange Company, an exchange Company in Sultanate of Oman. The Bank is also having Rupee Drawing Arrangements (RDA) with other 7 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to India from Gulf countries, apart from RDA with 10 foreign banks.

Centralised NRI Cell

With a view to increasing the NRE Portfolio of our Bank, T&IBD has opened the Centralized NRI Cell w.e.f 26th Dec 2012 to enable prompt opening of NRE Accounts canvassed by Exchange House managed by our Bank, namely, Musandam Exchange Company. T&IBD is opening the account on behalf of the Branches and dispatching the NRE kit containing cheque book, ATM card and Internet IDs etc directly to the Exchange House for delivery to the customer.

DOMESTIC TREASURY

The Bank's Trading desk booked trading profits in both equity and debt market by taking advantage of efficient market.

कॉरपोरेट बांड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, सीडी इत्यादि में निवेश द्वारा बैंक ने गैर-एसएलआर निवेश को सुदृढ़ बनाया है जिसके परिणामस्वरूप निवेश संविभाग के प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी हुई है।

बैंक ने सीबीएलओ, रेपो और कॉल जैसे विंडोज का प्रभावी प्रयोग करने के द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से भी आय कमाया है। बैंक ने बाज़ार की स्थिति और दर पर निर्भर होते हुए उधार देने और लेने के लेन-देन करते समय निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए इस मुद्रा बाज़ार के जरिए निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है।

बैंक का घरेलू निवेश पिछले वर्ष के 55462.03 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 69260.99 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2013-14 के 3832.50 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में 4919.89 करोड़ हो गया। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश 62218.57 करोड़ हो गया है जो दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल निवेश का 89.83 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 का व्यापार लाभ 644.30 करोड़ रहा।

बैंक के कुल निवेश संविभाग के लिए मोडिफाइड ड्यूरेशन (१प्रतिशत ब्याज दर में परिवर्तन से मूल्य में बदलाव का संकेतक) वर्ष 2013-14 के मूल्य 4.31 की तुलना में वर्ष 2014-15 में 4.57 हो गया।

समुद्रपारीय परिचालन:

बैंक की समुद्रपारीय शाखा इंगलैंड के लंदन में स्थित है। यह शाखा, इंगलैंड में भारतीय कॉरपोरेटों के लिए थोक बैंकिंग परिचालनों, मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों तथा कोष परिचालनों में सक्रिय है। कथित वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अति स्पर्धात्मक दरों पर मध्यम अवधि नोट (एमटीएन) के रूप में अपनी निधियों को सफलतापूर्वक यूएसडी 400.00 मिलियन तक बढ़ाया है। इन निधियों का इस्तेमाल विदेशी शाखा में आस्तियों के विस्तार के लिए किया जाएगा।

यह शाखा, वैश्विक पहचान वाले भारतीय कॉरपोरेटों के लिए द्विपक्षीय ऋणों के अलावा, सिंडिकेशनों और ईसीबी पर ध्यान केंद्रित करती है।

शाखा का कुल कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) 31 मार्च 2015 को जीबीपी 7638.146 मिलियन (₹70629.94 करोड़) रहा जबकि 31 मार्च 2014 को यह जीबीपी 5801.602 मिलियन (₹57880 करोड़) था।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक ने एक सुदृढ़ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को क्रियान्वित किया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाइयों का संपूर्ण दायित्व निदेशक मंडल का होता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), जो निदेशक मंडल की एक उपसमिति है, बैंक की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। निदेशक

The bank has also strengthened the non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs etc, resulting in improved yields on investment portfolio.

The bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like CBLO, Repo & Call Market. The bank has managed funds very efficiently by these money market channels by continuously monitoring the fund flow and the liquidity position and undertaking lending and borrowing transactions.

The domestic investments of the bank were at ₹69260.99 crore as on 31.03.2015 as against ₹55462.03 crore for previous year. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹4919.89 crore in the year 2014-15 as against ₹3832.50 crore in the year 2013-14. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹62218.57 crore which formed 89.83% of Bank's aggregate investments as on 31.03.2015. Trading profits for the year 2014-15 was ₹644.30 crore.

Modified Duration (indicator of change in prices/values with change in 1% Interest Rate) for Bank's Total Investment Portfolio stood at 4.57 for 2014-15 as against the value of 4.31 for year 2013-14.

OVERSEAS OPERATIONS

Bank's overseas presence is in United Kingdom at London. The Branch is active in Wholesale Banking Operations for Indian corporates in United Kingdom, Money market operations, Investments, and Treasury operations. Bank has successfully raised Funds in form of Medium Term Notes (MTN) to the tune of USD 400.00 Million at very competitive rates during the financial year. The funds have been deployed at Overseas Branch for expansion of Assets.

The Branch focuses on syndications and ECBs, besides bilateral loans for Indian Corporates having global presence. The branch has efficient risk-management system which is approved by regulatory authority of United Kingdom.

The total business (Deposits and Advances) of the branch stands at GBP 7638.146 Million (₹70629.94 crore) as at 31st March 2015 as against GBP 5801.602 Million (₹57880 crore) as at 31st March 2014.

RISK MANAGEMENT

Risk Management Architecture

The bank has implemented a robust and comprehensive Risk Management Framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for risk management initiatives in the bank. The risk appetite of the bank is defined by the Risk Management Committee (RMC) of the

मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को, ऋण जोखिम के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन समित से (सीआरएमसी), आस्ति देयता और चलनिधि जोखिम के संबंध में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम पहलुओं के संबंध में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति से कुशल सहयोग मिलता है।

तकनीकी जोखिमों से निपटने के लिए सुनियोजित एवं स्थायी तौर पर एक तकनीकी युक्त जोखिम प्रबंधन संरचना बनाई गई है। बैंक की कारोबारी गतिविधियों एवं जोखिम के संदर्भ में बैंक ने आईएसओ 27001पर आधारित एक लिखित व्यापक जोखिम आधारित कार्यक्रम बनाकर उसका कार्यान्वयन किया है।

यह एक सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासी संरचना है जिसमें, आईटी कार्यनीति समिति, आईटी संचालन समिति, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), सूचना सुरक्षा प्रबंधन समिति (आईएसएमसी), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आदि शामिल हैं जिन्हें विभिन्न विशेषज्ञ टीमों, कारोबार निरंतरता टीमों एवं आईएस लेखापरीक्षा की सहायता प्राप्त है जो बैंक के भीतर सूचना सुरक्षा को प्रारंभ करने, कार्यान्वयन, निगरानी, बरकरार रखने तथा उन्नत बनाने का कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा कारोबार को मूल्यवर्धित करता है।

कॉरपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) की सहायता से पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

बासेल II अनुपालन

बैंक, बासल II के सभी मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी(सीआरएआर) अनुपात की गणना, भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनएसीएफ) के मार्गदर्शनों का अनुसरण करके पिलर-I की आवश्यकताओं के अनुसार की गई है। बैंक, ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और स्ट्रेस टेस्ट नीति है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि, वह अपनी विपणन वास्तविकताओं, आर्थिक वातावरण, और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठा सके। बैंक एक वार्षिक पूंजी योजना तैयार कर रहा है जिसकी वास्तविक कार्य परिणामों के आधार पर त्रैमासिक समीक्षा की जाती है ताकि पिलर-I तथा पिलर-II जोखिमों का निर्धारण किया जा सके।

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित प्रकटीकरण नीति भी है जिसकी भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

बैंक के पास ऋण, बाज़ार तथा परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित नीति और प्रक्रिया है, जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि, बदलते कारोबार और बाज़ार की गतिविधियों के अनुकूल उसे बनाया जा सके।

Board, which is a subcommittee of the board. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) which takes care of the Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) looking after the Asset Liability and Liquidity Risk, while Operational Risk Management Committee is taking care of operational risk aspects.

A technology risk management framework is established to manage technology risks in a systematic and consistent manner. Bank has developed, implemented and maintained a documented comprehensive risk based program based on the ISO 27001 framework within the context of the bank's business activities & risk.

It includes an Information Technology Governance Framework consisting IT Strategy Committee, IT Steering Committee, Chief Information Officer (CIO), Information Security Management Committee (ISMC), a Chief Information Security Officer (CISO) assisted by various specialist teams, Business Continuity Teams and an IS Audit function to initiate, implement, monitor, maintain and improve the information security within the Bank and to make sure that IT is aligned and delivers value to the business.

Risk Management Department functioning at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank, with the assistance of Risk Management Cell (RMC) at Regional Offices.

Basel II Compliance

Bank has been complying with all Basel II norms. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is computed as per Pillar I requirements adhering to New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines of RBI. Bank is adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk.

Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test Policy which is reviewed periodically, so as to be in line with the market realities, economic environment and regulatory requirement. Bank is preparing the Annual Capital Plan which is reviewed quarterly based on actual working results so as to assess both Pillar I and Pillar II Risks.

The Bank has a Board approved Disclosure policy which is reviewed periodically by adhering to the guidelines issued by RBI periodically.

The Bank has a well documented policy and processes for management of Credit, Market and Operational Risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

एक वैज्ञानिक निधि अंतरण कीमत प्रणाली (एफटीपी) के अलावा बैंक समग्र राजकोषीय प्रबंधन समाधान (आईटीएमएस) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) के माध्यम से एक ऐसे सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में प्रयत्नशील है जिससे बाज़ार एवं परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन और कमी की जा सकेगी।

आस्ति देयता प्रबंधन

उच्च प्रबंधन वर्ग के लोग आस्ति देयता प्रबंधन समिति के सदस्य हैं जो, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इनमें जमाराशियों तथा अग्रिमों की उत्पाद कीमत के साथ आस्तियों एवं देयताओं की अपेक्षित परिपक्वता प्रोफाईल भी शामिल हैं।

पीआरए/एफसीए की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए विवेकपूर्ण विनियामक प्राधिकार (पीआरए), यू.के. के साथ 'होल फर्म मोडिफिकेशन' दृष्टिकोण के लिए अनुमोदन मिलने पर बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु व्यवस्था की है।

बैंक ने किसी भी आकस्किता के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक अपनी ब्याज आय और चलनिधि पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है।

बासेल III दिशानिर्देश:

वित्तीय एवं आर्थिक दबावों के आघातों को आत्मसात करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए बासेल III दिशानिर्देशों को लागू किया गया है ताकि लीवरेज अनुपात के साथ जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा को सहायता मिलें।

वर्तमान वर्ष के दौरान, आंतरिक उपचयों को अत्यधिक मात्रा में बढाते हुए तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी का उपयोग करते हुए बैंक ने कॉमन ईक्विटी, टियर। पूँजी, सीआरएआर को बढ़ाने और पूंजी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूंजी बेहतरी के विभिन्न उपाय किए हैं।

इस प्रकार, भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अनुपातों के अनुपालन और पूँजी के संदर्भ में बैंक सुस्थिति में है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से बासेल III की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक, बासेल III के अंतर्गत, सीईटी, सीआरएआर एवं लीवरेज अनुपात में सुधार लाने के सभी उपाय किए हैं और इसके साथ कारोबार में लक्ष्यानुरूप वृद्धि को भी हासिल किया है। बैंक, सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से बासेल III प्रकटन से संबंधी आवश्यक सूचना त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर बैंक के वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर रहा है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

सभी उधार खातों के संबंध में सीबीएस सिस्टम में एक सुदृढ़ एमआईएस प्रणाली की शुरुआत की गई है। लगभग 35 लाख खातों के संबंध में एम आईएस ब्यौरों को प्राप्त किया गया है और उनमें अपेक्षित सुधार का कार्य पूर्ण हो गया है। सिस्टम द्वारा आवश्यक रिपोर्ट/आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं।

The Bank is in the process of putting in place software based identification, measurement and mitigation of Market and Operation Risk by way of Integrated Treasury Management Solution (ITMS) and Operational Risk Management Solution, (ORMS) apart from a scientific Funds Transfer Pricing Mechanism(FTP).

Asset Liability Management

The Asset Liability Management Committee consists of members of the Top Management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

With the Prudential Regulatory Authority (PRA), UK approving "Whole Firm Modification" approach for our London Branch under the liquidity regime of PRA/FCA (Financial Conduct Authority), the Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole.

The Bank has a well documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any contingency. The Bank is undertaking stress test on quarterly basis and assess the impact on liquidity and interest income of the Bank.

Basel III Guidelines

Basel III guidelines have been introduced with a view to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, supplementing the Risk-based capital requirement with a Leverage Ratio.

During the current year, Bank has taken various capital optimization measures for improving the quality of capital and improve the Common Equity, Tier 1 capital, CRAR, by plough back of internal accruals and infusion of capital by Government of India.

Thus the Bank is in a fairly comfortable position as regards Capital and adhere to the ratios prescribed by RBI. Bank is taking all measures to improve the CET, CRAR and Leverage Ratio under Basel III so as to comply with the Basel III requirements in a phased manner as per the schedule prescribed by RBI while simultaneously achieving the expected growth in business. Bank is also publishing on quarterly/half yearly basis the required information on Basel III disclosures in the website from the quarter ending September 2013.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

A sound MIS system is placed in CBS system in respect of all borrowal accounts. The MIS details have been captured in around 35 Lakh accounts and the required correction of the same has been completed. The necessary reports /

एसीआरएम (विश्लेषणात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राहक स्तर पर एसआइएस ब्यौरों को प्राप्त करना/सुधारना प्रारंभ किया जा रहा है। ईडीडब्ल्यूबीआई में, लगभग 200 रिपोर्टों को प्रोडक्शन में स्थानांतरित किया गया है और अन्य रिपोर्टों की सूक्ष्म समीक्षा, जो पहले ही विकसित हैं, प्रक्रियाधीन है। 145 नियामक रिपोर्टों को एडीएफ (ऑटोमेटेड डेटा फ्लो) परियोजना में प्रोडक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है।

बैंक स्तर पर ग्राहक आईडी की पुनरावृत्ति को निकालने की प्रक्रिया निरीक्षण विभाग की सहायता से प्रारंभ की गई है।

डेटा केंद्रों और डीआर साइट में स्टोरेज अपग्रेडेशन:
बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा सुदृढ़ हार्ड डिस्क आधारित नई उद्यम श्रेणी स्टोरेज सिस्टम को अपनाया है, जिससे निष्पादन में पर्याप्त सुधार होगा और ईओडी/बीओडी विंडो घटेगा तथा रिपोर्ट तैयार करने एवं एमआईएस क्रियाकलापों के लिए डेटाबेस की अधिक प्रतियाँ प्राप्त करने में सहायता होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस):

31.03.2015 की स्थिति में, 34 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 2192 केंद्रों में, बैंक की 3551 शाखाओं एवं 130 कार्यालयों के विस्तार के साथ बैंक का सीबीएस नेटवर्क जुड़ा है। वर्तमान में समस्त शाखाएं/कार्यालय केंद्रीकृत सर्वर व्यवस्था के अंतर्गत है।

डिलिवरी चैनलें:

एटीएम नेटवर्क:
31.03.2015 की स्थिति में, पूरे देश में बैंक के 2126 केंद्रों पर 3427 एटीएम कार्यरत हैं। बैंक के पास एटीएम एवं पी.ओ.एस. टर्मिनल की वैश्विक पहुंच के लिए 106.75 लाख से अधिक का कार्ड आधार है।

एटीएम में नवोन्मेषी सेवाएं:
हिंदीभाषी क्षेत्रों में एटीएम के स्क्रीन द्विभाषी बनाए गए हैं। कर्नाटक एवं केरल राज्यों में समस्त एटीएम स्क्रीन बहुभाषी हैं। तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं में एटीएम स्क्रीन का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

एटीएम लेन–देन के लिए एसएमएस: भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, समस्त एटीएम लेन–देनों की सूचना, ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर एसएमएस भेजकर दिये जाते हैं।

31.03.2015 तक बैंक की प्रत्येक शाखा में एटीएम/नकदी वितरण मशीन

प्रत्येक शाखा के लिए एक एटीएम/सीडी और पुराने एटीएम को बदलने हेतु बैंक ने 3400 नकदी वितरण मशीन उपलब्ध कराएं हैं। एटीएम/सीडी से रहित शाखाओं में एटीएम/सीडी उपलब्ध कराने के वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुपालन हेतु बैंक द्वारा 2865 नकदी वितरण मशीनों की संस्थापना की जा चुकी है और शेष लगभग 80 स्थानों में संस्थापन की प्रक्रिया प्रगति पर है। बैंक ने 813 पुराने एटीएम को बदल दिया है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, हमारे बैंक में कुल एटीएम की संख्या 3488 हो गई है; जिसमें वर्षानुवर्ष 79.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

data are being generated through system. The capturing / correction of MIS details at customer level are being launched for effective implementation of ACRM (Analytical Customer Relation Management). In EDWBI, around 200 reports have been moved to production and fine tuning of other reports which are already developed is in progress. 145 regulatory reports have been moved to production in ADF (Automated Data Flow) project.

The process of de-duplication of customer ID at the Bank level is initiated with the help of Inspection Department.

Storage upgradation at Data Centre & DR Site:
Bank has acquired new Enterprise class Storage system based on latest technology & solid state hard disks which will substantially improve the performance and reduce the EOD/BOD window and facilitate having multiple copies of databases for report generation and MIS activities.

INFORMATION TECHNOLOGY

CORE BANKING SOLUTION (CBS):
The Bank continues to spread its wings with a network of 3551 Branches and 130 Offices in 2192 centres covering 34 States and Union Territories under the CBS Network as on 31.03.2015. All the branches / offices are currently under Centralized Server Setup.

DELIVERY CHANNELS:

ATM Network:

Bank has operationalised 3427 ATMs as at 31.03.2015, spread across 2126 Centres across the country. Bank has a Card-base of over 106.75 lakh for global access to ATMs and POS Terminals.

Innovative services in ATMs:

Bilingual screens are made available in ATMs of Hindi speaking areas. All the ATMs in the States of Karnataka and Kerala are having multi-lingual screens. ATM screens in Telugu, Malayalam, Oriya, Bengali etc are under process.

SMS for ATM Transactions: As per RBI guidelines, SMS is being sent to the customer's registered mobile number for all ATM transactions.

ATM/Cash Dispenser to each Branch of the Bank by 31.03.2015:

Bank has procured 3400 Cash Dispensers to provide CDs under one ATM/CD to each branch and replacement of old ATMs. Bank has already installed 2865 Cash Dispensers to comply with the directions of DFS for providing to branches where there is no ATM/CD and in remaining about 80 locations also installation is in progress. Bank has replaced 813 old ATMs. Total ATMs as on 31.03.2015 in our Bank are 3488 which has 79.23% growth on Year to Year basis.

इंटरनेट बैंकिंग:
बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग सोल्यूशन के हायर वर्जन को अपनाया है। नया वर्जन, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ-साथ सभी ब्राउज़रों (जैसे, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी) के अनुकूल है। यह कॉरपोरेट मॉड्यूल के साथ भी आता है जो विभिन्न विशेषताओं से भरपूर है जैसे, साखपत्र और बैंक गारंटी का अवलोकन करना और फाइल अपलोड के द्वारा बड़ी मात्रा में लेन-देन करना।

कॉरपोरेट मॉड्यूल की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं:

- मल्टिपल यूजर आईडी का प्रयोग करते हुए दोहरा ऑथराइजेशन
- एनईएफटी/आरटीजीएस विप्रेषणों की सुविधा
- एनईएफटी/तीसरे पक्ष अंतरण के लिए फाईल अपलोड के माध्यम से एक डेबिट-अनेक क्रेडिट का विकल्प
- मीयादी जमाराशियों का ऑनलाइन खोला जाना और उसका निर्मोचन
- ऋण खातों में ऑनलाइन चुकौती
- ग्राहक के साख पत्रों का निरीक्षण
- ग्राहक के बकाया बैंक गारंटियों का निरीक्षण
- कर और बिल का भुगतान
- मल्टिपल ब्राउजरों के अनुकूल

31.03.2015 की स्थिति में, इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 9.02 लाख हो गई है।

'सिंड प्रोटेक्ट'-आरएसए सुरक्षा आईडी के प्रयोग से द्विकारक प्रमाणीकरण: ग्राहकों द्वारा हार्ड/सॉफ्ट टोकन के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर गलत तरीके से निधियों के अंतरण को रोकने के लिए यह एक नवीनतम उपाय है। हमारे ग्राहकों द्वारा किए जानेवाले इंटरनेट आधारित लेन-देनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है।

एसएमएस बैंकिंग:
बैंक ने ग्राहकों के खातों में हुए लेन-देन की सूचना उन्हें तुरंत देने के लिए एसएमएस बैंकिग की शुरुआत की है। एसएमएस बैंकिंग सुविधा का लाभ उठानेवालों की संख्या, जो 31 मार्च 2014 को 1050955 थी, 31 मार्च 2015 को बढ़कर 1489117 हो गई है।

मोबाइल बैंकिंग:
बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है, जिससे ग्राहक, बैंक से संबंधित लेन-देन अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या, जो 31 मार्च 2014 को 24781थी, 31 मार्च 2015 को बढ़कर 151781 हो गई है।

मिस्ड कॉल बैंकिंग :
किसी निर्धारित नंबर पर मिस्ड कॉल के द्वारा, ग्राहकों को उनके कासा खाते में बकाया शेष राशि पता करने में सुविधा देने हेतु, मिस्ड कॉल बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली - आरटीजीएस/एनईएफटी
हमारा बैंक 3658 शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के अंतर्गत, एनईएफटी तथा आरटीजीएस, दोनों के लिए निधि अंतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। 2014-15 के दौरान, 2.14 करोड़ एनईएफटी लेन-देन एवं 34.34 लाख आरटीजीएस लेन-देन

Internet Banking:
Bank has upgraded to a new higher version of Internet Banking Solution. The new version is compatible with all Browsers (like Chrome, Firefox, opera, Safari) apart from Internet Explorer. This also comes with Corporate module that is rich in various features like Viewing of LCs and BGs and handling of bulk transactions through file upload.

Salient features of the Corporate Module are :

- Dual Authorisation facilities using multiple user IDs
- Facility for NEFT / RTGS remittances
- Single Debit – Multiple Credit option through file upload for NEFT/Third Party Transfer
- Online Opening and Redemption of Term Deposit
- Online repayment towards Loan Account
- Viewing of Letters of Credits of the customer
- Viewing of Outstanding Bank Guarantees of the Customer
- Payment of Taxes and Bill payments
- Support for multiple Browsers

Internet Banking facility-User base now stands at 9.02 Lakhs as on 31.03.2015.

"Synd Protect" - Two-Factor Authentication using RSA SecurID: It is an Advanced Solution for internet banking transactions by customers, through hard/soft tokens, to prevent transfer of Funds fraudulently. This has been introduced with a view to enhance the security of internet based transactions by our customers.

SMS Banking:
Bank has introduced SMS Banking to inform the customer immediately when a transaction occurs in their account. The number of customers who have availed SMS Banking facility has grown from 1050955 as at March 31, 2014 to 1489117 as on 31st March 2015.

Mobile Banking:
Bank has implemented Mobile Banking Services, whereby customers can conduct their banking transactions through mobile phones. The number of mobile banking users is increased to 151781 as on 31.03.2015 from 24781 as on 31.03.2014.

Missed Call Banking:
Missed Call Banking facility has been introduced that enable the customers to know the Balance Outstanding in their latest CASA Account, through a missed call to specific number.

Centralized Payments System of RBI – RTGS/NEFT:
The Bank is offering NEFT and RTGS, the Fund Transfer facility among the Banks, under the RBI's Centralised Payments System, through 3658 branches/Offices for both RTGS and NEFT. During 2014-15, there were 2.14 crore NEFT

हुए। बैंक ने 15 मई 2014 से एसएफएमएस के माध्यम से साखपत्र/बैंक गारंटी भी सक्रिय किया है।

एंटरप्राइज–क्लास मेलिंग सोल्यूशन:
बैंक ने नए मेलिंग समाधान को अपनाया है जो नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित एवं प्रयोक्तानुकूल है।

एमपीएलएस कनेक्टिविटी:
31.03.2015 की स्थिति में, एमपीएलएस ने शाखाओं/कार्यालयों के लिए प्राइमरी लिंक के रूप में 2908 और सेकंडरी लिंक के रूप में 1550 को अधिकृत किया है और इन स्थानों पर स्थिरता एवं नेटवर्क निष्पादन में सुधार हेतु 700 लिंकों को एचएसडी से यूबीआर टेक्लोलॉजी में परिवर्तित किया है।

सीबीएस में प्रारंभ किए जानेवाले अतिरिक्त मॉड्यूल/उत्पादों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने शाखा की आवश्यकता/कारोबार की मात्रा को देखते हुए लिंक का बैंडविड्थ 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 1 एमबीपीएस/2 एमबीपीएस बैंडविड्थ में परिवर्तित करना प्रारंभ किया है ।

स्टाफ के लिए सीबीएस में बायोमेट्रिक लॉगिन:
सीबीएस सिस्टम में कार्य करने हेतु स्टाफ को एक्सेस प्रदान करने के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्य प्रगति पर है और लगभग 2700 शाखाओं में परिचालन में है। इससे व्यक्तित्व धोखा और संगत धोखाधड़ियों को रोका जा सकता है।

लंदन शाखा के लिए नया सीबीएस सॉफ्टवेयर:
बैंक, लंदन शाखा के सॉफ्टवेयर को सीबीएस प्लैटफॉर्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए विभिन्न मॉड्यूलों की जाँच प्रक्रिया जारी है।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) और एएलएम/एफटीपी अप्लीकेशन:
कर्मचारियों के सभी ब्यौरे/प्रोफाइल, छुट्टी रिकार्ड, निष्पादन मूल्यांकन, आस्ति एवं देयताएं आदि को कॉमन सॉफ्टवेयर द्वारा करने हेतु एचआरएम एस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान, एचआरएमएस के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकार किये गये और अन्य मॉड्यूल प्रक्रियाधीन हैं।

डिजिटल साइनेज:
डिजिटल साइनेज, विज्ञापन का एक आसान और किफायती तरीका है जिसमें, निर्देष्ट स्थानों पर हमारे उत्पादों से संबंधित संदेश पहुचाने के उद्देश्य से डिजिटल मीडिया पर विडियो कंटेन्ट, विज्ञापन और संदेशों को प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल साइनेज कंटेन्ट को बारंबार और आसानी से अद्यतन किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार संदेश में परिवर्तन भी संभव है, जैसे, समयानुसार संदेश में परिवर्तन, कारोबार को प्रभावित करनेवाले घटकों या वर्ष के मौसम पर आधारित परिवर्तन। आरएफपी की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित विक्रेता को क्रय आदेश दिया गया है।

ग्राहक केंद्रित पहल:

ऑन–लाइन खुदरा ऋण प्रस्तावों की ट्रेकिंग:
बैंक द्वारा शिक्षा, आवास, वाहन और वेतन सहित सभी प्रकार के खुदरा ऋणों के ऋण प्रस्तावों की स्थिति का ऑन–लाइन पता लगाने और केंद्रीकृत पंजीकरण की सुविधा प्रदान किया जा रहा है।

transactions and 34.34 lakhs RTGS transactions. Also bank has enabled LC / BG through SFMS from 15 May 2014.

Enterprise-class Mailing Solution:
Bank has switched over to new mailing solution which is based on latest technology and user friendly.

MPLS Connectivity:
As on 31.03.2015, MPLS has commissioned 2908 as primary links and 1550 as Secondary links to Branches/ Offices and migrated 700 Links from HSD Technology to UBR Technology to improve the stability and network performance in these locations.

Bank has initiated upgrading the bandwidth of Links from 512 kbps to 1 mbps/2 mbps bandwidth as per requirement of the branch / business volume, in view of additional Modules / products being introduced in CBS.

Biometric Login for Staff to CBS:
Biometric Login has been implemented to provided access to staff to work in CBS system. The rollout is in progress and operational in about 2700 branches. This will prevent identity theft & consequential frauds.

New CBS Software for London Branch:
Bank is in the process of migrating London branch software to CBS platform and Testing of various modules is under progress.

Human Resources Management System (HRMS) and ALM/FTP applications:

HRMS project is being implemented to bring all the details/Profile of Employees, Leave Record, Performance Appraisal, Assets & Liabilities, etc through the common software. Performance appraisals are accepted through HRMS during the Financial Year and other modules are under implementation.

Digital Media Signage:
Digital signage is an easy, low-cost way to advertising in which video content, advertisements, and messages are displayed on digital media with the goal of delivering messages about our products in specific locations. Digital signage content may be frequently and easily updated and allows changing of message as needed, and to vary the message based on time of day, season of the year or whatever factors impact the business. Purchased Order placed on the vendor identified through RFP process.

CUSTOMER-CENTRIC INITIATIVES:

Tracking of On-line Retail Loan proposals:
Bank is providing facility for Centralised Registration and On-line tracking of the status of the Loan proposals for all types of Retail Loans including Education, Housing, Vehicle and Salary.

मध्यम और मिड कॉरपोरेट ऋण के लिए सिस्टम आधारित ऋण प्रसंस्करण:

बैंक द्वारा, मिड कॉरपोरेट एवं बृहत कॉरपोरेट ऋणों के लिए सिस्टम आधारित मूल्यांकन/प्रक्रिया (लैप्स) कार्यान्वित करने का पहल किया गया है और उसका कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इससे ऋण प्रस्तावों में लगनेवाले समय को कम करने और शीघ्र निपटान के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए):

बैंक ने चयनित बाज़ार क्षेत्रों के ग्राहकों से थोक रूप में नकदी प्राप्त करने हेतु 100 बंच नोट एक्सेप्टर मशीन लगाई हैं। ये बीएनए 24x7 के आधार पर खातों में नकद जमा/निकासी के लिए ऑन-लाइन क्रेडिट/डेबिट की सुविधा प्रदान करते हैं। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने 74 बीएनए स्थापित किये हैं।

सिंड लाउंज:

30 निर्धारित स्थानों में तीन प्रकार के ग्राहक कियोस्क (पासबुक मुद्रण, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा और चेक जमा सुविधा) प्रदान किए गए हैं ताकि, ग्राहकों को 24x7 आधार पर एक्सेस करने में सुविधा हो।

सिंड ई-पासबुक:

सिंड ई-पासबुक समाधान एक स्मार्टफोन एप्लिकेशन है जिसे बढ़ते हुए टेक-सेवी ग्राहक आधार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह एक सुविधाजनक और सुरक्षित मोबाइल एप्प है जिससे हमारे स्मार्ट फोन पर हमारे खाता के ब्यौरे तथा विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। मोबाइल पर डिजिटल पासबुक की सुविधा प्रदान करने की यह एक हरित पहल है। बैंक का यह एक लोकप्रिय उत्पाद है और दि. 31.03.2015 की स्थिति में, 49874 प्रयोक्ताओं एप्लीकेशन के लिए पंजीकरण किया है।

ई-केवाईसी समाधान:

इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है-

- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सहायता से यूआईडीएआई में उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त करके बिना किसी कागज़ात के ग्राहकों का परिचय स्थापित किया जाता है।
- सभी माइक्रो एटीएम पर उपलब्ध
- यह लगभग 2700 शाखाओं में कार्यरत है।

कोर बैंकिंग में सरकारी कारोबार मॉड्यूल का क्रियान्वयन:

बैंक ने, पी.पी.एफ., वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक रिलीफ फंड, ओलटास, ईएएसआईईएसटी, विभिन्न राज्यों के लिए राज्य कर संग्रह आदि जैसे सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) की सेवा शुरू की है।

सरकार द्वारा प्रायोजित पहल:

समय-समय पर प्राप्त निदेशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित पहल का कार्यान्वयन किया है-

- नगण्य अस्वीकृति के साथ हमारे ग्राहकों के खातों में डीबीटीएल जमाराशियों का झंझटरहित अंतरण
- एफआई लेन-देनों का अंतरपरिचालनशीलता

System based loan processing for Mid and Large Corporate Credit:

Bank has taken initiative to implement system based appraisal/process (Laps) for Mid corporate and large corporate credit and the same is under process of implementation. This will enable to reduce turnaround time of credit proposals and help in tracking the proposal at every stage for speedy disposal.

Bunch Note Acceptors (BNA):

Bank has procured 100 Nos. of BNAs for installation in select market areas for accepting bulk cash from the customers. BNA facilitates for on-line credit/debit to the account for cash deposit/withdrawal on 24 X 7 basis. Bank has installed 74 BNAs as on 31.03.2015.

Synd Lounge:

Three types of Customer Kiosks are provided (Passbook Printing, Internet Banking facility and Cheque Deposit facility) in 30 identified locations to enable the customers to have access on 24 X 7 basis.

Synd e-Passbook:

Synd e-Passbook solution is a Smartphone application to cater to the ever growing tech savvy customer base. It is a convenient and secure mobile app to get our account details and statements on our Smartphone. It's a green initiative of providing Digital Passbook facility on mobile. It is one of the popular products of the Bank and as on 31.03.2015, 49874 users have registered for the application.

E-KYC Solution:

Salient features are –

- Customer's credentials verified without carrying any paper by accessing information available with UIDAI using biometric authentication.
- Available at all Micro ATMs
- This is operational in about 2700 branches.

Implementation of Govt. Business Module in Core Banking:

Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States etc.

Govt Sponsored Initiatives:

Bank has implemented the following initiatives as per the directions received from time to time:

- Seamless DBTL credits with negligible % of rejections to our customers.
- Interoperability of FI transactions

- रुपे कार्ड धारकों के लिए एईपीएस एवं पीआईएन आधारित लेन-देन
- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 35.78 लाख खाते खोले गए
- पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 9.10 लाख पंजीकरण
- पीएमजेजेवाई के अंतर्गत 3.09 लाख पंजीकरण
- सिस्टम में और 6 लाख की प्रविष्टि की गई
- नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं का पंजीकरण संभव किया गया
- प्रोसेस नोट तैयार करने और पीएमजेडीवाई ग्राहकों की ओडी पात्रता निर्धारित करने के लि शाखाओं को सॉफ्टवेयर यूटिलिटी उपलब्ध करायी गई है।
- ग्राहक सेवा कियोस्क के माध्यम से एफआई लेन-देनों के संचालन के लिए एफआई कियोस्क मॉडल तैयार किया गया है।
- सामाजिक पेंशन योजनाएं-
  - राष्ट्रीय पेंशन योजना इनेबल्ड
  - अटल पेंशन योजना जाँच के अधीन

सुकन्या समृद्धि योजना 2014

भा.रि.बैं. की परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/494-आईडीएमडी (डीजीबीए). सीडीडी सं. 4052/15.02.006/2014-15 दिनांक 11 मार्च और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार बैंक ने सुकन्या समृद्धि 2014 के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हमारे जीबीएम सॉफ्टवेयर में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाने की प्रक्रिया में लगा है। सुकन्या समृद्धि खातों के परिचालन के लिए सेवा शाख, बेंगलूरु को केंद्रीकृत शाखा बनाया गया है। नामित शाखाएं जल्द ही सुकन्या समृद्धि खाता खोलना शुरू कर देंगी।

हरित पहल का कार्यान्वयन

ए) बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कागजरहित अनुपालन को स्वीकार करते हुए ''कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल'' के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की है। बैंक ने उन ग्राहकों/निवेशकों को वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्रा) लि. के पास अपना ई मेल पता दर्ज करा लिया है। बैंक, कागज आधारित अदायगी लिखतों के प्रयोग के बजाय वैकल्पिक माध्यमों के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है।

बी) इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बैठकें एवं विचार-विमर्श हुए हैं कि यथासंभव सूचनाओं/आंकड़ों को सॉफ्ट प्रतियों में रखा जाए।

सी) बैंकों द्वारा कॉरपोरेट ई-मेल की सुविधा और इन्ट्रा-नेट आधारित आईपी मेसेज प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कागज़ आधारित संप्रेषण पर निर्भरता में कमी आ रही है।

डी) बैंक में प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी जानेवाली विभिन्न आवधिक तथा तदर्थ रिपोर्टें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि, कागज़ आधारित रिपोर्टों पर निर्भरता को दूर किया जा सके।

- AEPS & PIN based transactions for RuPay card enabled
- 35.78 Lac accounts opened under PMJDY
- 9.10 Lac enrolments under PMSBY
- 3.09 Lac enrolments under PMJJY
- Another 6 Lacs are entered in the System
- Enabled enrolment for Prime Ministers' Insurance schemes through Net Banking & Mobile banking
- Software utility provided to branches to assess OD eligibility of PMJDY customers and to prepare process notes.
- FI – Kiosk Module enabled for handling FI transactions through Customer Service Kiosks.
- Social Pension Schemes:
  - National Pension Scheme enabled
  - Atal Pension Scheme under testing

Sukanya Samriddhi Scheme 2014:

Bank has taken steps to implement Sukanya Samriddhi Scheme 2014 as per the direction given by Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and RBI circular No.RBI/2014-15/494-IDMD (DGBA). CDD No.4052/15.02.006/2014-15 dated 11th March 2015. The department of Information Technology of the Bank is in process of developing a separate module for "Sukanya Samriddhi Scheme" in our GBM Software. Service Branch, Bangalore is identified as the Focal Point Branch for Sukanya Samriddhi Accounts operations. Designated Branches shall start opening Sukanya Samriddhi Accounts shortly.

IMPLEMENTATION OF GREEN INITIATIVES

a) Bank has taken steps towards implementation of "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances through electronic mode. Bank has been sending soft copies of Annual Report to those members / investors who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Bank is actively encouraging transactions through alternative channel to reduce the usage of paper based payment instruments.

b) Discussions/proceedings of several important meetings are held where the required information/data is kept in the form of soft copies as far as possible.

c) Bank is using corporate e-mail facility and intra-net based IP messaging system and thus reducing dependency on paper based communication.

d) Various periodical and ad hoc reports required by the users across the Bank are being provided in an electronic form obviating the need for paper based reports.

ई) बांड धारकों/वेंडरों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से राशि जमा कर हरित पहल का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए कागज़ आधारित भुगतानों को पूरी तरह से समाप्त करने की पहल की जा रही है।

एफ) बैंक द्वारा खाताधारकों के लिए कागज की बचत करने के उद्देश्य से ई-पासबुक की सुविधा प्रारंभ की गई है ।

जी) बैंक ने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु ऑन-लाइन आवेदन पत्र की सुविधा भी प्रदान की है।

अन्य सेवाएँ

सुरक्षा जमा लॉकर:

- जमा सुविधा वाली सभी शाखाओं में सुरक्षा जमा लॉकर के कुशल प्रबंधन के लिए लॉकर मॉड्यूल सॉफ्टवेयर क्रियान्वित की गई है।
- ग्राहकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से लॉकर प्रभार को कम करके स्पर्धात्मक बनाया गया है।

नकदी प्रबंधन:

- नकदी जमा अनुपात (सीडीआर); वर्ष 2013-14 की औसत सीडीआर 0.38 प्रतिशत की तुलना में 31.03.2015 की स्थिति में, 0.31 प्रतिशत की संतोषजनक स्तर पर रहा।
- हमारी मुद्रा तिजोरी/नकद प्राप्ति केंद्रों से संबंद्धित सभी नकदी वाहनों को जीपीआरएस युक्त बनाया गया है।

मुद्रा प्रबंधन:

- वर्तमान में 46 मुद्रा तिजोरियाँ हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार, शाखाओं एवं मुद्रा तिजोरियों में नोट छंटाई मशीन उपलब्ध कराई जानी है। बैंक द्वारा इसके अनुपालन के लिए कदम उठाए गए हैं।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस):

चूँकि सीटीएस को अनिवार्य कर दिया गया है, बैंक ने निम्नलिखित को सुनिश्चित किया है।

- समस्त शाखाओं/खाताधारकों को सीटीएस-2010 मानक के अनुरूप ही चेक जारी किए गए।
- जारी किए गए मां.ड्रा भी सीटीएस के अनुकूल हैं।

सीटीएस समाशोधन की गतिविधियाँ ग्रिड-आधारित हैं। इसे पूरे देश में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है। कुल 66 एमआईसीआर केंद्र हैं और सभी एमआईसीआर केंद्रों पर केंद्रीकृत आवक समाशोधन पूर्ण रूप से लागू किया गया है।

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (डीईएएफ):

भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (डीईएएफ) -2014 का कार्यान्वयन किया गया है।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी):

बैंक ने केंद्रीय सिविल, टेलीकॉम, डाक एवं केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनों को सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) में पहले ही स्थानांतरित कर दिया है, जिसके लिए बैंक को सीपीएओ, नई दिल्ली तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, से अनुमति मिली है और सीपीपीसी द्वारा इसका संचालन ठीक तरह से किया जा रहा है। सीपीपीसी ने दिनांक 01.04.2014 के बाद निर्गत समस्त

e) 100 % adherence to Green Initiative by Direct Credit to accounts of Bond Holders / Vendors, there by totally eliminating paper based payments.

f) Bank has introduced e-passbook facility for account holders to save papers.

g) Bank has also provided facilities for on-line application to customers for availing various type of loans.

OTHER SERVICES:

SAFE- DEPOSIT LOCKERS:

- Locker Module Software for efficient Management of Safe Deposit Lockers implemented in all branches having Deposit facility.
- Locker Charges made competitive with nominal rents to benefit cross section of the clientele.

CASH MANAGEMENT:

- Cash Deposit Ratio (CDR) is maintained satisfactory level of 0.31% as on 31.03.2015 against the Average CDR of the Bank for the year 2013-14 @ 0.38%.
- All the Cash Vans attached to our Currency Chest Cash Pooling Centers are GPRS enabled.

CURRENCY MANAGEMENT:

- At present there are 46 Currency Chests.
- Clean Note Policy as per RBI expectations is implemented. Under RBI Clean Note Policy, banks are required to provide Note Sorting Machines to Branches and Currency Chests. Bank has taken steps to comply with it.

CHEQUE TRUNCATION SSYSTEM (CTS):

Since CTS is mandatory, Bank has ensured the following

- CTS- 2010 Standard complaint Cheque books issued to all branches/account holders.
- The DDs issued are also CTS enabled.

CTS clearing activities is Grid-based. This is implemented throughout the country in a phased manner. There are 66 MICR centers and in all MICR Centers Centralised Inward Clearing has been implemented in full.

Depositor Education Awareness Fund Scheme (DEAF)

Depositor Education Awareness Fund Scheme-2014 (DEAF) of Reserve Bank of India has been implemented.

Central Pension Processing Centre (CPPC):

The Bank has already migrated Central Civil, Telecom, Postal and Central Freedom Fighter Pensions into Govt. Business Module (GBM) for which Bank has received its approvals from CPAO New Delhi and RBI Mumbai and the same is being handled through CPPC smoothly. CPPC started disbursing Defence Pension payments for all new PPOs

नए पीपीओ के लिए रक्षा पेंशन का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इस श्रेणी में बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए रक्षा पेंशन का स्थानांतरण केंद्रीकृत प्रणाली यानी, जीबीएम में करने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से अन्य पेंशनों के लिए भी सीपीपीसी के माध्यम से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान को कार्यान्वित किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास

मानव पूँजी

बैंक अपने कर्मचारियों को अत्यंत स्पंदनशील एवं मूल्यवान आस्ति के रूप में सम्मान देता है। बैंक की भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव पूँजी का विकास करने में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य की मानव संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु मानवशक्ति का विकास करने तथा उसे बनाए रखने के लिए बैंक, मानव संसाधन आयाम पर सकेंद्रित है। करियर विकास के अवसर प्रदान कर तथा प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों में व्यावहारिक हस्तक्षेप के माध्यम से इसे प्राप्त करने हेतु हम प्रयासरत हैं।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनके विकास पर निवेश करते हुए बैंक ने स्टाफ सदस्यों को नई एच.आर. चुनौतियों को संभालने के लिए सक्षम बनाया है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार रहें।

31-03-2015 की स्थिति के अनुसार, बैंक की मानव पूँजी निम्नानुसार है:

वर्ग	31.03.2014	31.03.2015
अधिकारी	11257	12838
लिपिक	10270	10553
अधीनस्थ कर्मचारी	3534	4055
सफाई कर्मचारी	2161	1688
कुल	**27222**	**29134**

औसतन आयु की रूपरेखा

वर्ग	31.03.2014	31.03.2015
कार्यपालक	56.88	55.70
अधिकारी	46.97	40.00
लिपिक	45.25	42.89
अधीनस्थ कर्मचारी	46.85	46.56
समग्र बैंक	48.98	42.72

सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन

वर्ष के दौरान बैंक ने, पदोन्नति, नियुक्ति और निष्पादन मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया है।

नियुक्ति योजना

बैंक ने विपणन, राजभाषा, विधि, सनदी लेखाकार, ग्रामीण विकास अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आदि विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए कुशल मानवशक्ति को नियुक्त करने हेतु, सीधी भर्ती की है और भावी

issued w.e.f. 01.04.2014. Migration of Defence Pension to Centralised system i.e. GBM for ensuring improved services to this category is in progress. The centralized pension payment through CPPC for other pensions will also be implemented during the year in phases.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Human Capital

Bank recognizes its employees as the most vibrant and valuable asset. HR plays a paramount role in developing human capital in tune with the Vision and Mission of the Bank.

Bank is constantly focussing on HR dimension by developing and retaining the workforce to meet the future HR challenges in the Banking Sector. We are geared up to achieve the same through pragmatic interventions in training and development and creating career growth opportunities.

Investment in employees' training and development has enabled the Bank to prepare the staff members to handle new HR challenges and make them 'future ready'.

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2015 is as under:

Category	31.03.2014	31.03.2015
Officers	11257	12838
Clerks	10270	10553
Sub staff	3534	4055
Sweepers	2161	1688
Total	**27222**	**29134**

Average Age Profile

Category	31.03.2014	31.03.2015
Executives	56.88	55.70
Officers	46.97	40.00
Clerks	45.25	42.89
Sub staff	46.85	46.56
Bank as whole	48.98	42.72

Compliance to Government Guidelines

During the year the Bank has complied with the guidelines received from the Government of India on various H.R. matters in the areas of Promotions, Recruitment and Performance Appraisal etc.

Recruitment Planning

Bank had made direct recruitments for inducting skilled manpower in specialized areas like Marketing, Official

आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर कुशलता की कमियों की समीक्षा आवधिक रूप से की जा रही है।

बैंक ने आईबीपीएस द्वारा आयोजित सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लिया है और वर्ष के दौरान 1667 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 1536 परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त 240 विशेषज्ञ अधिकारी और 21 सुरक्षा अधिकारियों की भी भर्ती की गई है।

कैरियर प्रगति

बैंक बाज़ार स्थिति के अनुरूप शीघ्रतर कैरियर प्रगति हेतु कर्मचारियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को अधिकतम अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें उच्चतर जिम्मेदारियों को निभाने का शिक्षण देता है। उत्कृष्ट निष्पादक को पुरस्कृत करने हेतु पदोन्नति नीति का भी परिष्करण किया गया है जो उत्तराधिकार योजना के अनुरूप है।

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न वेतनमानों में 3319 कर्मचारियों को पदोन्नत किया, जिनमें कार्यपालक भी शामिल हैं।

प्रतिभा वृद्धि एवं प्रतिधारण

बैंक, प्रतिभा वृद्धि व प्रतिधारण के उद्देश्य से कर्मचारियों को एनआईएसएम, आईआरडीए, सीआईएसए, सीआईएसएसपी, ओराकल, जोखिम प्रबंधन की परीक्षाएँ, आईआईबीएफ से आयोजित पाठ्यक्रम जैसी विभिन्न व्यावसायिक परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए उचित पुरस्कार देकर प्रोत्साहित कर रहा है।

अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति

बैंक ने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय/अन्य संगठनों के अनुरोध/मांगपत्र के अनुसार हमारे अधिकारियों को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग और सीबीआई, डीआरटी, रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड जैसी अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया है।

अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी को आरक्षण

बैंक ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी के लिए लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया है तथा सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को बैंक में भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/छूट प्रदान किया है। प्रधान कार्यालय में एक अलग से अ.जा./अ.ज.जा. तथा ओबीसी कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें बैंक में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है तथा इसके लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में फिलहाल महा प्रबंधक को नामित किया गया है। उनकी शिकायतों के निवारण हेतु अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट वर्ष में एक बार बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

इस संबंध में सरकारी निदेशों के अनुपालन में विधिवत परीक्षित पद-आधारित आरक्षण रोस्टर, बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

Language, Law, CA, Rural Development Officers, IT and periodically reviewing the skill gaps keeping in view of the future needs and challenges.

The Bank has also participated in the Common Recruitment Process conducted by IBPS and inducted 1667 Probationary Officers and 1536 Probationary Clerks during the year. Apart from this 240 Specialist Officers and 21 Security Officers are also recruited.

Career Progression

The Bank provides optimum opportunities to its employees to fulfil their growing aspirations for faster career progression in tune with market condition and groom them to shoulder higher responsibilities. The promotion policy has also been fine-tuned to reward outstanding performers and is in sync with the succession planning.

During the year 2014-15, Bank had promoted 3319 employees in various scales which include Executives.

Talent Grooming & Retention

Bank is encouraging the staff to qualify in various professional examinations like NISM, IRDA, CISA, CISSP, ORACLE, Risk Management Examinations, Courses conducted by IIBF etc. with the objective of talent grooming/retention by duly rewarding.

Deputation to Other Organizations

The Bank has deputed our Officers to Ministry of Finance, Department of Financial Services and other organizations like CBI, DRT, National Academy of RUDSETI and Bharatiya Mahila Bank Ltd as per the request/indent of Ministry of Finance, Department of Financial Services/other organizations.

Reservation to SC/ST/OBC

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs and OBCs as prescribed by Government of India from time to time and has been extending applicable reservations/concessions to SC/ST/OBC/PWD employees in recruitment/promotions as per the extant guidelines issued by the Government. A separate SC /ST Cell and OBC Cell are functioning at Head Office to redress the grievances of SC/ST/ OBC employees working in the Bank and are currently headed by General Managers designated as Chief Liaison Officer. Meetings with the representatives of the SC/ST Welfare Associations are being conducted to redress their grievances.

The progress made in the implementation of the Reservation Policy is being placed to the Board once in a Year.

The duly vetted Post based Reservation Roster is displayed on the website of the bank in compliance to the directions of the Government.

आरटीआई आवेदन:

नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया, एपीएआर, आरक्षण नीति, अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ, एकमुश्त भुगतान आदि मामले से संबंधित आरटीआई आवेदनों को प्रभावपूर्ण तरीके से एचआरडीडी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में उनका निपटान किया जाता है।

हमारे बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का कार्यान्वयन:

बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, शाखाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों के कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीकृत एचआरएमएस को कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। मेसर्स ह्यूलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाता के रूप में चयन किया गया है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्ष 2014-15 के लिए ऑनलाइन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ की है। स्थानांतरण, पदोन्नति, छुट्टी प्रबंधन, वेतन पत्र, पेंशन जैसे अन्य मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे।

स्टाफ कल्याण योजना

बैंक क्वार्टर

स्टाफ कल्याण योजना के अंतर्गत, बैंक बेंगलूरु में अतिरिक्त क्वार्टर्स उपलब्ध करा रहा है तथा 100 फ्लैट का निर्माण कार्य वसुंधरा, गाजियाबाद में चल रहा है जो निकट भविष्य में पूरा होनेवाला है। बैंक ने चेन्नई में 19 तथा तिरुवनंतपुरम में दो अतिरिक्त फ्लैटों की भी खरीदी की है।

बैंक स्वामित्ववाले भवनों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनका रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य किया गया है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले में एकमुश्त अनुग्रह राशि की भुगतान योजना

बैंक ने सेवा में रहते समय मृत होनेवाले कर्मचारियों को और 55 वर्ष पूर्ण होने के पहले विकलांग होने से चिकित्सा आधार पर निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति और अनुकंपा आधारित नियुक्ति के बदले में एक मुश्त क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए एक योजना बनाई है। यह योजना उन सभी मामलों से सम्मिलित है जहाँ कर्मचारी की मृत्यु 5.8.2014 को या उसके बाद में हुई हो।

प्रदेय एक मुश्त अनुग्रह राशि की संवर्ग वार सीमा निम्नानुसार है

(₹ में)

संवर्ग	अधिकतम राशि
अधिकारी	8.00 लाख
लिपिक	7.00 लाख
अधीनस्थ कर्मचारी	6.00 लाख

RTI Applications

RTI Applications were received at HRDD predominantly on the matters of Recruitment Process, Promotion Process, APARs, Reservation Policy, Compassionate Appointments, Ex gratia Payments etc and they have been disposed of within the time frame prescribed under the RTI Act.

Implementation of HRMS in our Bank

Bank has decided to implement the centralized HRMS solution for handling the functions of different divisions of Personnel Department, Regional Offices, Branches and other administrative offices covering all staff members of the Bank. M/s Hewlett Packard India Sales Private Limited have been identified as service provider through RFP process. The process of implementation is in progress. The Bank has introduced the online Annual Performance Appraisal System for the year 2014-15. Other modules like Transfer, Promotion, Leave Management, Payroll, Pension etc., will be rolled out in phased manner.

STAFF WELFARE MEASURES

Bank's Quarters

As a part of staff welfare measures, Bank is providing additional quarters at Bangalore and construction of 100 flats at Vasundhara, Ghaziabad is completed and taken possession. The same are being allotted to staff of Delhi and Ghaziabad Regional Offices. Bank has also purchased 19 additional flats in Chennai and two flats at Thiruvananthapuram.

Maintenance and repair works have been undertaken by Bank owned properties to enhance their usability.

Scheme for compassionate appointment and payment of Ex-Gratia lumpsum amount in lieu of compassionate appointment

The Bank has formulated a scheme for appointment on compassionate grounds and payment of Ex-Gratia lumpsum amount in lieu of compassionate appointment to the dependents of the employee dies while in service and employee is retiring on medical grounds due to incapacitation before reaching the age of 55 years. The scheme covers all the cases where death of employee occurs on or after 05.08.2014.

The cadre wise ceiling on Ex-Gratia lumpsum amount payable is as under:

(in ₹)

Cadre	Maximum amount
Officers	8.00 Lakhs
Clerks	7.00 Lakhs
Subordinate Staff	6.00 Lakhs

बैंक लूट तथा आतंकवादी घटनाओं में मारे गए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लूट, आतंकवादी तथा वामपंथी उग्रवादी घटनाओं का विरोध करनेवाले बैंक कर्मचारियों एवं आम जनता को प्रोत्साहन और मुआवजा भुगतान के लिए बैंक द्वारा एक योजना बनाई गई है।

मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक के परिवार को दी जानेवाली मुआवजा राशि इस प्रकार है:

(₹ में)

संवर्ग	श्रेणी	अधिकतम राशि
बैंक कर्मचारी	अधिकारी	20.00 लाख
	लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी	10.00 लाख
बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त	ग्राहक/ आम जनता	3.00 लाख

यदि बैंक कर्मचारी/ग्राहक/आम जनता में से कोई व्यक्ति बैंक-लूट तथा बैंक पर आतंकी हमला का सक्रिय रूप से प्रतिरोध करता है तो बैंक, ₹2.00 लाख तक की इनाम राशि देने पर भी विचार कर सकता है।

मृतक के बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा की देखभाल बैंक करता है तथा परिवार के एक सदस्य की तत्काल नौकरी की व्यवस्था भी नियमानुसार बैंक करता है।

प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर, सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, एरणाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, एसआईबीएम एवं 7 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा 495 कार्यक्रमों में 10323 अधिकारियों और 111 कार्यक्रमों में 4287 कामगार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, 2526 अधिकारियों को बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिनका संचालन भारत स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। आगे 8 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले 1808 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 1361 परिवीक्षाधीन लिपिकों को प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 6588 (जिनमें 4649 अधिकारी तथा 1939 कर्मचारी शामिल हैं ।) एससी/ एसटी/ओबीसी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अगले संबंधित संवर्गों में पदोन्नति हेतु तैयार करने के लिए, एसआईबीएम एवं 7 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा 1478 एससी/ एसटी/ओबीसी लिपिक कर्मचारियों और 1944 एससी/ एसटी/ ओबीसी अधिकारियों को पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण भी दिया गया।

सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान ने बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखकर, अधिकारियों को शाखा प्रमुखों के कार्य को अपनाने हेतु प्रेरित

Compensation to Bank Employees killed in Bank Robberies & Terrorist Incidents

Bank has formulated a Scheme as per Govt guidelines for Payment of Compensation and Reward so as to motivate the Bank employees and members of public resisting Bank robberies, terrorist incidents including left-wing extremism.

In case of death, the family of deceased will be given compensation by the Bank as follows:

(in ₹)

Category	Cadre	Maximum amount
Bank Employee	Officers	20.00 Lakhs
	Clerks /Sub Staff	10.00 Lakhs
Other than bank employee	Customers/ members of the public	3.00 Lakhs

In case of Bank employees / customers / members of public who actively resists Bank robberies and terrorist attacks on Banks, the Bank may consider a cash reward not exceeding ₹2.00 Lakhs.

The Bank will look after educational expenses of the children of the deceased up to and inclusive of graduation and will give immediate employment to one member of the family of the deceased as per applicable rules.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management, (SIBM), Manipal at the apex level and the seven Training Centres at Bangalore, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata and Mumbai caters to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees. During the year 2014-15, 495 Programmes covering 10323 Officers and 111 Programmes covering 4287 workmen employees were conducted by the SIBM and 7 Training Centres. In addition, 2526 officials were trained through external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further 8 executives/officers were also deputed to overseas training programmes. The Training System has imparted induction training to 1808 Probationary Officers and 1361 Probationary clerks who had joined the Bank during 2014-15. In the year 2014-15, a total of 6588 SC/ST/ OBC employees were trained (consisting of 4649 officers and 1939 workmen), through various training programmes. SIBM and 7 Training Centres have also imparted Pre-Promotion training to 1478 SC/ST/OBC Clerical employees and 1944 SC/ST Officer employees to prepare them for promotion to higher cadres.

Considering the large scale retirements, SIBM has devised a new programme to groom the officers by motivating and empowering them to assume role of Branch Heads. For the officers promoted to Executive Cadre during 2014-

और सशक्त बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम बनाया है। 2014-15 के दौरान, कार्यपालक वर्ग में पदोन्नत कार्यपालकों के लिए, एसआईबीएम ने मुख्य रूप से बेहतर कुशलता हेतु, विशेष कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित किया। ज्ञान के अंतर को मिटाने के लिए, विदेशी विनिमय और ऋण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसआईबीएम ने अधिकारियों और कार्यपालकों के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियों आईआर मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, साथ ही, नए भर्ती हुए सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया।

मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्रा.लि., बेंगलूरु और एनआईटीटीई इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनांस, नोइडा के सहयोग से बैंक ने फस्ट डे, फस्ट अवर- प्रोडक्टिव के उद्देश्य से स्ट्रेटेजिक टेलेंट पाइपलाइन बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान 200 प्रशिक्षणार्थियों को 12 महीनों का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें 9 महीनों की सैद्धांतिक शिक्षा व 3 महीने की शाखा में इंटर्नशिप शामिल है। 12 महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों को बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ले लिया जाएगा। इस तरह का पहला बैच मार्च 2015 से निर्धारित संस्थानों में अपना क्लासरूम प्रशिक्षण शुरू कर चुका है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं जोरदार माध्यम भी है।

भारत सरकार द्वारा राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिदेशों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिये, आंतरिक वार्षिक राजभाषा कार्यान्वयन कार्य योजना को जारी कर शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन में मदद करने के लिये, बैंक ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है।

बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष के दौरान विभिन्न स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारत सरकार, गृहमंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी को दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में किये गये उत्कृष्ट निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों और कर्मचारियों ने संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा शील्ड/पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में हमारी हिंदी पत्रिका 'जागृति' को चौथा स्थान प्राप्त हुआ।

बैंक की आंतरिक पुरस्कार योजनाएँ जैसे; क्षेत्रवार व्यक्तिगत कर्मचारियों को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने; कंप्यूटर में हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग

15, SIBM has conducted special Executive Development Programmes, focusing mainly on soft skills. To address the knowledge gap, training programme on Forex and Credit Management were conducted. SIBM also conducted training programmes on disciplinary proceedings/IR issues for officers and Executives and a programme was conducted for newly recruited Security Officers.

The Bank, with the objective of "first day, first hour - productive" has introduced Strategic Talent Pipeline Building Programme in association with Manipal Global Education Services Pvt Ltd, Bangalore and NITTE Institute of Banking and Finance Noida, wherein both the Institutes will train 200 trainees each for a period of 12 months consisting of 9 months' academic input and 3 months' internship in the branch. On successful completion of 12 months training, these trainees will be absorbed as Probationary Officers of the Bank. The first such batch has already commenced classroom training in the identified institutes from March 2015.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various ways not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking.

With an object of timely implementation of important guidelines pertaining to Official Language issued by the Government of India, various types of initiatives have been taken up by our Bank for providing assistance to the employees working in branches/offices in the implementation of Official Language duly issuing Internal Annual O L implementation Action Plan.

The Bank has made noteworthy progress under the implementation of Official Language and won prizes at various levels during the year. Regional Office, Panaji was awarded with Second prize by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language for its outstanding performance in OL implementation in South-West region. Some of our Regional Offices and staff members have received Rajbhasha Shields/Awards from respective Town Official Language Implementation Committees.

Apart from the above, Our Hindi Magazine 'Jagriti' got 4th Place in Hindi House Magazine Competition conducted by the Reserve Bank of India.

Bank's Internal Award Schemes like Cash Incentive Schemes for 'Excellent Performance in use of Hindi and Excellent performance in use of Hindi on Computers' for Region wise individual employees and also 'Bank level/ Department level Shield Competitions/Essay Competitions'

करने; और बैंक/अनुभाग स्तर पर शील्ड प्रतियोगितायें/निबंध प्रतियोगितायें प्रचलन में हैं। जायंट और जागृति गृह पत्रिकाओं में हिंदी लेख लिखनेवाले लेखकों के लिये आकर्षक नगद मानदेय दिया जा रहा है।

हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने 2257 शाखाओं/कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। गृहमंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित किया गया है। रोज़ाना के कार्यकलापों में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी कार्यशालायें, हिंदी आशुलिपिकों को प्रशिक्षण, हिंदी समन्वयकों/कार्यपालकों के लिये राजभाषा संगोष्ठी, सतर्कता जागरुकता सप्ताह, स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों/स्टाफ सदस्यों के लिये हिंदी प्रतियोगितायें और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय का ''राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद-सार्थक दिशा'' कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

बैंक, अनंतपुर, बिजापुर, कारवार, कण्णूर, मेरठ, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने नागपूर का और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय ने लखनऊ और तिरुवनंतपुरम का निरीक्षण किया एवं बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रधान कार्यालय की प्रभावी निगरानी की भी प्रशंसा की।

अवधि के दौरान सुनिश्चित विशेष गतिविधियाँ

i) भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे द्वारा ''बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्यागिकी के विभिन्न आयाम'' पर सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल में हिन्दी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार की मेजबानी की गई।

ii) हिन्दी में आंतरिक प्रशिक्षण हैंडआउट की सीडी का विमोचन किया गया।

iii) हमारे 89 वें संस्थापना दिवस के अवसर पर पेजावरमठ, उडुपि के आदरणीय स्वामीजी श्री श्री विश्वेश तीर्थ के करकमलों द्वारा ''हिन्दी लिखें, पढ़े और बोलें'' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

iv) 89 वें संस्थापना दिवस के अवसर पर हिन्दी में मुद्रित (पी एंड डी द्वारा तैयार किया गया) ''बैंक खाता खोलने के छः आसान तरीके'' शीर्षक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

v) डीआईटी, बेंगलूरु द्वारा विकसित ''राजभाषा पोर्टल तथा ई-जागृति'' को प्रारंभ किया गया।

vi) राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है।

vii) कार्यपालकों के लिए, बेंगलूरु में दि. 13.02.2015 को वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा परिकल्पित 'राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद-सार्थक दिशा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

viii) 'चिंतन' पुस्तक के संशोधित संस्करण का प्रकाशन कराया गया।

are in vogue. Attractive Cash Incentives are being given to the writers of Hindi articles for house magazines i.e. Giant & Jagruthi.

Bank has notified 2257 branches/offices under Rule 10(4) of O. L. Rule, 1976 to ensure maximum usage of Hindi. Ensured online submission of quarterly Hindi Progress Reports of various Regional Offices to the concerned Regional Implementation Offices of MHA. Functional Hindi workshops, Hindi Stenography trainings, Hindi Coordinator/ Executive OL Seminars, Hindi competitions for School Children/Staff members in connection with 'Vigilance Awareness Week, Independence Day/Republic Day' and 'Rajbhasha Prayog-Apasi Samvad-Sardhak Disha' programmes of DFS-MOF were conducted by various Regional offices in addition to attending Govt. guidelines related to OL implementation in day to day official work.

Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committees at Ananthapur, Bijapur, Karwar, Kannur, Meerut, Ghaziabad and Faridabad. Official Language Implementation Committees were constituted in all the branches/offices for the effective implementation of Official Language.

The Drafting & Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language at Nagpur and the officials of Department of Financial Services, MOF at Lucknow and Thiruvananthapuram appreciated the efforts of concerned Regional Offices of the Bank and also effective monitoring of Head Office in the area of Official Language Implementation.

Special activities ensured during the period:

i. Hosted National Level Seminar in Hindi of RBI-CAB, Pune on "Various Aspects of Information Technology in Banking Sector" at SIBM, Manipal.

ii. Released a CD in Hindi on Internal Trainings Handouts.

iii. Released a book titled 'Write, Read and Speak Hindi' by Sri Vishwesha Tirtha, Honorable Seer of Udupi Pejavara Mutt on the occasion of our 89th Foundation Day.

iv. Released a booklet titled "6 Easy Steps to Opening a Bank Account" printed in Hindi (prepared by P&D) on 89th Foundation Day itself.

v. Launched Rajbhasha Portal & e-Jagriti developed by DIT, Bengaluru.

vi. Conducted All India Hindi Essay Competition for Nationalised Banks/FIs/RRBs.

vii. Conducted Executive "Rajbhasha Prayog-Apasi Samvad-Sarthak Disha" programme of Department of Financial Services at Bengaluru on 13.02.2015.

viii. Published a revised edition of "Chintan" book.

बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी जानकारी, योजनाओं/उत्पादों से संबंधित सामग्री/पैंफ्लेट, प्रदर्शन सामग्री आदि को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया है। ''कारोबार नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत, विज़न-मिशन और उत्पाद पुस्तिका'' को ग्राहकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

महत्वपूर्ण ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध नवोन्मेषी उपायों को अपनाते हुए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने में बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्राहक सेवा

इस बात पर विश्वास करते हुए कि ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि, वृद्धि सहित अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है, बैंक द्वारा वर्तमान ग्राहक सेवा की लगातार समीक्षा की जाती है। बैंक का ग्राहक केंद्रित पहल भावी कारोबारी संभाव्यताओं के निर्माण एवं ग्राहक आधार को जुटाने, स्थापित करने तथा बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है।

बैंक ने जमाराशियों, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक वसूली, सेवा में पाई गई विभिन्न प्रकार की कमियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान, इत्यादि पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई है। उक्त नीतियाँ ग्राहक की सुविधा हेतु बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा बैंक की प्रत्येक शाखा में भी प्रदर्शित की जाती हैं।

बैंक की शिकायत निवारण नीति का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों में कमी लाना है। इसके लिए, समुचित सेवा सुपुर्दगी और समीक्षा प्रणाली निरूपित की गई है ताकि, ग्राहकों की शिकायतों एवं तकलीफों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2014-15 के दौरान ग्राहक सेवा संबंधी उठाए गए कदम:

- ❖ बैंक ने ग्राहक शिकायतों के तत्काल निपटान हेतु आंतरिक लोकपाल योजना की शुरुआत करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
- ❖ शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार और कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु निम्नलिखित मूलभूत सिद्धातों पर आधारित 'ग्राहक सेवा' संबंधी नीति अपनाई गई है, जैसे, शिष्टाचार, संप्रेषण, दक्षता एवं समयबद्धता, शाखाओं का सामान्य प्रबंधन, ज्ञान इत्यादि।
- ❖ हमारा बैंक, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है। ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता और एमएसई ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए संहिता के प्रावधानों के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है।
- ❖ बीसीएसबीआई संहिता के प्रावधानों के बारे में ग्राहकों को जागरूक करने सुग्राही की अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, बैंक ने 25 अप्रैल 2014 को बेंगलूरु में ग्राहक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें, बीसीएसबीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री एन राजा

Bank has paid special attention on providing information related to Financial Inclusion matters, Schemes/Products related literature/pamphlets, display material etc. in Hindi and Regional Languages in addition to English. Books/ Booklets published on "BUSINESS POLICY GUIDELINES, VISION & MISSION and PRODUCT HAND BOOK" made available in Hindi & English both languages to facilitate the customers and staff.

Bank is very particular in promoting Hindi and Regional Languages introducing various innovative models to facilitate its proud customers.

CUSTOMER SERVICE

Believing that quality customer service is not only important but inevitable for survival and growth, Bank has been constantly reviewing the efficacy of existing system of attaining the customer service. Bank's customer centric approach acts as a key differential in shaping future business potential and also in acquiring, retaining and growing the customer base.

The Bank has Board approved policies on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are well displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides displaying at each branches of the Bank.

The Grievances Redressal Policy of the Bank is meant for minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances.

Customer Service Initiatives taken during 2014-15:

- ❖ Bank has taken steps to introduce internal ombudsman scheme to redress the customer grievances expeditiously.
- ❖ With a view to improving the Customer Service in the branches and sensitize the staff, policy on 'Customer Service' has been adopted based on the following cardinal principles viz., Courtesy, Communication, Efficiency & timeliness, General Management of the branches, knowledge, etc.
- ❖ The Bank is a Member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and committed to implement the provisions of Code of Bank's Commitment to Customers and Code of Bank's Commitment to MSE Customers in letter and spirit.
- ❖ In its continued efforts to spread awareness and to educate/sensitize customers about provisions of BCSBI Codes, Bank organized Customer Awareness Meet at Bengaluru on April 25, 2014 in which Chief Executive

उपस्थित थे। बैंक ने दो केंद्रों, 03.09.2014 को कोलकाता में और 09.03.2015 को जम्मू में बीसीएसबीआई द्वारा आयोजित ग्राहक सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी थी। दोनों केंद्रों में हमारे शाखा अधिकारियों और ग्राहकों ने बीसीएसबीआई के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

❖ ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संशोधित संहिता बीसीएसबीआई 2014 और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता 2012, सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिचालित किए गए हैं और ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता की संशोधित संहिता की एक प्रति बैंक की शाखाओं के ग्राहक क्षेत्र में संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई गई है।ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संशोधित संहिता बीसीएसबीआई 2014 और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता 2012 को हमारे वेबसाइट में अपलोड करके प्रदर्शित किया गया है।

❖ बीसीएसबीआई द्वारा बीएसबीडी खाता (मूल बचत बैंक जमाराशि) खोलने से संबंधित दिशानिर्देशों को हमारी सभी शाखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

❖ ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की स्वीकृत 148 सिफारिशों में से बैंक ने 145 सिफारिशों का कार्यान्वयन किया है तथा शेष 3 सिफारिशों की कार्यान्वयन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

❖ ग्राहक सेवा तथा ग्राहक शिकायत संबंधी विषयों पर शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में आवधिक आधार पर ग्राहक एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता के साथ आयोजित होनेवाली बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है।

❖ कॉरपोरेट कार्यालय में तिमाही अंतराल पर ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है और ग्राहक सेवा संबंधी शिकायतों/विषयों पर समीक्षा की जाती है।

❖ निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की तिमाही बैठकों के दौरान तथा निदेशक मंडल की अर्धवार्षिक बैठकों में भी ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है ।

❖ अपने दौरे के दौरान कार्यपालक, शाखाओं में ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श करते हैं तथा ग्राहक सेवा/शिकायतों का निवारण एवं बी.सी.एस.बी.आई. कोड के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हैं।

❖ बैंक ने कई ग्राहक हितैषी उत्पादों एवं सेवाओं की शुरुआत की है, जैसे, सिंड नवरत्न खाता, प्रीमियम बचत बैंक खाता, मल्टी-सिटी खाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट/ए टी एम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एस.एम.एस. बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस., ऑन लाइन कर विप्रेषण इत्यादि।

Officer, BCSBI Shri N. Raja graced the occasion. Bank has also actively associated in the "Customer Meets" organized by BCSBI in two centres one at Kolkata on 03.09.2014 and other at Jammu on 09.03.2015. In both places, our branch officials and customers interacted with BCSBI officials.

❖ Revised code of Bank's commitment to customers BCSBI 2014 and the 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises' 2012 have been circulated to all branches/offices and a copy of revised code of commitment to customers is available for reference in the customer area of bank branches. Revised code of Bank's commitment to customers BCSBI 2014 and the 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises' 2012 are uploaded and displayed in our website.

❖ The guidelines for opening of BSBD (Basic Savings Bank Deposit) accounts issued by BCSBI are exhibited in all our branches.

❖ Out of 148 accepted recommendations of Damodaran Committee on customer service, Bank has implemented 145 recommendations and remaining 3 recommendations are under various stages of implementation.

❖ Matters relating to Customer Service and Customer complaints are discussed in the periodical meeting held at Branches/Regional Offices with the involvement of Customers/ Senior Citizens.

❖ Standing Committee on Customer Service meet at quarterly intervals at Corporate Office and review the customer service related matters / complaints etc.

❖ The Customer Service related matters are also deliberated during quarterly meeting of Customer Service Committee of the Board and Meeting of Board of Directors at half yearly intervals.

❖ Executives during their visit to branches interact with customers and review matters relating to Customer Service/ complaints redressal and implementation of BCSBI Codes provisions.

❖ Bank has introduced customer friendly products and services such as Synd Navratna Accounts, Premium SB Accounts, Multi-city Accounts, Credit Card, Debit/ ATM Card, Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Point of Sales Terminals, NEFT / RTGS, Online tax remittances, etc.

❖ ग्राहक शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु, बैंक ने एक मजबूत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। प्राप्त शिकायतें एवं शिकायतों के निवारण की अवधि के आधार पर सभी क्षे.का. को तिमाही आधार पर, ए: उत्कृष्ट, बी: अच्छा, सी: संतोषजनक तथा डी: खराब, श्रेणी दी जाती है।

❖ सभी शाखाओं में एक ही दिन 23.05.2014 को ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया। प्र.का./कॉरपोरेट कार्यालय/क्षे.का. से कार्यपालकों ने व्यस्त शाखाओं में संपन्न बैठकों का दौरा किया तथा ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त किया।

❖ चयनित 30 स्थानों पर तीन प्रकार के ग्राहक कियोस्क (पासबुक मुद्रण, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा तथा चेक जमा सुविधा) स्थापित किए गए हैं। ये ई-लाऊंज 24×7 आधार पर कार्यरत हैं। ऐसे लाऊंज विभिन्न चरणों में पूरे देश के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।

मिस्ड कॉल ग्राहक सेवा:

शाखाओं में ग्राहक शिकायत एवं अपेक्षित सेवाएं प्राप्त करने में हो रही परेशानियों के निवारण हेतु 16.03.2015 से बेंगलूरु एवं चेन्नई क्षेत्रों में मुख्य /सहायक महा प्रबंधक द्वारा संचालित शाखाओं में, बैंक ने प्रायोगिक आधार पर एक नवोन्मेषी ग्राहक शिकायत निवारण सेवा, अर्थात, मिस्ड कॉल ग्राहक सेवा की शुरुआत की है। एक निर्धारित नंबर पर ग्राहक को मिस्ड कॉल देना होगा, उसके बाद उसकी समस्या का समाधान हेतु उससे शीघ्र संपर्क किया जाएगा। इन शहरों में स्थित शाखाओं को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को त्वरित सेवा प्रदान करें ताकि, मिस्ड कॉल शिकायत सेवा के लिए उन्हें कोई अवसर न मिले।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार कॉरपोरेटर नागरिक होने के कारण बैंक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और सीएसआर (कॉरपोरेटर सामाजिक जिम्मेदारी) को अपने कारोबार लक्ष्य का हिस्सा मानता है। गत वर्षों के दौरान बैंक ने विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियोंवाली गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की है जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण सुधार तथा समाज का दीर्घकालीन विकास करना है। सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए बैंक समाज का दीर्घकालीन विकास करने के अनुकूल वातावरण सृजित करना चाहता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में बैंक द्वारा उठाये गये कदम इस प्रकार हैं: जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल बांटना, सरकारी स्कूल को वाटर कूलर देना, गरीबों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए मंदिर, ट्रस्ट और लोकोपकारी सोसाइटी को दान, एसएलआई, डीवीडी, पीडीडी तथा ऑटिज्म जैसे विकास में विकारवाले बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना; मरीजों को एक दिन भोजन का वितरण करने के लिए अस्पतालों को दान; नदी नवीकरण परियोजना को दान, विशाखपटणम में हुड-हुड साइक्लोन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत कैंपों को दान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए दान, जम्मू और कश्मीर में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दान, मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल को एम्बुलेन्स का दान, कॉलेजों/

❖ Bank has put in place a robust Customer Grievance Redressal Mechanism for quick redressal of customer grievances. Based on number of complaints received and time taken for Redressal of complaints, all ROs are being graded A: Outstanding, B: Good, C: Satisfactory and D: Poor on quarterly basis.

❖ Uniform Customer Meet was organized in all branches on 23.05.2014.Executives from HO/CO/RO visited the Meet held at busy branches and obtained feedback from Customers.

❖ Three types of customer kiosks are provided (Passbook Printing, Internet Banking facility and Cheque Deposit facility) in 30 identified locations. These e-lounges will be functioning 24X7 basis. Such lounges will be extended at strategic locations all over the country in a phased manner.

Missed Call Customer Service

Bank has introduced an innovative customer grievance redressal service i.e. "Missed Call Customer Service" on experimental basis in CM/AGM headed Branches in Bangalore and Chennai Regions for the present from 16.03.2015 to redress customer grievances at the branches facing difficulty in getting required services. Customer has to give a missed call to a dedicated number and he will be addressed immediately to solve his problem. Branches in these cities are advised to extend prompt service to the customers without giving any room for missed call complaint service. Bank is considering to rolling over this services to other Regions in due course.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Being a corporate citizen, Bank recognizes its responsibility towards the society and considers CSR (Corporate Social Responsibility) as a part of its business objectives. Over the years, Bank is actively involved in various CSR activities which aimed at socio-economic transformation, rural uplift & sustainable development of the society. By emphasizing on social responsibility, Bank aims at to create enabling environment for sustainable development of the society.

Some of the CSR activities undertaken by the Bank during the year 2014-15 include distribution of blankets to needy persons; water coolers to Govt. school; donation to temple, trust, charitable and philanthropic society for conducting various service activities for poor people; providing training to the children with development disorders such as SLI, DVD, PDD and Autism; donation to hospitals for providing free meals for one day to the patients; donation towards river rejuvenation project; donation to Hud Hud cyclone relief camps for victims in Vishakhapatnam; donation towards making toilets in Government Schools under Swachh Bharat Abhiyan; donation towards rehabilitation of flood victims in Jammu & Kashmir; donation of Ambulance

संस्थाओं को आरओ वाटर प्यूरिफायर का दान, मानसिक रूप से अस्वस्थों के लिए विशेष स्कूल के लिए दान आदि शामिल हैं।

नए उत्पाद पहल

मौजूदा उत्पादों में सुधार और नये उत्पादों को तैयार करना निरंतर चलनेवाला कार्य है और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, तकनीकी नवोन्मेषिता और बाज़ार अन्वेषण को ध्यान में रखते हुए बैंक, दक्षतापूर्वक इस कार्य को कर रहा है। वर्ष के दौरान, अपने ग्राहकों के लाभार्थ बैंक द्वारा निम्नलिखित नए उत्पादों की शुरुआत की गई है :

देयता उत्पाद :

ए) **सिंड दिशा III एवं सिंड दिशा IV:** बैंक ने, क्रमशः दि. 05.06.2014 और 10.10.2014 को नयी जमाराशि उत्पाद, सिंड दिशा III एवं सिंड दिशा IV की शुरुआत की है। यह जमा 444 दिनों की अवधि के लिए होगी और ₹10 करोड़ से कम की जमाराशियों वाली इन उत्पादों पर प्रति वर्ष क्रमशः 9.15% और 9.00% की दर से आकर्षक ब्याज मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। यह वेतनभोगी वर्गों, पेंशनरों और अन्य जनता आदि के लिए लाभदायक होगी।

बी) **सिंडबालशक्ति:** 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों में बचत की आदत डालने के लिए बैंक ने ''सिंडबालशक्ति'' नामक नए उत्पाद की शुरुआत की है।

सी) **सिंडस्मार्टजेन:** जीवन की ख्वाहिशों की पूर्ति हेतु अर्थात बच्चों की शिक्षा, परिवार के साथ छुट्टी, बच्चों की शादी, वगैरह के लिए ग्राहकों को बचत का अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने स्मार्ट बचत योजना 'सिंडस्मार्टजेन' शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, हरेक महीने के अंतिम दिन ₹10,000/- से अधिक या चालू महीने की औसत शेषराशि, जो भी कम हो, उसे ₹10,000/- के गुणकों में 366 दिनों की अवधि के लिए मीयादी जमाराशि खाते में अंतरित की जाएगी, जिस पर वार्षिक 9% की आकर्षक ब्याज दर मिलेगी।

डी) **सिंडस्मार्टशी :** अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यादगार बनाने हेतु बैंक ने सिर्फ महिलाओं के लिए 'सिंड स्मार्टशी' नामक नया बचत उत्पाद शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत, खाते में न्यूनतम शेषराशि ₹500/- से अधिक की रकम ₹500/- के गुणकों में मीयादी जमाराशि खाते में अंतरित की जाएगी और उस पर 9% का आकर्षक वार्षिक ब्याज मिलेगा।

ई) **सिंड जूनियर मिल्यनेर:** बैंक ने मौजूदा और भावी ग्राहकों के लिए ''सिंडजूनियर मिल्यनेर''नाम से एक अनूठा संयुक्त उत्पाद (बचत बैंक खाता और आवर्ती जमाराशि) की शुरुआत की है, जो अपने नाबालिक बच्चों को 10 वर्ष की अवधि के भीतर मिल्येनेयर बनाना चाहते हैं। 10 वर्ष की अवधि तक आवर्ती जमाराशि के लिए विशेष ब्याज दर प्रदान की जा रही है।

आस्ति उत्पाद

ए) **सिंड कॉन्ट्रैक्टर:** क्रियाकलाप के विस्तार के लिए नये उपस्करों/ मशीनरी/वाहनों की खरीदी हेतु केन्द्र/राज्य सरकारी विभाग/

to Medical Colleges & Hospital; donation of RO Water Purifier to colleges/Institutes; donation to special school for mentally retarded and so on.

NEW PRODUCT INITIATIVES

Improving and developing new products is an ongoing task which Bank is dexterously following keeping in view the changing customer requirements, technological innovation and market research. During the year, Bank has come up with the following new products for the benefit of its customers:

Liability Products

a) **Synd Disha III & Synd Disha IV:** Bank has launched new deposit products SyndDisha III & IV on 05.06.2014 and 10.10.2014 respectively. The deposit will be for a period of 444 days and carries attractive interest rate of 9.15% and 9.00% pa. respectively for deposits less than ₹10 crore. Senior citizens will get an additional interest of 0.50% pa. This will be beneficial to salaried class, pensioners and other public etc.

b) **SyndBalashakti:** To inculcate savings habits among minors of 10 years and above, Bank has launched a new product "SyndBalashakti".

c) **Synd SmartGen:** To provide savings opportunity to customers for meeting towards life's important goals viz. children's' education, family holiday, children's marriage etc., Bank has launched a smart savings scheme "Synd SmartGen". Under the scheme, on the last day of every month, amount over ₹10,000/- or average balance of the current month-whichever is less, will be transferred to term deposit in multiples of ₹10,000/- for 366 days carrying an attractive interest rate of 9% p.a.

d) **Synd SmartSHE:** To commemorate International Women's Day, Bank has introduced a new savings product exclusively designed for women "Synd SmartSHE". Under the scheme, the balance amount in the account over and above the minimum balance of ₹500/-will be transferred in multiples of ₹500 to a term deposit and earn attractive interest of 9% per annum.

e) **SyndJuniorMillionaire:** Bank has designed a unique combo product (Savings Bank account and Recurring Deposit) named "SyndJuniorMillionaire" for the existing and prospective customers who desire to make their minor children millionaire within a period of 10 years. A special rate of interest is being given for the Recurring Deposit up to a period of 10 years.

Asset Products

a) **Synd Contractor:** Bank has launched a new products "SyndContrator" to meet the credit requirements of Registered "A class" Civil, Electrical, Mechanical,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठनों आदि की ओर से कार्य करनेवाले 'ए क्लास' पंजीकृत सिविल, इलेक्ट्रीकल, माइनिंग और ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टरों की ऋण अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, बैंक ने सिंड कॉन्ट्रैक्टर नामक एक नए उत्पाद की शुरुआत की है। यह उत्पाद एमएसई को, उनकी कार्यकारी पूँजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भी सहायता करेगा।

बी) **सिंडमहिला शक्ति:** महिला उद्यमियों की अपार संभाव्यताओं को देखते हुए और उनकी उद्यम भावनाओं में जोश लाने हेतु बैंक ने मौजूदा पूँजी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन महिलाओं हेतु नये उत्पाद ''सिंड महिला शक्ति'' की शुरुआत की है, जिन्होंने, स्नातक/डिप्लोमा/तकनीकि शिक्षा प्राप्त की है और जो कारोबार/क्रियाकलाप संबंधी अनुभव/जानकारी रखती हैं। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण की अधिकतम राशि ₹5 करोड़ है और इसकी ब्याज दर स्पर्धात्मक होगी।

सी) **सिंड कुटीर:** सभी के लिए, खासकर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह को मकान मुहैया कराने हेतु, बैंक ने 'सिंड कुटीर' नामक नए उत्पाद की शुरुआत की है। ऋण की प्रमात्रा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ₹5 लाख और निम्न आय वर्ग के लिए ₹10 लाख तक है। इसके लिए किसी प्रकार का प्रलेखन प्रभार नहीं है और तीसरी पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

डी) **सिंड होटल:** होटल, पर्यटन और आतिथ्य सत्कार उद्योग की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखकर, होटल/रेस्टरां एवं लॉज/फास्ट फूड सेंटर/मोटेल (ढाबा)/बेकरी/हाइवे-इन/पिज्जा सेंटर (फ्रैंचाइज)/मैस/कैंटीन/कैटरींग सेवा/सर्विस अपार्टमेंट इंटरप्राईजेस का व्यवसाय करने के लिए किफायती तथा स्पर्धात्मक दर पर ऋण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु उनके अनुकूल 'सिंड होटल' नामक नया उत्पाद शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली ऋण की अधिकतम रकम ₹10 करोड़ है।

ई) **सिंड ज्वेलर:** एमएसई-सेवाक्षेत्र (खुदरा व्यापार) के अंतर्गत सोने/चाँदी के आभूषण कारोबार से जुड़े उद्यमियों की कार्यकारी पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ने 'सिंड ज्वेलर' नामक नये उत्पाद की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली ऋण की अधिकतम रकम ₹5 करोड़ है।

एफ) **सिंडटिंबर:** खासकर, टिंबर व्यापार, लकड़ी एवं लकड़ी से बने उत्पादों का आयात, आरा मशीन, स्टीम चैंबर जैसे लकड़ी के उत्पादों के प्रसंस्करण, शेड निर्माण, फर्नीचर की दुकानों आदि से जुड़े उद्यमियों को वित्तपोषण करने के लिए बैंक ने 'सिंडटिंबर' नामक नए उत्पाद की शुरुआत की है।

जी) **सिंडकनेक्ट :** केन्द्र/राज्य सरकारी विभागों, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 'फार्चुन 500' कंपनियों के कर्मचारियों की व्यक्तिगत बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने व्यक्तिगत बैंकिंग योजना 'सिंडकनेक्ट' नामक उत्पाद शुरू किया है।

Mining and Transport Contractors undertaking works on behalf of Central/State Government Department/ Public Sector Undertakings and Reputed Private sector organizations etc for acquiring new equipments/ Machinery/Vehicles for expansion of activity. This will also help MSE in meeting their working capital requirements.

b) **Synd Mahila Shakthi:** Visualizing the huge potentials of women entrepreneurs, and to encourage their entrepreneurial spirit, Bank has launched a new tailor-made product for women having technical educational background /Diploma /Graduate having knowledge /experience in the line of activity or business filled "Synd Mahila Shakthi" to meet their working capital requirements for existing or new business units. The maximum quantum of loan which can be financed under the scheme is ₹5 crore with competitive ROI.

c) **Synd Kuteer:** To address the concern for affordable housing for all, especially for economically weaker section/Low Income Group category, Bank has introduced a new scheme "Synd Kuteer". The quantum of loan upto ₹5 Lakh for EWS and upto ₹10 Lakh for LIG. There will not be any documentation charge and no third party guarantee is required.

d) **SyndHotel:** Keeping in view the huge potential of Hotel, Tourism and Hospitality industry, Bank has launched a new tailor-made product – "SyndHotel" to extend credit facilities to Hotels/Restaurants and Lodges /Fast Food Centres / Motels (Daba) /Bakeries/High Way Inns / Pizza Centres (Franchises) / Mess/Canteen/Catering Service/ Service Apartment entrepreneurs at a very affordable & competitive interest rate. The maximum amount of loan that can be granted under the scheme is ₹10 crore.

e) **SyndJeweller:** In order to cater to the needs of Gold Jewellery Traders, Bank has launched a new tailor made product "SyndJeweller" to meet the working capital requirements of entrepreneurs engaged in Gold/Silver ornaments business under MSE-Services (Retail Trade). The maximum amount of loan that can be granted under the scheme is ₹5 crore.

f) **SyndTimber:** Bank has launched a tailor made product "SyndTimber" especially designed to finance Entrepreneurs engaged in Timber Trading, Import of Wood and Wooden Products, Processing of Wood products like Sawmill, Steam chambers, Construction of Shed, Furniture Shops etc.

g) **SyndConnect:** Bank has launched a personal banking loan scheme "SyndConnect" for employees of Central /State Government Departments, reputed Public Sector Undertakings and "Fortune 500" Companies to cater to their personal banking needs.

एच) **सिंडडिलाइट:** बैंक ने उन मौजूदा आवास ऋण ग्राहकों, जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए संतोषजनक चुकौती दर्शायी है, की यथार्थ वैयक्तिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, झंझट रहित ऋण उत्पाद की शुरुआत की है।

सुविधाजनक बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ

ए) **सिंडप्रिविलेज टैब बैंकिंग:** ग्राहकों को घर या कार्यालय बैठे खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने 'सिंडप्रिविलेज टैब बैंकिंग' नामक परिष्कृत नए उत्पाद की शुरुआत की है। इस उत्पाद के अंतर्गत बनाये रखने वाली न्यूनतम मासिक शेषराशि ₹10,000 है। इस उत्पाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं-नि:शुल्क वैयक्तिक चेक बुक, नि:शुल्क सिंडिकेटबैंक वीसा वैयक्तिक गोल्ड डेबिट कार्ड, संयुक्त खातेदार के लिए एड-ऑन डेबिट कार्ड, एसएमएस, इंटरनेट, मोबाइल एवं मिस्डकॉल बैंकिंग सेवाएँ, प्रवेश शुल्क के बिना सिंड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड, आवास और वाहन ऋणों पर कोई प्रसंस्करण एवं प्रलेखन प्रभार नहीं। इस उत्पाद के अंतर्गत 15 दिनों के लिए ₹25,000/- तक की अस्थाई ऑवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है।

बी) **सिंड ई-पासबुक:** मोबाइल फोन के माध्यम से अपने खातों के प्रबंधन में ग्राहकों को सहूलियत प्रदान करने हेतु बैंक ने एक अद्भुत मोबाइल एप्लीकेशन सिंड ई-पासबुक की शुरुआत की है, जो बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तैयार की गयी है। यह एन्ड्रॉइड, आई-फोन, विंडोज़ तथा ब्लैक बेरी के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक बिना किसी झंझट के अपने मोबाइल पर ई-पासबुक प्राप्त कर सकते हैं, अपना खाता विवरण देख सकते हैं, अपने लेन-देन की जानकारी ले सकते हैं, अपने खाता विवरण को एसएमएस/ई-मेल/वाट्स-एप्प पर प्राप्त कर सकते हैं, लेन-देनों के लिए अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी डाल सकते हैं।

सी) **सिंड लाउंज :** बैंक ने एक ही छत के नीचे नकद भुगतान मशीन, नकदी की स्वीकृति, चेक की स्वीकृति, पासबुक मुद्रित करना, इंटरनेट बैंकिंग, आदि जैसी 24x7 बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बेंगलूरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली में 'सिंड लाउंज' शुरू किया है।

विपणन एवं शुल्क आय उत्पाद

विपणन स्कंध

बैंकिंग की मूलभूत गतिविधियों में विस्तार के दबाव को देखते हुए, शुल्क आधारित आय को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है जो बैंक की आय को बढ़ाने की दृष्टि से मददगार है। शुल्क आधारित आय को बढ़ाने में ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय में विपणन प्रयासों को गति देने के लिए एक अलग स्कंध बनाया है।

कारोबार विकास की गति को बढ़ाने के लिए, अप्रैल 2014 में बैंक की विपणन व्यवस्था पुनर्गठित की गई जिसमें, 125 विपणन अधिकारी शामिल हैं, जो देशभर में फैले हुए हैं। मार्केटिंग टीम के कौशल विकास और उत्पाद ज्ञान को बढ़ाने के लिए बैंक ने सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल में 3 दिवसीय मार्केटिंग सभा का आयोजन किया। बैंक के उच्च प्रबंधक वर्ग ने

h) **SyndDelight:** Bank has launched a hassle free loan product to existing Housing Loan customers who have demonstrated satisfactory repayment record of 3 years or more to meet any genuine personal credit needs of them.

Convenience Banking Products & Services

a) **SyndPrivilege Tab Banking:** To provide the customers the comfort of opening account at their doorstep in the office or at home, Bank has launched a sophisticated new product "SyndPrivilege Tab Banking". The minimum monthly balance to be maintained under this product is ₹10,000/- The main features of this product are free personalized cheque book, Free SyndicateBank VISA Personalised Gold Debit Card, Add-on Debit card to joint account holder, SMS, Internet, Mobile and Missed Call Banking Services, Synd Global Credit Card without admission fee, No processing and documentation charges on housing and vehicle loans. This product also provides temporary overdraft facility up to ₹25,000/- for 15 days.

b) **Synd e-Passbook:** To facilitate the customers to manage their account through mobile phone, Bank has introduced an interactive mobile application "Synd e-Passbook" designed to provide banking enquiry services available for Android, iPhone, Windows and Black Berry. Under the facility, customers can get e-Passbook on their mobile, view their account details, search their transaction history, SMS/e-mail/ WhatsApp-their account details and they can add their personalized remarks to the transactions without any hassle.

c) **Synd Lounges:** Bank has started "Synd Lounges" at Bangalore, Mumbai, Pune, Delhi to providing 24X7 banking services like cash dispenser and cash acceptance, cheque acceptance, pass book printing, internet banking etc. under one roof.

MARKETING & FEE INCOME PRODUCTS

Marketing Vertical

With the compression of spreads from the core activities of banking, the necessity is felt in augmenting fee based income which acts as cushions for Bank's income. In order to have a focused approach to augment fee based income, Bank has created a separate vertical at Corporate Office to accelerate marketing efforts to augment fee based income.

Banks Marketing Setup, consisting of team of 125 Marketing Officers spread across the country, was revamped in April 2014 with clear thrust on the business development. Bank conducted three days Marketing Conclave at Syndicate Institute of Bank Management, Manipal for product knowledge & skill enhancement of the Marketing Team. The team was addressed by the Top Management of the

टीम को संबोधित करते हुए मार्केटिंग एवं ब्रांड विकास के महत्व पर प्रकाश डाला।

जानकारी आधारित बिक्री के लिए, बैंक के सभी कर्मचारी सदस्यों को उत्पाद बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी दी गई जिसमें बैंक के सभी उत्पादों और पारा बैंकिंग उत्पादों की जानकारी दी गई है।

नकद प्रबंधन सेवाएँ

प्राप्तियों एवं भुगतान खातों के सफल प्रबंधन के लिए बैंक ने कॉरपोरेट जगत, प्राईवेट एवं विदेशी बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त उत्पादों की पेशकश की है।

बैंक ने पूरे देश में अपनी सभी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को सीएमएस सेवा की सुविधा दी है। वसूली के अंतर्गत सीएमएस, नकद वसूली सुविधा प्रदान करना है। अधिदेशी स्वत: नामे सुविधा और केंद्रीकृत चेक डेबिट की सुविधा दी जा रही है। भुगतान के अंतर्गत लाभांश वारंट का भुगतान/ब्याज अधिपत्र/मांग ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था तथा सुदूर मांग ड्राफ्ट मुद्रण की सुविधा दी जा रही है।

अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (आस्बा)

बैंक ने सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेटबैंक (एससीएसबी) के रूप में सेबी में अपना नाम दर्ज कराया है ताकि वह अपने ग्राहकों को अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (आस्बा) प्रदान कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के पास कोर बैंकिंग समाधान के साथ-साथ समन्वित आस्बा सुविधा भी है। आस्बा प्रक्रिया, बही निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किए जानेवाले सभी पब्लिक इश्यू और राईट इश्यू के संबंध में उपलब्ध है। साथ ही, उस प्रथा के संबंध में भी उपलब्ध होगी, जहाँ रकम का भुगतान करने के लिए चैक का इस्तेमाल किया जाता है।

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

भारत सरकार ने वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उसके लिए बैंक ने प्वॉइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) के रूप में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास अपना नाम पंजीकृत कराया है। बैंक ने 2052 से भी अधिक शाखाओं को नई पेंशन प्रणाली के तहत प्वॉइंट ऑफ प्रेजेन्स-सर्विस प्रोवाइडर (पीओपी-पीएसपी) के रूप में विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के पास पंजीकृत कराया है। बैंक को पीएफआरडीए) द्वारा एनपीएस-लाईट स्कीम के लिए एग्रिगेटर के रूप में नामित किया गया है।

एनपीएस-लाइट (स्वावलंबन योजना)

विशेषतः असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए एनपीएस के अंतर्गत, स्वावलंबन योजना चलाई गई है । भारत सरकार, ₹1000/- से 12000/- प्रतिवर्ष की बचत करनेवाले प्रत्येक उपभोक्ता के एनपीएस-लाइट खाते में वर्ष 2011-12 से ₹1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का सहयोग प्रदान करेगी, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 तक जारी रहेगा ।

निक्षेपागार सहभागी सेवाएं

बैंक, सीडीएसएल का निक्षेपागार सहभागी है । इस सुविधा से ग्राहक अपनी पूँजी बाजार प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकते हैं । 'सिंड-ई -ट्रेड'

Bank highlighting the significance of marketing and brand development.

For knowledge based selling, soft copy of the Product Booklet covering the basic information on all the Banks products and Para Banking Products was shared with all the Staff members of the Bank.

Cash Management Services

The Bank offers a state-of-the-art technology driven products to corporates, private and foreign banks for efficient management of account receivables and payments.

The Bank offers CMS services to its clients through all Branches across the country. Under Collections CMS provides the facility of Cash Collection, Auto Debit Mandates facility and Centralised Cheque Debit facilities are being offered. Payment of Dividend Warrants / Interest Warrants/DD Drawing arrangement and Remote DD Printing facilities are being offered under Payments.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)

Bank is registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) to its customers. Bank has integrated ASBA facility with its Core Banking Solution during the year. ASBA process is available in all public issues made through the book building route and rights issues and will co-exist with the practices, wherein cheque is used as a mode of making payment.

New Pension System (NPS)

The Bank is registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (PoP) for offering various services under the New Pension System – a scheme introduced by the Government of India for providing old age income security. The Bank has already registered over 2052 branches with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (PoP-SP). The Bank has also been appointed as Aggregator by PFRDA for NPS-Lite scheme.

NPS-Lite (Swavalamban Yojana)

The Swavalamban Yojana Scheme under the NPS has been made available specifically for the citizens in the un-organized sector. The Government of India will contribute ₹1000 (Rupees One thousand only) per year from 2011-12 and valid till financial year 2016-17 to the NPS Lite account of each such subscriber who saves between ₹1,000/- and ₹12,000/- per annum.

Depository Participant Services

The Bank is a Depository Participant of CDSL. This facility enables customers to keep their Capital Market Securities

ब्रांड नेम के अंतर्गत, बैंक ने 24 अक्तूबर 2011 को थ्री-इन-वन खाता सह ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा की शुरुआत की थी। इस सुविधा के अंतर्गत कासा खाता, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता आते हैं, जिससे हमारे ग्राहक स्टेट-थ्रू प्रक्रिया के माध्यम से कासा खाते में स्थित निधियों और डीपी खाते में स्थित बेकागजीकृत प्रतिभूतियों का उपयोग करते हुए शेयरों का ऑन-लाइन ट्रेड कर सकते हैं ।

बैंकाश्युरेन्स

1. जीवन बीमा

- जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार किया है । बैंक के पास जीवन बीमा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 145 विशेषज्ञ अधिकारियों की एक टीम है ।
- जीवन बीमा कारोबार के द्वारा बैंक ने, वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹486.77 लाख कमीशन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹615.71 लाख का कमीशन अर्जित किया। भारतीय जीवन बीमा निगम बैंकाश्युरेंस भागीदारों में पॉलिसियों की संख्या एवं गैर-एकल प्रीमियम, दोनों की दृष्टि से सिंडिकेटबैंक को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
- बैंक, समूह पॉलिसी के अंतर्गत आवास ऋण तथा शिक्षा ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं, बचत बैंक खाताधारकों और वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बचत बैंक खाताधारकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

2. सामान्य बीमा

- बैंक, युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी (यूआईआईसीओ) से कॉरपोरेट ऐजेंट के रूप में गठजोड़ करके साधारण बीमा उत्पादों का संवितरण कर रहा है, जिसमें अपने खाताधारकों को स्पर्धात्मक प्रीमियम पर सिंड आरोग्य पॉलिसी (पूरे पारिवारिक लाभ के साथ ग्रुप मेडिक्लेम-व-व्यक्तिगत दुर्घटना रक्षा) भी शामिल है ।
- साधारण बीमा कारोबार से बैंक ने, पिछले वर्ष के दौरान ₹568.17 लाख के कमीशन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹672.81 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

कार्ड कारोबार

क्रेडिट कार्ड उत्पाद:

बैंक ने 20.10.2003 से वीसा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड एवं क्लासिक कार्डों का कारोबार शुरू किया है, जिनका प्रयोग ए.टी.एम., प्वांइट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स (पीओएस) तथा इंटरनेट के लिए किया जा सकता है । 31.03.2015 तक बैंक ने कुल 81731 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं ।

डेबिट कार्ड उत्पाद:

1. डेबिट कार्ड:

बैंक ने दिनांक 29.03.2003 को वीसा के सहयोग से और दिनांक 22.06.2011 को मास्टर कार्ड (मेस्ट्रो) के सहयोग से ग्लोबल डेबिट कार्ड

in electronic form. The 3-in-1 account cum on-line trading facility under the brand name "Synd-e-Trade" was launched by the Bank on October 24, 2011. The facility comprises of the CASA account, Demat account and Trading account for enabling our customers to trade in shares online, using the funds in the CASA account and dematerialized securities in the DP account through the Straight Through Process.

BANCASSURANCE

1. Life Insurance:

- Bank has a Corporate Agency tie-up with Life Insurance Corporation of India for distribution of Life Insurance Products. Bank has a team of 145 Specified Persons for soliciting life insurance business.
- Bank earned commission of ₹615.71 lakh during FY 2014-15 against a commission of ₹486.77 lakh in FY 2013-14 from life insurance business. SyndicateBank ranked as number 3 among LIC of India Bancassurance partners in both number of policies & non single premium.
- Bank also offers Life Insurance cover under group policy to Housing Loan borrowers, Educational Loan borrowers, Saving account holders and Savings account holders under Financial Inclusion.

2. General Insurance:

- Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for distribution of General Insurance products, including SyndArogya (a Group Mediclaim -Cum -Personal Accident Policy with family floater advantage) at competitive premium for its Account Holders.
- During the FY 2014-15, Bank has earned a commission of ₹672.81 lakh, compared to commission of ₹568.17 lakh during the previous year, from general insurance business.

CARD BUSINESS

Credit Card Product:

Bank, in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point-of Sale Terminals (POS) and Internet, w.e.f 20.10.2003. Bank has issued 81731 credit cards till 31.03.2015.

Debit Card Product:

1. Debit Cards:

The Bank launched Global Debit Cards in association with VISA on 29.03.2003 and in association with Master Card (Maestro Brand) on 22.06.2011. The Bank has been issuing

जारी करना शुरू किया है । दिनांक 20.10.2012 से बैंक उच्चतर लेन-देन सीमा के साथ वीसा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड जारी कर रहा है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने, एन.पी.सी.आई. के सहयोग से विभिन्न नए डेबिट कार्ड जारी किए हैं ।

रुपे डेबिट कार्ड
रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड
रुपे भामाशाह डेबिट कार्ड
रुपे जूनियर डेबिट कार्ड

बैंक ने 31.03.2015 तक 13918019 डेबिट कार्ड जारी किए हैं जिनमें से वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय अभियान ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना'' के अंतर्गत 33.56 लाख पीएमजेडीवाई रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

2. सिंडिकेटबैंक रुपे किसान कार्ड

दिनांक 20.10.2012 से बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर रहा है। बैंक ने 31.03.2015 तक 173351 एसकेसीसी कार्ड जारी किए हैं । (इसके बाद से ऐसे कार्ड को जारी करना बंद कर दिया गया है।)

प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) अधिग्रहण

बैंक ने दिनांक 02.10.2009 को मर्चेंट एक्वारिंग बिजनेस का शुभारंभ किया है। इसके सभी प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) टर्मिनल वीसा/ मास्टर कार्ड/ रुपे के विनिर्दिष्ट मानकों का पालन करते हैं और वे बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले सभी प्रकार के कार्डों के संबंध में ईएमवी और पिन आधारित लेन-देनों को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं । दिनांक 31.03.2015 तक, बैंक ने कुल 2025 प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) टर्मिनल स्थापित किए हैं जिनमें से 554 टर्मिनल की स्थापना इसी वर्ष की गई है ।

अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम

बैंक ने निम्न कॉरपोरेट के साथ संयुक्त उद्यम एवं अनुकूल गठजोड़ किए हैं -

ए) **एलआईसी के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** बैंक ने 30 दिसंबर 2014 को एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लि. के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें सिंड सुरक्षा योजना के अंतर्गत बैंक के बचत बैंक खाताधारकों और उन ग्राहकों को जिन्होंने बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के तहत (लघु बीमा) खाते खोले हैं; उन दोनों को वर्ष 2015 के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेन्स मास्टर पॉलिसी के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान किया है।

बी) **टाटा एआईए जीवन बीमा कंपनी लि.एवं एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** बैंक के आवास ऋण उधारकर्ताओं एवं शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के लिए सामूहिक रूप से जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध कराने के लिए, बैंक ने 30 मार्च 2015 को टाटा एआईए जीवन बीमा कंपनी लि. एवं एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

सी) **यूआईसीसी के साथ कॉरपोरेट ऐजेंसी गठजोड़:** बैंक ने, सिंडिकेटबैंक खाताधारकों को स्पर्धात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध एक

VISA International Gold Debit Cards with higher transaction limits w.e.f 20.10.2012.

During the year the Bank has launched the following new variants of Debit Cards in association with NPCI.

RuPay Debit Cards
RuPay PMJDY Debit Cards
RuPay Bhamashah Debit Cards
RuPay Junior Debit Cards

The Bank has issued 13918019 debit Cards till 31.03.2015, out of which, over 33.56 lakhs PMJDY RuPay cards were issued under "Pradhan Mantri Jandhan Yogna", a national mission for financial inclusion.

2. SyndicateBank RuPay Kisan Card:

Bank has been issuing RuPay Kisan Cards in association with National Payment Corporation of India (NPCI) w.e.f. 20.10.2012. The Bank issued 173351 SKCC Cards till 31.03.2015. (The issuance of this variant has since been discontinued).

Point of Sale (POS) Acquiring:

Bank ventured into the Merchant Acquiring business on 02.10.2009. All its POS terminals do comply with VISA/ MasterCard/RuPay specified standards and are fully compliant to handle EMV and PIN based transactions for all types of Cards issued by Banks. As on 31.03.2015, Bank had installed 2025 POS Terminals, out of which 554 terminals were installed during the year.

STRATEGIC ALLIANCES & JOINT VENTURES

Bank has strategic alliances & joint ventures with the following corporates:

a) **MOU signed with LIC:** Bank had signed a Memorandum of Understanding (MOU) with SBI Life Insurance Company Ltd on December 30, 2014 for providing life insurance cover to the savings bank account holders of the Bank under Synd Suraksha and for providing life insurance cover to customers who have opened their accounts under financial inclusion plan of the Bank (Micro Insurance), both under Group Term Insurance Master Policy for the year 2015.

b) **MOU signed with TATA AIA Life Insurance Company Ltd & SBI Life Insurance Company Ltd:** Bank has also signed MOU with TATA AIA Life Insurance Company Ltd & SBI Life Insurance Company Ltd on 30th March 2015 for providing life insurance cover to the housing loan borrowers and educational loan borrowers of the Bank under group platform.

c) **Corporate Agency Tie-up with UIIC:** Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited for distribution of General Insurance

समूह मेडिक्लेम बीमा सह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी -सिंड आरोग्य के साथ सामान्य बीमा उत्पादों के संवितरण हेतु युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट ऐजेंसी गठजोड़ व्यवस्था की है।

डी) **म्युच्युअल फंड संवितरण उद्यम:** एक फांइनेशियल सुपर मार्केट के रूप में कार्य करते हुए, एक ही छत के नीचे कई वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराते हुए बैंक ने 9 अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों से म्युच्युअल फंड उत्पाद वितरित करने हेतु गठजोड़ किया है। 31.03.2015 की स्थिति में बैंक के पास एनआईएसएम (सीरीज -Vए) प्रमाणित 413 लोगों की टीम है और 241 ईयूआईएन युक्त स्टाफ हैं, जिन्हें बैंक ने बिक्री कार्य हेतु नामित कर रखा है ।

कारोबार संवर्धन अभियान

कारोबार संवर्धन, बैंक की अपनी आंतरिक नीति का प्रमुख भाग है। बैंक अपने विभिन्न उत्पादों और मौजूदा एवं नई विकसित सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है । इस कड़ी में बैंक ने वर्ष के दौरान अनेकों संवर्धन कार्यक्रम किए, उनमें से कुछ निम्न हैं :

ए) बैंक ने अपने कासा आधार में वृद्धि करने हेतु, विशेषतः बैंक की बचत बैंक जमाओं में नए खाते खोलकर, सरकारी निधियाँ लाकर, स्कूल व कॉलेजों के खाते खोलकर, सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों व नई पीढ़ी के युवाओं को लक्ष्य बनाकर दिनांक 21.07.2014 से 30.09.2014 तक ''कासा सुविधा अभियान'' चलाया है । बैंक ने इस अभियान के तहत ₹244.28 करोड़ की प्रारंभिक जमा के साथ 21.60 लाख खाते खोले हैं ।

बी) आवास ऋण और वाहन ऋण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने दिनांक 01.07.2014 से 30.09.2014 तक आवास एवं वाहन ऋणों के लिए प्रोत्साहन आधारित अभियान चलाया, जिससे बैंक के आवास और वाहन ऋणों में काफी वृद्धि हुई । फलस्वरूप, दीर्घावधि लाभ प्राप्त होंगे।

सी) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने प्रत्येक शाखा द्वारा प्रति सप्ताह ''वन नॉन-सिंगल प्रीमियम पॉलिसी'' के थीम को अपनाया और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, जीवन बीमा कारोबार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने हेतु ''सिंड लाइफ इंश्योरेंस चैलेंज'' अभियान चलाया जिससे न केवल शुल्क आधारित आय में वृद्धि होगी बल्कि, अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को विस्तृत बीमा का विकल्प प्राप्त होगा।

डी) कोर टर्म डिपाजिट की राशियों को जुटाने में ध्यान केंद्रित करने हेतु बैंक ने दिनांक 23.12.2014 से 31.12.2014 तक 500 दिनों की अवधि की नई सावधि जमा ***''सिंड वेलकम 2015''*** का शुभारंभ किया ।

वर्ष के दौरान समिति का दौरा

''उद्योग पर अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थाई समिति, राज्य सभा'' ने दिनांक 9 से 11 नवंबर 2014 तक बेंगलूरु का दौरा किया और बैंक तथा

products, including SyndArogya- a Group Mediclaim Insurance Cum Personal Accident policy-which is available at competitive premium for SyndicateBank Account Holders.

d) **Mutual Fund Distribution Venture:** Acting as a Financial Supermarket, offering various financial products under one umbrella, Bank has tied up with nine leading Asset Management Companies for distributing Mutual Fund products. As on 31.03.2015, the Bank had a team of 413 NISM (Series-V-A) Certified Persons and 241 EUIN compliant staff for facilitating informed selling.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Bank considers business promotion as an integral part of its policy and making continuous effort to popularize its various products and services-newly developed as well as existing ones. In this course bank has held numbers of promotion campaigns during the year. Some of them are enumerated below:

a) Bank launched "CASA Advantage Campaign" from 21.07.2014 to 30.09.2014 with an emphasis on building CASA deposits base, particularly Savings Bank deposits for the bank by canvassing more accounts, bringing government funds, accounts of schools & colleges, public & private organisation and targeting NextGen young customers. Bank has opened 21.60 lakh accounts under the campaign, with an initial balance of ₹244.28 crore.

b) In order to give a focused thrust to the Housing and Vehicle loan sector, Bank has launched an Incentive Based Campaign for Housing Loans and Vehicle loans from 01.07.2014 to 30.09.2014 which has brought sizeable growth in housing and vehicles loan portfolio of the Bank, yielding long term benefits.

c) During the Financial Year 2014-15, Bank has adopted the theme of "One Non-Single Premium Policy Per Week" by Each Branch & to achieve Numuro Uno Position in LIC Business in the FY 2014-15, "Synd Life Insurance Challenge" Campaign has been launched, not only to augment fee-based income but also to provide a Comprehensive Insurance option to the valued customers.

d) In order to have a more focused attention in canvassing Core Term Deposits, Bank has launched a special term deposit campaign "SYND WELCOME-2015" from 23.12.2014 to 31.12.2014, with the introduction of a new Term Deposit tenor for 500 days.

COMMITTEES VISITED DURING THE YEAR

"Parliamentary Standing Committee on Subordinate Legislation on Industry, Rajya Sabha" visited Bangalore on

अन्य संगठनों से चर्चा की । भाग लेनेवाले संस्थानों में से हमारा बैंक भी एक था । इसके साथ अन्य थे : विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एचएएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (ईसीआईएल) और पर्यावरण मंत्रालय, फोरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज, कर्नाटक सरकार ।

''वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति, लोकसभा'' ने 19 जनवरी 2015 को बेंगलूरु का दौरा किया और हमारे बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के प्रतिनिधियों से ''वित्तीय समावेशन योजना और उपलब्धियाँ'' तथा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में ''चुनौतियाँ एवं उनसे निपटने के कारगर उपाय'' पर अनौपचारिक चर्चा की ।

''सरकारी आश्वासनों पर संसदीय स्थाई समिति, राज्यसभा'' ने 20 फरवरी 2015 को पोर्टब्लेयर का दौरा किया और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन से (हमारा बैंक भी शामिल) और बीमा कंपनियों तथा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से राज्यसभा में दिए गए आश्वासनों के बारे में, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन वृद्धि, पीएसबी का पुनर्गठन, दोपहिया वाहनों के लिए नई बीमा पॉलिसी और आईआरडीए द्वारा बीमा उत्पादों को क्लियर करने के विषय पर चर्चा की ।

अनुपालन विभाग

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति इस बात को स्पष्ट रूप से मानती है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य भी अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। मुख्य अनुपालन अधिकारी (उप महा प्रबंधक श्रेणी के) द्वारा संचालित अनुपालन विभाग, बैंक में अनुपालन कार्य का पर्यवेक्षण करता है और अनुपालन जोखिम के प्रबंधन में उच्च प्रबंधन को मदद करता है।

उच्च अनुपालन मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की निरंतरता की दृष्टि से अनुपालन से संबंधित कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि उसमें और सुधार लाया जा सके। प्रति वर्ष अनुपालन नीति की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त अनुभवों तथा उसकी उपयोगिता के पहलू को ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन भी किए जाते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को प्रकट करना है, वे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने, 19 अपिलीय प्राधिकारियों, 66 जनसूचना अधिकारियों, 67 वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों एवं एक ट्रान्सपैरेंसी अधिकारी आरटीआई मामलों को सही ढंग से संचालन के लिए नामोदिष्ट किया है।

संसदीय समिति के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है जो आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की

9th to 11th November 2014 for discussion with Banks and other Organisations. Our Bank was one of the participating organization alongwith Vijaya Bank, Corporation Bank, State Bank of Mysore, HAL, Electronic Corporation of India Ltd.(ECIL) and Ministry of Environment, Forest & Climate change, Govt. of Karnataka.

"Parliamentary Standing Committee on Finance, Lok Sabha" visited Bengaluru on 19th January 2015 for informal discussion with the representatives of our Bank and Corporation Bank on "Financial Inclusion-Scheme and Achievements' and Banking Sector in India- Challenges and the Way Forward'.

"Parliamentary Standing Committee on Government Assurances, Rajya Sabha" visited Port Blair on Feb 20, 2015 to have discussion with the managements of some Public Sector Banks (including our Bank) and Insurance Companies alongwith representatives of ministry in connection with fulfillment of the assurances given in the Rajya Sabha regarding demand for pay hike in public sector banks, recapitalization of PSBs, New insurance policy for two wheelers and clearing of insurance products by IRDA.

COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance Policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The Compliance Department headed by a Chief Compliance Officer (in the rank of Deputy General Manager) oversees the compliance functions in the Bank and assists the top management in managing the Compliance Risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, compliance function is reviewed regularly for making improvements. The compliance policy is reviewed every year and amendments, if necessary are carried out based on the experience gained and utility aspect.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authorities for the Bank under the Act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act. During the year, the Bank has designated 19 Appellate Authorities, 66 PIOs, 67 Alternate PIOs and one Transparency Officer for smooth functioning of RTI matters.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a Monitoring Committee at Apex level

निगरानी करती है। वर्ष के दौरान समिति ने बैंक में आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैंक ने आरटीआई मामले संभालने वाले अपीलीय प्राधिकारियों जनसूचना अधिकारियों/वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को सहायता प्रधान करने केलिए हमारे बैंक के इंट्रानेट पर आरटीआई पोर्टल प्रारंभ किया है। बैंक ने दिनांक 03.03.2015 को श्री शरत सबरवाल, सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली का विडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से एक वक्तव्य का आयोजन किया जिसमें हमारे बैंक के आरटीआई मामलों को संभालने वाले सभी अपीलीय प्राधिकारियों जनसूचना अधिकारियों/ वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 2689 आरटीआई आवेदनों तथा 368 प्रथम अपीलों को प्राप्त किया है। बैंक ने प्राप्त सभी आवेदनों तथा अपीलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया है।

वर्ष के दौरान बैंक को द्वितीय अपील पर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग से 68 आदेश प्राप्त हुए जिनमें से 40 आदेश बैंक के पक्ष में रहे और माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निदेशित 28 आदेशों का बैंक द्वारा विधिवत पालन किया गया। अधिनियम के प्रारंभ से केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा बैंक के जनसूचना अधिकारियों पर किसी प्रकार का दंड प्रभारित नहीं किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्रधान कार्यालय, मणिपाल, कर्नाटक, में बैंक का निरीक्षण/लेखा परीक्षण विभाग कार्यरत है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पालन की जाँच करता है। भा.रि.बैंक, भारत सरकार से आंतरिक नियंत्रण पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक-बोर्ड एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा होंगी।

बैंक की अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार बैंक के कारोबार को बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण की प्रक्रियाओं, नीति एवं आंतरिक नियंत्रक प्रणाली के अनुपालन की जाँच करते हुए शाखाओं तथा कार्यालयों की विभिन्न प्रकार की लेखा-परीक्षणों को अंजाम देने के लिए आठ प्रादेशिक निरीक्षणालय, निरीक्षण विभाग को मदद करते हैं।

बासेल समिति (1988) की सिफारिश पर बैंक ने 2007 से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को अपनाया है। सभी शाखाओं के जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के साथ उच्च जोखिम क्षेत्र, जैसे : विशिष्ट शाखाएँ, कोष, पूंजी बाजार सेवाएँ तथा अत्यधिक कारोबारवाली शाखाएँ आदि। हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है, जिसने संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं में सॉफ्टवेयर आधारित आरबीआईए क्रियान्वित किया है। संगामी लेखापरीक्षा के तहत 01.07.2014 से बैंक ने शाखाओं में सॉफ्टवेयर आधारित संगामी लेखापरीक्षा क्रियान्वित किया है।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा

to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the Committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI Act in the Bank.

The Bank has started RTI portal on our Bank Intranet for assisting our Appellate Authorities, PIOs/ APIOs and Nodal Officers handling RTI matters. The Bank has organized the personal address by Sri Sharat Sabharwal, Information Commissioner, Central Information Commission, New Delhi through video conferencing on 03-03-2015 which was attended by all the Appellate Authorities, PIOs/APIOs and Nodal Officers handling the RTI matter through out the Bank.

During the year, the Bank has received 2689 RTI applications and 368 1st Appeals. The Banks has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time.

During the year, the Bank has received 68 orders of Hon'ble Central Information Commissioner on 2nd appeals in which 40 orders were in favour of the Bank and the 28 orders are duly complied as directed by the Hon'ble Central Information Commission. Since the inception of the Act, CIC has not imposed any penalty so far on PIOs of the Bank.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has an Inspection/ Audit Department at Head Office, Manipal, Karnataka that examines the adherence to Systems, Policies and Procedures of the Bank. The guidelines received on Internal Control from the RBI, Government of India, Bank's Board, Audit Committee of the Board and the Audit Committee of Executives constitute part of the Internal Control System for better Risk Management.

Eight Regional Inspectorates operate as extended arms of the Inspection Department (ID) to carry out various types of Audits of Branches & Offices to examine adherence to Systems of Internal Control, Policy and Procedures for effective banking supervision to conduct the Business of the Bank in a prudent manner in accordance with the approved Internal Audit Policy of the Bank.

As recommended by Basel Committee (1988), the Bank has adopted Risk Based Internal Audit since 2007. The Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the branches is supplemented with Concurrent Audit of High Risk areas like Specialized Branches, Treasury, Capital Market Services and High volume Branches etc. Our Bank is the first Bank to implement software based RBIA among all Public Sector Banks. Bank has implemented the Software based Concurrent Audit w.e.f 01.07.2014 at the Branches covered under Concurrent Audit.

The Audit Committee of the Board (ACB) oversees the Internal Audit function of the Bank and guides the Bank

कार्यकलापों पर नज़र रखती है और बैंक में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु मार्गदर्शन देती है। यह कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बैंक के निरीक्षण विभाग के कार्यों की भी निगरानी करती है।

एसीई; कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित है और प्रधान कार्यालय व कॉर्पोरेट कार्यालय के पाँच महा प्रबंधक इसके सदस्य हैं तथा यह निरीक्षण विभाग के स्तर से ऊपर की समिति है। समिति, महत्वपूर्ण लेखा टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी करती है तथा कमीयों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश देती है।

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित पूर्ण परिभाषित आंतरिक लेखा परीक्षण नीति उपलब्ध है जिसके तहत जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण, संगामी लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण, ए.एम.एल./के.वाई.सी. अनुपालन आदि आते हैं। वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा/अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (एएपी) को आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुरूप बनाया गया है जिसमें वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना की अनुसूची और सिद्धांत शामिल हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान निरीक्षण विभाग ने 4437 निरीक्षण पूर्ण कर लिया है, जिनमें शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों का आरबीआईए, ऋण लेखापरीक्षा, संगामी लेखा परीक्षण, करेंसी चेस्ट लेखापरीक्षा, सेवा शाखा लेखापरीक्षा, शाखाओं/कार्यालयों का अनुपालन लेखापरीक्षा और कार्यकारी विभागों का प्रबंधन लेखापरीक्षा करके 2014-15 की एएपी हेतु निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है। 31.03.2015 की स्थिति में 3551 घरेलू शाखाओं में से 2196 लघु जोखिमवाले, 1116 मध्यम जोखिमवाले और 2 उच्च जोखिम वाले पाए गए।

बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार कुल कारोबार के न्यूनतम 70% संगामी लेखापरीक्षा कवर करते हुए कारोबार लक्ष्य को पार कर लिया है। 31.03.2015 की स्थिति में बैंक ने 638 शाखाओं के 75.86% व्यापार जिसमें अग्रिम 78.01% और जमा 74.05% का संगामी लेखापरीक्षा किया। वर्तमान वर्ष बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के कर्मचारियों के लिए अभिमुखता तथा पुन: अभिमुखता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

ऑफ साइट मॉनीटरिंग सिस्टम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। इसकी एक यूनिट प्रधान कार्यालय में, 46 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 8 प्रादेशिक निरीक्षणालयों में एक-एक यूनिट स्थित हैं। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने नवंबर 2014 के दौरान, बेहतर तथा केंद्रित निगरानी के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों के परोक्ष निगरानी कक्षों को प्रधान कार्यालय स्तर पर केंद्रीकृत करने की मंजूरी दे दी है।

संक्षेप में, बोर्ड, नियामक और भारत सरकार द्वारा बनाई गई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावी निगरानी बैंक की निरीक्षण प्रणाली कर रही है।

in developing effective Internal Control Systems. It also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE) and the Inspection Department of the Bank.

The ACE, comprising of the Executive Director as Chairman and 5 General Managers of Head office & Corporate Office as members is a layer above the Inspection Department. The Committee monitors the compliances to the major Audit Observations and gives directions for rectification of deficiencies.

The Bank is having a well defined, Board approved Internal Audit Policy covering Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, AML/ KYC Compliance etc. The Policy is being reviewed / updated on an annual basis.

The Annual Audit Plan (AAP), drawn in accordance with the Internal Audit Policy, involves the Schedule & Rationale of the Audits planned for the year. For 2014-15, Inspection Department has completed 4437 Audits which includes RBIA of Branches and Controlling Offices, Credit Audits, Currency Chest Audits, Service Branch Audits, Compliance Audits of Branches/Offices and Management Audits of Functional Departments. Out of the 3551domestic Branches as on 31.03.2015, 2196 Branches are in Low Risk, 1116 Branches are in Medium Risk and 2 Branches are in High Risk category.

The Bank has surpassed the Ministry of Finance Govt of India stipulation of minimum Concurrent Audit coverage of 70% of total Business. The coverage under Concurrent Audit at 638 branches stood at 75.86% of Business, 78.01% of Advances and 74.05% of Deposits of the Bank as at 31.03.2015. Orientation and reorientation training programmes were conducted for the officials from Inspection system and from RRBs sponsored by the Bank during the year.

The Offsite Monitoring System is an effective Management tool to strengthen the Internal Control Mechanism. It comprises of one OMC unit at Head Office, 46 Regional Offices and 8 Regional Inspectorates. The Audit Committee of the Board during November 2014 has accorded clearance for centralization of OMC functions at Head Office by shifting OMC Units at ROs in phases, for better and focused monitoring at Head Office level.

To summarise, the Bank's Inspection System has been effectively monitoring the compliance of Systems & Procedures laid down by the Board, the Regulator and the Government of India.

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है।

प्रणालियों तथा कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता अध्ययन आवोजित करते हुए एसआईबीएम तथा बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों को गठित करते हुए निवारक सतर्कता पर बल दिया गया है।

समीक्षा वर्ष के दौरान 125 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास आयोजित किए गए और कुल 193 खातों के मामलों में, जिनमें बैंक की 97 शाखाएँ शामिल हैं, बैंक को दृष्टिबंधकित मामलों का आकस्मिक सत्यापन किया गया।

सहभागिता सतर्कता के रूप में बैंकों में दिनांक 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन उचित तरीके से किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम भ्रष्टाचार के मुकाबला – संबल के रूप में तकनीक था। तदनुसार हजारे विभाग ने धोखाधडी/भ्रष्टाचार की रोकने हेतु उपलब्ध तकनीकी के क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी विभागों के विचार विमर्श किया।

अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारक

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड और धनशोधन निवारक (एएमएल) उपायों पर बैंक की नीति की समीक्षा/संशोधन किया गया है। केवाईसी नीति का मुख्य उद्देश्य अपराधियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में धनशोधन करने या अपराधिक तत्वों को वित्तीयन की गतिविधियों में बैंकिंग प्रणाली के इस्तेमाल को रोकना है।

शाखाओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अज्ञात या फर्जी/बेनामी खाता और उन व्यक्तियों के नाम से खाता नहीं खोले गए हों, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते हैं।

बुनियादी संरचना–सहयोग

बैंक के आस्ति मूल्य में वृद्धि करना :

वर्ष के दौरान बैंक ने कासरकोड, केरल में अपनी जमीन पर करेंसी चेस्ट और शाखा हेतु भवन का निर्माण किया है। वसुंधरा–गाजियाबाद में 100 रिहाइशी फ्लैटों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। बैंक ने चेन्नई में टीएनएचबी से 19 फ्लैट और तिरुवनंतपुरम, केरल, में केएचबी से 2 फ्लैट खरीदा है।

बैंक ने एससीओ 904, पॉकेट नं.6, मनीमाजरा, चंडीगढ़ में एक व्यावसायिक संपत्ति अधिगृहीत की है। इसमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानांतरित करने और करेंसी चेस्ट तथा शाखा खोलने का प्रस्ताव है। बैंक ने वित्तीय शहर कोलकाता, पश्चिम बंगाल, में एक एकड़ का एक प्लॉट खरीदा है जिसमें करेंसी चेस्ट, एफजीएमओ और कुछ रिहाइशी क्वार्टर बनाने की योजना है।

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is a crucial part of the Management function, aimed at improving the efficiency and ethical health of the organization.

Stress is laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting Preventive Vigilance Training Programmes at SIBM & other Training Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensure strict adherence to systems and procedures.

During the year under review, Preventive Vigilance Exercises were conducted in 125 Branches and Surprise Verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 193 Accounts covering 97 branches.

Vigilance Awareness Week was observed throughout the Bank from 27.10.2014 to 01.11.2014 in a befitting manner as part of Participative Vigilance measures.

The theme for the Vigilance Awareness Week was "Combating Corruption-Technology as an enabler". Accordingly our department took up with various functional departments for implementation of available Technology to prevent frauds/corruption.

KNOW YOUR CUSTOMER / ANTI MONEY LAUNDERING

Bank's policy on Know Your Customer (KYC) norms and Anti Money Laundering (AML) measures have been reviewed/ modified in the light of RBI/Govt., of India guidelines. The main objective of KYC policy is to prevent Bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities.

Branches have been instructed to ensure that no account is opened in anonymous or fictitious/benami name and in the name of persons with a criminal background and/ or having connections with terrorist Organisations. All KYC guidelines are scrupulously followed and implemented.

INFRASTRUCTURE SUPPORT

Enhancement in Asset Value of the Bank

During the year Bank has completed the construction of premises for Currency Chest and a Branch in Bank owned Property at Kasargod, Kerala. The Construction of 100 residential flats at Vasundhara Ghaziabad is completed. The Bank has purchased 19 flats in Chennai from TNHB and 2 flats in Thiruvananthapuram, Kerala from KHB.

Bank has acquired a commercial property at SCO 904, Pocket No.6, Manimajra, Chandigarh. It is proposed to shift our Regional Office Chandigarh to this property and also open a Currency Chest and a specialized Branch. Bank also purchased a plot of 1 acre land at Financial City, Kolkata, West Bengal to house Currency Chest, FGMO and few residential quarters.

छवि निर्माण

बैंक ने एक बेहतर दृष्यता प्रदान करने के लिए बैंक की उन शाखाओं को, जो ऊपरी तलों पर हैं, लीज़ के नवीकरण के समय भूतल पर लाने का निर्णय लिया है। नई शाखाओं के मामले में निम्नलिखित एकरूप संरचना तैयार किया है। एक नई छवि प्रदान करने हेतु बैंक के ''कॉरपोरेट आइडैंटिटी'' मैनुअल में दर्शाए गए कलर पैटर्न को अपनाया है। नए ग्लो साइन बोर्ड फ्लैक्स पर छपाई करने के स्थान पर फ्लैक्स पर प्लास्टिक कलर और स्टिकर लगाकर बनाए जा रहे हैं ताकि साइन बोर्ड लंबी अवधि तक चले और उनके रंग धुंधले न पड़ें।

बैंक ने मैट्रो/अर्बन केंद्र की शाखाओं में ए.सी. सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं। आलोच्य अवधि के दौरान प्रथम चरण में परिवर्तन हेतु 100 शाखाओं का चयन किया गया है।

तकनीकी सहयोग

बैंक ने मुंबई में अत्याधुनिक डेटा सेंटर को क्रियान्वित करते हुए बेहतर तकनीकी संसाधन का निर्माण किया है तथा बेंगलूरु में विभिन्न भूकंपी क्षेत्रों में और मुंबई के पास एक स्थान पर आपदा रिकवरी साइट का निर्माण किया है। तकनीकी संसाधनों का नए हार्डवेयर, अतिरिक्त भंडारण तथा ओरेकल सॉफ्टवेयर के नए उच्च वर्ज़न का प्रयोग करके उन्नयन किया गया है।

अन्य

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को प्रयोग में लाने हेतु, बैंक ने शाखाओं के यूपीएस के सहायक के रूप में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रायोगिक तौर पर, क्षे.का.: नेल्लूर की चुनिंदा 15 शाखाओं में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अंतर्गत, बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं एवं मुद्रा तिजोरियों को नोट सॉर्टिंग मशीन उपलब्ध कराया जाना है। शाखाओं में प्रयोग के लिए बैंक ने 900 नोट सॉर्टिंग मशीन खरीदा है।

कॉरपोरेट कार्यनीति

दौड़ में अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने के लिए बैंक, बदलते बाजार स्वरूप पर लगातार नजर रखता है और तदनुसार, अपनी नीतियों एवं कार्यनीतियों को उन घटकों को ध्यान में रखते हुए एक दिशा देता है, जो कारोबारी लक्ष्य को हासिल करने में हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।

बैंक ने 13 एवं 14 जून, 2014 को बेंगलूरु में कार्यनीति बैठक 2014-15 का आयोजन किया और कारोबार, कासा वृद्धि, वैकल्पिक डिलेवरी चैनलों, ग्राहक सेवा एवं अन्य आय में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रतिपादन किया।

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने कॉरपोरेट लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों का अनुकरण किया है:

ए) लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को शुरुआती तौर पर खुदरा ऋणों के लिए लागू किया गया है और बाद में इसे एम.एस.एम.ई., मिड कॉरपोरेट तथा बड़ी राशि के ऋण आवेदनों के लिए भी लागू किया जाएगा। प्रस्तावों को बारीकी से निरीक्षण करने और प्रक्रिया समय में शीघ्रता से त्वरित निपटान सुनिश्चित करने में उच्च प्रबंधन को इससे सहायता

Image Building

Wherever branches are functioning in upper floors Bank has taken steps to explore moving such branches to Ground Floor at the time of renewal of lease, to give a better visibility. In the case of new branches, Bank insists following uniform layout, colour pattern etc.as stipulated in Bank's "Corporate Identity" manual to have a good image. New Glow Sign Boards are being placed with vinyl and sticker on flex instead of printing on flex to increase the life of sign boards and to avoid colour fading.

Bank has initiated steps for providing AC facility for branches in Metro/Urban centres. A total of 100 branches are selected in 1st round conversion during the reporting period.

Technology support

Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre at Mumbai and a Disaster Recovery Site at Bangalore in different seismic zone and a Near site at Mumbai. The technology infrastructure is being upgraded with new hardware, additional Storage and New higher version of Oracle software.

Others

As a part of using renewable source of energy Bank has initiated process of installing Solar Panels for supporting UPS of Branch. On a pilot basis, installation of Solar Panels is being implemented in 15 selective branches under RO: Nellore.

Under RBI clean note policy, banks are required to provide Note Sorting machines to branches and Currency Chests. Banks has already procured 900 Note Sorting Machines for Branch use.

CORPORATE STRATEGIES

To be ahead in race of its rivals, Bank continues to visualize the changing market dimension and realign its policies and strategies accordingly, keeping in view the factors which may influence success in delivering the business goal.

Bank has conducted Strategy Meet 2014-15 on 13th and 14th June, 2014 at Bangalore and chalked out various strategies for improving business, CASA growth, alternate delivery channels, customer service and other income.

Bank has pursued the following strategies to meet its corporate objectives during the year:

a) Lending Automation Processing Systems have been introduced for retail loans initially and will be extended to MSME, Mid Corporate, Large Credit applications. This will enable Top Management to closely monitor

मिलेगी। आवेदक भी अपने आवेदनों की स्थिति को जान पाएंगे।

बी) 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के बीच अपने नए उत्पाद ''सिंड बालशक्ति'' को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से तथा कासा आधार को मजबूत बनाने हेतु, बैंक ने 14.11.2014 को बाल दिवस समारोह के अवसर पर 14.11.2014 से 21.11.2014 तक के लिए एक अभियान चलाया।

सी) एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु, बैंक ने बेंगलूरु में दि.23 दिसंबर 2014 को पीन्या औद्योगिक संघ की सहायता से ''एमएसएमई बैठक'' का आयोजन किया। बैठक में 300 से भी अधिक एमएसएमई हिताधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं को स्वीकृति पत्र जारी किया और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया। बैंक, देश भर में सभी प्रमुख केंद्रों पर ऐसे एमएसएमई बैठकों के आयोजन की योजना बना रहा है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे, ब्याज दरों में कटौती, प्रोसेसिंग प्रभारों में कटौती, चुनिंदा क्षेत्रों को लक्षित करके नए उत्पादों की शुरुआत, एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन, ऋण शिविरों का आयोजन, शाखा कर्मचारियों को सुग्राही बनाना आदि।

डी) बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए, बैंक ने 15 से 20 दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान ''सिंड महिलाशक्ति सप्ताह'' मनाया, जो महिला उद्यमियों को वित्तीय समावेशन से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी एक सप्ताह के दौरान, कुल ₹250.00 करोड़ राशि के लिए 17500 ऋण स्वीकृत किए गए, जो बैंक के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया।

ई) ऐसी शाखाएं, जो 3 वर्षों की अवधि में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी शाखा के रूप में उभरकर आए हैं और जिनमें घातांकी संवृद्धि की क्षमता अंतर्निहित हैं, उनके कारोबार स्तर और दक्षता में सुधार हेतु, बैंक ने एक नवोन्मेषी कार्यनीति को जोड़ा है जिसके तहत क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्र महा प्रबंधक के कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय में कार्यरत सहायक महा प्रबंधक एवं उससे ऊपर के कार्यपालकों द्वारा ऐसी 300 बड़ी/मध्यम शाखाओं को गोद लिया गया है। इन शाखाओं को गोद लेने का उद्देश्य है, शाखा के समग्र कारोबार विकास के लिए संबंधित शाखा प्रमुखों के साथ गहन तालमेल बिठाते हुए कारोबार कार्यनीतियों को सफल बनाना और आनेवाले 6 महीनों में कम से कम 150 करोड़ (जमा 50 करोड़ और अग्रिम 100 करोड़) के अतिरिक्त कारोबार स्तर को हासिल करना।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

संस्था के कारोबार और दक्षता में सुधार लाने, शाखाओं/कारोबार इकाइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच शाखाओं के भौगोलिक विस्तार को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लुधियाना, वाराणसी एवं विशाखापट्टणम में 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं।

proposals and ensure quick turnaround time. Applicants will also be enabled to track status of their applications.

b) With a view to popularize its newly launched product "SyndBalashakthi" among the children of 10 years and above age and to augment the CASA base , Bank has launched a campaign from 14.11.2014 to 21.11.2014 coinciding with Children's Day Celebrations on 14.11.2014.

c) To augment credit flow to MSME sector, Bank has organized "MSME Meet" in Bangalore in association with the Peenya Industries Association on 23rd Dec 2014. The Meet was attended by over 300 MSME beneficiaries. Bank issued sanction letters to MSME borrowers and felicitated successful entrepreneurs on this occasion. Bank is also planning to hold similar MSME Meets at all centers across the country. Bank has already taken various steps to boost the flow of credit towards this sector during the recent past which include reduction in rates of interest, reduction in processing charges, launching of new products to target identified sectors, organization of awareness camps to MSME borrowers, holding of credit camps, sensitization of branch staff etc.

d) In order to extend financial assistance to large number of women entrepreneurs, Bank observed "SyndMahilaShakthi Week" during the period from 15 to 20th December 2014, which is a step towards Financial Inclusion of Women Entrepreneurs. During the week, over 17500 loans amounting to ₹250 crore were sanctioned, which is a land mark in the history of the Bank.

e) To improve the efficiency and business level of branches having potential to grow exponentially and become Exceptionally Large Branch in a span of 3 years, Bank has articulated an innovative strategy of adoption of at least 300 such large/medium branches by the Executives of Asst. General Manager cadre and above functioning in Regional Offices/Field General Manager Offices/Corporate Office/Head Office. The purpose of adoption of these branches is to work out business strategies, in close liaison with respective Branch heads for overall business development of the branch and to achieve an additional business level of minimum 150 crore (Deposits 50 crore and Advances 100 crore) in the ensuing six months.

Re-organization of Regions

In order to improve the efficiency and business of the organization, institutionalise more effective span of control over the branches/business units, rationalizing geographical spread of branches across the regions, Bank has opened 3 new Regional Offices at Ludhiana, Varanasi and Visakhapatnam during the FY 2014-15.

बैंक ने दो नए क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने का भी प्रस्ताव रखा है, एक ''वडोदरा'' में, जिसे मौजूदा अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की शाखाओं का पुनर्गठन करके बनाया जाएगा तथा दूसरा ''देहरादून'' में, जिसे मौजूदा मेरठ एवं मुरादाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों की शाखाओं का पुनर्गठन करके बनाया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों के इस पुनर्गठन से नए कारोबार के विकास अधिक से अधिक कॉरपोरेट/सरकारी खातों को जुटाने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने तथा निपटान समय में कमी लाने की दिशा में और अधिक समय दे पाने में क्षेत्रीय प्रमुखों को सहायता मिलेगी।

औद्योगिक संबंद्धः

वर्तमान वर्ष में बैंक के औद्योगिक संबंद्ध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्द्रपूर्ण रहे जिससे बैंक के कारोबार के समग्र विकास में सहायता मिली है। बैंक के यूनियन/संघ भी कॉरपोरेट लक्ष्य के प्रति संवेदनशील तथा सक्रिय रहे हैं।

पुरस्कार

- दलाल स्ट्रीट के सहयोग से, 25 मई 2014 को संपन्न अपने 61वें वार्षिक वर्षगांठ पुरस्कार समारोह में बेंगलूरु मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हमारे बैंक को ''**बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर**'' का पुरस्कार प्रदान किया है।
- एनपीसीआई की सेवाओं को आधार बनाकर सबसे अधिक रुपे कार्ड जारी करनेवाला बैंक बनने के सम्मान एवं प्रोत्साहन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बैंक को ''**विशेष पुरस्कार**'' प्रदान किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब (केरल) ने हमारी काक्कनाड शाखा को ''**वर्ष 2013-14 के लिए केरल राज्य में तीसरा सर्वश्रेष्ठ निष्पादनकर्ता शाखा**'' का सम्मान प्रदान किया।
- फिनांशियल एक्सप्रेस इंडिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वे 2012-13 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत हमारे बैंक को ''**द्वितीय श्रेष्ठ बैंक**'' का सम्मान प्राप्त हुआ।

सुरक्षा

बैंक का सुरक्षा विभाग हमारी सभी शाखाओं, एटीएम और कार्यालयों को प्रभावी, कारगर तथा प्रगतिपरक बेहतर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विभाग ने मई 2007 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त किया है जिसे मई 2010 में आईएसओ 9001:2008 में अपग्रेड किया गया है और फिलहाल यह 14 सितंबर 2016 तक के लिए नवीकृत है। इस प्रकार विभाग ने सभी सरकारी बैंकों के बीच आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण प्राप्त करनेवाला प्रथम सुरक्षा विभाग के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त की है। फिलहाल यह प्रमाणीकरण 14 सितंबर 2016 तक के लिए वैध है, तब उसकी समीक्षा की जाएगी।

सुरक्षा मामलों के दिशानिर्देशों को वार्षिक सुरक्षा कार्ययोजना के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वयन किया गया है। शाखाओं, एटीएम, मुद्रा तिजोरियों और प्रशासनिक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त भारतीय

Bank has also proposed to open two new Regional Offices, one at "Vadodara" by carving out branches from existing Ahmedabad Region and another at "Dehradun" by carving out branches from existing Meerut and Moradabad Regions. This re-organization of Regions will help the Regional Heads to devote more time in developing new business, canvassing more Corporate / Government accounts, improving customer service and also to reduce turn around time.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year Industrial Relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the Business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the Corporate goals.

ACCOLADES/AWARDS

- Our Bank has been awarded as **"Best Bank of the year"** by Bangalore Management Association on its 61st anniversary award function on 25th May 2014, in collaboration with Dalal Street.
- Bank has been conferred **"Special awards"** by National Payments Corporation of India (NPCI) in appreciation & recognition for being one of the highest Rupay cards issuing Bank using NPCI services as platform.
- State Forum of Bankers Clubs (Kerala) has conferred our Kakkanad Branch as **"the third best performing branch in the State of Kerala for the year 2013-14"** under Public Sector Banks category.
- Our Bank has received **"Second Best Bank"** award under PSU category by Financial Express India's Best Banks Survey 2012-13.

SECURITY

The Security Department of the Bank has been making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security solutions to all our Branches, ATMs and offices. The Department had obtained ISO 9001:2000 Certification in May 2007, which was upgraded to ISO 9001:2008 in May 2010 and presently it stands renewed up to 14th September 2016. The Department has thus achieved the unique distinction of being the First Security Department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2008 compliant. The Certification is currently valid till 14th September 2016 when it will be reviewed.

The guidelines on security matters are disseminated to Regional Offices for implementation through Annual Security Action Plan. All RBI's guidelines and instructions

रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन किया गया है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी मुद्रा तिजोरियों के संबंध में सुरक्षा लेखा परीक्षा संचालित की गई है। सभी मुद्रा तिजोरियों को सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण जैसे सीसीटीवी, ऑटोमेटिक टाइम लॉक, बायो-मेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, हॉटलाइन्स, पैसिव इनफ्रा रेड डिवाइस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम और ऑटो डायलर्स उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक के सभी कैश वैनों को ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम (जी पी आर एस) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मार्गस्थ विप्रेषण का तत्काल पता लगाया जा सके।

शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु और उच्च प्रबंधन के निदेशों की अनुपालना में सभी शाखाओं में एटीएम होना जरूरी है और सभी एटीएम सीसीटीवी सिस्टम से युक्त हो तदनुसार, सभी शाखाओं में सीसीटीवी सिस्टम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शाखा स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, शाखाओं के जोखिम श्रेणीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि सभी शाखाओं की जोखिम श्रेणी के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा संरचना उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, उन स्थानों में, स्थिति में सुधार होने तक अस्थायी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

एटीएम में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए, दो सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा को बढ़ाया गया है जिसमें एक कैमरा लॉबी को तथा दूसरा बाह्य क्षेत्र को कवर करता है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पैनिक स्विच के साथ साउंड अलार्म सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। ऑफसाइट एवं जोखिम भरे एटीएम के अतिरिक्त, उन एटीएम केंद्रों में चौबीस घंटे शस्त्ररहित गार्ड तैनात किए गए हैं जहाँ न्यायिक/पुलिस प्राधिकारी ने गार्ड तैनात करने की सलाह दी है और उन स्थानों में भी जहाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो।

अपराध परिदृश्य और आतंकी संभावनाओं के आधार पर, सुरक्षा व्यवस्था की आवधिक समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। बैंक के हित में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए समुचित सक्रिय, निवारक एवं सावधानी उपायों को अपनाया गया है।

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (एसबीएसएल) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 25 जनवरी 2006 को की गई थी, जो सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी ₹10 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹25 लाख है। इसका उद्देश्य बैंक को तथा बैंक के ग्राहकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक ऑफिस सेवाएं उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दिया है :

1. खुदरा ऋण संविभाग को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, मासिक आधार पर आवधिक अंतरालों में केंद्रीयकृत एसएमएस एवं नोटिस भेजने के जरिए बैंक के अनियमित खुदरा ऋणों के अनुप्रवर्तन का कार्यभार बैंक

received during the year for Security of Branches, ATMs, Currency Chests and Administrative Offices have been implemented and complied with.

As per Guidelines, Security Audit has been conducted in respect of all the Currency Chests. All Currency Chests are provided with security and surveillance equipment like CCTVs, Automatic Time Lock, Biometric Access Control, Hotlines, Passive Infra Red Devices, Automatic Fire Detection & Alarm Systems and Auto dialers. All the Cash Vans of the Bank have been provided with Global Positioning Radio System (GPRS) to facilitate real time tracking of remittance in transit.

To augment the security arrangements at Branches and in tune with the directions of the Top Management all branches are to have ATMs and all ATMs are to be covered with CCTV system and accordingly all the branches are being provided with CCTV System. As part of the ongoing process of strengthening the security at branch level, the system of risk categorization of branches has been adopted so as to provide adequate security infrastructure commensurate with the risk category at all branches. In addition, in places where the Law & Order situation deteriorates, flexibility to provide Security guards temporarily till security scenario improves has been made.

In view of the increasing crimes on ATMs, security has been enhanced by introducing two CCTV Cameras one to cover the Lobby and the other to cover the exterior area. A Sound Alarm System with Panic Switch is also being provided to enhance the security environment. Apart from Offsite and Critically sited ATMs, round the clock unarmed guards have been deployed at those ATM centres where the Judicial /Police Authorities have advised for posting of guards and also at places where the law and order situation so warrants.

Based on the crime scenario and threat perceptions, the security arrangements are periodically reviewed and updated. Suitable pro-active preventive and precautionary measures are put in place to adequately safeguard the interests of our Bank.

SYNDBANK SERVICES LTD

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act, 1956, on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an authorized capital of ₹10 crore and paid up capital of ₹25 Lakh to extend back-office services to SyndicateBank, its clients and other financial institutions.

The company has undertaken the following activities during the year 2014-15:

1. To maintain a healthy port folio of Retail Credit, Bank has assigned follow-up of irregular retail loans of the Bank centrally by sending Notices & SMS messages periodically

द्वारा सौंपा गया है। इससे ऐसे खातों के लगभग 60% बकाया राशि की वसूली संभव हुई है।

2. क्रय आदेश के अनुरूप हार्डवेयर की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, कंपनी सिंडिकेट बैंक एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रापित कंप्यूटर हार्डवेयर के लदान-पूर्व परीक्षण की व्यवस्था करती है।
3. इंस्टैंट तथ पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड के लिए सिंडिकेटबैंक एवं सिंडिकेटबैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इंस्टैंट एवं पर्सनलाइजेशन सेवाएं।
4. सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड की प्रिंटिंग।
5. सिंडिकेटबैंक के बदले बीडब्ल्यूएसएसबी कियोस्क से चेक एवं नकदी का संग्रहण प्राप्त किये गए चेकों के लिए सीबीएस प्रणाली में अपलोड करने हेतु जावक समाशोधन की तैयारी।
6. आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ, जैसे, सीओ : डीआईटी, बेंगलूरु में इंटरनेट बैंकिंग हेल्प डेस्क के 24x7 मैनिंग के लिए संसाधन उपलब्ध कराना और सिंडिकेट बैंक कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के कॉल डेस्क के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
7. इंटरनेट बैंकिंग सोल्यूशन के नए वर्जन के लिए फंक्शनैलिटी टेस्ट का आयोजन।
8. सिंडिकेटबैंक की शाखाओं को मोबाईल बैंकिंग पिन का प्रेषण ताकि वे उसे आगे बैंक के ग्राहकों को सुपुर्द कर सकें।
9. वित्तीय कारणों से अप्रदत्त आवक समाशोधन चेकों की वापसी वाले सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को विधिक एवं अन्य संलिप्त प्रभावों का वर्णन करते हुए नोटिस/सलाहकारी पत्र जारी करना।
10. ग्राहकों के वॉइस कॉल के मामले में बैंक के विभिन्न कार्यकारी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कंपनी एक कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

अपनी शुरुआत से ही एसबीएसएल, एक लाभदायक कंपनी रही है और लगातार अपने राजस्व एवं लाभ में संवृद्धि कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके निष्पादन का विवरण निम्नवत् है –

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च '13	मार्च '14	मार्च '15
प्राधिकृत पूंजी	1,000	1,000	1,000
प्रदत्त पूंजी	25	25	25
आरक्षित निधि एवं अतिशेष	537	622	780
अचल आस्तियां (निवल)	3	8	6
कुल आय	334	329	479
कर पूर्व आय	191	163	235
कर पश्चात आय	129	110	158

on monthly basis. This results in recovery of approximately 60% of delinquent amount in such accounts.

2. To ensure the supply of procured hardware in conformity with Purchase order, Company provides Pre-shipment Testing of computer hardware procured by SyndicateBank and RRBs sponsored by SyndicateBank and for other Banks / financial institutions.
3. Card personalization services for preparation of instant as well as personalised Debit Cards to SyndicateBank and RRBs sponsored by the Bank.
4. Printing of Internet Banking Passwords for customers of SyndicateBank.
5. Collection of Cheques and cash from BWSSB Kiosks on behalf of SyndicateBank. Preparing clearing outward file for upload to CBS system for cheques so collected.
6. Out sourcing activities like Providing Resources for manning 24 x 7 Internet Banking Help Desk at CO: DIT, Bangalore and resources for call Desk for State Level Bankers Committee (SLBC), at SyndicateBank's Corporate Office at Bangalore.
7. Conducting of Functionality Test for New version of Internet Banking Solution.
8. Dispatch of Mobile Banking PINs of SyndicateBank to branches for onward delivery to Bank customers.
9. Issue of notices / advisory letters explaining legal and other implications, to the customers of SyndicateBank whose inward clearing cheques are returned unpaid for financial reasons.
10. Company is in process of setting up a call centre to cater to requirements of various functional departments of Bank in the matter of voice calls to customers.

SBSL, a profit making company from its inception, is consistently improving its revenues. The details of its performance during the last three years is as under –

(₹ in Lakhs)

Particulars	March '13	March '14	March '15
Authorised Capital	1,000	1,000	1,000
Paid Up Capital	25	25	25
Reserves & Surplus	537	622	780
Fixed Assets (Net)	3	8	6
Total Income	334	329	479
Profit Before Tax	191	163	235
Profit After Tax	129	110	158

निदेशक मंडल में परिवर्तन

i. बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुधीर कुमार जैन को दिनांक 22.9.2014 से बैंक की सेवाओं से पदच्युत किया गया।

ii. कार्यपालक निदेशक, श्री एम. आंजनेय प्रसाद, दि.30.11.2014 को सेवानिवृत्त हो गए।

iii. श्री आर. एस. पाण्डेय को दि.10.3.2015 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक श्री एम. राजेश्वर राव के स्थान पर दि.23.02.2015 से श्री रुद्र नारायण कर को नियुक्त किया गया।

v. सनदी लेखाकार निदेशक, श्री दिलीप कुमार सक्सेना ने दि.21.07.2014 को बैंक के निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

vi. गैर-सरकारी निदेशक, श्री जगदीश राज श्रीमाली ने दि.28.07.2014 को बैंक के निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

vii. गैर-सरकारी निदेशक, श्री रमेश एल. अडिगे ने दि.08.12.2014 को बैंक के निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

viii. शेयरधारक निदेशक, सुश्री जसलीन सूरी ने दि.11.12.2014 को निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया।

निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं :

कि, वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण मुद्दे यदि कोई हों, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

कि, लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

कि, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।

कि, बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

कि, वार्षिक लेखों को 'निरंतर आधार' पर तैयार किया गया है।

आभार

निदेशक मंडल जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है।

CHANGES IN THE BOARD:

i. Services of Shri Sudhir Kumar Jain, Chairman & Managing Director of the Bank was terminated w.e.f. 22.09.2014.

ii. Shri M Anjaneya Prasad, Executive Director, superannuated on 30.11.2014.

iii. Shri R S Pandey, appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f. 10.03.2015.

iv. Shri M Rajeshwar Rao, RBI Director was replaced by Shri Rudra Narayan Kar w.e.f. 23.02.2015.

v. Shri Dilip Kumar Saxena, Chartered Accountant Director completed his term as Director of the Bank on 21.07.2014.

vi. Shri Jagadish Raj Shrimali, Non Official Director completed his term as Director of the Bank on 28.07.2014.

vii. Shri Ramesh L Adige, Non Official Director completed his term as Director of the Bank on 08.12.2014.

viii. Ms Jasleenn Suri, Shareholder Director resigned from the Board w.e.f.11.12.2014.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts alongwith proper explanation relating to making departures if any.

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2015.

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage in India and abroad.

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके अटल एवं समर्थन व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल श्री एम. आंजनेय प्रसाद, पूर्व कार्यपालक निदेशक, जो वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए और श्री दिलीप कुमार सक्सेना, सनदी लेखाकार निदेशक, श्री जगदीश राज श्रीमाली एवं श्री रमेश एल. अडिगे, गैर-सरकारी निदेशक, जिन्होंने वर्ष के दौरान अपनी अवधि पूरा कर ली, उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक, श्री एम. राजेश्वर राव को भी उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हमें दिया। साथ ही, निदेशक मंडल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति पर श्री आर. एस. पाण्डेय जी का स्वागत करता है।इसके अतिरिक्त बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुधीर कुमार जैन की सेवा से बर्खास्तगी के लिए निदेशक मंडल खेद व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 28.05.2015

(अरुण श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

The Directors are also indebted to the Ministry of Finance, Government of India, RBI, SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

The Directors express their indebtedness to Shri M Anjaneya Prasad, former Executive Director, who demitted the office on superannuation during the year and also to Shri Dilip Kumar Saxena, Chartered Accountant Director, Shri Jagadish Raj Shrimali and Shri Ramesh L Adige, Non Official Directors who have completed their term during the year for their able guidance, leadership and support which they had provided during their tenure in the Bank. The Directors also wish to express their heartfelt thanks to Shri M Rajeshwar Rao, RBI nominee Director for his valued guidance and support which he had extended during his tenure in the Bank and also wish to welcome at the same time Shri R S Pandey who has been appointed as the Executive Director of the Bank. Besides, board regrets the termination of services of Shri Sudhir Kumar Jain, former Chairman & Managing Director of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors.

Place : Manipal
Date : 28.05.2015

(Arun Shrivastava)
Managing Director & CEO

नैगम अभिशासन रिपोर्ट

1) बैंक का लक्ष्य ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त सक्षम वैश्विक बैंक बनना है।

2) बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा:

- समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।
- अपनी ग्राहक सेवा के लिए सुप्रसिद्ध व दृश्यमान ब्रांड बनना।
- अति सुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहाँ कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरणा महसूस करें।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों में सुखद माहौल बनाना।
- प्रभावशाली वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन।

3) बैंक का नैगम अभिशासन दर्शन उसके संचालन के संबंध में उसकी नैतिक कार्यप्रणाली के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है।

4) बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों तथा पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5) सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का निष्ठापूर्वक पालन करने के प्रति बैंक प्रतिबद्ध है।

6) बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है।

7) शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।

8) बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।

9) बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो सेबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पर लागू होती है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार गठित किया गया है।

दि. 31.03.2015 की स्थिति में, निदेशक मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 पूर्णकालिक निदेशक यानी कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित एक निदेशक, एक कामगार कर्मचारी निदेशक और एक गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 1 निदेशक और 2 निर्वाचित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक, ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1) The Bank aims to be a leading financially strong universal Bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach.

2) The Bank will strive for the following:

- To be a leading provider of Banking solutions, providing a range of financial services to all strata of society;
- To be a highly recognized and visible brand, known for its customer service;
- To be the most preferred place to work, where employees feel proud and motivated;
- To have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders;
- To deliver strong financial and operational performance.

3) The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance Shareholders' value.

4) The Bank is committed to following high disclosure standards and transparency.

5) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas.

6) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in letter and spirit in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board.

7) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.

8) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.

9) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management/Key Managerial Personnel in line with the SEBI Guidelines.

BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as amended from time to time.

As on 31.03.2015, the Board of comprises of 2 whole time Directors, i.e., Executive Directors, appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 Workmen Employee Director, 1 Non-Workmen Employee Director , 1 Director nominated by the Central Government and 2 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Executive Directors, are non-Executive Directors. The CMD presides over the Board and other Board level meetings of the Bank and the Senior Executive Director, in the absence of CMD, presides over such meetings of the Bank. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors of the Bank.

दि. 31.03.2015 की स्थिति में, बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद पर श्रेणी	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	*	*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	खंड (ए)	*23.09.2014 से रिक्त
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	एम.कॉम., एम.एम.एस., सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.09.2013
3.	श्री आर. एस. पाण्डेय	बी.कॉम., एम.ए., एल.एल.बी., सी.ए.आई.आई.बी., सी.ए. (इंटर), पीजीडी (बैंकिंग)	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	10.03.2015
4.	श्री एच. प्रदीप राव	एम.बी.ए., एम.ए., सी.आई.ए. (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक)	सरकार के नामिती निदेशक (केन्द्र सरकार के पदाधिकारी)	खंड (बी)	10.05.2010
5.	श्री रुद्र नारायण कर	एम.ए., एम.फील., एम.एस. (फिनांस)	भा.रि.बैं. केनामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के पदाधिकारी)	खंड (सी)	23.02.2015
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	बी.ए.	कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	04.09.2013
7.	श्री संजय ए. मांजरेकर	बी.कॉम., सी.ए.आई.आई.बी.	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	17.07.2013
8.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	बी.ए. (ऑनर्स) (राजनिति विज्ञान)	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (एच)	01.02.2013
9.	श्री आनंद के. पंडित	बी.ई. (इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन)	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	18.07.2012
10.	श्री अतुल अशोक गलांडे	एम.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	26.06.2013

* श्री अरुण श्रीवास्तव ने दि. 15.05.2015 को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है।

जिन निदेशकों ने बोर्ड में 2014-15 के दौरान कार्यग्रहण किया है, उनका संक्षिप्त बायो-डेटा प्रस्तुत है:

श्री आर. एस. पाण्डेय:

श्री रवि शंकर पाण्डेय ने 10.03.2015 को सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है। बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले श्री आर.एस. पाण्डेय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के अतिरिक्त एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। एक व्यावसायिक बैंकर के रूप में इन्हें 34 वर्षों का विपुल अनुभव प्राप्त है जिसमें, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की हांगकांग शाखा के मुख्य कार्यपालक के रूप में इनकी नियुक्ति भी शामिल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक ऑडिट अधिकारी के रूप में की और उसके बाद विभिन्न पदों पर पदोन्नत होते हुए बैंक के महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंच गए।

श्री रुद्र नारायण कर:

श्री रुद्र नारायण कर, वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोलकाता कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं जिसके अंतर्गत, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य शामिल हैं। इससे पूर्व उन्होंने बैंक के विदेशी विनिमय विभाग के प्रभारी-मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्य किया है जहाँ वे विदेशी मुद्रा बाजार और पूँजी खाता प्रबंधन के क्षेत्रों के नीति निर्माण तथा फेमा के प्रशासन से जुड़े रहें। विदेशी निवेश और परिचालन विभाग के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में वे देश के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के अभिनियोजन में शामिल थे। आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग में कार्य करने के कारण इन्हें सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में व्यापक अनुभव प्राप्त है, जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम, विनियमन एवं प्राथमिक व्यापारियों के पर्यवेक्षण तथा भुगतान और निपटान की बुनियादी सुविधाओं सहित सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। आपने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम ए तथा एम फिल किया है और इलीनॉयज़ विश्वविद्यालय, उर्बाना चैंपेन, संयुक्त राज्य अमेरिका से एम.एस. (फिनांस) की उपाधि हासिल की है।

The Composition and category of the Board of Directors of the Bank as on 31.03.2015 are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	-	-	Chairman & Managing Director	Clause (a)	* Vacant since 23.09.2014
2.	Shri T. K. Srivastava	M.Com., MMS, CAIIB	Executive Director	Clause (a)	01.09.2013
3.	Shri R. S. Pandey	B.Com., MA, LLB, CAIIB, CA (Inter), PGD (Banking)	Executive Director	Clause (a)	10.03.2015
4.	Shri H. Pradeep Rao	MBA, MA, CIA (Certified Internal Auditor)	Govt. Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	10.05.2010
5.	Shri Rudra Narayan Kar	MA, MPhil, MS (Finance)	RBI Nominee Director (Official of RBI)	Clause (c)	23.02.2015
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	B.A.	Workmen Employee Director	Clause (e)	04.09.2013
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	B.Com., CAIIB	Non-workmen Employee Director	Clause (f)	17.07.2013
8.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	B.A. (Hons) (Pol Sc)	GOI Nominee Director	Clause (h)	01.02.2013
9.	Shri Anand K. Pandit	B.E. (Electronics & Communications)	Shareholder Director	Clause (i)	18.07.2012
10.	Shri Atul Ashok Galande	M.Com., FCA	Shareholder Director	Clause (i)	26.06.2013

* Shri Arun Shrivastava assumed charge as Managing Director and Chief Executive Officer on 15.05.2015.

A brief bio-data of Directors who joined the Board in 2014-15 is given here below:

Shri R. S. Pandey:

Shri Ravi Shanker Pandey has assumed charge as Executive Director of Syndicate Bank on 10.03.2015. Prior to joining the Bank, Shri R. S. Pandey was General Manager, Union Bank of India. He holds Master degree in Economics and LLB. In addition he is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been a professional Banker for over 34 years of varied experience including his posting as Chief Executive of Union Bank of India, Hongkong Branch. He started his career in 1980 as an Audit Officer in Union Bank of India and was thereafter elevated to various ranks up to the level of General Manager of the Bank.

Shri Rudra Narayan Kar:

Shri Rudra Narayan Kar is currently working as Regional Director of Kolkata Office of Reserve Bank of India which covers States of West Bengal & Sikkim. Earlier he has worked as Chief General Manager-in-Charge of Foreign Exchange Department of the Bank looking after administration of FEMA and policy formulation in the areas of Capital Account Management and Foreign Exchange Market. As Chief General Manager in the Department of External Investments and Operations he was involved with the deployment of foreign exchange reserves of the country. He has also vast experience in the Government Securities market because of his stint in the Internal Debt Management Department which is responsible for preparation of debt management strategies for Central Government and State Government market borrowing programme, regulation and supervision of Primary Dealers and development of Government securities market including payment and settlement infrastructure. He is a M.A. and M.Phil. from Jawaharlal Nehru University, New Delhi and holds a degree in M.S.(Finance) from University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यत: वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2014-2015 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 16 बैठकें आयोजित कीं।

15.04.2014	07.05.2014	13.06.2014	19.06.2014	21.07.2014	30/31.07.2014
14.08.2014	03.09.2014	25.09.2014	06/07.11.2014	28.11.2014	27.12.2014
23.01.2015	10/11.02.2015	14.03.2015	23.03.2015		

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादी के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली ए.जी.एम. 20.06.2014		
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	06/06	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीएससी, एचआरसी, सीएमआर, डीपीसी	1
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	11/11	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीएससी, एचआरसी, सीएमआर, डीपीसी, एसीबी, एसएचआरसी, एसटीसी,	1
3.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	16/16	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, सीएमआर, डीपीसी, एसीबी, एसएचआरसी, एसटीसी अधिमान्य शेयर समिति	1
4.	श्री आर. एस. पाण्डेय	02/02	–	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, सीएमआर, डीपीसी, एसीबी, एसएचआरसी, एसटीसी, अधिमान्य शेयर समिति	1
5.	श्री एच. प्रदीप राव	12/16	अ	एसीबी, डीपीसी आरसी, एनसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, सीएमआर, सीएससी	1
6.	श्री एम. राजेश्वर राव	14/14	अ	एमसीबी, एसीबी, आरसी	-
7.	श्री रुद्र नारायण कर	02/02	–	एमसीबी, एसीबी, आरसी	-
8.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	16/16	उ	सीएससी, एचआरसी, एमसीबी, एसटीसी, आईटीएससी, अधिमान्यशेयर समिति	-
9.	श्री संजय ए. मांजरेकर	16/16	उ	एमसीबी, एचआरसी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, अधिमान्य शेयर समिति	-
10.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	05/05	उ	एमसीबी, एसीबी, एसआइजीसीसी, आरसी, एनसी	-
11.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	05/05	उ	एमसीबी, एसीबी, एसटीसी	-
12.	श्री रमेश एल. अडिगे	11/11	उ	एसीबी, आरएमसी, सीएससी, एनसी, एससीएमएफएफसी	6
13.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	16/16	उ	एसीबी, सीएससी, एनसी, एसएचआरसी	-
14.	श्री आनंद के. पंडित	09/16	अ	एमसीबी, एसएचआरसी, एचआरसी, आरसी	9
15.	सुश्री जसलीन सूरी	11/11	उ	एमसीबी, एसएचआरसी, एसटीसी	1
16.	श्री अतुल अशोक गलांडे	14/16	उ	एसीबी, एचआरसी, आरसी, एसटीसी	4

उ	– उपस्थित	अ	– अनुपस्थित
एमसीबी	– मंडल की प्रबंधन समिति	एसीबी	– मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी	– विभागीय पदोन्नति समिति/अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति	आरएमसी	– जोखिम प्रबंधन समिति
एसएचआरसी	– शेयरधारक संपर्क समिति	एनसी	– नामांकन समिति
एसआईजीसी	– शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति	आरसी	– पारिश्रमिक समिति
एससीएमएफएफसी	– कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति	एसटीसी	– शेयर अंतरण समिति
सीएससी	– ग्राहक सेवा समिति	एचआरसी	– मानव संसाधन समिति
आईटीएससी	– सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति		
सीएमआर	– वसूली निगरानी समिति		

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2014-2015 the Board held 16 meetings on the following dates:

15.04.2014	07.05.2014	13.06.2014	19.06.2014	21.07.2014	30/31.07.2014
14.08.2014	03.09.2014	25.09.2014	06/07.11.2014	28.11.2014	27.12.2014
23.01.2015	10/11.02.2015	14.03.2015	23.03.2015		

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies
		Board	Last AGM 20.06.2014		
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	06/06	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CMR, DPC	1
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	11/11	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CMR, DPC, ACB, SHRC, STC	1
3.	Shri T. K. Srivastava	16/16	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CMR, DPC, ACB, SHRC, STC, Pref. Shares Committee	1
4.	Shri R. S. Pandey	02/02	-	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CMR, DPC, ACB, SHRC, STC, Pref. Shares Committee	1
5.	Shri H. Pradeep Rao	12/16	A	ACB, DPC, RC, NC, SCMFFC, HRC, CMR, CSC	1
6.	Shri M. Rajeshwar Rao	14/14	A	MCB, ACB, RC	-
7.	Shri Rudra Narayan Kar	02/02	-	MCB, ACB, RC	-
8.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	16/16	P	CSC, HRC, MCB, STC, ITSC, Pref. Shares Committee	-
9.	Shri Sanjay A. Manjrekar	16/16	P	MCB, HRC, RMC, SCMFFC, Pref. Shares Committee	-
10.	Shri Dilip Kumar Saxena	05/05	P	MCB, ACB, SIGCC, RC, NC	-
11.	Shri Jagdish Raj Shrimali	05/05	P	MCB, ACB, STC	-
12.	Shri Ramesh L. Adige	11/11	P	ACB, RMC, CSC, NC, SCMFFC	6
13.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	16/16	P	ACB, CSC, NC, SHRC	-
14.	Shri Anand K. Pandit	09/16	A	MCB, SHRC, HRC, RC	9
15.	Ms. Jasleenn Suri	11/11	P	MCB, SHRC, STC	1
16.	Shri Atul A. Galande	14/16	P	ACB, HRC, RC, STC	4

P - Present
MCB - Management Committee of the Board
DPC - Departmental Promotion Committee/ Disciplinary Proceedings Committee
SHRC - Stakeholders' Relationship Committee
SCMFFC - Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
CSC - Customer Service Committee
ITSC - Information Technology Strategy Committee
CMR - Committee for Monitoring Recovery

A - Absent
ACB - Audit Committee of the Board
RMC - Risk Management Committee
NC - Nomination Committee
RC - Remuneration Committee
STC - Share Transfer Committee
HRC - Human Resource Committee

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.07.1986 के अनुसार की गई थी और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया। आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके 'योजना 1970' में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 08.03.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति, ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं/ प्रत्यायोजित किए जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 26 बैठकें आयोजित की गईं:

15.04.2014	06.05.2014	13.06.2014	19.06.2014	26.06.2014	11.07.2014
30.07.2014	14.08.2014	26.08.2014	03.09.2014	19.09.2014	26.09.2014
13.10.2014	20.10.2014	06.11.2014	21.11.2014	08.12.2014	20.12.2014
27.12.2014	10.01.2015	23.01.2015	10/11.02.2015	03.03.2015	14.03.2015
23.03.2015	30.03.2015				

निदेशक मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	07/07
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	16/16
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	24/26
4.	श्री आर.एस. पाण्डेय	03/03
5.	श्री एम. राजेश्वर राव	19/22
6.	श्री रुद्र नारायण कर	04/04
7.	श्री संजय ए. मांजरेकर	12/12
8.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	06/06
9.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	06/06
10.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	17/18
11.	श्री रमेश एल. अडिगे	07/07
12.	डॉ. सी.आर. नसीर अहमद	14/14
13.	सुश्री जसलीन सूरी	10/10
14.	श्री आनंद के पंडित	01/05
15.	श्री अतुल ए. गलांडे	01/01

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ-साथ उस निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनकरण और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है। यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I (i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2007, read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of Revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

During the year, the Committee met 26 times on the following dates:

15.04.2014	06.05.2014	13.06.2014	19.06.2014	26.06.2014	11.07.2014
30.07.2014	14.08.2014	26.08.2014	03.09.2014	19.09.2014	26.09.2014
13.10.2014	20.10.2014	06.11.2014	21.11.2014	08.12.2014	20.12.2014
27.12.2014	10.01.2015	23.01.2015	10/11.02.2015	03.03.2015	14.03.2015
23.03.2015	30.03.2015				

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	07/07
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	16/16
3.	Shri T. K. Srivastava	24/26
4.	Shri R. S. Pandey	03/03
5.	Shri M. Rajeshwar Rao	19/22
6.	Shri Rudra Narayan Kar	04/04
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	12/12
8.	Shri Dilip Kumar Saxena	06/06
9.	Shri Jagdish Raj Shrimali	06/06
10.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	17/18
11.	Shri Ramesh L. Adige	07/07
12.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	14/14
13.	Ms. Jasleenn Suri	10/10
14.	Shri Anand K. Pandit	01/05
15.	Shri Atul A. Galande	01/01

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions/guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 12 बैठकें आयोजित की गईं:

06.05.2014	07.05.2014	24.06.2014	30.07.2014
31.07.2014	20.09.2014	25.09.2014	06/07.11.2014
28.11.2014	23.01.2015	10/11.02.2015	23.03.2015

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	02/02
2.	श्री अतुल ए. गलांडे	10/10
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	09/09
4.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	11/12
5.	श्री आर.एस. पाण्डेय	01/01
6.	श्री एच. प्रदीप राव	11/12
7.	श्री एम. राजेश्वर राव	11/11
8	श्री रुद्र नारायण कर	01/01
9.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	02/02
10.	सुश्री जसलीन सूरी	02/02
11.	श्री रमेश एल. अडिगे	04/04
12.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	02/02

जोखिम प्रबंधन समिति

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की 8 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

19.06.2014	30.07.2014	03.09.2014	25.09.2014
06.11.2014	23.01.2015	10.02.2015	23.03.2015

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	02/02
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	05/05
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	08/08
4.	श्री आर.एस. पाण्डेय	01/01
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	05/05
6.	श्री अतुल ए. गलांडे	07/08
7.	श्री संजय ए. मांजरेकर	02/02

The Committee met 12 times during the year on the following dates:

06.05.2014	07.05.2014	24.06.2014	30.07.2014
31.07.2014	20.09.2014	25.09.2014	06/07.11.2014
28.11.2014	23.01.2015	10/11.02.2015	23.03.2015

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Dilip Kumar Saxena	02/02
2.	Shri Atul A. Galande	10/10
3.	Shri M. Anjaneya Prasad	09/09
4.	Shri T. K. Srivastava	11/12
5.	Shri R. S. Pandey	01/01
6.	Shri H. Pradeep Rao	11/12
7.	Shri M. Rajeshwar Rao	11/11
8.	Shri Rudra Narayan Kar	01/01
9.	Shri Jagdish Raj Shrimali	02/02
10.	Ms Jasleenn Suri	02/02
11.	Shri Ramesh L. Adige	04/04
12.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	02/02

RISK MANAGEMENT COMMITTEE:

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year the Committee held 8 meetings on the following dates:

19.06.2014	30.07.2014	03.09.2014	25.09.2014
06.11.2014	23.01.2015	10.02.2015	23.03.2015

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished herein below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	02/02
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	05/05
3.	Shri T. K. Srivastava	08/08
4.	Shri R. S. Pandey	01/01
5.	Shri Ramesh L. Adige	05/05
6.	Shri Atul A. Galande	07/08
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	02/02

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति:

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

26.08.2014	28.11.2014	10.02.2015	23.03.2015

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	02/02
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	04/04
3.	श्री आर.एस. पाण्डेय	01/01
4.	श्री एच. प्रदीप राव	01/02
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	02/02
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	02/02
7.	श्री संजय ए मांजरेकर	02/02

हितधारक संपर्क समिति :

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उप खण्ड VI सी के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने ''शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति'' जिसे बोर्ड की हितधारक संपर्क समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतें जैसे शेयरों का अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए इसे गठित किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं

19.06.2014	11.02.2015

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नवत हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	01/01
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	02/02
3.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	01/01
4.	श्री अतुल ए. गलांडे	01/01
5.	श्री आनंद के. पंडित	01/01
6.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	01/01

वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 1726 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 1706 शिकायतों/प्रश्नों का निवारण कर दिया गया। दि. 01.04.2014 की स्थिति में लंबित 20 शिकायतों का भी निपटान किया गया। उपर्युक्त में से कोई भी शिकायत एक माह से ज्यादा लंबित नहीं रहीं। 31.03.2015 की स्थिति में कोई भी शेयर स्थानांतरण हेतु लंबित नहीं है।

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES:

In terms of RBI circular No.DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹1 crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

26.08.2014	28.11.2014	10.02.2015	23.03.2015

The members of the Committee and their attendance at the meeting are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. Anjaneya Prasad	02/02
2.	Shri T. K. Srivastava	04/04
3.	Shri R. S. Pandey	01/01
4.	Shri H. Pradeep Rao	01/02
5.	Shri Ramesh L. Adige	02/02
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	02/02
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	02/02

STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE:

In terms of Sub-Clause VI C of Clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/Investors' Grievance Committee – rechristened as Stakeholders Relationship Committee" of the Board, specifically to look into redressing shareholder and investor complaints/grievances like transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividend warrants etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

19.06.2014	11.02.2015

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. Anjaneya Prasad	01/01
2.	Shri T. K. Srivastava	02/02
3.	Shri Dilip Kumar Saxena	01/01
4.	Shri Atul A. Galande	01/01
5.	Shri Anand K. Pandit	01/01
6.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	01/01

During the year 2014-2015, 1706 complaints/grievances/queries were received from the Shareholders/Investors of the Bank and 1726 complaints/ grievances/ queries, including 20 complaints pending as on 01.04.2014, have been resolved / attended to. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2015.

अनुपालन अधिकारी:

सूचीकरण करार के खण्ड 47 तथा खण्ड 22 के अनुसार श्री आर. रवि, बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

06.05.2014	25.09.2014	10.02.2015

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	01/01
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	02/02
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	03/03
4.	श्री एच. प्रदीप राव	02/02
5.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	02/02
6.	श्री संजय ए. मांजरेकर	01/01
7.	श्री रमेश एल. अडिगे	01/01
8.	डॉ. सी.आर. नसीर अहमद	01/01
9.	श्री आनंद के. पंडित	01/01
10.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/01/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 9.03.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है।

वर्ष के दौरान समिति ने दि. 14.06.2014 को एक बैठक आयोजित की ।

समिति के सदस्यों तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	01/01
2.	श्री एम. राजेश्वर राव	01/01
3.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	01/01
4.	सुश्री जसलीन सूरी	01/01

COMPLIANCE OFFICER:

In terms of Clause 47 of the equity Listing Agreement and Clause 22 of the Debt listing agreement, Shri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE:

In terms of RBI DBOD letter No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

06.05.2014	25.09.2014	10.02.2015

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	01/01
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	02/02
3.	Shri T. K. Srivastava	03/03
4.	Shri H. Pradeep Rao	02/02
5.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	02/02
6.	Shri Sanjay A. Manjrekar	01/01
7.	Shri Ramesh L. Adige	01/01
8.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	01/01
9.	Shri Anand K. Pandit	01/01
10.	Ms Jasleenn Suri	01/01

REMUNERATION COMMITTEE:

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007, Remuneration Committee was constituted - a sub Committee of the Board to evaluate the performance of CMD and EDs as per the Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 14.06.2014.

The members of the Committee and their attendance at the meeting are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao	01/01
2.	Shri M. Rajeshwar Rao	01/01
3.	Shri Dilip Kumar Saxena	01/01
4.	Ms Jasleenn Suri	01/01

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति गठित की गई है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित निगरानी का कार्य करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

03.04.2014	21.07.2014	25.09.2014	03.12.2014

समिति के सदस्य तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री आनंद के. पंडित	04/04
2.	श्री सुधीर कुमार जैन	02/02
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	03/03
4.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	04/04
5.	श्री संजय ए. मांजरेकर	04/04

शेयर अंतरण समिति

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमवली, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति, शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती है और उनका अनुमोदन करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

19.06.2014	31.07.2014	03.09.2014	21.11.2014	23.01.2015	23.03.2015

इसके अलावा, परिचालन द्वारा 12 बैठकें आयोजित की गयीं और अधिदेशी मानदण्डों का पालन किया गया है ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	04/04
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	06/06
3.	श्री आर. एस. पाण्डेय	01/01
4.	डॉ. सी.आर. नसीर अहमद	04/04
5.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
6.	सुश्री जसलीन सूरी	03/03
7.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	01/01
8.	श्री अतुल ए. गलांडे	02/02

नामांकन समिति

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01.11.2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE:

A sub Committee of the Board was constituted in the meeting to have proper monitoring system in place to evaluate and ensure that the projects are progressing as planned.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

03.04.2014	21.07.2014	25.09.2014	03.12.2014

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Anand K. Pandit	04/04
2.	Shri Sudhir Kumar Jain	02/02
3.	Shri M. Anjaneya Prasad	03/03
4.	Shri T. K. Srivastava	04/04
5.	Shri Sanjay A. Manjrekar	04/04

SHARE TRANSFER COMMITTEE:

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, Share Transfer Committee has been constituted.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the Committee held 6 meetings on the following dates:

19.06.2014	31.07.2014	03.09.2014	21.11.2014	23.01.2015	23.03.2015

Besides, 12 meetings of the Committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. Anjaneya Prasad	04/04
2.	Shri T. K. Srivastava	06/06
3.	Shri R. S. Pandey	01/01
4.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	04/04
5.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
6.	Ms. Jasleenn Suri	03/03
7.	Shri Jagdish Raj Shrimali	01/01
8.	Shri Atul A. Galande	02/02

NOMINATION COMMITTEE:

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted “Nomination Committee” to undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing/the persons to be elected as a Director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended in 2006.

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए नामांकित उम्मीदवारों के उचित स्थिति के निर्धारण हेतु समिति की एक बैठक दि. 31.07.2014 को आयोजित की गई।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	01/01
2.	श्री रमेश एल. अडिगे	01/01
3.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	01/01

एच. आर. समिति

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30.10.2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गयीं।

15.04.2014	06.05.2014	03.09.2014	25.09.2014
06.11.2014	23.01.2015	23.03.2015	

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	02/02
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	05/05
3.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	07/07
4.	श्री आर. एस. पाण्डेय	01/01
5.	श्री एच. प्रदीप राव	05/07
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	07/07
7.	श्री संजय ए. मांजरेकर	07/07
8.	श्री रमेश एल. अडिगे	02/02
9.	सुश्री जसलीन सूरी	02/02
10.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	04/04
11.	श्री आनंद के. पंडित	00/01
12.	श्री अतुल ए. गलांडे	02/04

वसूली निगरानी समिति :

भारत सरकार के निदेशानुसार वसूली की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान इस समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गई:

06.05.2014	30.07.2014	03.09.2014	06.11.2014	23.01.2015

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future.

During the year the Committee held One meeting on 31.07.2014.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao	01/01
2.	Shri Ramesh L. Adige	01/01
3.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	01/01

H.R. COMMITTEE:

H.R. Committee of the Board was constituted on 30.10.2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

15.04.2014	06.05.2014	03.09.2014	25.09.2014
06.11.2014	23.01.2015	23.03.2015	

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	02/02
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	05/05
3.	Shri T. K. Srivastava	07/07
4.	Shri R. S. Pandey	01/01
5.	Shri H. Pradeep Rao	05/07
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	07/07
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	07/07
8.	Shri Ramesh L. Adige	02/02
9.	Ms Jasleenn Suri	02/02
10.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	04/04
11.	Shri Anand K. Pandit	00/01
12.	Shri Atul A. Galande	02/04

COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY:

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis.

During the year the Committee held 5 meetings on the following dates:

06.05.2014	30.07.2014	03.09.2014	06.11.2014	23.01.2015

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुधीर कुमार जैन	02/02
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	04/04
3.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	05/05
4.	श्री एच. प्रदीप राव	05/05

आनुशासनिक कार्यवाही समिति/विभागीय पदोन्नति समिति

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप इस समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की दि. 06.11.2014 को एक बैठक का आयोजन किया गया।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	01/01
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री एच. प्रदीप राव	01/01
4.	श्री एम. राजेश्वर राव	01/01

ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन हेतु निदेशक मंडल की समिति

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप इस समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नलिखित तारीख को आयोजित की गई:

23.02.2015	31.03.2015

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	02/02
2.	श्री आर. एस. पाण्डेय	01/01
3.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	02/02
4.	श्री संजय अनंत मांजरेकर	02/02

ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों को प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र के तहत इस समिति को बोर्ड द्वारा ₹400.00 करोड़ तक के अधिकार दिए गए हैं।

समिति के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य हैं:

(ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – समिति के अध्यक्ष

(बी) कार्यपालक निदेशक

(सी) महाप्रबंधक (ऋण)

(डी) महाप्रबंधक (लेखा)

(ई) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)

(एफ) महाप्रबंधक (एन.पी.ए. प्रबंधन एवं विधि विभाग)

वर्ष के दौरान समिति की 19 बैठकें सपंन्न हुईं। सी.एम.डी. की अनुपलब्धता के कारण दि. 01.08.2014 से सी.ए.सी. की बैठकें संपन्न नहीं हुई। तथापि, इसके पश्चात से निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा सी.ए.सी. के अधिकारों का प्रयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल/एम.सी.बी./ए.सी.बी. की 13 बैठकें आयोजित की गईं और अधिदेशी मानदण्डों का पालन किया गया है।

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sudhir Kumar Jain	02/02
2.	Shri M. Anjaneya Prasad	04/04
3.	Shri T. K. Srivastava	05/05
4.	Shri H. Pradeep Rao	05/05

DISCIPLINARY PROCEEDINGS COMMITTEE / DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE:

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines.

During the year the Committee held One meeting on 06.11.2014.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. Anjaneya Prasad	01/01
2.	Shri T. K. Srivastava	01/01
3.	Shri H. Pradeep Rao	01/01
4.	Shri M. Rajeshwar Rao	01/01

COMMITTEE OF DIRECTORS FOR PREFERENTIAL ALLOTMENT OF EQUITY SHARES:

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines.

During the year the Committee held two meetings on the following dates:

23.02.2015	31.03.2015

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri T. K. Srivastava	02/02
2.	Shri R. S. Pandey	01/01
3.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	02/02
4.	Shri Sanjay A. Manjrekar	02/02

CREDIT APPROVAL COMMITTEE (CAC):

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an Individual /Bank or to all the Borrowers/Companies in the same group not exceeding ₹400.00 Crore.

The Committee consists of the following members:

(a) Chairman and Managing Director – Chairman of the Committee;

(b) Executive Directors;

(c) General Manager (Credit);

(d) General Manager (Accounts);

(e) General Manager (Risk Management);

(f) General Manager (NPA Management & Legal Department)

During the year, the Committee met 19 times. Due to non-availability of CMD the CAC meetings could not be held w.e.f. 01.08.2014. However, the powers of CAC was exercised by Management Committee of the Board since then.

Besides, 13 meetings of Board/ MCB/ ACB were held by circulation and the mandatory norms were followed.

बोर्ड में परिवर्तन

1. बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुधीर कुमार जैन को भारत सरकार ने दि. 22.09.2014 से पदच्युत कर दिया।
2. श्री एम. आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक दि. 30.11.2014 को सेवानिवृत्त हुए ।
3. श्री आर. एस. पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में दि. 10.03.2015 को कार्यग्रहण किया।
4. श्री रुद्र नारायण कर को भा.रि.बैंक की दिनांक 23.02.2015 की अधिसूचना के अनुसार, दि. 23.02.2015 को श्री एम. राजेश्वर राव के स्थान पर बैंक के निदेशक मंडल में भा.रि.बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया।
5. श्री दिलीप कुमार सक्सेना, सीए निदेशक ने दि. 21.07.2014 को बैंक निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।
6. श्री जगदीश राज श्रीमाली, भारत सरकार के नामिती निदेशक ने दि. 28.07.2014 को बैंक निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।
7. श्री रमेश एल. अडिगे, भारत सरकार के नामिती निदेशक ने दि. 08.12.2014 को बैंक निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।
8. सुश्री जसलीन सूरी, शेयरधारक निदेशक ने दि. 11.12.2014 को बैंक निदेशक के पद से त्याग पत्र दिया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। उन्हें प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे लेखा नोट की अनुसूची 18 में दिए गए हैं। कामगार कर्मचारी निदेशक और गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक को बैंक में उनकी पात्रता के अनुसार वेतन प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक, गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क, यात्रा व्यय तथा विराम भत्ता के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं देता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आई. दि. 18.10.2011 के अनुसार, गैर-सरकारी निदेशक को, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹10,000/- प्रति बैठक तथा अन्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹5,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क के रूप में अदा करना होगा, जो दि.18.10.2011 से लागू है।

दि. 01.04.2014 से दि. 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क के विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (₹)
1.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	3,10,000
2.	श्री संजय अनंत मांजरेकर	3,05,000
3.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	1,00,000
4.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	95,000
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	2,20,000
6.	डॉ सी. आर. नसीर अहमद	2,95,000
7.	सुश्री जसलीन सूरी	2,05,000
8.	श्री अतुल ए. गलांडे	2,50,000
	कुल	**17,80,000**

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया है। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.in. पर **''शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन''** के अंतर्गत रखा गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

CHANGES IN THE BOARD:

1. Services of Shri Sudhir Kumar Jain, Chairman & Managing Director of the Bank were terminated by Government of India w.e.f. 22.09.2014.
2. Shri M. Anjaneya Prasad, Executive Director superannuated on 30.11.2014.
3. Shri R. S. Pandey, Executive Director, assumed Office as Executive Director of the Bank on 10.03.2015.
4. Shri Rudra Narayan Kar, was nominated as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 23.02.2015 in place of Shri M. Rajeshwar Rao as per RBI Notification dated 23.02.2015.
5. Shri Dilip Kumar Saxena, CA Director, completed his term as Director of the Bank on 21.07.2014.
6. Shri Jagdish Raj Shrimali, Government Nominee Director completed his term as Director of the Bank on 28.07.2014.
7. Shri Ramesh L. Adige, Government Nominee Director completed his term as Director of the Bank on 08.12.2014.
8. Ms Jasleenn Suri, Shareholder Director of the Bank resigned w.e.f. 11.12.2014.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. "Details of remuneration paid to them are disclosed in Schedule 18 to notes to Accounts. Workmen Employee Director and Non-workmen Employee Director are paid salary as per their entitlement in the Bank" As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES:

Sitting fees is to be paid to the non-official Directors at the rate of ₹10,000/- and ₹5,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 18.10.2011, effective from 18.10.2011.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015:

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees (₹)
1.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	3,10,000
2.	Shri Sanjay A. Manjrekar	3,05,000
3.	Shri Dilip Kumar Saxena	1,00,000
4.	Shri Jagdish Raj Shrimali	95,000
5.	Shri Ramesh L. Adige	2,20,000
6.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	2,95,000
7.	Ms. Jasleenn Suri	2,05,000
8.	Shri Atul A. Galande	2,50,000
	TOTAL	**17,80,000**

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. www.syndicatebank.in under **"Shareholders information"**.

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए हमारे बैंक ने शिकायतों की प्राप्ति/समाधान के लिए एक विशेष ई-मेल आई.डी. – **"syndinvest@syndicatebank.co.in",** खोल रखा है ताकि बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सके ।

दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	**धारित शेयरों की संख्या**
श्री एच प्रदीप राव	शून्य
श्री रुद्र नारायण कर	शून्य
श्री शंकरन भास्कर अय्यर	800
श्री संजय ए मांजरेकर	1204
डॉ. सी आर नसीर अहमद	शून्य
श्री आनंद के पंडित	301
श्री अतुल ए गलांडे	200

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है। शेयर बजार के साथ किये गए सूचीकरण करार के खंड संख्या 49 के अनुसार अपेक्षित सभी अधिदेशात्मक आवश्यकताओं का पालन किया है।

अधिदेशात्मक/गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	**अनुपालन**
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से तथा शेयरधारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
चेतावनी सूचक नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक समय-समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से चेतावनी सूचक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । आवश्यकता/अनिवार्यता की स्थिति में बिना किसी झिझक या डर के उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। बैंक, पब्लिक इंट्रेस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स (पी आई डी पी आई) रेजोल्यूशन के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी अनुपालन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक ने चेतावनी सूचक नीति बनाई है, जो बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an e-mail ID **"syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2015

Name of the Director	Number of shares held
Shri H. Pradeep Rao	Nil
Shri Rudra Narayan Kar	Nil
Shri Sankaran Bhaskar Iyer	800
Shri Sanjay A. Manjrekar	1204
Dr. C R Naseer Ahamed	Nil
Shri Anand K. Pandit	301
Shri Atul A. Galande	200

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

The extent of implementation of mandatory / non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration Committee to determine on their behalf and on behalf of the Shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive Directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Chairman and Managing Director / Executive Directors in terms of the Government of India guidelines
Whistle Blower Policy The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints/suggestions/grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy were also issued during the year by way of circular. In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine 'Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/ rectified. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under public Interest Disclosure and protection of informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is placed on website of the Bank.

आवश्यकताएँ	अनुपालन
वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	इन्हें बैंक के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं – कंपनी अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक द्वारा इस आवश्यकता के अनुपालन में कदम उठाए जा रहे हैं।
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण – कंपनी अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकती हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष के दौरान 7 निदेशकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है ।
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि.01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयर धारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

बैंक की शेयर पूंजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹10 के 300 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित हैं। दि. 31.03.2014 को बैंक की प्रदत्त पूँजी जो ₹624.58 करोड़ थी, दिनांक 31.03.2015 को बढ़कर ₹662.06 करोड हो चुकी है।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ. सं. 7/38/2014– बी.ओ.ए. दिनांक 9.02.2015 के माध्यम से बासल III की आवश्यकताओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए अपने पत में इक्विटी का अधिमान्य आबंटन के द्वारा ₹460.00 करोड़ (रुपये चार सौ साठ करोड़ मात्र) की पूंजी लगाने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, शेयरधारक, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा सरकार से निधियों की प्राप्ति पर अधिमान्य आधार पर ₹122.75 प्रति शेयर की दर पर दि.31.03.2015 को भारत सरकार के पक्ष में ₹10/- प्रति अंकित मूल्यवाले 3,74,74,541 (तीन करोड़ चौहत्तर लाख चौहत्तर हज़ार पाँच सौ इकतालीस मात्र) ईक्विटी शेयर जारी किए गए और आबंटित किए गए।

आम बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे निम्नवत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
तेरहवीं वार्षिक आम बैठक	17.07.2012	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	25.06.2013	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	20.06.2014	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

Requirement	Compliance
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	It has been uploaded on the website of the Bank
Audit qualifications – Bank may move towards a regime of unqualified financial statements	The Bank is taking steps to comply with this requirement.
Training of Board Members – Bank may train its Board members in the business model of the Bank as well as the risk profile of the business parameters of the Bank, their responsibilities as Directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing ample training opportunities to its Directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 7 Directors attended various training programmes.
The performance evaluation of non-executive Directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the Director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/ continue the terms of appointment of non-executive Directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis.

Share Capital of the Bank

The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹10/- each. The Paid-up Capital of the Bank, which stood at ₹624.58 crore as on 31.03.2014 increased to ₹662.06 crore as on 31.03.2015.

Government of India vide their letter F No. 7/38/2014-BOA dated 09.02.2015 decided to infuse ₹460.00 crore (Rupees Four hundred sixty crore only) by way of preferential allotment of equity in its favour with a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy.

Accordingly, 3,74,74,541 (Three crore seventy four lakh seventy four thousand five hundred and forty one only) equity shares of the face value of ₹10/- each were issued and allotted in favour of Government of India on 31.03.2015 @ ₹122.75 per share on preferential basis on receipt of funds from them and after obtaining necessary approvals from Government of India, Reserve Bank of India, Shareholders, BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE).

GENERAL BODY MEETINGS:

i) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

Nature of General Meeting	Date	Time	Venue
Thirteenth Annual General Meeting	17.07.2012	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Fourteenth Annual General Meeting	25.06.2013	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Fifteenth Annual General Meeting	20.06.2014	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of Shareholders are as follows:

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
गुरुवार, 22 मार्च 2012	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार एवं भारतीय जीवन विमा निगम को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन
शुक्रवार, 10 जनवरी 2014	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन
मंगलवार, 24 मार्च 2015	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिनियम आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन

प्रकटीकरण

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सूचीकरण करार का खण्ड सं. 49 उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब तक वे अपने संबंधित संविधि तथा संगत विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

i) **निदेशकों का पारिश्रमिक**

बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है:

बोर्ड की बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹5,000/- प्रति बैठक

ii) **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक(कों) के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है ।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii) **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹460.00 करोड़ की रकम वाली अधिमान्य ईक्विटी शेयरों के रूप में भारत सरकार को ₹112.75 के प्रीमियम पर ₹10/- प्रति अंकित मूल्यवाले 3,74,74,541 ईक्विटी शेयरों को जारी किया है।

निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत बनाने हेतु टियर-I पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

iv) बैंक के संगत पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2015 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है ।

v) बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है ।

vi) दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।

vii) बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

viii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

ix) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

x) शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 47 (सी) के अनुसार, प्रस्तुतीकरण के 15 दिनों के भीतर अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों के विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । उक्त प्रमाण-पत्रों को उसकी प्राप्ति की तारीख से 24 घंटों के भीतर बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को अग्रेषित कर दिया जाता है।

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Thursday, March 22, 2012	11.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India and LIC of India
Friday, January 10, 2014	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India
Tuesday, March 24, 2015	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India

DISCLOSURES:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc.) incorporated under other statutes, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i. **Remuneration of Directors**

The Bank does not pay any remuneration to the non-executive Directors excepting sitting fees, which is as under:

For Board Meeting : ₹10,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹5,000/- per meeting

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, Directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive Director(s) vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii. **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc.**

During the year under review, the Bank issued 3,74,74,541 equity shares of the face value of ₹10/- each at a premium of ₹112.75 to Government of India by way of Preferential Issue of Equity Shares amounting to ₹460.00 crore.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier – I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and to fund general business needs of the Bank and same were utilized for the said purpose.

iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2015.

v. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.

vi. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2015.

vii. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible Shareholders within the statutory time frame.

viii. The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

ix. In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2014-2015 and the same is annexed to this Report.

x. As required under Clause 47(C) of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within fifteen days of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within 24 hours of receipt.

xi) सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 (ईक्विटी सूचीकरण करार विनियम 55ए) के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. तथा सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य से और सेबी के निर्देशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा की जाती है। इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को क्रमश: दि. 06.05.2014, 30.07.2014, 07.11.2014 और 23.01.2015 को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	इकॉनॉमिक टाइम्स, फायनांशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन	उदयवाणी	08.05.2014
जून 2014 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड, फायनांशियल एक्सप्रेस	विजय कर्नाटक	01.08.2014
सितंबर 2014 को समाप्त अर्ध-वर्ष	बिजनेस लाइन, मिंट	विजयवाणी	09.11.2014
दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही	फायनांशियल एक्सप्रेस	प्रजावाणी	12.02.2015

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्स्चेंजों को प्रस्तुत की जाती है ।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा नैगम अभिशासन में की गई पर्यावरण संरक्षण पहल

प्रलेखों को ई-माध्यम से भेजे जाने संबंधी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, उन सदस्यों को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजी जाएंगी, जिन्होंने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (पी) लि., रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आई डी पंजीकृत किया है। वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 की सॉफ्ट प्रति बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 की हार्ड प्रतियाँ भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक के साथ अपना ई-मेल पता दर्ज नहीं कराया है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

सोलहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104 में शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 2015 को प्रात: 11.00 बजे होगी और वर्ष 2015-2016 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31.03.2015 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	09.05.2015
2.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	28.05.2015 से 30.05.2015
3.	बही बंदी	20.06.2015 से 26.06.2015
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	20.06.2015
5.	सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	26.06.2015
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर

xi. In terms of SEBI's Circular No. D & CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002 (Regulation 55A of the equity listing agreement, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of SyndicateBank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 06.05.2014, 30.07.2014, 07.11.2014 and 23.01.2015, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The Shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through newspapers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly/half-yearly financial results are published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard, etc., and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half-yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2014	Economic Times, Financial Express, Business Line	Udayavani	08.05.2014
Quarter ended June 2014	Business Standard, Financial Express	Vijaya Karnataka	01.08.2014
Half-year ended September 2014	Business Line, Mint	Vijayavani	09.11.2014
Quarter ended December 2014	Financial Express	Prajavani	12.02.2015

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2014-2015 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Soft copy of Annual Report 2014-2015 will be placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2014-2015 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the Bank.

GENERAL INFORMATION TO Shareholders:

Sixteenth Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 26.06.2015 at 11.00 a.m. and Financial Calendar of the Bank for the year 2015-2016 is as follows.

Sl. No.	Nature of activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2015 and recommending Dividend, etc.	09.05.2015,
2.	Mailing of Annual Reports	28.05.2015 to 30.05.2015
3.	Book Closure	20.06.2015 to 26.06.2015
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	20.06.2015
5.	Sixteenth Annual General Meeting	26.06.2015
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter

सूचीकरण

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है ।

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
ए.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्स्चेंज प्लाज़ा'', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	–
बी.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	532276

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई. 667ए 01018 है ।

दि. 31.03.2016 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

शेयर बाजार डेटा

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-मास	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)
2014 – अप्रैल	107.65	93.30	50,12,059	107.70	93.30	4,27,27,876
2014 – मई	162.30	97.15	1,08,30,274	163.00	97.00	8,81,54,726
2014 – जून	177.85	141.10	1,12,62,258	177.70	141.10	8,54,54,029
2014 – जुलाई	179.10	139.00	1,08,38,871	180.00	138.85	9,77,09,351
2014 – अगस्त	149.80	118.45	88,04,312	149.90	118.50	8,73,52,294
2014 – सितंबर	133.40	102.15	64,63,158	133.65	102.15	6,22,15,618
2014 – अक्तूबर	126.35	106.35	38,86,427	126.80	106.20	3,34,25,285
2014 – नवंबर	133.45	120.00	48,82,906	133.50	119.85	4,04,06,789
2014 – दिसंबर	141.15	111.55	73,26,392	141.30	111.70	5,92,32,805
2015 – जनवरी	136.40	116.00	48,69,340	136.45	115.60	3,92,67,647
2015 – फरवरी	122.20	103.15	84,35,045	122.40	103.00	5,21,68,185
2015 – मार्च	127.50	95.00	21,25,953	127.00	95.00	3,16,62,166

बीएसई बैंकेक्स एवं सीएनएक्स पीएसयू बैंक की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत है।

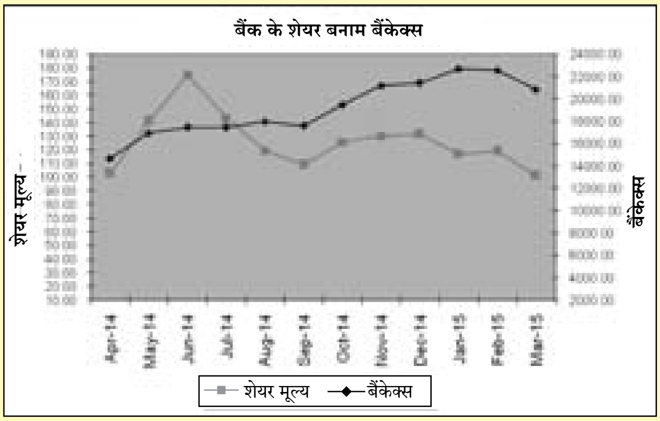

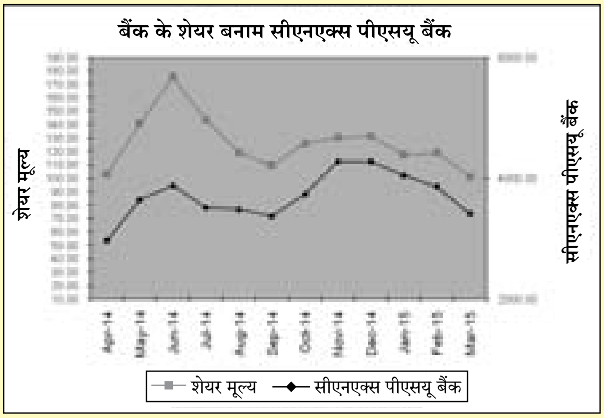

Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges :

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a.	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	-----------
b.	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.
The Annual Listing fees upto 31.03.2016 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

STOCK MARKET DATA:

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) during the Financial Year 2014-2015 is as follows:

Year-Month	BSE			NSE		
	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos)	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos)
2014 – April	107.65	93.30	50,12,059	107.70	93.30	4,27,27,876
2014 - May	162.30	97.15	1,08,30,274	163.00	97.00	8,81,54,726
2014 – June	177.85	141.10	1,12,62,258	177.70	141.10	8,54,54,029
2014 – July	179.10	139.00	1,08,38,871	180.00	138.85	9,77,09,351
2014 – Aug	149.80	118.45	88,04,312	149.90	118.50	8,73,52,294
2014 - Sept	133.40	102.15	64,63,158	133.65	102.15	6,22,15,618
2014 – Oct	126.35	106.35	38,86,427	126.80	106.20	3,34,25,285
2014 – Nov	133.45	120.00	48,82,906	133.50	119.85	4,04,06,789
2014 – Dec	141.15	111.55	73,26,392	141.30	111.70	5,92,32,805
2015 – Jan	136.40	116.00	48,69,340	136.45	115.60	3,92,67,647
2015 – Feb	122.20	103.15	84,35,045	122.40	103.00	5,21,68,185
2015 – Mar	127.50	95.00	21,25,953	127.00	95.00	3,16,62,166

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Bankex and CNS PSU Bank are as under:

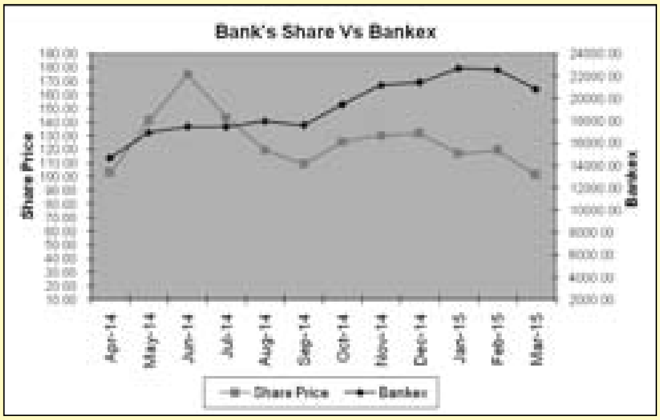

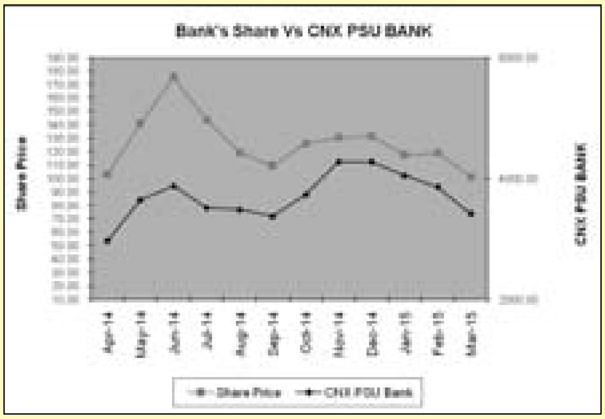

शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

ए) कागज़ी शेयर

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर प्रभावी हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट सं. 31-32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032
दूरभाष : 040 67162222 अथवा 040 67161516 (सीधा)
फैक्स : 040-23001153
टोल फ्री सं : 1800-345-4001

बी) बेकागज़ी शेयर

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बीएसई लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपागार हैं।

दि. 10.04.2015 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 96.58% को बेकागज़ीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 45,83,94,888 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी का हिस्सा कुल प्रदत्त पूंजी का 69.24% है जो बेकागज़ीकृत फार्म में है।

दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कुल की प्रतिशतता
ए. कागज़ी	1,10,382	44.97	6,01,22,435*	9.08
बी. बेकागज़ी				
• एन.एस.डी.एल.	1,01,079	41.18	16,88,02,917	25.50
• सी.डी.एस.एल.	34,014	13.85	43,31,33,820	65.42
कुल	**2,45,475**	**100.00**	**66,20,59,172**	**100.00**

* इसमें भारत सरकार को दि. 31.03.2015 को आबंटित 3,74,74,541 ईक्विटी शेयर शामिल हैं। एन एस ई/बी एस ई से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इन शेयरों को दि.10.04.2015 को भारत सरकार के डी-मैट खाते में जमा कर दिया गया।

शेयरधारण का पैटर्न

दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक का धारण**		
1	प्रवर्तक		
	भारत सरकार	45,83,94,888	69.24
	विदेशी प्रवर्तक	शून्य	
2	सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति	शून्य	
	कुल	**45,83,94,888**	**69.24**

SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS:

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of fiteen days from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrar and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrar and Transfer agents at the following address:
M/s. Karvy ComputerShare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 -32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 67162222 or 040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

(b) Shares in demat form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No. 532276 with BSE Ltd. The National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

As on 10.04.2015, 96.58% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e. 45,83,94,888 equity shares constituting 69.24% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2015 are as under:

	No. of Shareholders	% to total	No. of Shares	% to total
A. PHYSICAL	1,10,382	44.97	6,01,22,435*	9.08
B. DEMAT				
• NSDL	1,01,079	41.18	16,88,02,917	25.50
• CDSL	34,014	13.85	43,31,33,820	65.42
TOTAL	**2,45,475**	**100.00**	**66,20,59,172**	**100.00**

* Includes 3,74,74,541 equity shares allotted to GOI on 31.03.2015. The shares were credited to Demat account of GOI on 10.04.2015 after obtaining approvals from NSE/BSE.

Shareholding Pattern

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2015 is as follows:

Sl. No.	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	Government of India	45,83,94,888	69.24
	Foreign promoters	NIL	
2	Persons acting in concert	NIL	
	Total	**45,83,94,888**	**69.24**

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
बी.	**गैर–प्रवर्तक धारण**		
3	संस्थागत निवेशक		
ए.	म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	37,74,702	0.57
बी.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	13,60,125	0.21
सी.	बीमा कंपनियाँ	6,23,60,894	9.42
डी.	एफ.आई.आई.	4,63,39,406	7.00
ई.	अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक	1,00,88,276	1.52
	उप–जोड़	**12,39,23,403**	**18.72**
4	अन्य		
ए.	निजी कॉरपोरेट निकाय	1,25,35,345	1.89
बी.	भारतीय जनता	6,52,33,857	9.85
सी.	एनआरआइ/ओसीबी	15,61,025	0.24
डी.	अन्य	4,10,654	0.24
	उप–जोड़	**7,97,40,881**	**12.04**
	गैर–प्रवर्तक धारण की जोड	**20,36,64,284**	**30.76**
	कुल जोड़	**66,20,59,172**	**100.00**

दि. 31.03.2015 की स्थिति में 1% से अधिक चुकता शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तक	**भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग, नई दिल्ली	45,83,94,888	69.24
बीमा कंपनियां	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	5,37,70,353	8.12
	कुल	**51,21,65,241**	**77.36**

दि. 31.03.2015 की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न

क्र. सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (₹)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (₹)	कुल की प्रतिशतता
1.	500 तक	33351	13.59	887698	8876980.00	0.13
2.	501 - 1000	90330	36.80	8889364	88893640.00	1.34
3.	1001 - 2000	53079	21.62	9773659	97736590.00	1.48
4.	2001 - 3000	19020	7.75	5372539	53725390.00	0.81
5.	3001 - 4000	25604	10.43	10122562	101225620.00	1.53
6.	4001 - 5000	7447	3.03	3568965	35689650.00	0.54
7.	5001 - 10000	10573	4.31	8207720	82077200.00	1.24
8.	10001 - 50000	5092	2.07	10403672	104036720.00	1.57
9.	50001 - 100000	422	0.17	3135961	31359610.00	0.47
10.	100001 और उससे अधिक	557	0.23	601697032	6016970320.00	90.88
	कुल	**245475**	**100.00**	**662059172**	**6620591720.00**	**100.00**

Sl. No.	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
B	**Non-Promoter Holding**		
3	Institutional Investor		
a.	Mutual Funds and UTI	37,74,702	0.57
b.	Banks, Financial Institutions	13,60,125	0.21
c.	Insurance Companies	6,23,60,894	9.42
d.	FII's	4,63,39,406	7.00
e.	Foreign Portfolio Investors	1,00,88,276	1.52
	Sub Total	**12,39,23,403**	**18.72**
4	Others		
a.	Private Corporate Bodies	1,25,35,345	1.89
b.	Indian Public	6,52,33,857	9.85
c.	NRIs/OCBs	15,61,025	0.24
d.	Any Others	4,10,654	0.24
	Sub Total	**7,97,40,881**	**12.04**
	Total Non-Promoters Holding	**20,36,64,284**	**30.76**
	Grand Total	**66,20,59,172**	**100.00**

Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2015

Category	Name of the Shareholder	No. of shares	% of shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	45,83,94,888	69.24
Insurance	**Life Insurance Corporation of India**	5,37,70,353	8.12
	Total	**51,21,65,241**	**77.36**

Distribution Pattern as on 31.03.2015

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Shareholders	% age of Total	No. of Shares	Amount (₹)	% age to Total
1.	Upto 500	33351	13.59	887698	8876980.00	0.13
2.	501 - 1000	90330	36.80	8889364	88893640.00	1.34
3.	1001 - 2000	53079	21.62	9773659	97736590.00	1.48
4.	2001 - 3000	19020	7.75	5372539	53725390.00	0.81
5.	3001 - 4000	25604	10.43	10122562	101225620.00	1.53
6.	4001 - 5000	7447	3.03	3568965	35689650.00	0.54
7.	5001 - 10000	10573	4.31	8207720	82077200.00	1.24
8.	10001 - 50000	5092	2.07	10403672	104036720.00	1.57
9.	50001 - 100000	422	0.17	3135961	31359610.00	0.47
10.	100001 and above	557	0.23	601697032	6016970320.00	90.88
	TOTAL:	**245475**	**100.00**	**662059172**	**6620591720.00**	**100.00**

दि. 31.03.2015 तक शेयरधारकों का भौगोलिक विस्तार

स्थान	कागज़ी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
–भारत सरकार	1	37474541	5.66	1	420920347	63.58	2	458394888	69.24
– अन्य	6903	1833601	0.28	10179	5140163	0.78	17082	6973764	1.05
बेंगलूर	11074	2302381	0.35	12070	3734297	0.56	23144	6036678	0.91
चेन्नई	3154	640200	0.10	5806	2381013	0.36	8960	3021213	0.46
हैदराबाद	3826	830600	0.13	5447	2561432	0.39	9273	3392032	0.51
कोलकाता	1423	348601	0.05	4090	4838828	0.73	5513	5187429	0.78
मंगलूर	1636	349325	0.05	2528	916319	0.14	4164	1265644	0.19
मुंबई	4088	990212	0.15	14003	133542950	20.17	18091	134533162	20.32
उडुपि	4434	854970	0.13	2984	991401	0.15	7418	1846371	0.28
अन्य स्थान	73843	14498004	2.19	77985	26909987	4.06	151828	41407991	6.25
कुल	**110382**	**60122435**	**9.08**	**135093**	**601936737**	**90.92**	**245475**	**662059172**	**100.00**

स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है :

- शेयरों का अंतरण
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.) भुगतान की एक आधुनिक राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को राष्ट्रीय ई.सी.एस. सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी केंद्रों में सुविधा प्राप्त करने के विकल्प के साथ यह सेवा प्रदान की है।

एनईसीएस अधिदेश प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिससे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में नामांकन निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2015

Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding
Delhi									
- GOI	1	37474541	5.66	1	420920347	63.58	2	458394888	69.24
- Others	6903	1833601	0.28	10179	5140163	0.78	17082	6973764	1.05
Bangalore	11074	2302381	0.35	12070	3734297	0.56	23144	6036678	0.91
Chennai	3154	640200	0.10	5806	2381013	0.36	8960	3021213	0.46
Hyderabad	3826	830600	0.13	5447	2561432	0.39	9273	3392032	0.51
Kolkata	1423	348601	0.05	4090	4838828	0.73	5513	5187429	0.78
Mangalore	1636	349325	0.05	2528	916319	0.14	4164	1265644	0.19
Mumbai	4088	990212	0.15	14003	133542950	20.17	18091	134533162	20.32
Udupi	4434	854970	0.13	2984	991401	0.15	7418	1846371	0.28
Others	73843	14498004	2.19	77985	26909987	4.06	151828	41407991	6.25
TOTAL	**110382**	**60122435**	**9.08**	**135093**	**601936737**	**90.92**	**245475**	**662059172**	**100.00**

PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares
- Deletion of name of the deceased shareholder/s
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest, etc. are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the Shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under National ECS facility.

NECS mandate form is appended with the Annual Report.

NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the Shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू है, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को ''वर्ष ...... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार बैंक के वर्ष 1999-2000 से 2006-2007 तक के अंतिम लाभांश के अप्रदत्त खाते में शेष बकाया राशि को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में जुलाई-आगस्त के दौरान अंतरित किया गया था जो क्रम सं. 1 से 12 तक निम्नलिखित है।

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
1.	लाभांश 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2.	लाभांश 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25.07.2014
3.	लाभांश 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17.07.2014
4.	लाभांश 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18.07.2014
5.	अंतरिम लाभांश 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18.07.2014
6.	अंतिम लाभांश 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18.07.2014
7.	अंतरिम लाभांश 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18.07.2014
8.	अंतिम लाभांश 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18.07.2014
9.	अंतरिम लाभांश 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18.07.2014
10.	अंतिम लाभांश 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18.07.2014
11.	अंतरिम लाभांश 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18.07.2014
12.	अंतिम लाभांश 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16.08.2014
	कुल		**6,00,76,647/-**	

बैंक के अन्य अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आई ई पी एफ में अंतरण हेतु नियत तिथि निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तिथि	दि. 31.03.2015 को शेष (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण हेतु नियत तारीख
1.	अंतरिम लाभांश 2007-08	3008.101.7530	11.04.2008	78,46,132/-	11.05.2015 *
2.	अंतिम लाभांश 2007-08	3008.101.7839	18.07.2008	67,76,872/-	18.08.2015
3.	अंतरिम लाभांश 2008-09	3008.101.8078	29.04.2009	87,29,127/-	29.05.2016
4.	अंतिम लाभांश 2008-09	3008.101.8160	21.07.2009	90,92,868/-	21.08.2016
5.	लाभांश 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,72,20,105/-	06.08.2017
6.	लाभांश 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,22,82,106/-	07.08.2018
7.	लाभांश 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,63,82,225/-	17.09.2019
8.	लाभांश 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,56,25,542/-	28.07.2020
9.	अंतरिम लाभांश 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	2,06,63,234/-	28.02.2021
10.	अंतिम लाभांश 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,13,73,017/-	27.07.2021

* आई ई पी एफ में अंतरित

UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ...."

ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

Amounts lying under unpaid dividend accounts from 1999-2000 till final 2006-2007 of the Bank, numbering 12 detailed hereunder were transferred to Investor Education Protection Fund (IEPF) maintained by Ministry of Corporate Affairs, New Delhi, during July and August 2014, as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (₹)	Date of transfer to IEPF
1.	Dividend 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2.	Dividend 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25.07.2014
3.	Dividend 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17.07.2014
4.	Dividend 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18.07.2014
5.	Interim Dividend 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18.07.2014
6.	Final Dividend 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18.07.2014
7.	Interim Dividend 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18.07.2014
8.	Final Dividend 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18.07.2014
9.	Interim Dividend 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18.07.2014
10.	Final Dividend 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18.07.2014
11.	Interim Dividend 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18.07.2014
12.	Final Dividend 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16.08.2014
	TOTAL		**6,00,76,647/-**	

The Details of other Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current account No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2015 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1.	Interim Dividend 2007-08	3008.101.7530	11.04.2008	78,46,132/-	11.05.2015 *
2.	Final Dividend 2007-08	3008.101.7839	18.07.2008	67,76,872/-	18.08.2015
3.	Interim Dividend 2008-09	3008.101.8078	29.04.2009	87,29,127/-	29.05.2016
4.	Final Dividend 2008-09	3008.101.8160	21.07.2009	90,92,868/-	21.08.2016
5.	Dividend 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,72,20,105/-	06.08.2017
6.	Dividend 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,22,82,106/-	07.08.2018
7.	Dividend 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,63,82,225/-	17.09.2019
8.	Dividend 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,56,25,542/-	28.07.2020
9.	Interim Dividend 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	2,06,63,234/-	28.02.2021
10.	Final Dividend 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,13,73,017/-	27.07.2021

* Since Transferred to IEPF.

निदेशक का नाम तथा लाभांश का वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांशों के विवरण भी शेयरधारकों के लिए बैंक ने वेबसाइट पर शेयरहोल्डर इन्फोर्मेशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में अप्रदत्त लाभांशों अथवा 7 वर्षो तक दावा न किये जानेवाले लाभांशों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार अंतरिम एवं अंतिम लाभांश 2007-08 जो क्रमश: मई–अगस्त 2015 में 7 वर्ष पूरे होंगे, अंतरण के लिए शेष हैं।

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि सहायता हेतु बैंक के निवेशक संपर्क केंद्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूरु से संपर्क करें।

बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:
बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

बंध पत्र

पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने ईक्विटी में परिवर्तित न होने योग्य असुरक्षित एवं प्रतिदेय बांड को जारी किया है। दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	शृंखला	साइज (करोड़ ₹ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता की तिथि	कूपन दर
1.	शृंखला VIII	500.00	20.06.2005	20.04.2015	7.40
2.	शृंखला IX	500.00	15.12.2005	15.04.2015	7.60
3.	टियर II शृंखला I	619.60	27.07.2006	27.07.2021	9.35
4.	टियर II शृंखला II	200.10	28.02.2007	28.02.2022	9.30
5.	टियर I शृंखला I	240.00	25.03.2008	31.12.2019	9.90
6.	एल टी II शृंखला X	300.00	26.12.2008	26.12.2018	8.60
7.	शृंखला आई.पी.डी.आई. *टियर I	339.00	12.01.2009	30.12.2019	9.40
8.	शृंखला आई.पी.डी.आई. *टियर I	200.00	15.06.2009	15.06.2019	8.49
9.	शृंखला आई.पी.डी.आई. *टियर I	194.00	29.06.2009	31.12.2020	8.90
10.	शृंखला आई.पी.डी.आई. *टियर I	1000.00	31.12.2012	31.12.2022	9.00
11.	शृंखला आई.पी.डी.आई. *टियर II	750.00	02.12.2014	02.12.2024	8.95
12.	शृंखला आई.पी.डी.आई. *टियर II	400.00	23.03.2015	22.03.2025	8.75

* आई पी डी आई – नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

अदावी शेयर

''सेबी'' द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं- सेबी/सी.एफ.डी./डी.आई.एल./एल.ए./1/2009/24/04 दि. 24.04.2009 के अनुसार बैंक अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	**सिंडिकेटबैंक**
डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी.	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक – अदावी उचंत खाता–डीमैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद – 500 034

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under Shareholders information.

In terms of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividends remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Companies Act. Accordingly Interim and Final Dividend 2007-2008, which will be completing 7 years during May and August 2015, respectively, are due for transfer.

Such of those Shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:

The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

Bonds

Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2015 are as follows:

Sl. No.	Series	Size (₹ in Crore)	Allotment Date	Maturity Date	Coupon Rate
1.	SERIES VIII	500.00	20.06.2005	20.04.2015	7.40
2.	SERIES IX	500.00	15.12.2005	15.04.2015	7.60
3.	TIER II SERIES I	619.60	27.07.2006	27.07.2021	9.35
4.	TIER II SERIES II	200.10	28.02.2007	28.02.2022	9.30
5.	TIER I SERIES I	240.00	25.03.2008	31.12.2019	9.90
6.	LT II SERIES X	300.00	26.12.2008	26.12.2018	8.60
7.	SERIES IPDI TIER I	339.00	12.01.2009	30.12.2019	9.40
8.	SERIES IPDI TIER I	200.00	15.06.2009	15.06.2019	8.49
9.	SERIES IPDI TIER I	194.00	29.06.2009	31.12.2020	8.90
10.	SERIES IPDI TIER I	1000.00	31.12.2012	31.12.2022	9.00
11.	SERIES IPDI TIER II	750.00	02.12.2014	02.12.2024	8.95
12.	SERIES IPDI TIER II	400.00	23.03.2015	22.03.2025	8.75

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

Unclaimed Shares

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2015:

Name of the Depository Participant	**SyndicateBank**
DPID /CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (बेकागज़ी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	116	21605
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	2	326
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2014-15 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	2	326
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	114	21279

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में अर्थात दि. 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	535	96100
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	3	300
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2014-15 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	3	300
4. वर्ष के अंत में अर्थात दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	532	95800

दि. 31.03.2015 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	**सिंडिकेटबैंक**
डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी.	1305060000006721
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

सेबी विनियमावली 1992/2015 (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन

उक्त विनियमावली के अनुसार बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुन:, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 28.04.2014 से 08.05.2014 तक	31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा तथा वर्ष 2013-2014 के लिए अंतिम लाभांश
दि. 22.07.2014 से 01.08.2014 तक	30 जून 2014 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 29.10.2014 से 08.11.2014 तक	30 सितंबर 2014 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 02.02.2015 से 12.02.2015 तक	31 दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

बैंक सेबी (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में आचार संहिता बनाने की प्रक्रिया में है, जो 16.05.2015 से प्रभावी है।

टेक ओवर संहिता

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमावली 2011 के प्रावधानों का पालन किया है।

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of Shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2014	116	21605
2. Number of Shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2014-2015	2	326
3. Number of Shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2014-2015	2	326
4. Aggregate number of Shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2015	114	21279

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of Shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2014	535	96100
2. Number of Shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2014-2015	3	300
3. Number of Shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2014-2015	3	300
4. Aggregate number of Shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2015	532	95800

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2015:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID/CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 1992 /2015

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 28.04.2014 to 08.05.2014	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2014 and final dividend for 2013-2014
From 22.07.2014 to 01.08.2014	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2014
From 29.10.2014 to 08.11.2014	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2014
From 02.02.2015 to 12.02.2015	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2014.

Bank is in the process of framing code of conduct in terms of SEBI (Prohibtion of Insider Trading) Regulations, 2015, which is effective from 16.05.2015.

Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, from time to time.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट 2014-15 (सूचीकरण करार का खंड 55)

भाग ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1. बैंक की कार्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
2. बैंक का नाम	सिंडिकेटबैंक
3. प्रधान कार्यालय	मणिपाल 576 104
4. वेबसाइट	www.syndicatebank.in
5. ई-मेल	inrc@syndicatebank.co.in
6. रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष	2014-2015
7. उस क्षेत्र का नाम जिसमे बैंक जुड़ा हो (औद्योगिक गतिविधि कूटवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जिन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है (जैसा कि तुलन पत्र में है)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9. बैंक द्वारा कारोबार किये जाने के कुल स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में 3551 शाखाएं 1 (लंदन)
10. बैंक द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराए जानेवाले बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंताराष्ट्रीय स्तर पर	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की शाखाएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यू. के. में बैंक की शाखा है।

भाग बी : बैंक के वित्तीय विवरण

1. चुकता पूंजी (भारतीय रुपये)	₹662,06 करोड़
2. कुल लेन-देन (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹2372475 लाख
3. कर के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹152293 लाख
4. कर (%) पश्चात लाभ की प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल खर्च	वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर कार्यकलाप के अंतर्गत ₹214.14 लाख खर्च हुई है जो कर पश्चात लाभ का 0.13 % है।
5. कार्यकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त (4) खर्च हुई है।	गरीबों में कंबल वितरण सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर वितरण मंदिर, ट्रस्ट तथा गरीबों के लिए सेवा संबंधी विविध कार्यक्रम आयोजित करनेवाले परोपकारी संस्थाओं को दान एसएलआई, डीवीडी, पीडीडी व आत्मकेंद्रित जैसे विकारों से ग्रस्त बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना मरीजों को एक दिन मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों को दान नदी जीर्णोद्धार परियोजना को दान विशाखापट्टणम में हुद-हुद चक्रवात पीड़ित राहत कैंपों को दान शौचालय बनाने हेतु स्कूलों को दान

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या बैंक की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ है/हैं	हाँ 1. सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड
2. क्या सहायक कंपनियाँ अपने मूल बैंक के बीआर पहल का कार्यान्वयन करती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या	▪ सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों का निवल लाभ बड़े पैमाने पर किसी भी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं था।
3. कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण, आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ बैंक का कारोबार हो, क्या बैंक के बी आर पहल में शामिल होते है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT – 2014-2015 (Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Bank	Not Applicable
2. Name of the Bank	Syndicate Bank
3. Head Office	Manipal 576 104
4. Website	www.syndicatebank.in
5. Email	inrc@syndicatebank.co.in
6. Financial Year Reported	2014-2015
7. Sectors that the Bank is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank. No. of Locations I. National II. International	 3551 branches as on 31.03.2015 1 (London)
10. Markets served by the Bank-Local/State/National/International	National and International Markets Bank has branches in all the States and Union Territories of India and International presence in UK.

Section B: Financial Details of the Bank

1. Paid-up Capital (INR)	₹662.06 Crore
2. Total Turnover (INR)/ Revenue	₹2372475 lakh
3. Total Profit after Tax (INR)	₹152293 lakh
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Amount spent under CSR activity during 2014-15 is ₹ 214.14 lakh which is 0.13% of Profit after Tax
5. List of the activities in which expenditure on (4) above has been incurred:	Distribution of blankets to needy persons; Water coolers to Government schools; Donation to temple, trust, Charitable and philanthropic society for conducting various service activities for poor people, Providing training to the children with development disorders such as SLI, DVD, PDD and Autism; Donation to hospitals for providing free meals for one day to the patients ; Donation towards river rejuvenation project; Donation to Hud Hud cyclone relief camps for victims in Visakhapatnam; Donation to schools for construction of toilets;

Section C: Other Details

1. Does the Bank have any Subsidiary Bank/ Companies:	YES 1. SyndBank Services Ltd.
2. Do the subsidiaries implement BR initiatives of the parent Bank? If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	▪ Net profit of SyndBank Services Ltd. for last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale.
3. Do any other entity/entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Bank does business with, participate in the BR initiatives of the Bank? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%).	NO

भाग डी : बी आर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	लागू नहीं
पदनाम	लागू नहीं

II. बीआर प्रमुख के विवरण

क्रम सं.	ब्यौरे	विवरण
1.	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री बी. के. पण्डित
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22201903
5.	ई-मेल आईडी	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ : (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय सार	उत्पाद दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों की वचनबद्धता	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी वृद्धि	ग्राहक संपर्क
1.	क्या आपके पास इनके लिए नीति/नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या संबंधित हितधारकों के संपर्क से इन नीतियों को सूत्रबद्ध किए जा रहे हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है ? यदि हाँ तो, (50 शब्दों में) स्पष्ट करें।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या यह प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या बैंक में इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की समिति निर्धारित की गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाईन देखने के लिए लिंक के ब्यौरे दें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या इस नीति से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या बैंक में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक ढांचा उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या बैंक के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायत निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या बैंक ने इस नीति के कार्य प्रचालन के लिए किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाई है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

   I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA
Name	NA
Designation	NA

   II. Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN No. (if applicable)	NA
2.	Name	Shri B. K. Pandit
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone no.	080 22201903
5.	e-mail id	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl. No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the Bank have a specified Committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the Bank have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Bank have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the Bank carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2ए. यदि क्रम सं. 1 के खिलाफ किसी भी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो ऐसा क्यों है? कृपया व्याख्या करें (2 विकल्पों तक चिह्न लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	बैंक इन सिद्धांतों को समझ नहीं पायी है									
2.	बैंक उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को सूत्रबद्ध तथा कार्यान्वित कर सके									
3.	बैंक के पास इस कार्य हेतु वित्तीय अथवा मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है।									
5.	इसे अगले1 वर्ष के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है ।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ निदेशक मंडल, बोर्ड समिति अथवा सीईओ द्वारा बैंक के बीआर निष्पादन के निर्धारण के अंतराल को दर्शाएँ	▪ यह पहला वर्ष होने के कारण निदेशक मण्डल की एक बैठक हुई थी जिसमें इस नीति पर विचार करके इसे अनुमोदित किया गया।
▪ क्या बैंक बीआर अथवा धारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	▪ इसे उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा

भाग ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार का लेन–देन एवं अभिशासन उनकी नीति, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए

1. क्या एथिक्स, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबन्धित पॉलिसी केवल बैंक तक ही सीमित है? क्या इसका विस्तार, समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य तक है?	▪ फरवरी 2006 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि ग्राहकों को बैंक के साथ अपने लेन–देनों में बेहतर सेवा मिल सके । ▪ बीसीएसबीआई ने 'ग्राहक के प्रति बैंक प्रतिबद्धताओं की संहिता – जनवरी 2014' और 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता – अगस्त 2012' का प्रकाशन किया जिससे बैंकों के अनुपालन हेतु बैंकिंग प्रक्रिया के न्यूनतम मानक तथा ग्राहक सेवा के बेंचमार्क तय किए गए । ▪ हमारा बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, अपने ग्राहकों के साथ लेन–देनों में उपर्युक्त संहिताओं को अपने सर्वोत्तम व्यवहार संहिता के रूप में स्वैच्छिक रूप से अपनाया है । ▪ ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता कार्यान्वयन हेतु निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखा गया है । ▪ ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता और एमएसई के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता, ऋण से संबंधित कार्यों का विस्तार से वर्णन करती है, जिसमें ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को दी जानेवाली दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें इत्यादि शामिल हैं । ▪ संहिता की पूरी प्रति www.syndicatebank.in पर उपलब्ध है। ▪ 'सिंडिकेटबैंक का सिटिजन चार्टर', बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ▪ सिटिजन चार्टर के साथ उक्त संहिता से ग्राहकों के साथ बैंक के लेन-देनों में जवाबदेही, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा । ▪ चार्टर, बैंक की शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित व्यापक जानकारी भी उपलब्ध कराता है । इससे, बैंकर–ग्राहक के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए ग्राहकों के दायित्व की भी जानकारी मिलती है ।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	The Bank has not understood the Principles									
2.	The Bank is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The Bank does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within next 1 year									
6.	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Bank	▪ This being the first year, there was one meeting of the Board of Directors at which policy was considered and approved.
▪ Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	▪ In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ▪ The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2012" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ▪ Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. ▪ Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation. ▪ Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc. ▪ Complete copy of the Code is available at www.syndicatebank.in. ▪ "Citizens' Charter of SyndicateBank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank. ▪ The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. ▪ The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship.

2. गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का निवारण संतोषप्रद तरीके से किया गया। यदि हो तो, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे दें।	
▪ वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	637
▪ वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	17787
▪ वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	18012
▪ वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	412
▪ निवारण की गई शिकायतों की प्रतिशतता	97.76%

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सुरक्षित हो तथा अपने संपूर्ण जीवन काल तक बने रहे

1. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण सरोकारों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों को देखते हुए तैयार किया गया है।	▪ बैंक निम्नांकित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसरों को शामिल किया गया है: ▪ स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ▪ वित्तीय साक्षरता केन्द्र और वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र ▪ सिंडिकेट ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एस आर डी टी) ▪ किसान क्लब एवं ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक): i) पूरे वैल्यू चैन में पिछले वर्ष से प्राप्त वितरण/उत्पादन/सोर्सिंग के दौरान कटौती ii) उपभोक्ता द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से प्राप्त हुई कटौती	लागू नहीं
3. क्या बैंक के पास स्थिर सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्रवाई हो रही है i) यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सस्टेनेबिलिटी सोर्स किया गया? साथ ही, 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें	लागू नहीं लागू नहीं
4. क्या बैंक ने अपने कार्यस्थल के आस-पास के समुदायों सहित स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो, स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन खर्च कम करने तथा समय की बचत करने के खास उद्देश्य से वस्तुएँ खरीदने में नजदीकी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है ।
5. क्या बैंक के पास उत्पादों तथा अपशिष्टों को रीसाइकिल करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ तो, उत्पादों तथा अपशिष्टों के रीसाइकिलिंग की प्रतिशतता दर्शाएँ (<5%, 5%-10% के रूप में अलग से)। साथ ही, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे प्रस्तुत करें।	हाँ <5%

सिद्धांत 3 : कारोबार से समस्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ावा मिले

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	घरेलू : (अंशकालिक सफाई कर्मियों को छोड़कर) 27446
2. कृपया किराये पर/अस्थाई/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (वर्ष के दौरान)	बैंक, ठेका मज़दूर की सेवाओं का उपयोग नहीं करता है। तथापि, बैंक निजी सुरक्षा एजेन्सियों (पी एस ए) और अभिरक्षा सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	6996
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	558

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	
▪ No. of complaints pending at the beginning of the year	637
▪ No. of complaints received during the year	17787
▪ No. of complaints redressed during the year	18012
▪ No. of complaints pending during the year	412
▪ % age of complaints resolved	97.76%

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.	▪ Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns, and opportunities: ▪ Self Help Groups and Joint Liability Groups ▪ Financial Literacy Centre and Financial Inclusion Resource Centres ▪ Syndicate Rural Development Trust (SRDT) ▪ Farmers' Clubs & Rural Extension Education Programmes
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NOT APPLICABLE
3. Does the Bank have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE
4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES <5%

Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employees

1. Please indicate the Total number of employees	Domestic: (excl. Part Time Sweepers) 27446
2. Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis (during the year)	The Bank does not engage contact labour. However, the Bank is utilizing the services of private security agencies (PSA) and ward services
3. Please indicate the number of permanent women employees	6996
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	558

5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ हैं, जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हो	हाँ
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ से जुडे कर्मचारियों की प्रतिशतता	सिंडिकेटबैंक अधिकारी संघ (एसबीओए) - 93% सिंडिकेटबैंक कर्मचारी यूनियन (एसबीईयू) - 79%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बालश्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैछिक मजदूरी, यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या दर्शाएँ

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की सं.	वित्तीव वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.
1.	बालश्रम/जबरन मजदूरी/अस्वैछिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2.	यौन शोषण	2	1
3.	भेदभाव रोजगार	शून्य	शून्य

8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों की प्रतिशतता, जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण दिए गए?	
▪ स्थायी कर्मचारी	55.93%
▪ स्थायी महिला कर्मचारी	24.37%
▪ अनियत/अस्थायी/ठेका कर्मचारी	शून्य
▪ विकलांग कर्मचारी	-

सिद्धांत 4 : कारोबार, समस्त हितधारकों, विशेषकर लाभ से वंचित, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों के हितों का ख्याल रखे तथा उनके प्रति जवाबदेह हो

1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया है? हाँ/नहीं	हाँ ▪ शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे, सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्यूच्युअल फंड, बैंकों एवं व्यक्ति ▪ ग्राहकों को लार्ज कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया गया है ▪ एच.आर.एम. विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखता है
2. उपर्युक्त में से, क्या बैंक ने सुविधाओं से वंचितों, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने सुविधाओं से वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों की पहचान भी की है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, काश्तकारी और पट्टाधारी किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं । इन्हें, विशेष ऋण सुविधाओं सहित किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री आभूषण ऋण, संयुक्त देयता समूह आदि शामिल हैं, ताकि स्थानीय साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त कर सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।
3. क्या बैंक द्वारा किया गया कोई भी विशेष पहल वहाँ वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों से संबंधित है। यदि हाँ तो, 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	हाँ सिंडिकेटबैंक और विजया बैंक ने दोनों बैंकों के अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) को खोलने के लिए दिनांक 20.10.2010 को मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की संयुक्त रूप से स्थापना की है । उसके बाद, गुडगाँव ग्रामीण बैंक और कर्नाटक बैंक लिमिटेड भी प्रायोजकों के रूप में ट्रस्ट से जुड़ गए हैं। • बैंक की ओर से ट्रस्ट ने 46 एफएलसी को खोला है । • आरंभ होने की तारीख से ट्रस्ट द्वारा 3,57,001 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । • इन एफएलसी द्वारा 16, 78, 002 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया ।

5. Do you have an employee association that is recognized by the management	YES
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	SyndicateBank Officers Association (SBOA) 93% SyndicateBank Employees Union (SBEU) – 79%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil
2.	Sexual harassment	2	1
3.	Discriminatory Employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	
▪ Permanent Employees	55.93%
▪ Permanent Women Employees	24.37%
▪ Casual/ Temporary/ Contractual Employees	Nil
▪ Employees with Disabilities	-

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	YES ▪ Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals. ▪ Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ▪ HRM dept. looks after the interest of the Bank Employees.
2. Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.	YES Bank has also identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Joint Liability Group, etc., with the objective of liberating and rehabilitation of farmers from the clutches of local money lenders.
3. Are there any special initiative taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES SyndicateBank and Vijaya Bank have jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust at Mainpal on 20.10.2010 to set up Financial Literacy Centres(FLCs) in the Lead Districts of both the Banks. Subsequently, Gurgaon Gramin Bank and Karnataka Bank Ltd have also joined the Trust as sponsors. • 46 FLCs are opened by the trust on behalf of the Bank; • 3,57,001 programmes were conducted by the trust, since inception; • 16,78,002 individuals have been provided counseling through these FLCs.

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों को बढ़ावा एवं सम्मान देने वाला हो

1. क्या मानवाधिकारों पर बैंक की नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है	बैंक के पास अलग से कोई मानवाधिकार नीति नहीं है। तथापि, ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया?	शून्य

सिद्धांत 6 : व्यवसाय से सम्मान, सुरक्षा मिले एवं वातावरण को बहाल करने का अवसर मिले

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है।	हरित पहल हेतु बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: ▪ जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ▪ जिन क्रेडिट कार्ड धारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें विवरण ई-मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, और ▪ सभी विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के भुगतान केवल आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किए जाते हैं।
2. क्या वैश्विक वातावरण के मुद्दे, जैसे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, आदि पर ध्यान देने के लिए कोई रण नीति/पहल उपलब्ध है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	कई जगहों में बैंक पार्क एवं बगीचों का रख-रखाव करता है।
3. क्या बैंक को संभावित वातावरणीय जोखिम की पहचान है और वह वहाँ तक पहुँच रखता है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या कोई स्वच्छ विकास नीति से संबंधित परियोजना है ? यदि हाँ, तो 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ। साथहीं यदि हाँ, तो क्या कोई वातावरण अनुपालन दायर किया गया है ?	कारोबार की प्रकृति के तौर पर बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास नीति नहीं है।
5. क्या बैंक ने स्वच्छ तकनीकी , उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की शुरुआत की है । हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	हाँ ▪ उर्जा दक्षता वाले उपकरण कार्यालय में लगाए गए हैं। ▪ संसाधनों और उर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ▪ भुगतानों/लेन-देनों को नेट बैंकिंग द्वारा किया जाता है (चेक बुक, चालान, रसीद आदि के प्रयोग में पर्याप्त कमी की गई है)
6. क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/कचरा, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित सीमा के दायरे में है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/विधिक नोटिस की संख्या, जो लंबित हैं (संतोषजनक रूप से निपटाया नहीं)	शून्य

सिद्धांत 7 : व्यवसाय जब एक सार्वजनिक और विनियामक नीति के अनुसार कार्य करने लगे तो, एक जिम्मेदार ढंग से ऐसा करना चाहिए

1. क्या आपका बैंक कोई ट्रेड एवं चैम्बर या संगठन का सदस्य है ? यदि हाँ तो केवल उन प्रमुख संगठनों के नाम बताएं जिनसे आप व्यवसाय करते हैं।	हाँ आईबीए, आईआईबीएफ, आईबीपीएस, एनआईबीएम
2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से जनहित के सुधार या उन्नति हेतु वकालत/पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र बताएं (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन। आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, उर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संपोषणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माता के साथ घनिष्ठता से बैंक कार्य करता है।

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Bank on human rights cover only the Bank or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	Bank does not have a separate Human Rights Policy. However these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	NIL

Principle 6 : Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Does the policy relates to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/others.	Bank has taken the following steps towards Green Initiative: ▪ Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; ▪ Credit Card statements are sent to the card holders whose email ids are registered; and ▪ All payments to vendors, service providers etc. are made through RTGS/NEFT only.
2. Does they have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc.? Y/N. if yes, please give hyperlink for web page etc.	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks? Y/N	YES
4. Does they have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the Bank undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	YES ▪ Energy efficient equipment installed in the offices ▪ Steps taken to reduce wastage of resources and energy ▪ Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.)
6. Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	N A
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	YES IBA, IIBF, IBPS, NIBM
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	Bank works closely with the Policy makers for the sustainable development of the industry.

सिद्धांत 8 : व्यवसाय से समग्र विकास और समान विकास को बढ़ावा मिले

1. क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति की तलाश में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं। यदि हाँ, तो बताएं।	(ए) बेरोजगार युवकों को अल्पावधि प्रशिक्षण और एसकार्ट सेवाएं प्रदान करते हुए स्वरोजगार इकाइयों को स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वर्ष 1982 में एसडीएमई ट्रस्ट और केनरा बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) की स्थापना की है । देशभर में 16 राज्यों में 27 रूडसेटी कार्यरत हैं । (बी) बैंक, देशभर में सोसाइटी के बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन कर रहा है । बैंक ने देशभर में विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से 6380 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं । वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों में 103.80 लाख ग्राहकों के मूल बचत बैंक खाते खोले गये । तकनीकी लेवरेज करते हुए बैंक कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है । (सी) आगे, बैंक, ग्राहकों को छोटी रकम के ओवरड्राफ्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को अपेक्षित ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है । समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई और जीविका में सुधार लाने में इससे मदद मिलती है, जो समग्र रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है ।
2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/अपनी संस्था/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचा/कोई अन्य संस्था के माध्यम से ली गई है?	• जैसा कि पहले ही बताया गया है प्राधिकृत बैंक तथा संस्थागत प्रायोजकों की तरफ से वित्तीय साक्षरता केंद्रों की देख-रेख के लिए मणिपाल में दिनांक 20.10.2010 को ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की गई है । ये एफ़एलसीसी जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ ऋण परामर्श तथा ऋण संरचना योजनाओं से अवगत कराती है । • सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना गरीब ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई । एसआरडीटी के माध्यम से बैंक ने 5 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (सिंडआरसेटी) की स्थापना की है। • इन-हाउस तथा बाह्य एजेंसियाँ दोनों
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एफएलसी के असर तथा प्रभाव के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ।
4. समाज विकास परियोजना में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में रकम तथा ली गई परियोजना के ब्यौरे	वर्तमान वर्ष में रूडसेटी द्वारा 807 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 23692 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 16534 प्रशिक्षार्थी रोजगार में जुट गए । सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सिंड आरसेटी) ने वर्तमान वर्ष में 417 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 11766 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 6515 अभ्यर्थी रोजगार में जुट गए ।
5. समाज द्वारा इन समाज विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? कृपया 50 शब्दों में वर्णन करें	हमारे रूडसेटी तथा एसआरडीटी द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार की शुरुआत करने हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणालीबद्ध रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the Bank have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	a. With a view to enable the unemployed youth to set up self employment ventures by imparting them short term training and providing escort services, our Bank started Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI) in collaboration with SDME Trust and Canara Bank in 1982. There are 27 RUDSETIs across 16 states in the country; b. Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking services to the unbanked segments of the society, across the country. Bank has so far extended banking facilities to 6380 villages pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened to 103.80 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. c. Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood which aids in social and economic development of the nation, as a whole.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	• As already stated, Jnana Jyothi FLCC Trust has been established at Mainpal on 20.10.2010 for overseeing the Financial Literacy Centres (FLCs) on behalf of the author Banks and the Institutional sponsors. The FLCs spread financial literacy among public and also offer credit counseling and debt restructure plans to the needy people. • Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self employment among the rural poor, especially women. Through SRDT, Bank has so far established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (SYNDRSETIs) in 5 states and one Union Terriitory. • Both in-house and external agencies.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Survey has been conducted by the Bank to study the impact and effectiveness of FLCs for strengthening our efforts in these lines.
4. What is your Bank's direct contribution to community development projects – Amount in INR and the details of the projects undertaken	807 training programmes were conducted by RUDSETIs during the year; 23692 candidates were trained during the year and out of them 16534 trainees were settled SYNDRSETIs conducted 417 training progrmmes during the year, imparted training for 11766 candidates and settled 6515 candidates out of the trained candidates.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow up and counseling services are being undertaken by our RUDSETIs and SRDTs to facilitate the trained candidates to adopt self employment initiatives

सिद्धांत 9 : कारोबार, अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को जवाबदेह तरीके से सम्मान दें तथा उनसे जुड़े रहें।

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	ग्राहक शिकायत - 2.24 % उपभोक्ता मामले - 27 %
2.	क्या बैंक, उत्पादों के लेबल पर उत्पाद संबंधी वैसी सूचना दर्शाता है, जो स्थानीय कानून के अनुसार अधिदेशी से अतिरिक्त हो? हाँ/नहीं/लागू नहीं/ टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3.	क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार, व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतियोगी व्यवहार के लिए कोई माम ला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरे लगभग शब्दों में दें	नहीं
4.	क्या आपका बैंक, कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेंड चलाता है?	हाँ

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1.	What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.	Customer complaints – 2.24 % Consumer cases – 27 %
2.	Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/Remarks (additional information)	Not applicable
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	NO
4.	Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	YES

संबद्ध पार्टी लेन–देन नीति

(इक्विटी सूचीकरण करार के खंड 49 VIII (ए))

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, इस नीति की समीक्षा करेगी और निदेशक मंडल के अनुमोदन से समय–समय पर संशोधित करेगी।

बैंक में लागू दिशानिर्देशों एवं नियमों के आधार पर, बैंक एवं इसकी संबद्ध पार्टियों के बीच लेन–देनों को नियमित करने के उद्देश्य से इस नीति को निरूपित किया गया है।

1. उद्देश्य

शेयर बाजार के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीकरण करार, जो 01अक्तूबर 2014 से प्रभावी है, के खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुसार इस नीति का निरूपण किया गया है। इसका उद्देश्य बैंक और उसके संबद्ध पार्टियों के बीच संपन्न लेन–देन का अनुमोदन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। ऐसे लेन–देन तभी उचित होंगे, जब वे बैंक और इसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में हो।

2. परिभाषा

''**स्वतंत्र लेन–देन**'' से तात्पर्य एक लेन–देन से है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित है, जिसमें दो संबद्ध पार्टियों के बीच किए गए लेन–देन शामिल है जिसे इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे संबंधित नहीं हैं, जिससे कि उनके हित में कोई विवाद न हो।

''**सहयोगी**'' से तात्पर्य एक ऐसा उद्यम, जिसमें बैंक महत्वपूर्ण प्रभुत्व रखता हो और जो न तो अनुषंगी हो न ही बैंक का संयुक्त उपक्रम हो।

''**नियंत्रण**'' का वही अर्थ है जिसे सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन, 2011 में परिभाषित किया गया है।

''**संयुक्त उपक्रम**'' से तात्पर्य एक संविदागत व्यवस्था से है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां एक आर्थिक गतिविधि का कार्य करते हो, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन हो।

''**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**'' से तात्पर्य

i) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के अंतर्गत नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक

ii) कंपनी सचिव/बोर्ड सचिव

iii) कार्यपालक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक;

iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; एवं

v) ऐसे अन्य अधिकारी/अधिकारियों, जिन्हें निर्धारित किया जा सके;

'**महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन–देन**' का अर्थ है संबद्ध पार्टी के साथ ऐसा लेन–देन जिसमें, यदि लेन–देन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है अथवा एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन–देनों के साथ किया जाता है, जिसका वार्षिक टर्न ओवर/कारोबार के 5% या बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के निवल मालियत का 20%, जो भी अधिक हो ।

''**कार्यालय या लाभ स्थल**'' का अर्थ है कोई कार्यालय या स्थान–

i) जहाँ ऐसा कार्यालय या स्थान एक निदेशक के अधीन हो और यदि वह निदेशक बैंक से पारिश्रमिक के तौर पर या अन्यथा, कोई भी वस्तु के अतिरिक्त वेतन, शुल्क, कमीशन, भत्ता, किराया रहित कोई आवास व्यवस्था, जिसके लिए वह निदेशक के रूप में हकदार हो, प्राप्त करता हो।

ii) जहाँ ऐसा कार्यालय या स्थान, जो निदेशक को छोड़कर किसी व्यक्ति या फर्म, निजी कंपनी या अन्य कॉरपोरेट निकाय द्वारा धारण किया गया हो तथा यदि धारण करनेवाला व्यक्ति, फर्म, निजी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय पारिश्रमिक के तौर पर या अन्यथा, वेतन, शुल्क, कमीशन, भत्ता, कोई किराया रहित आवास व्यवस्था पाता हो।

RELATED PARTY TRANSACTION POLICY

(Clause 49 VIII(A) of the equity listing agreement)

The Audit Committee of the Board will review and may amend this policy from time to time with the approval of Board of Directors.

The policy has been formulated to regulate transactions between the Bank and its Related Parties based on the laws and guidelines applicable to the Bank.

1. Objective

The policy is framed as per requirements of Clause 49 of the Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges effective from 1st October 2014 and intended to ensure proper approval and reporting of transactions between the Bank and its Related Parties. Such transactions shall be appropriate only, if they are in the best interest of the Bank and its Shareholders.

2. Definitions

"Arm's length transaction" means a transaction as defined under the Companies Act, 2013 includes transaction between two related parties that is conducted as if they were unrelated, so that there is no conflict of interest.

"Associate" means an enterprise in which the Bank has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the Bank.

"Control" shall have the same meaning as defined in SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

"Joint Venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity, which is subject to joint control.

"Key Managerial Personnel" means

(i) Chief Executive Officer or the Managing Director appointed under The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80;

(ii) Company Secretary / Board Secretary;

(iii) Executive Director / Whole-time Director;

(iv) Chief Financial Officer; and

(v) such other officer/s as may be prescribed;

"Material Related Party Transaction" means a transaction with a related party if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds five percent of the annual turnover/business or twenty percent of the net worth of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is higher.

"Office or place of profit" means any office or place —

(i) where such office or place is held by a Director, if the Director holding it receives from the Bank anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as Director, by way of salary, fee, commission, perquisites, any rent-free accommodation, or otherwise;

(ii) where such office or place is held by an individual other than a Director or by any firm, private Bank or other body corporate, if the individual, firm, private Bank or body corporate holding it receives from the Bank anything by way of remuneration, salary, fee, commission, perquisites, any rent-free accommodation, or otherwise.

''नीति'' का अर्थ है संबद्ध पार्टी लेन-देन नीति।

''संबद्ध पार्टी'' का अर्थ है सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित संबद्ध पार्टी, जो निम्नलिखित है:

''संबद्ध पार्टी'' बैंक से संबन्धित एक व्यक्ति या संस्था है। यदि एक पार्टी दूसरे पार्टी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो अथवा अन्य पार्टी पर वित्तीय एवं/या परिचालित निर्णयों को बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो तो पार्टियों को संबन्धित माना जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य बैंक से संबंधित है, यदि वह व्यक्ति:

   ए. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2(76) के तहत परिभाषित कोई संबद्ध पार्टी है (जो निम्नलिखित हैं):
      i) निदेशक या उनके रिश्तेदार:
      ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार;
      iii) कोई फर्म, जिसमें बैंक के निदेशक या उनके रिश्तेदार साझेदार हो;
      iv) कोई निजी बैंक, जिसमें बैंक का कोई निदेशक, सदस्य अथवा निदेशक हो;
      v) कोई सार्वजनिक बैंक, जिसमें बैंक का कोई निदेशक, निदेशक हो अथवा अपने रिश्तेदार सहित, उसके कुल चुकता शेयर कैपिटल का दो प्रतिशत से अधिक का मालिक हो।
      vi) कोई कॉरपोरेट निकाय, जिसका निदेशक मण्डल, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबन्धक, जो बैंक के निदेशक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुरूप कार्य करने का आदी हो;
      vii) कोई व्यक्ति, जिनकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के तहत कोई निदेशक या प्रबन्धक कार्य करने का आदी हो:
      viii) व्यावसायिक क्षमता की हैसियत से दी गई सलाह, निर्देश एवं अनुदेश लागू होंगे बशर्ते, उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी न हो;
      ix) कोई कंपनी, जो-
         (ए) बैंक की अनुषंगी या सहयोगी कंपनी हो; या
         (बी) किसी बैंक की अनुषंगी जो, बैंक की भी अनुषंगी हो;

   बी. बैंक पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो; या

   सी. बैंक का एक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हो या बैंक का अभिभावक हो; या

2. कोई संस्था बैंक से संबन्धित मानी जाएगी जब, निम्नलिखित में से कोई शर्त लागू होती है:
   ए. संस्था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित एक संबद्ध पार्टी हो; या
   बी. संस्था तथा बैंक एक ही समूह के सदस्य हैं। (इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मूल, सहायक तथा इसकी साथी संस्था एक दूसरे से जुड़ी हैं); या
   सी. एक संस्था, दूसरे संस्था की सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम है (या किसी समूह या संयुक्त उद्यम का सदस्य है जिसकी दूसरी संस्था भी सदस्य है); या
   डी. दोनों ही संस्थायें उसी तीसरी पार्टी के संयुक्त उद्यम हैं; या
   ई. एक संस्था किसी तीसरी संस्था का संयुक्त उद्यम है तथा दूसरी संस्था तृतीय संस्था की सहयोगी है: या
   एफ. संस्था या तो बैंक के कर्मचारियों या बैंक से जुड़ी संस्था के कर्मचारियों के लिए रोजगार के बाद की एक लाभ योजना है। यदि बैंक स्वयं में एक ऐसी योजना है तो, प्रायोजक नियोक्ता भी बैंक से जुड़े हुए हैं; या
   जी. संस्था का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, (1) (बी) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
   एच. (1) (बी) में चिह्नित व्यक्ति संस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है (या संस्था के मूल पर)।

''संबद्ध पार्टी लेन-देन'' का अर्थ है कोई लेन-देन, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध पार्टी शामिल हो, जिसमें कंपनी और संबद्ध पार्टी के बीच संसाधनों, सेवाओं और दायित्वों का अंतरण हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई मूल्य प्रभारित किया गया हो।

''रिश्तेदार'' का अर्थ है कोई व्यक्ति जो, दूसरे से संबंधित है, यदि
   i) वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;
   ii) वे पति-पत्नी हैं; या
   iii) पिता (सौतेला बाप सहित)
   iv) माता (सौतेली माँ सहित)
   v) बेटा (सौतेला बेटा सहित)

"Policy" means Related Party Transaction Policy.

"Related Party" means related party as defined in Clause 49 of the Listing Agreement which is as follows:

A 'related party' is a person or entity that is related to the Bank. Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party, directly or indirectly, in making financial and/or operating decisions and includes the following:

1. A person or a close member of that person's family is related to a Bank if that person:
   a. is a related party as defined under Section 2(76) of the Companies Act, 2013 [which are as follows]:
      i. a Director or his relative;
      ii. a key managerial personnel or his relative;
      iii. a firm, in which a Director of the Bank or his relative is a partner;
      iv. a private Bank in which a Director of the Bank is a member or Director;
      v. a public Bank in which a Director of the Bank is a Director or holds along with his relatives, more than two per cent of its paid-up share capital;
      vi. any Body Corporate whose Board of Directors, managing Director, or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a Director of the Bank;
      vii. any person under whose advice, directions or instructions a Director or manager is accustomed to act;
      viii. provided that nothing in sub-Clauses (vi) and (vii) shall apply to the advice, directions or instructions given in a professional capacity;
      ix. any Bank which is –
         (A) a subsidiary or an associate Bank of the Bank; or
         (B) a subsidiary of a Bank which is also a subsidiary of the Bank;
   b. has control or joint control or significant influence over the Bank; or
   c. is a key management personnel of the Bank or of a parent of the Bank; or

2. An entity is related to the Bank if any of the following conditions applies:
   a. The entity is a related party as defined under Section 2(76) of the Companies Act, 2013; or
   b. The entity and the Bank are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); or
   c. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member); or
   d. Both entities are joint ventures of the same third party; or
   e. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; or
   f. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank. If the Bank is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Bank; or
   g. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1) (b).
   h. A person identified in (1)(b) has significant influence over the entity (or of a parent of the entity);

"Related Party Transaction" means any transaction directly or indirectly involving any Related Party, which is a transfer of resources, services or obligations between a Bank and a related party, regardless of whether a price is charged.

"Relative" means and includes any one who is related to another, if,

i. They are members of a Hindu Undivided Family;
ii. They are husband and wife; or
iii. Father (including step-father);
iv. Mother (including step-mother);
v. Son (including step-son);

vi) बहू
vii) बेटी
viii) दामाद
ix) भाई (सौतेला भाई सहित)
x) बहन (सौतेली बहन सहित)

''अनुषंगी'' का अर्थ है एक कंपनी, जिसमें बैंक, या तो स्वयं और/या एक या एकाधिक अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से उसके ईक्विटी शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधा से अधिक पूँजी धारण करती है।

3. प्रकटीकरण

सूचीकरण करार के खण्ड 49 VIII की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक को नैगम अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ त्रैमासिक आधार पर संबद्ध पार्टियों के साथ संपन्न हुए सभी महत्वपूर्ण लेन-देन के ब्यौरे स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट करना होगा। संबद्ध पार्टी लेन-देन संबंधी नीति को भी बैंक के वेबसाइट में और वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करना होगा।

संबद्ध पार्टियों के साथ किये गये संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) के ब्यौरे की प्रामाणिकता के साथ बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किये जाएं। बोर्ड की रिपोर्ट को समीक्षा के लिए लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण - खातों के संबंध में नोट पर जारी अपने मास्टर परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी.बीसी सं. 8/21.04.018/2014-15 दिनांक 1 जुलाई 2014 के माध्यम से, खातों के संबंध में नोट- वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के सिलसिले में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण से संबंधित लेखाकरण मानक 18, संबद्ध पार्टी रिश्तेदारी और रिपोर्टिंग एन्टरप्राइज और उसके संबद्ध पार्टियों के बीच के लेन-देन के लिए लागू है। आईसीएआई द्वारा सामान्य स्पष्टीकरण (जीसी) 2/2002 के भाग के रूप में सिफारिश किये गये निदर्शी प्रकटीकरण फार्मेट का भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के अनुकूल उचित रूप से आशोधन किया है और एएस 18 के लिए बैंकों द्वारा प्रकटीकरण के निदर्शी फार्मेट अनुबंध - 1 के रूप में संलग्न है। इस नीति के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण किया जाए।

4. नीति

इस नीति के अनुसार सभी संबद्ध पार्टी लेन-देनों को लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाए और नीति के अनुसार समिति को अनुमोदन के लिए हवाला किया जाए।

4.1 शामिल किये जानेवाले लेन देन का स्वरूप

ए) इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित लेन-देन शामिल किए जाएंगे:
   i) बिक्री, खरीदी या मालों या सामग्रियों की आपूर्ति
   ii) किसी प्रकार की संपत्ति की बिक्री या अन्यथा उनका निपटान या खरीदी
   iii) किसी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना
   iv) किसी सेवा का उपलब्ध करना या प्रदान किया जाना
   v) मालों, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति आदि की खरीदी या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति
   vi) बैंक, जिसकी अनुषंगी बैंक या सहयोगी बैंक के किसी कार्यालय या लाभ अर्जन के स्थान में ऐसे संबंधित पार्टी की नियुक्ति
   vii) बैंक के, किसी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्नी के अभिदान की हामीदारी

बी) विशेष संकल्प द्वारा बैंक के पूर्व अनुमोदन के बजाय बैंक, किसी भी प्रकार के लेन-देन नहीं कर सकता है, जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान वैयक्तिक रूप से या पिछले लेन-देनों के साथ लेन-देन किया जाना है और उपर्युक्त खण्ड i से v तक के संबंध में किये गये संविदा या व्यवस्थाएं, जो नीचे सूचित मानदण्डों के भीतर हैं:
   ए) सीधे या एजेंट की नियुक्ति द्वारा मालों या सामग्रियों की बिक्री, खरीदी या आपूर्ति, जो बैंक के कुल कारोबार के 10 प्रतिशत या एक सौ करोड़ रुपये, जो भी कम हो।
   बी) सीधे या एजेंट की नियुक्ति द्वारा मालों या सामग्रियों की बिक्री, खरीदी या आपूर्ति, जो बैंक के निवल मालियत के 10 प्रतिशत या एक सौ करोड़ रुपये, जो भी कम हो।
   सी) बैंक के निवल मालियत के 10 प्रतिशत या बैंक के कुल कारोबार के 10 प्रतिशत या एक सौ करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक की किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना।
   डी) बैंक के कुल कारोबार के दस प्रतिशत या रुपये 50 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक, प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से, कोई भी सेवाएं प्राप्त करना या प्रदान करना।

vi. Son's wife;
vii. Daughter;
viii. Daughter's husband;
ix. Brother (including step-brother);
x. Sister (including step-sister).

"Subsidiary" means a Bank in which the Bank holds, either by itself and/or through one or more subsidiaries, more than one-half in nominal value of its equity share capital.

3. Disclosures

Pursuant to requirements of Clause 49 VIII of the Listing Agreement, the Bank is required to disclose to the Stock Exchanges the details of all material transactions with related parties quarterly along with the compliance report on corporate governance. The policy on dealing with Related Party Transactions is also required to be disclosed on Bank's website and also in the Annual Report.

Details of contract(s) or arrangement(s) with related parties shall be disclosed in the Board's Report along with the justification. The Board's Report shall be placed before Audit Committee for its review and then to the Board for approval.

The Reserve Bank of India vide its Master Circular No. DBOD.BP.BC No.8/21.04.018/2014-15 dated July 1, 2014 on Disclosure in Financial Statements - Notes to Accounts, has provided detailed guidance to Banks in the matter of disclosures in the 'Notes to Accounts' to the Financial Statements. The Accounting Standard 18 relating to Related Party Disclosures is applicable for reporting related party relationships and transactions between a reporting enterprise and its related parties. The illustrative disclosure format recommended by the ICAI as a part of General Clarification (GC) 2/2002 has been suitably modified by RBI to suit Banks and the illustrative format of disclosure by banks for the AS 18 is annexed as Annexure -1. The Disclosures shall be made in accordance with this Policy.

4. Policy

All Related Party Transactions must be reported to the Audit Committee and referred for approval to the Committee in accordance with this Policy.

4.1 Type of Transactions to be covered

a) The following transactions will be covered under this Policy:
   i) Sale, purchase or supply of any goods or materials;
   ii) Selling or otherwise disposing of, or buying, property of any kind;
   iii) Leasing of property of any kind;
   iv) Availing or rendering of any services;
   v) Appointment of any agent for purchase or sale of goods, materials, services or property etc.
   vi) Such related party's appointment to any office or place of profit in the Bank, its subsidiary Bank or associate Bank;
   vii) Underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof, of the Bank.

b) Except with the prior approval of the Bank by a special resolution, the Bank shall not enter into any transactions, where the transactions, to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year, entered into as contracts or arrangements with respect to Clauses i) to v) above are within the criteria as mentioned below:
   (a) sale, purchase or supply of any goods or materials, directly or through appointment of agent, exceeding ten percent of the turnover of the Bank or rupees one hundred crore, which ever is lower;
   (b) sale or purchase of property of any kind, directly or through appointment of agent, exceeding ten percent of net worth of the Bank or rupees one hundred crore, whichever is lower;
   (c) leasing of property of any kind, in excess of ten percent of networth of the Bank or ten percent of turnover of the Bank or rupees one hundred crore, whichever is lower;
   (d) availing or rendering of any services, directly or through appointment of agent, in excess of ten percent of turnover of the Bank or rupees fifty crore, whichever is lower.

ई) बैंक, जिसके अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के किसी कार्यालय या लाभ अर्जन के स्थान में मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति से संबंधित लेनदेन, जिसकी रकम दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है।

एफ) बैंक के, किसी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्नी के अभिदान की हामीदारी के लिए पारिश्रमिक संबंधी लेन-देन, जो बैंक के निवल मालियत का एक प्रतिशत से अधिक है।

सी) वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - खातों के संबंध में नोट (लेखाकरण मानक 18) पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित लेन-देन शामिल होंगे, जैसे:

i) उधार
ii) जमाराशियां
iii) जमाराशियों का स्थानन
iv) अग्रिम
v) निवेश
vi) गैर-निधि आधारित बाध्यताएं
vii) लीजिंग/उपलब्ध की गई एचपी व्यवस्थाएं
viii) लीजिंग/प्रदान की गई एचपी व्यवस्थाएं
ix) अचल आस्तियों की खरीदी
x) अचल संपत्तियों की बिक्री
xi) प्रदत्त ब्याज
xii) प्राप्त ब्याज
xiii) सेवाएँ प्रदान करना
xiv) सेवाएँ प्राप्त करना
xv) प्रबंधन संविदाएँ

4.2 संभाव्य संबद्ध पार्टी लेन-देन की पहचान

प्रत्येक निदेशक और प्रबंधन वर्ग का महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी प्रकार के संभाव्य संबद्ध पार्टी लेन-देन जिसमें, वह या उसके रिश्तेदार शामिल हैं, के बारे में बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति के विवेकसम्मत अनुरोध पर लेन-देन के बारे में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना देने सहित बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति को नोटिस देने के लिए जिम्मेदार है। यदि वह लेन-देन संबद्ध पार्टी लेन-देन है तो इसके लिए इस नीति के अनुसार, अनुपालन अपेक्षित है या नहीं, इसके बारे में लेखा परीक्षा समिति निर्णय लेगी।

ऐसे संभाव्य संबद्ध पार्टी लेन-देन के मामले में, बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति को काफी समय पहले ही नोटिस देना चाहिए ताकि प्रस्तावित लेन-देन के बारे में सूचना प्राप्त करने और उसकी समीक्षा करने हेतु लेखा परीक्षा समिति को पर्याप्त समय मिलेगा।

4.3 संबद्ध पार्टी लेन-देन से संबंधित प्रतिषेध

सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत दिए गए परिभाषा के अनुसार, सभी संबद्ध पार्टी लेन-देन के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

आगे, महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन-देनों के लिए विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है और संबद्ध पार्टियाँ ऐसे संकल्पों के प्रति वोट नहीं कर सकते।

बैंक के पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के मामले में, बैंक और पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के बीच किसी प्रकार के लेन-देनों के लिए बोर्ड की अनुमति पर्याप्त है।

बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी संस्था) के मामले में, बैंक और सहयोगी संस्था के बीच जमाराशि और अग्रिम से संबंधित लेन-देनों हेतु बोर्ड का अनुमोदन पर्याप्त है।

4.4 संबद्ध पार्टी लेन-देन के लिए अनुमोदन मांगने की प्रक्रिया

जब कभी संबद्ध पार्टी के साथ कोई लेन-देन अपेक्षित है और जिसके लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन अपेक्षित है तब, संबंधित कार्यालय जो ऐसे अनुरोध पर विचार करना चाहता है वह, विवरण/प्रारूप संविदा/प्रारूप करार या अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित लेन-देन के ब्यौरे कॉरपोरेट कार्यालय, कंपनी सचिव को प्रस्तुत करेगा जिससे यह तर्कसंगत लगे कि उक्त लेन-देन वर्तमान बाज़ार दर पर सामान्य कारोबार के तहत स्वतंत्र लेन-देन पर आधारित है। इसके आधार पर, बोर्ड सचिवालय, इसे लेखा परीक्षा समिति से आवश्यक पूर्वानुमोदन हेतु इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत करता है और समिति के निर्णय से प्रवर्तक को अवगत कराता है।

(e) the transaction is for appointment to any office or place of profit in the Bank, its subsidiary or associate Bank at a monthly remuneration exceeding two and half lakh rupees.

(f) the transaction is for remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof, of the Bank exceeding one percent of the net worth of the Bank.

c) Pursuant to RBI Guidelines on Disclosure in Financial Statements - Notes to Accounts (Accounting Standard 18), the following transactions will be covered such as:

i) Borrowings
ii) Deposit
iii) Placement of deposits
iv) Advances
v) Investments
vi) Non-funded commitments
vii) Leasing/HP arrangements availed
viii) Leasing/HP arrangements provided
ix) Purchase of fixed assets
x) Sale of fixed assets
xi) Interest paid
xii) Interest received
xiii) Rendering of services
xiv) Receiving of services
xv) Management contracts

4.2 Identification of potential Related Party Transactions

Each Director and Key Managerial Personnel is responsible for providing notice to the Board or the Audit Committee, any potential Related Party Transaction involving him or her or his or her Relative, including any additional information about the transaction that the Board/ Audit Committee may reasonably request. The Audit Committee will determine whether the transaction does, in fact, constitute a Related Party Transaction requiring compliance with this policy.

The notice of any such potential Related Party Transaction should be given to the Board/Audit Committee well in advance so that the Audit Committee has adequate time to obtain and review information about the proposed transaction.

4.3 Prohibitions related to Related Party Transactions

All Related Party Transactions as defined under Clause 49 of the Listing Agreement shall require prior approval of Audit Committee.

Further, all Material Related Party Transactions shall require approval of the Shareholders through special resolution and the Related Parties shall abstain from voting on such resolutions.

In the case of wholly owned subsidiaries of the Bank, approval of the Board shall be sufficient for the purpose of entering into the transactions between the wholly owned subsidiary and the Bank.

In the case of Regional Rural Banks (Associates) of the Bank, approval of the Board shall be sufficient for the purpose of entering into the transactions relating to Deposits and Advances between the Associates and the Bank.

4.4 Procedure for seeking approval of Related Party Transactions

As and when any transaction is contemplated with any Related Party which requires approval of Audit Committee of the Board, the concerned office entertaining the request shall submit to the **Company Secretary at Corporate Office as and when it arises,** the details of proposed transaction with details/draft contract/ draft agreement or other supporting documents justifying that the transactions are on "arms length basis" in an ordinary course of business at prevailing market rate. Based on this, the Board Secretariat shall appropriately take it up for necessary prior approvals from the Audit Committee at its next meeting and convey back the decision to the originator.

बोर्ड सचिवालय, सभी संविदाओं या व्यवस्थाओं से संबंधित ब्यौरों को अभिलेखित करता है और उसे बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करता है।

4.5 संबद्ध पार्टी लेन-देनों का अनुमोदन एवं समीक्षा

संबद्ध पार्टी लेन-देनों को समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु लेखा परीक्षा समिति की अगली नियमित अनुसूचित बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का कोई भी सदस्य, जिसे संबद्ध पार्टी लेन-देनों में संभाव्य हित है, वह संबद्ध पार्टी लेन-देनों के अनुमोदन पर वोटिंग करने से और इससे संबंधित चर्चा से अलग रहेगा ।

संबद्ध पार्टी लेन-देनों की समीक्षा के लिए, लेन-देन की शर्तें, लेन-देन का कारोबारी उद्देश्य, बैंक और संबद्ध पार्टी को इससे होनेवाले लाभ और अन्य संबद्ध विषयों सहित उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना समिति को उपलब्ध करायी जाती है। समिति, संबद्ध पार्टी लेन-देन का अनुमोदन करनी है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए, समिति अन्य तथ्यों के साथ निम्नांकित तथ्यों पर भी विचार करती है जो संबद्ध पार्टी लेन-देनों से संबंधित है:

- क्या संबद्ध पार्टी लेन-देन की शर्तें उचित हैं और बैंक के लिए स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित हैं, और क्या वह आधार संबद्ध पार्टी से न जुड़े लेन-देन पर भी लागू होता है।
- क्या संबद्ध पार्टी लेन-देन में शामिल होने के लिए बैंक को विवश करनेवाला कोई कारोबारी कारण है और यदि है तो, वैकल्पिक लेन-देन की प्रकृति
- क्या संबद्ध पार्टी लेन-देन किसी स्वतंत्र निदेशक की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालता है।
- क्या प्रस्तावित लेन-देन में किसी प्रकार के संभाव्य प्रतिष्ठा आधारित जोखिम मुद्दे हैं जो प्रस्तावित लेन-देन से उत्पन्न होनेवाले हैं या जुड़े हैं।
- क्या बैंक इसकी शुरुआत से पहले संबद्ध पार्टी लेन-देन के मामले में अधिसूचित है और यदि नहीं है तो, पूर्वानुमोदन प्राप्त क्यों नहीं किया गया और क्या परवर्ती अनुसमर्थन अनुमत है और क्या यह बैंक के लिए हानिकारक है, और
- क्या संबद्ध पार्टी लेन-देन, अपनी लेन-देन की मात्रा से, निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य संबंधित पार्टी, निदेशक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवहार, लेन-देन में प्रमुख प्रबंधन कार्मिक या अन्य संबद्ध पार्टी का हित और निरंतर प्रकृति का कोई प्रस्तावित संबंध और अन्य कोई घटक जो बोर्ड/ समिति को संबंधित लगे, के समग्र वित्तीय स्थिति से किसी निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधन वर्ग के व्यक्ति के लिए असंगत हित संघर्ष को दर्शाता है।

यदि समिति निर्धारित करता है कि किसी संबद्ध पार्टी लेन-देन को निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत करना चाहिए या यदि निदेशक मंडल बहरहाल ऐसे किसी भी मामले का पुनरीक्षण करने का निर्णय करता है या किसी भी कानून के तहत संबद्ध पार्टी लेन-देन को अनुमोदित करना निदेशक मंडल के लिए अधिदेशी है तो उपर्युक्त विचार, परिस्थितियों के अंतर्गत आवश्यक या उचित होनेवाले आशोधन सहित निदेशक मंडल के पुनरीक्षण और मामले के अनुमोदन के लिए लागू होंगे।

पूर्वोक्त के बावजूद निम्नांकित संबद्ध पार्टी लेन-देनों के लिए लेखा परीक्षा समिति या शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है:

ए) कोई लेन-देन, जिसमें एक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक या उसकी किसी भी अनुषंगी या सहयोगी संस्था के प्रति उनके कर्तव्यों के संबंध में कारोबार के सामान्य अवधि में उठाए गए उचित कारोबार और मात्रा, खर्चों की प्रतिपूर्ति सहित प्रतिपूर्ति शामिल है।

बी) कोई लेन-देन, जिसमें संबद्ध पार्टी का हित केवल बैंक द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों के स्वामित्व से ही पैदा होता है और ऐसी प्रतिभूतियों के सभी धारक संबद्ध पार्टी के समान लाभों को यथानुपात दर पर प्राप्त करेंगे।

सी) कोई लेन-देन, (ऋण और जमाराशियाँ) जिसमें कर्मचारी की हैसियत से कर्मचारी (संबद्ध पार्टी) और संबंधित कर्मचारी लाभ सम्मिलित हैं।

5. गोपनीयता के प्रावधान

लेखाकरण मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रकटीकरण की आवश्यकताएं उन परिस्थितियों के लिए लागू नहीं होती हैं जब ऐसे प्रकटीकरण से विनियामकों या तत्समान प्राधिकारी द्वारा संविधि के अनुसार यथा विशिष्टतया अपेक्षित रिपोर्ट करनेवाले उद्यम के गोपनीयता संबंधी कर्तव्यों के विरोध में होगा। लेखाकरण मानक 18 के पैरा 6 के अनुसार यदि एक संविधि या भा.रि.बैं. या एस.ई. बी. आई. प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित कुछ जानकारी को प्रकट करने से बैंकों को मना करते हैं तो ऐसी जानकारी के अप्रकटीकरण को लेखाकरण मानक 18 की अपेक्षाओं का अननुपालन न माना जाए।

The Board Secretariat shall maintain records indicating particulars of all contracts or arrangements and thereafter the same shall be placed before the next meeting of the Board.

4.5 Review and Approval of Related Party Transactions

Related Party Transactions will be referred to the next regularly scheduled meeting of Audit Committee for review and approval. Any member of the Committee who has a potential interest in any Related Party Transaction will recluse himself or herself and abstain from discussion and voting on the approval of the Related Party Transaction.

To review a Related Party Transaction, the Committee will be provided with all relevant material information of the Related Party Transaction, including the terms of the transaction, the business purpose of the transaction, the benefits to the Bank and to the Related Party, and any other relevant matters. In determining whether to approve a Related Party Transaction, the Committee will consider the following factors, among others, to the extent relevant to the Related Party Transaction:

- Whether the terms of the Related Party Transaction are fair and on arms length basis to the Bank and would apply on the same basis if the transaction did not involve a Related Party;
- Whether there are any compelling business reasons for the Bank to enter into the Related Party Transaction and the nature of alternative transactions, if any;
- Whether the Related Party Transaction would affect the independence of an independent Director;
- Whether the proposed transaction includes any potential reputational risk issues that may arise as a result of or in connection with the proposed transaction;
- Whether the Bank was notified about the Related Party Transaction before its commencement and if not, why pre-approval was not sought and whether subsequent ratification is allowed and would be detrimental to the Bank; and
- Whether the Related Party Transaction would present an improper conflict of interest for any Director or Key Managerial Personnel of the Bank, taking into account the size of the transaction, the overall financial position of the Director, Chief Executive Officer or other Related Party, the direct or indirect nature of the Director's, Key Managerial Personnel's or other Related Party's interest in the transaction and the ongoing nature of any proposed relationship and any other factors the Board/Committee deems relevant.

If the Committee determines that a Related Party Transaction should be brought before the Board, or if the Board in any case decides to review any such matter or it is mandatory under any law for Board to approve the Related Party Transaction, then the considerations set forth above shall apply to the Board's review and approval of the matter, with such modification as may be necessary or appropriate under the circumstances.

Notwithstanding the foregoing, the following Related Party Transactions shall not require approval of Audit Committee or Shareholders:

a. Any transaction that involves providing of compensation to a Director or Key Managerial Personnel in connection with his or her duties to the Bank or any of its subsidiaries or associates, including the reimbursement of reasonable business and travel expenses incurred in the ordinary course of business.

b. Any transaction in which the Related Party's interest arises solely from ownership of securities issued by the Bank and all holders of such securities receive the same benefits pro rata as the Related Party.

c. Any transactions (loans and deposits) that involves the employees (Related party) in the capacity of employee and related employee benefits.

5. Secrecy Provisions

In terms of paragraph 5 of Accounting Standard 18, the disclosure requirements do not apply in circumstances when providing such disclosures would conflict with the reporting enterprise's duties of confidentiality as specifically required in terms of statute, by regulator or similar competent authority. In terms of Paragraph 6 of Accounting Standard 18, in case a statute or the RBI or SEBI prohibits the Banks from disclosing certain information which is required to be disclosed, non-disclosure of such information would not be deemed as non-compliance with the requirements of Accounting Standard 18.

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ग्राहक ब्यौरों की गोपनीयता को बनाए रखने से संबंधित बैंकों के न्यायिक रूप से स्वीकृत सामान्य विधि के कर्तव्यों के कारण उन्हें ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। जहाँ लेखाकरण मानकों के तहत प्रकटीकरण संबद्ध पार्टी के किसी भी वर्ग के संबंध में एकत्रित प्रकटीकरण नहीं है अर्थात जहाँ संबद्ध पार्टी के किसी भी वर्ग में केवल एक संस्था है तो बैंकों को उस संबद्ध पार्टी के साथ संबंध के अतिरिक्त उक्त पार्टी से संबंधित अन्य ब्यौरों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

6. संबद्ध पार्टी के लेन-देन जो इस नीति के अधीन बगैर पूर्वानुमति के हैं।

किसी संबद्ध पार्टी के साथ कोई संबद्ध पार्टी लेन-देन, जो निष्पादन से पहले इस नीति के तहत अनुमोदित नहीं है, उसकी जानकारी बैंक को विदित होने पर समिति द्वारा मामले का पुनरीक्षण किया जाएगा। समिति, संबद्ध पार्टी के संबंध में सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी और अनुसमर्थन, संशोधन या संबद्ध पार्टी के लेन-देनों के समापन सहित बैंक के पास उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगा। समिति इस नीति के तहत ऐसे संबद्ध पार्टी के लेन-देन की रिपोर्ट करने में समिति के विकल्पों से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी और समुचित कार्रवाई करेगी।

किसी भी स्थिति में, जहाँ समिति, अनुमोदन के बिना प्रवर्तित हो रहे किसी संबद्ध पार्टी लेन-देन का अनुसमर्थन नहीं करने का निर्णय करती है तो, समिति लेन-देन के तत्काल समापन या निरसन सहित यथोचित अतिरिक्त कार्रवाइयों के लिए निदेश दे सकती है।

किसी संबद्ध पार्टी लेन-देन के किसी भी पुनरीक्षण के संबंध में, लेखा परीक्षा समिति को इस नीति की किसी भी प्रक्रियागत आवश्यकताओं को आशोधित करने या अधित्याग करने का अंतिम अधिकार है।

इस नीति की सूचना बैंक के सभी परिचालन कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को दी जाएगी और इसकी एक प्रति को भारतीय रिज़र्व बैंक को भी अग्रेषित की जाएगी।

नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

(सूचीकरण करार के खण्ड 49(XI) की शर्तों के अनुसार)

सेवा में,
बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेटबैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है ।

1. निदेशक मंडल – महिला निदेशक की नियुक्ति के गैर-अनुपालन को छोड़कर संरचना, क्षतिपूर्ति, समितियों में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठकें और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2. लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका सूचना की समीक्षा इत्यादि
3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
4. सहायक कंपनियाँ
5. जोखिम प्रबंधन
6. संबद्ध पार्टी लेद-देन
7. प्रकटीकरण
   ए) संबद्ध पार्टी लेन-देन का आधार
   बी) लेखाकरण प्रक्रिया
   सी) निदेशकों का पारिश्रमिक
   डी) सार्वजनिक निर्गम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
   ई) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
   एफ) निदेशकों के बीच अपेक्षा संबंध, आदि
8. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
9. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट
10. नैगम अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

जे. एन. शर्मा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन : 006833सी
ह/
(कुणाल शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 405919

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2015

It is clear from the above that on account of the judicially recognized common law duty of the banks to maintain the confidentiality of the customer details, they need not make such disclosures. In view of the above, where the disclosures under the Accounting Standards are not aggregated disclosures in respect of any category of related party i.e., where there is only one entity in any category of related party, banks need not disclose any details pertaining to that related party other than the relationship with that related party.

6. Related Party Transactions without the prior approval under this Policy

In the event the Bank becomes aware of a Related Party Transaction with a Related Party that has not been approved under this Policy prior to its consummation, the matter shall be reviewed by the Committee. The Committee shall consider all the relevant facts and circumstances regarding the Related Party Transaction and shall evaluate all options available to the Bank, including ratification, revision or termination of the Related Party Transaction. The Committee shall also examine the facts and circumstances pertaining to the failure of reporting such Related Party Transaction to the Committee under this Policy, and shall take any such action it deems appropriate.

In any case, where the Committee determines not to ratify a Related Party Transaction that has been commenced without approval, the Committee, as appropriate, may direct additional actions including, but not limited to, immediate discontinuation or rescission of the transaction.

In connection with any review of a Related Party Transaction, the Audit Committee has the final authority to modify or waive any procedural requirements of this Policy.

This Policy will be communicated to all operational employees and other concerned persons of the Bank and a copy shall also be forwarded to the Reserve Bank of India.

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (XI) of the Listing Agreement)

To
All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31.3.2015 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

1) Board of Directors – composition except for non-compliance of appointment of woman Director, compensation, Membership of Directors in Committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role review of information, etc.
3) Nomination and Remuneration Committee
4) Subsidiary Companies
5) Risk Management
6) Related Party Transactions
7) Disclosures:
   a) Basis of related party transactions
   b) Accounting treatment
   c) Remuneration of Directors
   d) Utilisation of public issue proceeds
   e) Management Discussion and Analysis
   f) Relationships between Directors inter-se, etc
8) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
9) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.
10) Certificate on compliance on Corporate Governance

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the Shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

J. N. Sharma & Co
Chartered Accountants
FRN : 006833C
Sd/-
(Kunal Sharma)
Partner
Membership No. 405919

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2015

निदेशक मंडल को मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (ix) के अंतर्गत)

दिनांक : 09.05.2015

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

ए. मैंने/हमने वर्ष 2014-2015 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी. हम बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिचालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष 2014-15 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
- हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

	ह/	ह/	ह/
स्थान : बेंगलूरु	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

(सूचीकरण करार का खण्ड 49 (II) (ई))

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22.09.2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वियन दि. 01.10.2005 से प्रारंभ हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, आगे यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-

स्थान : बेंगलूरु
(टी. के. श्रीवास्तव)

दिनांक : 07.05.2015
कार्यपालक निदेशक

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(IX) of Listing Agreement)

Date: 09.05.2015

I/We Certify that –

a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2014-2015 and that to the best of our knowledge and belief:
   - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2014-2015 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee -
   - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2014-2015;
   - Significant changes in accounting policies during the year 2014-2015 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Place : BENGALURU	CHIEF FINANCIAL OFFICER	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	CHIEF EXECUTIVE OFFICER

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

(Clause 49(II)(E) of the Listing Agreement)

It is hereby confirmed that the Bank has on 22.09.2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01.10.2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2015.

Sd/-

Place : Bengaluru (T. K. SRIVASTAVA)

Date : 07.05.2015 EXECUTIVE DIRECTOR

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है । बैंक के कारोबार की समग्र समृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढाँचा, प्रणालियां, नीतियाँ और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बासेल III पूँजी विनियामक कार्यान्वयन की तिथि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी निर्धारित किया है । बैंक द्वारा बासेल III पूँजी विनियामक के तहत निर्धारित नियामक पूँजी सीमा तथा निम्नतम सीआरएआर का अनुपालन निरंतर रूप से किया जाना है । बासेल III सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नतम बासेल पूँजी अनुपात, पूँजी की घटकों का पूर्ण नियामक समायोजन आदि की प्राप्ति के लिए उचित परिवर्ती व्यवस्थाएं की गई है । भा.रि.बैं. द्वारा घोषित परिवर्ती व्यवस्था के अनुपालन में बासेल पूँजी नियामक का दिनांक 31 मार्च 2019 से पूरी तरह से कार्यान्वयन हेतु हमारा बैंक पूर्ण रूप से तैयार है ।

लागू करने की व्याप्ति तथा पूँजी पर्याप्तता

पिलर III प्रकटीकरण सिंडिकेटबैंक पर लागू है तथा समेकित संस्था होने के नाते बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता अनुपात का अनुपालन दो स्तरों पर अपेक्षित है ।

(ए) समेकित (''समूह'') स्तर की पूँजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाएं, जो बैंक की ऐसी संस्थाएं जो बीमा तथा गैर-वित्तीय कार्यकलापों में जुड़े हैं, को छोड़कर बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों आदि की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकन कर इसकी पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंककी पूंजी पर्याप्तता की माप करता है; तथा

(बी) स्टैंडएलोन (''एकल'') स्तर की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं, जो बैंक की स्टैंडएलोन पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है।

सिंडिकेटबैंक का विदेशी परिचालन, इसकी शाखा (लंदन शाखा) के माध्यम से उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में किया जाता है।

टेबल डी एफ-1: प्रयोग की परिधि

पूंजी पर्याप्तता के लिए समेकन आधार

पूंजी पर्याप्तता के लिए विचारणीय संस्थाओं में बैंक की अनुषंगियों, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विवेकपूर्ण समेकित रिपोर्ट तैयार करने की परिधि में उल्लिखित बैंकिंग या वित्तीय प्रकृति के कार्यकलापों का निर्वहन करते हैं।

BASEL- III, PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE HALF YEAR ENDED 31.03.2015

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with the Best practices and Regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of the risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems policies and procedures for identification, assessment, monitoring mitigation and control of risks.

RBI has prescribed implementation of the Basel III capital regulations in India with effect from April 1, 2013. Bank has to comply with the regulatory capital limits and minimum CRAR as prescribed under Basel III capital regulations, on an ongoing basis. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital etc. Our Bank is fully geared to implement the Basel III capital regulations in accordance with the transitional arrangement announced by RBI for fully implementation by 31st March 2019.

Scope of Application and Capital Adequacy

Pillar 3 disclosures apply to SyndicateBank and Bank being a consolidated entity has to comply with the capital adequacy ratio requirements at two levels:

(a) the consolidated ("Group") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a bank based on its capital strength and risk profile after consolidating the assets and liabilities of its subsidiaries / joint ventures / associates etc. except those engaged in insurance & any non-financial activities; and

(b) the standalone ("Solo") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a Bank based on its standalone capital strength and risk profile.

Overseas operations of SyndicateBank through its branch (London Branch) are covered in both the above scenarios.

Table DF-1: Scope of Application

Basis of consolidation for capital adequacy

The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI.

ए. समेकन के लिए विचार करने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (लेखांकन/नियामक)

संस्था का नाम/ उद्गम देश	क्या संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में है (हाँ/नहीं)	लेखा समेकन (समूह) की विधि	समेकन विधि में अंतर के कारण	यदि केवल एक ही समेकन परिधि के भीतर है तो इसके कारण स्पष्ट करें
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (भारत)	हाँ	एएस 21 सिलसिलेवार तरीके से	अनुषंगी द्वारा 100% स्वामित्ववाली	गैर-वित्तीय अनुषंगी, अतएव, विनियामक क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है
प्रथमा बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित

बी. समेकन की लेखांकन तथा विनियामक दोनों की परिधि के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची ।

सिंडिकेटबैंक में ऐसी कोई समूह संस्था नहीं है जो समेकन की लेखांकन तथा समेकन की विनियामक दोनों परिधि के तहत विचारणीय न हों ।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

सी. समेकन के लिए विचार किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची

(₹ मिलियन में)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि उपर्युक्त (i) ए में दर्शाया गया है।)	संस्था के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (जैसा कि विधिक एंटीटी की लेखांकन तुलन-पत्र में कहा गया है।)	कुल तुलन-पत्र आस्ति (जैसा कि विधिक एंटीटी की लेखांकन तुलन-पत्र में कहा गया है।)
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (भारत)	बैकऑफिस परिचालन/प्रदान	2.50	85.16
प्रथमा बैंक (भारत)	बैंकिंग	प्रदत्त पूँजी 10.00 शेयर पूँजी जमा 77.48	68225.79*

a. List of group entities considered for consolidation (Accounting/Regulatory)

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is Included under Accounting scope of consolidation (yes / no)	Method of Accounting consolidation (Group)	Reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of Consolidation
Syndbank Services Limited (India)	Yes	AS 21 line-by-line basis	100% owned Subsidiary	Non Financial subsidiary, hence excluded from Regulatory scope
Prathama Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Karnataka Vikas Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Andhra Pragathi Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities of SyndicateBank that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

(₹ in Millions)

Name of the entity / Country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Syndbank Services Limited (India)	Back office operations/ rendering outsource services	2.50	85.16
Prathama Bank (India)	Banking	Paid up Capital 10.00 Share Capital Deposit 77.48	68225.79*

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि उपर्युक्त (i) ए में दर्शाया गया है।)	संस्था के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (जैसा कि विधिक एंटीटी की लेखांकन तुलन-पत्र में कहा गया है।)	कुल तुलन-पत्र आस्ति (जैसा कि विधिक एंटीटी की लेखांकन तुलन-पत्र में कहा गया है।)
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (भारत)	बैंकिंग	प्रदत्त पूँजी 40.00 शेयर पूँजी जमा 199.73	133641.00*
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	बैंकिंग	प्रदत्त पूँजी 30.00 शेयर पूँजी जमा 393.43	116628.71*

* दिसंबर 2014 को

डी. समस्त अनुषंगियों में पूँजी अपर्याप्तता की कुल रकम जो समेकन की नियामक व्याप्ति में शामिल नहीं है अर्थात जिन्हें घटा दिया गया हो:

बैंक की अनुषंगी में कोई पूँजी अपर्याप्तता नहीं है ।

ई. बीमा कंपनियों में बैंक की कुल ब्याज का संकलित रकम (जैसे चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है ।

बैंक का बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं है ।

एफ. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण अथवा नियामक पूँजी में किसी प्रकार का गतिरोध अथवा बाधा

– शून्य

<u>टेबल डीएफ-2: पूँजी पर्याप्तता</u>

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण:-

पूँजी निर्धारण: बैंक के पास बोर्ड से अनुमोदित एक व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) तथा तनाव परीक्षण नीति है जिन्हें प्राप्त अनुभवों, परिष्कार तथा साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके एफआई/सुपरवाइजरी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान दिए गए सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया है। मौजूदा आईसीएएपी नीति का अनुमोदन बोर्ड द्वारा जनवरी 2015 में किया गया था। आईसीएएपी बैंक के पूँजी स्तर बरकरार रखने के लिए बैंक के जोखिम प्रोफाइल तथा कार्यनीति के संबंध में समग्र पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करता है।

यह प्रक्रिया एक प्रकार से आश्वासन देती है कि बैंक के कारोबार में निहित सभी जोखिमों के समर्थन में बैंक के पर्याप्त पूँजी बफर उपलब्ध हैं । बैंक, मजबूत अभिशासन तथा नियंत्रणकारी उपायों, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा तथा पूँजी गणना एवं योजना के लिए विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होनेवाले समस्त जोखिमों का व्यापक रूप के पहचान, निर्धारण तथा प्रबंधन करता है ।

बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले ऐसे समस्त जोखिमों के महत्व की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए बैंक के पास आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में संरचनागत प्रबंधन ढाँचा उपलब्ध है । बैंक

Name of the entity / Country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Karnataka Vikas Grameena Bank (India)	Banking	Paid up Capital 40.00 Share Capital Deposit 199.73	133641.00*
Andhra Pragathi Grameena Bank (India)	Banking	Paid up Capital 30.00 Share Capital Deposit 393.43	116628.71*

**As on Dec. 2014*

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in subsidiary of the bank.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Bank is not having any investment in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Nil

<u>Table DF-2: Capital Adequacy</u>

a) Qualitative Disclosures:

Assessment of capital: Bank has a comprehensive Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test policy which have been revised based on the experience gained, sophistication achieved and also as per the suggestions/observations made by RBI during its AFI/Supervisory Review and Evaluation Process. The present ICAAP policy was approved by the Board in Jan. 2015. The ICAAP assesses overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels.

The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank identifies, assesses and manages comprehensively all risks that it is exposed to, through sound governance and control practices, robust risk management framework and an elaborate process for capital calculation and planning.

The Bank has a structured management framework in the Internal Capital Adequacy Assessment Process for the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the

निम्नलिखित जोखिमों को महत्वपूर्ण मानता है; तो आईसीएएपी के तहत है।

(ए) ऋण जोखिम

(बी) ऋण संकेंद्रण जोखिम

- संकेंद्रण नाम
- संकेंद्रण समूह
- संकेंद्रण क्षेत्र
- क्षेत्र संकेंद्रण जोखिम
- आस्ति के प्रकार का संकेंद्रण
- बाह्य एवं आंतरिक श्रेणी रेटिंग का संकेंद्रण

(सी) बाज़ार जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(डी) परिचालन जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(ई) तरलता जोखिम

(एफ) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

अन्य जोखिम आईसीएएपी के पिलर 2 में कवर हैं : उपर्युक्त जोखिमों के अतिरिक्त बैंक निम्नलिखित जोखिमों को भी पिलर 2 के भाग के रूप में गुणात्मक तरीके से निर्धारित करता है ।

(ए) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम

(बी) कार्यनीति जोखिम

(सी) सामूहिक जोखिम

(डी) निपटान जोखिम

(ई) पेंशन दायित्व जोखिम

(एफ)मुख्य कार्मिकों की कमी

(जी) मॉडल जोखिम

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण ढाँचा का कार्यान्वयन किया है जो बैंक के आईसीएएपी का अभिन्न भाग है तथा पूँजी आवश्यकताओं के निर्धारण तथा बैंक द्वारा परिकल्पित तनाव के तहत बैंक के लाभ को प्रभावित करता है ।

तनाव परीक्षण का उद्देश्य बैंक संविभाग की गुणवत्ता पर विविध "झटकों " के असर निर्धारण तथा ऐसी घटनाओं के कम होने पर बैंक को इस झटकों से उबारने की क्षमता का निर्धारण करना है । जब ऐसी घटनाएँ वास्तव में घटित होती है तो, बैंक के आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आती है जिससे बैंक का लाभ घटता है या अधिक पूंजी रखने पर मजबूर हो जाता है।

बैंक के सीआरएआर तथा आय पर प्रभाव के निर्धारण के लिए तिमाही आधार पर तनाव परीक्षण का आयोजन किया जाएगा ।

बैंक, तनाव परीक्षण के सिलसिले में निम्नलिखित प्रभाव का निर्धारण करता है-

(ए) ऋण जोखिम

- अनर्जक आस्तियाँ
- पुनर्संरचित आस्तियाँ
- संपार्श्विक
- प्रतिपक्षकार जोखिम
- संकेंद्रण जोखिम

(बी) बाज़ार जोखिम

- विदेशी विनिमय जोखिम
- ब्याज दर जोखिम

following as material risks; it is exposed to, in the normal course of its business and therefore, factors these in ICAAP.

(a) Credit Risk

(b) Credit Concentration Risk

- Name concentration
- Group Concentration
- Sector concentration
- Zone concentration risk
- Asset Type concentration
- External & Internal rating grade concentration

(c) Market Risk (not covered under Pillar I)

(d) Operational Risk (not covered under Pillar I)

(e) Liquidity Risk

(f) Interest Rate Risk in Banking Book

Other Risks covered as part of Pillar 2, in ICAAP: - In addition to the above mentioned risks, Bank also assesses the following risks as part of Pillar 2 in qualitative manner.

(a) Reputational Risk

(b) Strategic Risk

(c) Group Risk

(d) Settlement Risk

(e) Pension Obligation Risk

(f) Loss of Key Personnel

(g) Model Risk

The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Framework taking into consideration RBI guidelines which forms an integral part of the Bank's ICAAP and provides an assessment of the capital requirement and impact on Profits of the Bank under stressed conditions envisaged by the Bank.

The purpose of stress testing is to assess the impact of various 'shocks' on the quality of the bank's portfolio and an assessment of the bank's ability to withstand such shocks if such an event/s materializes. When such events actually take place, the quality of assets held by a bank will deteriorate and may lead to reduced profits or constrain the bank to keep more capital.

In order to assess the impact on CRAR and income of the bank, the Stress Test will be conducted on quarterly basis.

The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:

(a) Credit Risk

- Non-performing assets
- Restructured assets
- Collateral
- Counterparty risk
- Concentration Risk

(b) Market Risk

- Foreign Exchange Risk
- Interest rate Risk

- व्यापार बही
- बैंकिंग बही
- ईक्विटी मूल्य बही

(सी) तरलता जोखिम

तनाव परीक्षण हेतु मुख्यतः दो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं; सेंसिटिविटी परीक्षण तथा सिनारियो एनालिसीस।

बी) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता –

ब्यौरे	रकम ₹ मिलियन में
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	122574.93
प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र*	-
कुल	**122574.93**

* बैंक के पास प्रतिभूतीकरण के लिए किसी प्रकार का एक्सपोज़र नहीं है ।

सी) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षाएँ :

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	रकम ₹ मिलियन में
ब्याज दर जोखिम	9709.40
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	90.00
ईक्विटी जोखिम	2029.70
कुल	**11829.10**

डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएँ :

ब्यौरे	रकम ₹ मिलियन में
मूल संकेतक दृष्टिकोण	9819.68

ई) कॉमन ईक्विटी टियर1, टियर1 और कुल पूँजी अनुपात :

ब्यौरे	%
कॉमन ईक्विटी टियर1 अनुपात	7.53
टियर1 अनुपात	7.84
कुल पूंजी अनुपात	10.54

2. जोखिम एक्सपोजर और मूल्यांकन

ऋण जोखिम

ए) **परिभाषा** : ऋण जोखिम को, प्रतिपक्षकार के ऋण की गुणवत्ता में होनेवाले ह्रास से जुड़ी हुई संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक के संविभाग में, ग्राहक या प्रतिपक्षकार द्वारा उधार, व्यापार, समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित दायित्व की पूर्ति में क्षमता के अभाव से या अनिच्छा से भुगतान में चूक होने से हानि उत्पन्न होती है।

- Trading Book
- Banking Book
- Equity Price Risk

(c) Liquidity Risk

The two broad categories of stress tests used are sensitivity tests and scenario analysis

b) Capital requirement for Credit Risk:

Particulars	Amount ₹ Millions
Portfolios subject to standardised approach	122574.93
Securitisation exposures*	-
Total	**122574.93**

* Bank does not have any exposure to securitisation transactions

c) Capital requirements for Market risk:

Standardised duration approach	Amount ₹ in Millions
Interest rate risk	9709.40
Foreign exchange risk (including gold)	90.00
Equity risk	2029.70
Total	**11829.10**

d) Capital requirements for Operational risk:

Particulars	Amount ₹ in Millions
Basic indicator approach	9819.68

e) Common Equity Tier1, Tier1 and Total Capital ratios:

Particulars	%
Common Equity Tier 1 Ratio	7.53
Tier 1 Ratio	7.84
Total Capital Ratio	10.54

2. Risk exposure and assessment

Credit Risk

a) **Definition:** Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of the assets.

बी) **ऋण जोखिम कार्यनीति** : ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे के एक महत्वपूर्ण घटक ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक की ऋण जोखिम बैंक के ऋण के फिलॉसफी के अनुरूप है, जो गुणवत्तापरक आस्तियों, लाभप्रद संबंध और विवेकपूर्ण वृद्धि पर जोर देता है।

तदनुसार, बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है :

- बैंक के ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सावधानीपूर्वक उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है और विवेकपूर्ण रूप से ऋणों की मंजूरी की जाती है।
- उपार्जन या उसके परिमाण के लिए ऋण की गुणवत्ता में समझौता न किया जाए। कारोबार वृद्धि का उद्देश्य ग्राहक आधार को बढ़ाने, क्षेत्रवार विविधीकरण और भौगोलिक वितरण के माध्यम से ऋण जोखिमों को फैलाना है।
- बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति, यह सुनिश्चित करता है कि वह क्लिनिकल इकनॉमिकल ट्रेड को दूर करे ताकि ऋण संरचना में हुए परिवर्तन का प्रभाव ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता पर न पड़े।

बैंक अपनी ऋण जोखिम कार्यनीतियों की पूर्ति के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं को अपनाता है :

- सक्रिय जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की स्थापना
- ऋण मंजूरी से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग करना
- जोखिम आधारित मूल्यांकन और मंजूरी
- बहुस्तरीय ऋण स्वीकृति प्रणाली
- रकम, लेन-देन जोखिमों और रेटिंग के आधार पर विभेदकारी मंजूरी स्तर
- स्वतंत्र ऋण समीक्षा क्रियाविधि
- समस्यावाले/कमज़ोर ऋण एक्सपोजर पर केंद्रीकृत ध्यान
- निम्न गुणवत्ता की आस्तियों के मामले में समीक्षा/निर्गम
- ऋण की उच्चतम सीमाओं या सीमाओं का जोखिम आधारित प्रबंधन
- ऋण जोखिम का अधिग्रहण, विश्लेषण और मापन
- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- विशेषीकृत उधार पर केंद्रीकृत दृष्टिकोण। इसे, बड़ी/मिड कॉरपोरेट शाखाओं, आवास ऋण के लिए केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है।
- चालू एक्सपोजर और एनपीए स्तरों के आधार पर कम प्राथमिकतावाले उद्योगों की पहचान।

इस प्रकार कार्यनीति, आर्थिक क्रियाकलाप का प्रकार, भौगोलिक स्थान, मुद्रा, बाजार, परिपक्वता और प्रत्याशित लाभप्रदता के आधार पर ऋण प्रदान करने में बैंक की रुचि का निर्धारण करेगी। इससे लक्षित बाजारों और कारोबार क्षेत्रों की पहचान, अधिमान्य स्तर का

b) **Credit Risk Strategy:** One of the key components of credit risk management framework is credit risk strategy. Bank has sound credit risk strategy to meet the objectives of credit risk management. Bank's Credit Risk Strategy is in consonance with credit philosophy of the Bank, which emphasizes quality assets, profitable relationships and prudent growth.

Accordingly, Bank's Credit Risk Strategy is guided by the following principles:

- Credit granting process of the Bank would be marked by careful assessment in selecting borrowers and prudence in approving loans.
- Credit quality shall not be compromised for the sake of earnings or volumes. The business development would aim to diffuse credit risks through broadening of the client base, sectoral diversification and geographical distribution.
- Credit Risk strategy of the Bank would also seek to mitigate the cyclical economic trends and ensure that, the shifts in the composition of credit do not have an adverse effect on overall quality of the credit portfolio.

Bank employs the following processes to accomplish its credit risk strategies:

- Establishment of pro-active risk management practices
- Separation of credit risk management functions from credit sanction
- Risk based appraisal and sanction
- Multi-tiered credit approval system
- Discriminatory sanction levels based on amount, transaction risks and rating
- Independent loan review mechanism
- Focused attention on problem/weak credit exposures
- Review/exit in case of low quality assets.
- Risk driven management of credit ceilings or limits
- Capture, Analysis and Measurement of Credit Risk
- Risk based pricing
- Focused approach to specialized lending. This is being done through establishment of Large/ Mid-corporate branches, Centralized Processing Centre for Housing Loan.
- Identify Low Priority Industries based on the current exposure and NPA levels

Thus the strategy would determine the Bank's willingness to grant loans based on the type of economic activity, geographical location, currency, market, maturity and anticipated profitability. This would necessarily translate into

विविधीकरण और केंद्रीकरण, ऋण प्रदान करने में पूँजी की लागत और अशोध्य ऋण की लागत का अवश्य पता लगाया जा सकता है।

सी) **ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली:**

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

i. **जोखिम की पहचान:** बैंक के पास ऋण जोखिम को पहचानने या पता लगाने की पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। समय पर जोखिम की पहचान करने से बैंक समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

ii. **जोखिम का निर्धारण:** एक खास जोखिम श्रेणी के अंतर्गत उधारकर्ता की रेटिंग और उसका वर्गीकरण करते हुए जोखिम का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी संविभाग के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ उधारकर्ता के संबंधित जोखिम का संकेत देता है। जोखिम निर्धारण को ग्रेडिंग तथा तुलना के उद्देश्य से परिमाणित किया जाता है।

iii. **जोखिम की निगरानी:** यदि एक बार जोखिम की पहचान और निर्धारण कर लिया जाता है, तो बैंक निरंतर रूप से उसकी निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि जोखिम संचालनीय सीमाओं के भीतर है। आस्ति की गुणवत्ता को रक्षित करने और एनपीए से बचाने के लिए बैंक की जोखिम निगरानी एक महत्वपूर्ण साधन है।

iv. **जोखिम का नियंत्रण और कम करना:** जोखिम के नियंत्रण को, 'विशेष निगरानीवाले खाते', जो आस्ति की गुणवत्ता में हुई गिरावट का संकेत करते हैं, उनका बैंक द्वारा, ऋण अनुप्रवर्तन और समीक्षा विभाग नामक अलग वर्टिकल के अंतर्गत निरंतर रूप से निगरानी करने और मासिक आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोज़र की निगरानी करते हुए, सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम को कम करने के प्रयास किए गए हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को प्राप्त करते हुए जोखिम को कम किया जाता है।

डी) **ऋण जोखिम का प्रबंधन:**

बैंक में स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जिसका संचालन महा प्रबंधक द्वारा किया जाता है और वे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और कुल मिलाकर सभा जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभाग, ऋण विभाग और अन्य परिचालन एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग, पहचान, निर्धारण, निगरानी और नियंत्रण तथा विभिन्न घटकों में जोखिमों को कम करने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है।

संगठनात्मक संरचना:

बैंक ने सुदृढ़ तथा व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे का कार्यान्वयन किया है, निदेशक मंडल ऋण जोखिम प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेता है और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीतियों का निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तथा अन्य सीमाओं का भी निर्धारण करता है।

the identification of target markets and business sectors, preferred levels of diversification and concentration, cost of capital in granting credit and cost of bad debts.

c) **Credit Risk Management System:**

The credit risk management system encompasses the following:

i. **Identification of Risk:** Bank has methods and procedures to identify or locate the credit risk. Timely identification of risk will enable the Bank to initiate timely corrective action.

ii. **Assessment of Risk:** Assessment is done by rating the borrower and classifying the borrower under a particular risk grade. Each risk grade indicates the relative riskiness of the borrower vis-à-vis others in the portfolio. Risk assessment is quantified for the purpose of grading and comparison.

iii. **Monitoring of Risk:** Once the risk is identified and assessed, Bank continuously monitors and ensure that the risk remains within manageable limits. Risk monitoring is an important tool for of the Bank to protect the quality of the asset and avoid slippage to NPA.

iv. **Control and Mitigation of Risk:** Controlling of risk is ensured by the Continuous monitoring undertaken in respect of 'Special Monitoring Accounts' by the bank under a separate vertical called Credit Monitoring and Review department showing signs of slippage in asset quality and monitoring of exposure to sensitive sectors are undertaken on a monthly basis. Efforts are made to mitigate the risk. Risk is mitigated by way of obtaining collaterals or guarantees.

d) **Credit Risk Governance:**

The Bank has an independent Risk Management Department, which is headed by General Manager and is responsible for managing credit risk, market risk, operational risk and integration of all risks. The department functions independent of Credit Department and other operations and decision making processes. The Risk Management Department focuses on identification, assessment, monitoring and controlling and mitigating of risks across various segments.

Organisation Structure:

The Bank has implemented a robust and comprehensive Credit Risk Management framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for credit risk management and decides the credit risk management policy, strategies and sets prudential & other limits.

जोखिम प्रबंधन विभाग की संरचना निम्नवत है :

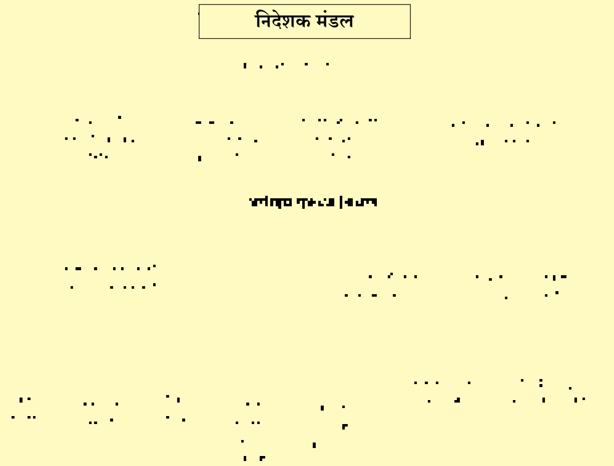

The set-up of Risk Management Department is hereunder:

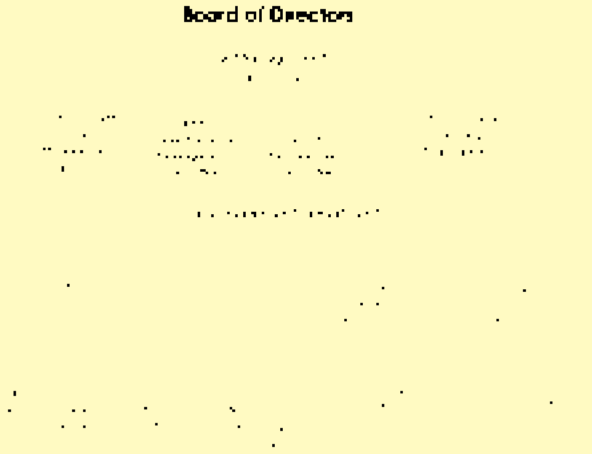

1. **मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):** जोखिम प्रबंधन समिति, मंडल की उप-समिति है, जिसका संचालन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जाता है, जो समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति बनाते हैं, जिसमें ऋण जोखिम के सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र शामिल हैं।

   आरएमसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

   ए) जोखिम कार्यनीतियाँ, जोखिम नीतियाँ, जोखिम-वहन क्षमता और जोखिम की सहनशीलता।

   बी) ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम और परिचालनगत जोखिम के मापन/प्रबंधन/निगरानी/रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना। ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति, फोरेक्स (विदेशी मुद्रा) राजकोष नीति और परिचालन मार्गदर्शी सिद्धांत, देशी राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, एएलएम नीति, परिचालनगत जोखिम नीति आदि सभी संबद्ध नीतियों का अनुमोदन।

   सी) विभिन्न जोखिमों को विश्लेषित करने, मापन करने और निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का अनुमोदन, जो बैंक के कारोबार में होनेवाली सभी महत्वपूर्ण जोखिम का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हो।

   डी) प्रभावी परिचालनों, विश्वसनीय रिपोर्टिंग, आस्तियों की रक्षा को प्रोत्साहित करने और जोखिम सीमाओं, विधि, विनियमन और अनुमोदित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत।

   ई) ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिमों के अंतर्गत जोखिम सीमाओं का अनुमोदन और समीक्षा।

   एफ) निरंतर आधार पर ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिचालन जोखिम, विधि जोखिम आदि का निर्धारण करना।

   जी) वित्तीय मॉडलों की ऋण/मार्केट/परिचालन जोखिमों के परिकलन के लिए उपयोग की गई सभी प्रणालियों की सख्तता और प्रभावकारिता सुनिश्चित किया जाना।

1. **RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) of the Board:** The Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director,/Executive Director devises the policy and strategies for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank, including the credit risk.

   The responsibilities of RMC include:

   a) Setting risk strategies, risk policies, risk appetite and risk tolerance of the Bank.

   b) Setting policies and guidelines for measurement/ management/monitoring/reporting of Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. Approving all related policies i.e., Credit policy, Credit Risk Policy, Forex Treasury Policy and Operational guidelines, Domestic Treasury Policy and Operational Guidelines, ALM Policy, Operational Risk Policy, etc.

   c) Approving procedures for analysing, measuring and monitoring various risks, which should be sufficiently comprehensive to capture all material risk inherent in the Bank's business.

   d) Setting up efficient internal control system to promote effective operations, reliable reporting, safeguarding assets and ensuring compliance with risk limits, laws, regulations and approved policies.

   e) Approving and Reviewing risk limits under credit risks, market risks and operational risks.

   f) Undertaking on an ongoing basis an assessment of credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, equity price risk, foreign exchange risk, operational risk, legal risk, etc.

   g) Ensuring robustness of financial models and effectiveness of all systems used to calculate Credit/Market/Operational risks.

एच) विभिन्न परिचालन विभागों द्वारा जोखिम मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और बैंक के कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखकर जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया के औचित्य को सुनिश्चित करना।

आई) महत्वपूर्ण कमजोरियों को पहचानने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रति तुरंत ध्यान देना।

जे) जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालन सीमाओं और नियंत्रणों से संबंधित) बैंक की नीति के अनुरूप है इसे सुनिश्चित करना।

के) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के साथ उनकी कार्यवृत्तों की समीक्षा करते हुए समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

एल) आरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को रिपोर्ट किया जाना।

एम) मामले के महत्व के आधार पर निदेशक मंडल को अनुमोदन/चर्चा के लिए नोट प्रस्तुत किया जाना।

विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए अलग उप-समितियाँ गठित की गईं।

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

2. **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी):** ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जाता है और बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं एवं ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। समिति ऋण जोखिम की निगरानी करती है, नीतियों को स्पस्ट करती है एवं नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

3. **क्षेत्रीय कार्यालय में जोखिम प्रबंधन कक्ष:** बासेल II संबंधी कार्य सहित समस्त ऋण एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय में जोखिम प्रबंधन कक्ष उत्तरदायी है। जोखिम प्रबंधन कक्ष के कार्यों में रजिस्टर रिपोर्टिंग की समीक्षा, प्रतिबंधों की समीक्षा, रेटिंग की पुष्टि, बासेल II का कार्यान्वयन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट, एसएम खातों की निगरानी, मित्रा समिति की रिपोर्ट, विधिक अनुपालन के प्रचालन और समुचित सावधानी प्रमाणपत्र की निगरानी आदि आते हैं।

ऋण जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं क्षेत्र और /या मापन प्रणाली

1) ऋण रेटिंग प्रणाली के द्वारा उधारकर्ता के ऋण जोखिम या उधारकर्ता को संस्वीकृत ऋण सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। उधारकर्ता की रेटिंग ऋण की मंजूरी के पहले की जाती है और नियमित आधार पर रेटिंग की समीक्षा की जानी है। रेटिंग की संपुष्टि संस्वीकृति पर निर्भर करती है। बोर्ड द्वारा विभिन्न निवेश सूची हेतु एक प्रस्ताव को विचार करने या अस्वीकृत करने के लिए न्यूनतम प्रतिलाभ दर को निर्धारित

h) Monitoring compliance with risk parameters by various operating departments and ensure the appropriateness of risk control process, keeping in view the level of risks posed by the bank's activities.

i) Paying prompt attention to identify material weaknesses and take remedial action.

j) Ensuring that risk management processes (related to people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.

k) Co-ordinate and supervise Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset-Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) through review of minutes of these committees.

l) Report to the Board of Directors by placing the minutes of RMC meetings.

m) Place any note to the Board for approval / discussion depending upon the importance of the matter.

Separate sub-committees, are set up to manage and control various risks:

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Asset Liability Management Committee (ALCO)

2. **CREDIT RISK MANAGEMENT COMMITTEE (CRMC):** The Credit Risk Management Committee (CRMC) chaired by the Chairman and Managing Director / Executive Director, is responsible for the implementation of the Credit Risk Policy and strategies approved by the Board. The committee monitors credit risk, clears policies and ensures compliance of policies.

3. **RISK MANAGEMENT CELLS AT ROs:** The Risk Management Cell at RO is responsible for overall credit and operational risk management functions including Basel II related work. The functions of Risk Management cell include review of reporting register, review of sanctions, confirmation of ratings, Basel II implementation, operational risk management, review of concurrent audit reports, monitoring of SM accounts, Mitra committee reports, monitoring issuance of Legal Compliance and Due Diligence certificate.

The scope and Nature of Credit Risk reporting and/or measurement system

1) The credit risk of a borrower or that of a credit facility sanctioned to a borrower is assessed through a credit rating system. The rating of the borrower is done prior to sanction of the loan and review of the rating is to be on regular basis. The confirmation of the rating is independent of sanction. Hurdle rates are prescribed by the Board for considering or rejecting a proposal for

करता है। ऋण रेटिंग मंजूरी प्राधिकारी, मार्जिन, कीमत निर्धारण और निगरानी उद्देश्य आदि से भी जुड़ा हुआ है।

2) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत ऋण जोखिम निवेश सूची को एक्सपोज़र के अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उच्च प्रबंधन, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नियमित आधार पर गठित समिति के द्वारा मूल्यांकित की जाती है।
   - वैयक्तिक एवं समूह उधारकर्ता के लिए विवेकसम्मत सीमाएं- वैयक्तिक उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए माने जानेवाली अधिकतम ऋण सीमा।
   - उद्योग की दृष्टि /क्षेत्र की दृष्टि एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा
   - संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्स्पोज़र
   - पूंजी बाज़ार हेतु एक्स्पोज़र
   - सभी ऋणों का रेटिंग दृष्टि से वितरण
   - रेटिंग का स्थानांतरण – विभिन्न समयावधि में ऋण निवेश-सूची में ऋण रेटिंग की गतिविधि

3) बैंक के पास ऋण समीक्षा तंत्र (एल आर एम) है जो अग्रिम के गुण, ऋण प्रबंधन की प्रभावशीलता, बैंक के आंतरिक नीति का अनुपालन और विनियामक ढांचा एवं निवेश-सूची के गुण को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। यह खाता में उत्पन्न कमजोरी की जानकारी को देता है ताकि प्रारंभिक समय में ही इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

बचाव-व्यवस्था हेतु नीतियाँ और / या जोखिम को कम करने एवं कार्यनीति और प्रतिरक्षा/प्रशामक की प्रभावशीलता को जारी रखने हेतु निगरानी की विधि

ऋण जोखिम को कम करने एवं जांच के लिए बैंक ने विभिन्न प्रकार की नीतियों/प्रणालियों/विधियों को विकसित किया है। नियंत्रण प्रणाली एवं जोखिम निगरानी के संबंध में बैंक द्वारा परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित प्रकार हैं ।

- बैंक के पास खाता की सभी समस्याओं को पहचानने के लिए ऋण निगरानी एवं समीक्षा हेतु स्वतंत्र विभाग है और विशेष निगरानी खातों/ पुनर्गठित खातों की प्रभावी निगरानी के लिए ठीक उसी प्रकार उसे उच्च प्रबंधन के पास प्रस्तुत करता है एवं कॉ.का./ प्र.का. से समन्वय करता है और प्रणाली/ नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करता है। आस्तियों के गुण को सुधारने एवं अनर्जक आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए ससमय उपचारी कार्यवाही की गई है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में समान संरचना विद्यमान है।
- उधारी खातों में बकाया ₹1 करोड़ और उससे ज्यादा की निगरानी के लिए बैंक के पास मासिक निगरानी रिपोर्ट की प्रणाली है और अग्रिम का अनुवर्तन करता है एवं एनपीए में जाने से रोकता है।
- बैंक के पास प्रारंभिक सीमा के ऊपर एक्सपोज़र हेतु आवधिक ऋण लेखा–परीक्षा और स्टॉक लेखा–परीक्षा के संचालन की प्रणाली है।
- ऋण जोखिम को कम करने में सुरक्षा प्रबंधन साधन है। यह बैंक के पक्ष में उधारकर्ता/तीसरी पार्टी की आस्तियों पर प्रवर्तनीय प्रभार सृजित करता है और नियमित अंतराल पर उचित मूल्यांकन/भंडारण/अनुरक्षण

various portfolios. Credit Rating is also linked to deciding Sanctioning Authority, Margin, Pricing and monitoring purposes.

2) Portfolio credit risk is assessed by studying the exposures under the following categories and appraised to Top Management, Risk Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board and Board on a regular basis.
   - Prudential limits for individual and group borrowers – Ceiling on maximum credit that can be considered for an individual borrower / group of borrowers
   - Industry-wise/sector-wise exposure ceilings
   - Exposure to Sensitive Sector
   - Exposure to Capital Market
   - Rating-wise distribution of all the advances
   - Migration of ratings – Movement of credit ratings in the credit portfolio as a whole over different time periods

3) Bank is having Loan Review Mechanism (LRM), which involves independent assessment of the quality of an advance, effectiveness of loan administration, compliance with internal policies of bank and regulatory framework and portfolio quality. It also helps in tracking weaknesses developing in the account for initiating corrective measures in time.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has evolved several strategies/systems/procedures to mitigate and monitor credit risk. The operational guidelines pertaining to the Risk Monitoring and control systems put in place by the bank are as under.

- The Bank has an independent Credit Monitoring & Review Department for identifying all problem accounts and places the same before Top Management and coordinates with functional departments at CO/HO, for effective monitoring of Special Monitoring accounts/Restructured accounts and takes feedback for any changes in the system/policy. Timely remedial action is taken to improve the quality of the assets and arrest slippage to NPA category. Similar structure exists in each RO.
- Bank is having the system of Monthly Monitoring Report for borrowal accounts with balance outstanding of ₹1 crore and above for monitoring and follow up of advances and preventing from slipping to NPA.
- Bank has also system of conducting periodic credit audits and stock audit for exposure beyond a threshold limit.
- Security management is instrumental in mitigating credit risk. It involves creation of enforceable charge over the

एवं प्रतिभूतियों की बीमा प्रभारित हो सके ताकि बैंक के अग्रिम/ऋण प्रतिभूतियों पर लगाए गए प्रभार स्पष्ट मूल्य में पूरी तरह कवर किया जा सके। पुनः, प्रभारित प्रतिभूति सामयिक अंतराल तक मूल्यांकित होते हैं एवं हमेशा निर्दिष्ट मार्जिन को बनाए रखा जाता है।

टेबल डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक दृढ़ एवं दक्ष बैंकिंग प्रणाली अनिश्चित काल के लिए अनिवार्य शर्त है। बैंक की आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम महत्वपूर्ण भाग है और आय का एक बड़ा स्रोत है। आस्ति के गुण बैंक के मुख्य सुदृढ़ता के संकेतक हैं। इसलिए आस्ति के गुण को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। ऋणों एवं अग्रिमों की तत्काल वसूली केवल बैंक की तरलता एवं लाभ स्तर को ही नहीं बढ़ाता बल्कि प्रत्यावर्ती उत्पादकारी क्रियाओं के लिए निधियों के पुनर्निवेश हेतु बैंक को सक्षम बनाना है और आधार में मजबूती लाना है।

आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और अग्रिम निवेश-सूची के प्रावधानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तदनुरूप बैंक अपने अग्रिमों को (ऋण और साख अग्रिम की प्रकृति में प्रतिस्थापन है) अर्जक एवं अनर्जक ऋणों में वर्गीकृत करता है। एक अर्जक आस्ति एक ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित की जाती है जहाँ :

- ❖ एक आस्ति, पट्टा आस्ति सहित अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
- ❖ जहाँ एक ऋण या अग्रिम अनर्जक आस्ति (एनपीए) वे निम्नानुसार हैं :
  - ➢ मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों की अवधि से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - ➢ ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में खाते अनियमित हों।
  - ➢ खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
  - ➢ अल्पावधि फसलों के लिए जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - ➢ लंबी अवधि के लिए मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - ➢ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभूतीकरण 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशानुसार प्रतिभूतीकरण अंतरण के संदर्भ में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - ➢ व्युत्पन्नी अंतरण के मामले में व्युत्पन्नी संविदा में बाजार भाव पर दर्शाए गए मूल्य की अतिदेय प्राप्तियाँ यदि निर्दिष्ट तारीख के भुगतान से 90 दिन तक अप्रदत्त हो।

borrower/third party assets in favour of the Bank, proper valuation/storage/maintenance and insurance of the securities so charged at regular intervals, in order that the Bank's advances/loans remain fully covered by the realizable value of the securities charged to it. Further, the charged securities are valued at periodic intervals and stipulated margins are maintained at all times.

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

A sound and efficient banking system is a sine qua non for maintaining financial stability. Loans and advances constitute major portion of the assets of the Bank and also a vital source of income. Asset quality is one of the major soundness indicators of a bank. Therefore considerable emphasis has been placed on improving asset quality. Prompt recovery of loans and advances not only increases the liquidity and profitability position of the Bank, but also enables the Bank to recycle the funds for alternate productive activities and to improve the bottom line.

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines on Asset classification, Income Recognition and Provisioning to Advances portfolio. An NPA is defined as a loan or an advance where:

- ❖ An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate Income for the bank.
- ❖ A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
  - ➢ Interest and/or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
  - ➢ The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/ CC),
  - ➢ The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
  - ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
  - ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
  - ➢ The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of RBI guidelines on Securitization dated February 1, 2006.
  - ➢ in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

- किसी क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि, विवरण में वर्णित देय न्यूनतम राशि का पूर्ण भुगतान अगले विवरण की तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाए। दो विवरणों के बीच का अंतराल एक महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ब्याज भुगतान के मामले में, खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान बकाया और प्रभारित ब्याज का पूर्ण भुगतान तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न हो।

क्रम में नहीं रहने की स्थिति: यदि किसी खाते की बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होती है, तो उस खाते को 'क्रम में नहीं' खाते के रूप में मानना चाहिए। यदि सक्रिय खाते की बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है बल्कि तुलन-पत्र की तारीख से निरंतर 90 दिनों की अवधि तक कोई राशि जमा नहीं की गई है या जमा की गई रकम उसी अवधि के दौरान नामे डाले गए ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे खातों को 'क्रम में नहीं' खातों के रूप में मानना चाहिए।

अतिदेय: किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख तक रकम अदा नहीं की जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

भौगोलिक वितरण-वार कुल सकल ऋण जोखिम निवेश (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

₹ मिलियन में

श्रेणी	31 मार्च 2015 की स्थिति		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
घरेलू	1651531.40	189158.30	1840689.70
समुद्रपारीय	406507.30	16.18	406523.48
कुल	**2058038.70**	**189174.48**	**2247213.18**

उद्योग-वार निवेश का वितरण (सकल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

₹ मिलियन में

उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
कृषि	262053.80	0.00	262053.80
खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	8408.60	4217.75	12626.34
खाद्य प्रसंस्करण	**23027.43**	**3829.76**	**26857.20**
चीनी	5652.77	148.57	5801.35
खाद्य तेल एवं वनस्पति	1990.54	3269.15	5259.68
चाय	307.40	0.00	307.40
अन्य	15076.73	412.04	15488.77
मादक पेय एवं तंबाकू	1347.55	29.04	1376.59
कपड़ा उद्योग	**32368.35**	**1672.36**	**34040.71**
उनमें से			
सुती वस्त्र उद्योग	15299.85	571.47	15871.31

- A Credit card account will be treated as non-performing asset if the minimum amount due, as mentioned in the statement is not paid fully within 90 days from the next statement date. The gap between two statements should not be more than a month.
- In case of interest payments, the account shall be classified as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Out of Order status: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit / drawing power. In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit / drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts also should be treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures:

Total gross credit risk exposures – Gross Outstanding Advances (Fund based and Non-fund based) Geographical distribution-wise:

₹ in Millions

Category	As on March 31, 2015		
	Fund Based	Non-fund Based	Total
Domestic	1651531.40	189158.30	1840689.70
Overseas	406507.30	16.18	406523.48
Total	**2058038.70**	**189174.48**	**2247213.18**

Industry-wise distribution of exposures (Gross Fund based and Non-fund based Advances):

₹ In Millions

INDUSTRY	FUND BASED	NON FUND BASED	TOTAL
Agriculture	262053.80	0.00	262053.80
Mining & Quarrying (incl. Coal)	8408.60	4217.75	12626.34
Food Processing	**23027.43**	**3829.76**	**26857.20**
Sugar	5652.77	148.57	5801.35
Edible Oils & Vanaspati	1990.54	3269.15	5259.68
Tea	307.40	0.00	307.40
Others	15076.73	412.04	15488.77
Beverage & Tobacco	1347.55	29.04	1376.59
Textiles	**32368.35**	**1672.36**	**34040.71**
Of which			
Cotton Textiles	15299.85	571.47	15871.31

उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
जुट वस्त्र उद्योग	21.65	28.50	50.15
मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग	632.27	131.15	763.42
अन्य वस्त्र उद्योग	16414.58	941.24	17355.83
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	679.50	25.74	705.24
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	875.66	591.24	1466.91
कागज़ एवं कागज़ उत्पाद	6763.94	480.52	7244.45
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं न्यूक्लियर इंधन	44105.64	13856.94	57962.58
उनमें से:			
पेट्रोलियम	43636.25	13843.31	57479.56
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	**21025.98**	**3702.37**	**24728.35**
उनमें से:			
उर्वरक	3799.22	1733.02	5532.24
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	4684.93	318.11	5003.04
पेट्रो केमिकल्स	4427.72	698.80	5126.53
अन्य	8114.11	952.43	9066.54
रबर, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	4273.99	1280.54	5554.52
कांच एवं कांच के बर्तन	2066.60	205.98	2272.58
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	6965.88	888.15	7854.02
मूल धातु और धातु उत्पाद	**106271.42**	**5022.38**	**111293.80**
उनमें से			
लोहा और इस्पात	97453.27	4471.39	101924.66
अन्य धातु और धातु उत्पाद	8818.15	550.99	9369.14
सभी इंजीनियरिंग	**18226.73**	**35559.15**	**53785.88**
उनमें से			
इलेक्ट्रॉनिक्स	3581.41	4170.91	7752.31
अन्य	14645.32	31388.24	46033.56
वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन	8596.24	703.12	9299.35
रत्न और आभूषण	17389.87	54.82	17444.68
निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न)	24632.27	24110.76	48743.02
इन्फ्रास्ट्रक्चर	**309514.66**	**25093.29**	**334607.95**
उनमें से			
पावर	170053.32	15772.66	185825.98
उनमें से:			
राज्य-स्वामित्व पावर उपयोगिता	114983.15	1096.60	116079.75
दूरसंचार	46382.52	3228.55	49611.07
रोड	23930.94	4711.08	28642.02
एयरपोर्ट	13307.20	0.00	13307.20
पोर्ट	1555.55	11.86	1567.41
रेलवे	10518.21	0.00	10518.21
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	43766.93	1369.14	45136.07
अन्य उद्योग	456599.95	46295.69	502895.65
एनबीएफसी	247451.24	1318.62	248769.86
उद्योगों की कुल संख्या	**1602645.28**	**168938.20**	1771583.49
अवशिष्ट अग्रिम	455393.42	20236.28	475629.69
कुल अग्रिम	**2058038.70**	**189174.48**	**2247213.18**

INDUSTRY	FUND BASED	NON FUND BASED	TOTAL
Jute Textiles	21.65	28.50	50.15
Man-Made Textiles	632.27	131.15	763.42
Other Textiles	16414.58	941.24	17355.83
Leather & Leather Products	679.50	25.74	705.24
Wood & Wood Products	875.66	591.24	1466.91
Paper & Paper Products	6763.94	480.52	7244.45
Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels	44105.64	13856.94	57962.58
Of which:			
Petroleum	43636.25	13843.31	57479.56
Chemicals & Chemical Products	**21025.98**	**3702.37**	**24728.35**
Of Which:			
Fertiliser	3799.22	1733.02	5532.24
Drugs & Pharmaceuticals	4684.93	318.11	5003.04
Petro Chemicals	4427.72	698.80	5126.53
Others	8114.11	952.43	9066.54
Rubber, Plastic & their Products	4273.99	1280.54	5554.52
Glass & Glassware	2066.60	205.98	2272.58
Cement & Cement Products	6965.88	888.15	7854.02
Basic Metal & Metal Product	**106271.42**	**5022.38**	**111293.80**
Of Which			
Iron & Steel	97453.27	4471.39	101924.66
Other Metal & Metal Product	8818.15	550.99	9369.14
All Engineering	**18226.73**	**35559.15**	**53785.88**
Of Which			
Electronics	3581.41	4170.91	7752.31
Others	14645.32	31388.24	46033.56
Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	8596.24	703.12	9299.35
Gems & Jewellery	17389.87	54.82	17444.68
Construction (other than Infrastructure)	24632.27	24110.76	48743.02
Infrastructure	**309514.66**	**25093.29**	**334607.95**
Of Which			
Power	170053.32	15772.66	185825.98
Of which:			
State-owned Power Utilities	114983.15	1096.60	116079.75
Telecommunication	46382.52	3228.55	49611.07
Roads	23930.94	4711.08	28642.02
Airports	13307.20	0.00	13307.20
Ports	1555.55	11.86	1567.41
Railways	10518.21	0.00	10518.21
Other Infrastructure	43766.93	1369.14	45136.07
Other Industries	456599.95	46295.69	502895.65
NBFC	247451.24	1318.62	248769.86
Total of Industries	**1602645.28**	**168938.20**	1771583.49
Residual Advances	455393.42	20236.28	475629.69
TOTAL ADVANCES	**2058038.70**	**189174.48**	**2247213.18**

उद्योग के कुल निवेश से 5% अधिक निवेश:

उद्योग	सार्वभौमिक निधि आधारित	सार्वभौमिक गैर-निधि आधारित	कुल	कुल निवेश का%
कृषि	262053.80	0.00	262053.80	11.66%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	309514.66	25093.29	334607.95	14.89%
उनमें पावर	170053.32	15772.66	185825.98	8.27%
उनमें से: राज्य-स्वामित्व पावर उपयोगिता	114983.15	1096.60	116079.75	5.17%
एनबीएफसी	247451.24	1318.62	248769.86	11.07%

Exposure to Industries in excess of 5% of total exposure:

INDUSTRY	GLOBAL FUND BASED	GLOBAL NON FUND BASED	TOTAL	% of Total Exposure
Agriculture	262053.80	0.00	262053.80	11.66%
Infrastructure	309514.66	25093.29	334607.95	14.89%
Of which Power	170053.32	15772.66	185825.98	8.27%
Of which: State-owned Power Utilities	114983.15	1096.60	116079.75	5.17%
NBFCs	247451.24	1318.62	248769.86	11.07%

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग-अलग आंकड़े

Residual contractual maturity breakdown of assets as on March 31, 2015

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	नकद Cash	भा.रि.बैं. में शेष Balances with RBI	अन्य बैंकों में शेष Balances with other banks	निवेश Investments	निवल अग्रिम Net Advances	स्थिर आस्तियां Fixed Assets	अन्य आस्तियां Other Assets	कुल Total
अगले दिन/Next day	7,264.23	29,806.38	8,492.50	414.24	39,481.60	-	1,025.16	86,484.11
2 -7 दिन 2 days to 7 days	-	1,640.37	87,613.58	320.43	66,768.72	-	1,313.78	1,57,656.88
8 -14 दिन/ 8 days to 14 days	-	1,440.43	-	986.08	40,356.25	-	828.74	43,611.50
15 -28 दिन /15 days to 28 days	-	1,092.32	-	9,012.97	34,190.16	-	2,191.14	46,486.59
29 दिन से 3 महीने तक /29 days to 3 months	-	6,553.16	4,000.00	32,239.63	2,08,923.05	-	7,335.25	2,59,051.09
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 months to 6 months	-	13,498.23	-	10,360.87	2,19,404.91	-	4,117.97	2,47,381.98
6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 Year	-	13,731.05	-	5,028.48	1,93,928.41	-	395.86	2,13,083.80
1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 Year	-	29,345.93	17,470.38	92,268.98	6,33,645.18	-	24,244.91	7,96,975.38
3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 year to 5 Year	-	5,182.22	991.65	1,32,573.16	2,27,054.12	-	4,520.57	3,70,321.72
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	-	10,191.06	-	4,10,191.84	3,63,445.78	16,083.59	10,387.23	8,10,299.50
कुल/Total	**7,264.23**	**1,12,481.15**	**1,18,568.11**	**6,93,396.68**	**20,27,198.18**	**16,083.59**	**56,360.61**	**30,31,352.55**

अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल):

आस्तियों की श्रेणी	₹ मिलियन में
अवमानक	26341.90
संदिग्ध 1	22207.20
संदिग्ध 2	14599.50
संदिग्ध 3	829.90
हानि	445.30
कुल एनपीए	**64423.80**
निवल एनपीए	38436.50

Amount of NPAs (Gross):

Category of Assets	₹ in Millions
Substandard	26341.90
Doubtful 1	22207.20
Doubtful 2	14599.50
Doubtful 3	829.90
Loss	445.30
Total NPA	**64423.80**
Net NPAs	38436.50

अनर्जक आस्ति अनुपात

(i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	3.13%
(ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	1.90%

NPA Ratios

(i) Gross NPAs to Gross Advances	3.13%
(ii) Net NPAs to Net advances	1.90%

अनर्जक आस्तियों में बदलाव

₹ मिलियन में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए
एनपीए (प्रारंभिक शेष)	**46111.30**
एनपीए में वृद्धि	
नया एनपीए	53517.10
परिचालन की वजह से वृद्धि	1384.30
विदेशी मुद्रा में अंतर की वजह से वृद्धि	98.30
कुल	**54999.70**
एनपीए में कटौती	
मूलधन के प्रति वसूली	10877.10
बट्टे खाते डालना	479.80
पीडब्ल्यूओ	10065.40
उन्नयन	14068.10
परिचालन की वजह से कमी	659.70
विदेशी विनिमय की वजह से कमी	543.10
कुल	**36687.20**
एनपीए (अंतिम शेष)	**64423.80**

अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए
प्रारंभिक शेष	17642.00
जोड़ें: अवधि के दौरान बनाए गए प्रावधान	19615.40
घटाएं :	
• बट्टे खाते डालना	10065.40
• अधिक प्रावधान का प्रतिवेदन	2523.30
अंतिम शेष	**24668.70**

अनर्जक निवेश

विवरण	₹ मिलियन में
अनर्जक निवेशों की रकम	2823.80
- गैर निष्पादन निवेशों के लिए धारित प्रावधान की रकम	2063.80
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की रकम	118.20
कुल: गैर निष्पादन निवेशों और निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	2182.00

अनर्जक निवेशों तथा निवेशों में होनेवाले मूल्यह्रास के प्रावधान में बदलाव (मूल्यांकन)

विवरण	₹ मिलियन में
• प्रारंभिक शेष	2353.20
• आलोच्य अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	542.30

Movement of NPAs

₹ in Millions

Particulars	For F.Y. 2014-15
NPA (Opening balance)	**46111.30**
Increase in NPA	
Fresh NPA	53517.10
Increase due operations	1384.30
Increase due to Diff. in FX exchange	98.30
Total	**54999.70**
Reduction in NPAs	
Recovery towards Principal	10877.10
Write off	479.80
PWO	10065.40
Upgradation	14068.10
Decrease due to operations	659.70
Decrease due FX Exchange	543.10
Total	**36687.20**
NPA (Closing balance)	**64423.80**

Movement of Provisions for NPAs:

Particulars	For F.Y. 2014-15
Opening balance	17642.00
Add : Provisions made during the period	19615.40
Less :	
• Write Off	10065.40
• Write back of excess provisions	2523.30
Closing Balance	**24668.70**

Non-Performing Investments

Particulars	₹ in Millions
Amount of Non-Performing Investments	2823.80
- Amount of provisions held for non-performing investments	2063.80
- Amount of provisions for Depreciation on investments	118.20
Total: Provision for non-performing investments & Depreciation on investments	2182.00

Provision movement of Non-Performing Investments & Depreciation on investments (valuation)

Particulars	₹ in Millions
• Opening balance	2353.20
• Provisions made during the period	542.30

विवरण	₹ मिलियन में
• प्रावधान में बट्टे खाते डालना/कटौती	713.50
• अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00
• **अंतिम शेष**	2182.00

टेबल डीएफ-4 - ऋण जोखिम: मानकीकृक दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उपयोग किए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और किसी परिवर्तन के लिए कारण :-
   बासेल II के अंतर्गत संशोधित ढाँचे के प्रावधानों के अनुरूप जहाँ बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा की रेटिंग, जो पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई है, वही रेटिंग दावा के जोखिम भार का आधार होगी। बैंक, पूँजी पर्याप्तता के उद्देश से दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :
   - ❖ क्रेडिट रेटिंग एण्ड इनफारमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
   - ❖ क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
   - ❖ इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
   - ❖ इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईक्रा)
   - ❖ ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
   - ❖ एसएमईआरए रेटिंग्स लि.

   बैंक पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का उपयोग करता है :
   - ❖ फिच
   - ❖ मूडीज़
   - ❖ स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स
2. उन ऋणों के प्रकार जिनके लिए श्रेणी का निर्धारण किया जाता है :-
   - ❖ बैंक ने ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट दोनों के पात्र सभी ऋणों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए उपर्युक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तय किए गए याचित रेटिंग्स का उपयोग किया है। बैंक ने न तो इन एजेंसियों द्वारा तय किए गए रेटिंग्स में कोई विभेद किया है न ही उनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रकार के ऋण के लिए सीमित रखा है।
   - ❖ यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए दो रेटिंग्स हैं, जिनसे विभिन्न जोखिम भार का परिकलन किया जाता है, तो निचले स्तर के रेटिंग के अनुरूप ऊँचे स्तर का जोखिम भार लागू किया जाता है।
   - ❖ यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न रेटिंग्स के साथ अधिक रेटिंग्स दिए जाते हैं, तो द्वितीय निचले स्तर का जोखिम भार अर्थात् द्वितीय निचले स्तर के रेटिंग को लागू किया जाता है।

Particulars	₹ in Millions
• Write Off / Reduction in provisions	713.50
• Write back of excess provisions	0.00
• **Closing Balance**	2182.00

Table DF-4 - Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative Disclosures:

1. Names of the credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes :-
   In line with the provisions of the Revised Framework under Basel II, where the facility provided by the bank possesses rating assigned by an eligible credit rating agency, the risk weight of the claim will be based on this rating. Bank uses the ratings of the following domestic credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:
   - ❖ Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
   - ❖ Credit Analysis and Research Limited (CARE)
   - ❖ India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
   - ❖ Investment Information and Credit Rating Agency of India (ICRA)
   - ❖ Brickwork Ratings India Pvt. Limited (Brickwork)
   - ❖ SMERA Ratings Ltd.

   Bank use, the ratings of the following international credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:
   - ❖ Fitch
   - ❖ Moody's
   - ❖ Standard & Poor's
2. Types of exposures for which ratings are used:-
   - ❖ The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term. The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.
   - ❖ If there are two ratings accorded by credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight corresponding to lowest rating applied.
   - ❖ If multiple ratings accorded by credit rating agencies with different ratings, then second lowest risk weight i.e., second lowest rating applied.

3. बैंकिंग बही में तुलनयोग्य आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग्स के अंतरण के लिए प्रयोग की जानेवाली प्रक्रिया का वर्णन:

- ❖ बैंक किसी विशिष्ट निर्गम में निवेश करता है जिसका चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किया गया निर्गम विशिष्ट रेटिंग होता है; दावे का जोखिम भार इसके निर्धारण पर आधारित होगा।
- ❖ निर्गम विशिष्ट रेटिंग (बैंक का निजी ऋण या उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी द्वारा दिया गया अन्य ऋण निर्गम) या जारीकर्ता रेटिंग (उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी के गैर-श्रेणी निर्धारित ऋण के लिए लागू किया जाता है :
  - ❖ निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग तभी किया जाता है जब बैंक का गैर-श्रेणी निर्धारित दावा श्रेणी निर्धारित निर्गम/ऋण के समरूप होता है या अधिक होता है।
  - ❖ जहाँ कहीं गैर-श्रेणी निर्धारित दावों के जोखिम भार निर्धारित करने हेतु जारीकर्ता रेटिंग या निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग किया जाता है, ऐसे रेटिंग उसी काउंटरपार्टी पर दावे की संपूर्ण रकम के लिए दिया जाता है।
  - ❖ जोखिम भार निर्धारित करने के उद्देश्य से उपयोग किए जानेवाले रेटिंग का पुष्टीकरण संबंधित रेटिंग एजेंसियों के वेबसाइट से किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने (सीआरएम) के बाद प्रमुख जोखिम बकेट्स में बैंक के निवेश - बकाया सकल अग्रिम और निवेश की रकम

जोखिम भार वर्ग	रकम (₹ मिलियन में)
अग्रिम	
निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	1242169
100% जोखिम भार	433224
100% से अधिक जोखिम भार	214598
कटौती (ऋण जोखिम में कमी)	168048
कुल	**2058039**
गैर-निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	82375
100% जोखिम भार	40625
100% से अधिक जोखिम भार	26104
ऋण जोखिम न्यूनकारक से कटौती	40070
कुल	**189174**
निवेश (बैंकिंग बही)	
100% से कम जोखिम भार	489382
100% जोखिम भार	306
100% से अधिक जोखिम भार	795
कटौती (ऋण जोखिम न्यूनकारक)	-
कुल	**490483**

3. Description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book.

- ❖ Bank invests in a particular issue that has an issue specific rating by a chosen credit rating agency; the risk weight of the claim will be based on this assessment.
- ❖ Issue Specific Ratings (Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower constituent/counterparty) or Issuer Ratings (borrower constituent/ counterparty) are applied to unrated exposures of the same borrower constituent/ counterparty subject to the following:
  - ❖ Issue specific ratings are used where the unrated claim of the Bank ranks **pari-passu** or senior to the rated issue / debt.
  - ❖ Wherever issuer rating or issue specific ratings are used to risk weight unrated claims, such ratings are extended to entire amount of claim on the same counterparty.
  - ❖ Ratings used for risk weighting purposes are confirmed from the websites of the rating agencies concerned.

Quantitative Disclosures

Amount of the Bank's Exposures – Outstanding Gross Advances & Investments in Major Risk Buckets after factoring Risk Mitigants (CRM) under Standardized Approach

Risk weight category	Amount (₹ in Millions)
Advances	
Fund Based	
Risk weight Below 100%	1242169
Risk weight of 100%	433224
Risk weight more than 100%	214598
Deducted (Credit Risk Mitigants)	168048
Total	**2058039**
Non-Fund Based	
Risk weight Below 100%	82375
Risk weight of 100%	40625
Risk weight more than 100%	26104
Deducted (Credit Risk Mitigants)	40070
Total	**189174**
Investments (Banking Book)	
Risk weight Below 100%	489382
Risk weight of 100%	306
Risk weight more than 100%	795
Deducted (Credit Risk Mitigants)	-
Total	**490483**

टेबल डीएफ – 5: ऋण जोखिम में कमी : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

बैंक द्वारा ऋण जोखिम में कमी का प्रकटीकरण करने की प्रणाली अपनाई जा रही है जिसे ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम करने हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत मान्यता दी गई है और यह ओटीसी व्युत्पन्न के काउंटरपार्टी जोखिम प्रभारों के परिकलन के लिए तथा ट्रेडिंग बही में किए गए रेपो-स्टाईल लेन-देनों के लिए भी लागू होगी।

1. **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया**
   नियंत्रण की मूल प्रक्रियाएँ एवं ब्यौरे तथा मानक/स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक गारंटी, विभिन्न प्रकार के ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन प्रक्रिया, संपार्श्विक प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति और निर्गमन आदि बैंक द्वारा जारी ऋण नीति तथा ऋण जोखिम नीति में सूचित किए जाते हैं।

2. **बैंक द्वारा स्वीकार किए जानेवाले मुख्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्णन**
   मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी परिकलन हेतु जोखिम को कम करनेवाली पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ निम्नवत् हैं :
   - नकद या नकद समान (उधारकर्ता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमाराशि रसीदों सहित)
   - सोना (दोनों बुलियन और आभूषण सहित)
   - केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
   - किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
   - आईआरडीए द्वारा विनियमित, किसी बीमा कंपनी की घोषित अभ्यर्पण मूल्य की जीवन बीमा पालिसियाँ
   - बीबीबी श्रेणी निर्धारित ऋण प्रतिभूतियाँ – या अल्पावधी मीयादी ऋण लिखतों के लिए बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3

3. **गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण-पात्रता**
   बैंक उन गारंटियों के रूप में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, विहित, अविकल्पी और अप्रतिबंधित हैं। बैंक, पूंजी आवश्यकताओं के परिकलन में ऐसी ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखता है।

   ऋण जोखिम को कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार हैं – केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गारंटी (गारंटीकृत हिस्से के लिए लागू 20% जोखिम भार), ईसीजीसी (गारंटीकृत हिस्से के लिए लागू 20% जोखिम भार), सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलएच।

   काउंटरपार्टी एक्सपोजर का गारंटीकृत हिस्से से गारंटर के लिए लागू जोखिम भार तय किया जाता है तथा असुरक्षित हिस्से से काउंटरपार्टी का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है। अतः काउंटरपार्टी से कम जोखिम भारवाली कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों से पूंजी प्रभार में कमी होती है।

TABLE DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES

Disclosures on credit risk mitigation methodology are being adopted by the Bank which are recognized under the Standardized Approach for reducing capital requirements for credit risk and this will also be applicable for calculation of the counterparty risk charges for OTC derivatives and repo-style transactions booked in the trading book.

1. **Policies and processes for collateral valuation and management**
   Basic procedures and descriptions of controls as well as types of standard/acceptable collaterals, guarantees necessary in granting credit, evaluation methods for different types of credit and collateral, frequency of revaluation and release of collateral are stipulated in the Credit policy & Credit Risk Policy framed by the Bank.

2. **A description of the main collaterals taken by the Bank**
   Collaterals eligible as risk mitigants for capital computation under Standardized Approach comprise namely:
   - Cash or Cash equivalent (including fixed deposit receipts, issued by the lending bank).
   - Gold (include both bullion and jewellery)
   - Securities issued by Central and State Governments
   - Kisan Vikas Patra (KVP) and National Savings Certificates (NSC)
   - Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
   - Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments

3. **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:**
   The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

   The types of guarantees recognized for credit risk mitigation are guarantees by Central Government, State Governments (20% risk weight applied for guaranteed portion), ECGC (20% risk weight applied for guaranteed portion), CGTMSE, CRGFTLH.

   As the guaranteed portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the applicable to guarantor and the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty. Hence Guarantees issued by entities with a attracting lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पात्र सीआरएम द्वारा आरक्षित एक्सपोजर (एफबी+एनएफबी) : (सीआरएम रकम)

विवरण	₹ मिलियन में
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति	173316.80
पात्र गारंटी (0% ऋण भारवाली) [सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलएच, केंद्र सरकार]	34801.73
कुल	208118.53

टेबल डीएफ-6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

आज की तारीख तक, सिंडिकेटबैंक ने किसी प्रकार का प्रतिभूतीकरण लेन-देन नहीं किया है।

टेबल डीएफ-7: व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का संदर्भ उन आगामी अर्जनों की अनिश्चितता से है जो ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, मार्केट मूल्य में होनेवाले परिवर्तन और उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश और बाज़ार जोखिम नीति तथा उस पर परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत मौजूद हैं, जिनकी समीक्षा वार्षिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न का परिचालन सुदृढ़ और स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुरूप किया जाता है तथा वे मौजूदा विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम के पूंजी प्रभार अर्थात् धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (ए.एफ.एस) संविभाग का परिकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ

विवरण	₹ मिलियन में
ब्याज दर जोखिम	9709.40
विदेशी विनिमय जोखिम (सोना सहित)	90.00
ईक्विटी जोखिम	2029.70
कुल	**11829.10**

टेबल डीएफ-8: परिचालन जोखिम प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम हानि की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता या असफल होने के कारण, लोगों या प्रणालियों की वजह से होती है या बाह्य कारणों से होती है । परिचालन जोखिम के अंतर्गत कानूनी जोखिम आती है बल्कि कार्यनीतिक जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास एक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) है जो परिचालन जोखिम प्रबंधन की सुदृढ़ पद्धति पर बासेल मार्गदर्शी सिद्धांतों

Quantitative Disclosures

Exposures (FB+NFB) covered by Eligible CRMs: (CRM amount)

Particulars	₹ in Millions
Eligible Collaterals	173316.80
Eligible Guarantees (having 0% RW) [CGTMSE, CRGFTLH, Central Govt.]	34801.73
Total	208118.53

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

As on date, SyndicateBank has not entered into any kind securitization transaction

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Board approved Investment and Market Risk policies and operational guidelines thereon are in place, reviewed annually to ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines.

Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardised Duration approach. The capital charge for Market Risk in Trading Book, i.e, Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Capital requirements for market risk

Particulars	₹ In Millions
Interest rate risk	9709.40
Foreign exchange risk(including gold)	90.00
Equity risk	2029.70
Total	**11829.10**

TABLE DF 8- Operational Risk Disclosures

Operational Risk

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place an Operational Risk Management Framework (ORMF) which is in line with the Basel guidelines on sound practices of Operational Risk Management and

तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर, बैंक ने निम्नलिखित को शामिल करने हेतु अपने परिचालन जोखिम प्रबंधन ढाँचे को बढ़ाया है :

1. जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) ढाँचा, जो सतत आधार पर ओआरएमएफ के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा। बैंक सभी मूल इकाइयों को शामिल करते हुए पूरे बैंक में ओआरएमएफ की जोखिम पहचान स्तर के हिस्से के रूप में आरसीएसए का निष्पादन कर रहा है।
2. बैंक ने प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) के लिए एक ढाँचा विकसित किया है, जो जोखिम अनुप्रवर्तन स्तर का एक भाग है। केआरआई को उन सभी प्रमुख कारोबार के लिए चिह्नित किया गया है जहाँ आरसीएसए कार्य कर रहा है।
3. हानि डेटा के संग्रहण और प्रबंधन के लिए ओआरएमएफ के एक भाग के रूप में एक लॉस डेटा प्रबंधन नीति विकसित की गयी है। इस नीति में उद्देश्य, भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ, हानि डेटा मानक, हानि ईवेंट रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मानक, घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया और रिपोर्टिंग टेम्प्लेट शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त बैंक की विभिन्न नीतियाँ हैं जैसे कि बिज़नेस लाइन मैपिंग नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, केवाईसी और एएमएल नीति, ब्याज नीति संघर्ष, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, लॉस डेटा प्रबंधन नीति आदि। दैनिक आधार पर संवेदनशील लेन-देनों की निगरानी हेतु बैंक ने प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों मे परोक्ष निगरानी कक्ष की स्थापना की है जो प्रारंभिक चेतावनी प्रक्रिया प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। भा.रि.बैं. द्वारा परिचालन जोखिम पर दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है।

जोखिम रिपोर्टिंग

संबंधित सूचनाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक का सूचनात्मक ढाँचा वरिष्ठ प्रबंधन तथा बोर्ड या संबंधित समितियों को उपलब्ध कराई जाती है ताकि ;

ए) परिचालन जोखिम को ससमय एवं सक्रिय प्रबंधन का सहयोग मिल सके।

बी) जोखिम व नियंत्रण परिवेशों की पारदर्शी तथा औपचारिक देखरेख की जा सके

जोखिम सूचनात्मक ढाँचे के अनुसार सभी प्रकार के जोखिमों को दृष्टिगत रखने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन और संबंधित समितियों को जोखिम निर्धारण और निगरानी की नियमित सूचना दी जाती है।

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करने हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपना रहा है। बैंक का उद्देश्य उन्नत मापन दृष्टिकोण (ए.एम.ए.) का प्रवजन करना है।

चूँकि, उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) के लिए गुणात्मक आवश्यकताओं के रूप में मानक दृष्टिकोण (टी.एस.ए.) को परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी गुणात्मक आवश्यकताएँ लागू हैं, बैंक ने बासेल समझौते में

RBI guidelines. Based on the Guidelines, the Bank has enhanced its operational risk management framework to include:

1. Risk and Control Self-Assessment (RCSA) Framework, which will act as guidance for implementation of the ORMF on an ongoing basis. Bank has been performing RCSAs as a part of risk identification stage of ORMF across the Bank covering all the key units.
2. Bank has developed a framework for Key Risk Indicator (KRIs), which forms a part of risk monitoring stage. KRIs has been identified for all the key business areas where RCSA has been rolled out.
3. As part of ORMF a Loss Data Management policy has developed for collecting and managing Loss Data. The policy includes objectives, roles and responsibilities, loss data standards, loss event reporting, reporting standards, incident reporting process and reporting templates.

In addition to this Bank have different policies like Business Line Mapping Policy, Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies, Conflict of interest policy, Operational Risk Management Policy, Loss Data Management Policy etc. Bank had created off-site monitoring cells at HO and ROs to monitor sensitive transactions on a daily basis which serves as an early warning system. Bank has laid down operational risk management policy based on draft guidelines of RBI on operational risk.

Risk Reporting

The reporting framework of the Bank aims to ensure relevant information is provided to senior management and to the Board, or relevant committees, to:

a) Support timely and proactive management of operational risk

b) Enable transparent and formal oversight of the risk and control environment

As per the risk reporting framework regular reporting of Risk Assessment and monitoring is made to senior management and respective committees to take an integrated view of all the risks.

Operational Risk capital assessment

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the Bank is presently adopting the Basic Indicator Approach (BIA) for calculation of Capital Charge for Operational Risk. Bank intends to migrate to the Advanced Measurement Approach (AMA).

As all the qualitative requirements relating to operational risk management applicable to The Standardized Approach (TSA), form part of the qualitative requirements for AMA, Bank has undertaken the process of mapping

लिखित संबंधित बिजनेस लाइन में स्थित सकल आय के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को लिया है और निगरानी के लिए आवधिक रूप से परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) का प्रवजन करने के दौरान बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल्स हैं ; जैसे ; प्रासंगिक प्रबंधन, आरसीएसए, केआरआई. और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) आदि। ओआरएमएस सॉफ्टवेयर विभिन्न व्यापारिक एककों से परिचालन हानि आंकड़ों को संग्रह करने में मदद करता है, जो परिचालन जोखिम के लिए पूँजी गणना में प्रयोग किए जाएंगे।

बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित ऋण व परिचालन जोखिम आंकड़ा विनिमय हेतु बैंक कनसॉर्टियम (सीओआरडीईएक्स) का संस्थापक सदस्य है। सीओआरडीईएक्स के द्वारा बैंक, बाह्य हानि आंकड़े को प्राप्त करने में समर्थ होगा। बैंक बाह्य हानि को निम्न रूप में उपयोग करता है :

ए) आरसीएसए प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए ;

बी) परिवेश विश्लेषण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए ;

सी) परिचालनात्मक पूँजी जोखिम मॉडल में आवक के रूप में

<u>टेबल डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)</u>

संगठनात्मक ढाँचा :

बोर्ड या निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा बनाए गए जोखिम मानदंडों के तहत बैंक द्वारा बाज़ार जोखिम एक्सपोजर की व्यवस्था करने हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) उत्तरदायी है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण में आस्ति देयता प्रबंधन समूह निगरानी करता है और जोखिम का प्रबंधन करता है। समुद्रपारीय लंदन शाखा के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन समूह ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल जोखिम समिति/ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित तरलता और ब्याज दर जोखिम पर विवेकपूर्ण मानदंड निहित रहता है। विवेकपूर्ण सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। सीमाओं का व्यतिक्रम होने पर इसकी सूचना, आस्ति-देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड को दी जाएगी।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम निम्न दो दृष्टिकोणों से व्युत्पन्नित हैं :

i. पारंपरिक अंतराल विश्लेषण - अर्जन परिप्रेक्ष्य

ii. अवधि अंतराल विश्लेषण - आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य

अंतराल विश्लेषण : ब्याज दर अंतराल या असंतुलित जोखिम का आकलन, घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के लिए दी गई तिथि पर विभिन्न समय-अंतरालों की गणना के आधार पर होता है। अंतराल विश्लेषण का आकलन दर संवेदनशील देयताएँ (आरएसएल) या दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) (जिनमें तुलनपत्रेतर स्थिति शामिल है) के अंतर के आधार पर होता है। रिपोर्ट, अवशिष्ट परिपक्वता या अगले पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, के अनुसार निर्धारित समय पर, समूह दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों तथा तुलन-पत्रेतर स्थितियों के आधार पर तैयार की जाती है। अपरिपक्व आस्तियों/देयताओं (जैसे आस्ति कॉलम में कार्यकारी

Gross Income into respective Business Lines defined in the Basel Accord and periodically placed before ORMC for monitoring.

In the course of migration to AMA, Bank has procured the Operational Risk Management Solution (ORMS) software, having different modules like Incident Management, RCSA, KRI, and Value at Risk (Var) etc. The ORMS software will enable collection of operational loss data from different business units, which will be used for computing capital for operational risk..

Bank is one of the founder members of CORDEx (Consortium of Banks for Credit and Operational Risk Data Exchange) formed by Indian Bank's Association. Through CORDEx bank will able to get the External Loss Data. Bank intends to use the external loss in the following ways:

a) To support the RCSA process.

b) To support the Scenario Analysis process.

c) As an input into the Operational Risk Capital Model.

<u>Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)</u>

Organisational set-up

ALCO (Asset-Liability Management Committee) is responsible for management of the balance sheet of the Bank with a view to manage the market risk exposure assumed by the Bank within the risk parameters laid down by the Risk Management Committee of the Board or the Board of Directors. The Asset Liability Management Group at the Bank monitors and manages the risk under the supervision of ALCO. At overseas branch, London, ALM group monitors interest rate risk along with liquidity risk.

The ALM Policy of the Bank contains the prudential limits on liquidity and interest rate risk, as prescribed by the Board of Directors/Risk Committee/ALCO. The prudential limits are monitored on regular basis. Any breach in the limits will be reported to ALCO/ RMC/ Board.

Interest Rate Risk in Banking Book is derived under following two approaches

i. Traditional Gap Analysis – Earnings perspective

ii. Duration Gap Analysis - Economic value perspective

Gap analysis: The interest rate gap or mismatch risk is measured by calculating gaps over different time intervals at a given date for domestic and overseas operations. Gap analysis measures mismatches between Rate Sensitive Liabilities (RSL) and Rate Sensitive Assets (RSA) (including off-balance sheet positions). The report is prepared by grouping rate sensitive liabilities, assets and off-balance sheet positions into time buckets according to residual maturity or next re-pricing period, whichever is earlier. For non-maturity assets/liabilities (for instance, working capital facilities on the assets side and current and savings account deposits on the liabilities side) grouping into time buckets is done based on behavioral studies or by making certain assumptions in line with RBI guidelines.

पूँजी सुविधा और देयता कॉलम में चालू और बचत बैंक जमा)का वर्गीकरण समयानुसार भा.रि.बैं. के निश्चित मानदंडों के अनुरूप की जाती है। आर.एस.ए. और आर.एस.एल. के बीच प्रत्येक समयसूची का अंतर उस समय के अंतर को दर्शाता है। अंतर की अभिदशा यह दर्शाती है कि निवल आय सकारात्मक है या नकारात्मक और ब्याज दर में परिवर्तन की ओर इंगित करती है और अनुमानतः ब्याज आय में आए अंतर को पूर्ण करने हेतु ब्याज पर परिवर्तन किया जाता है। बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति का अभिप्राय असंतुलन के लिए बकेटवार सीमाओं को दूर करता है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): अंतर यह दर्शाता है कि बैंक (आरएसए.>आर.एस.एल.) के सकारात्मक अंतर के कारण ब्याज दर घटाने की स्थिति में है। बैंक ब्याज दरों के स्तर में 200 बेसिक प्वाइंट के आधार पर निवल ब्याज आय (एनआईआई) केईएआर की निगरानी करता है। पिछले वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता से इस वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता का प्रभाव हमें बैंक के अरक्षित जोखिम की स्पष्ट गणना करने में सहायक होता है। ईएआर की गणना बैंकिंग बही व ट्रेडिंग बही में शामिल की गई है।

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (ईवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन, बैंक की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर दीर्घावधि प्रभाव डालता है; साथ ही, बैंक का आर्थिक मूल्य, बैंक की आस्ति एवं देयताएं और बैंक की तुलनपत्रेत्तर स्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं। आस्ति देयताओं और ईक्विटी पर ब्याज दर की संवेदनशीलता का मापदंड अवधि है। ब्याज दर में परिवर्तन करने पर आस्ति या देयताओं (या ईक्विटी) के बाज़ार मूल्य में अंतर की प्रतिशतता को परिभाषित करता है। इस प्रकार से ब्याद दरों में परिभाषित परिवर्तन के कारण किसी कंपनी की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में परिवर्तन होता है तो ईवीई उसका मापदंड होता है। बैंक, अपने घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के आईआरआरबीबी की व्यवस्था करने के लिए ईवीई के एक ढाँचे के रूप में इस्तेमाल करता है। एसएलएम नीति बैंक की समग्र ईवीई को अनुबंधित करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण – ब्याज दर जोखिम पर प्रभाव

अर्जन परिप्रेक्ष्य (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण)–बैंक अर्जन पर प्रभाव

	ब्याज दर में वृद्धि		ब्याज दर में कमी	
	100 बीपीएस	**200 बीपीएस**	**100 बीपीएस**	**200 बीपीएस**
आई एन आर	5304	**10609**	(5304)	**(10609)**
यू एस डी	(247)	**(494)**	247	**494**
अन्य	49	**98**	(49)	**(98)**
योग	**5106**	**10213**	**(5106)**	**(10213)**

आर्थिक परिप्रेक्ष्य (अवधि अंतराल विश्लेषण)–निवल मालियत पर प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	मूल्य
1	दर संवेदनशील देयताओं हेतु भारित औसत संशोधित अवधि	0.8284
2	दर संवेदनशील आस्ति की भारित औसत संशोधित अवधि	1.0659
3	ब्याज दर में 1% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	9130.56
4	ब्याज दर में 2% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	18261.12

The difference between RSA and RSL for each time bucket signifies the gap in that time bucket. The direction of the gap indicates whether net interest income is positively or negatively impacted by a change in the direction of interest rates and the extent of the gap approximates the change in net interest income for that given interest rate shift. The ALM Policy of the Bank stipulates bucket-wise limits for mismatches.

Earnings at Risk (EaR): The gap reports indicate whether the Bank is in a position to benefit from rising interest rates by having a positive gap (RSA > RSL) or whether it is in a position to benefit from declining interest rates by a negative gap (RSL > RSA). The Bank monitors the EaR with respect to net interest income (NII) based on a 200 basis points adverse change in the level of interest rates. The magnitude of the impact over a one year period, as a percentage of the NII of the previous year gives a fair measure of the earnings risk that the Bank is exposed to. The EaR computations include the banking book as well as the trading book.

Economic Value of Equity (EvE): Change in the interest rates also have a long-term impact on the market value of equity of the Bank, as the economic value of the Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions is impacted. Duration is a measure of interest rate sensitivity of assets, liabilities and also equity. It may be defined as the percentage change in the market value of an asset or liability (or equity) for a given change in interest rates. Thus EvE is a measure of change in the market value of equity of a firm due to the identified change in the interest rates. The Bank uses EvE as a part of framework to manage IRRBB for its domestic and overseas operations. The ALM Policy stipulates a limit on the overall EvE of the Bank.

Quantitative disclosures - Impact of interest rate risk

Earnings perspective (Traditional Gap Analysis) - Impact on Bank earning

	Interest rate rise by		Interest fall rise by	
	100 bps	**200 bps**	**100 bps**	**200 bps**
INR	5304	**10609**	(5304)	**(10609)**
USD	(247)	**(494)**	247	**494**
Others	49	**98**	(49)	**(98)**
Total	**5106**	**10213**	**(5106)**	**(10213)**

Economic perspective (Duration Gap Analysis) – Impact on Net worth

S. No.	PARTICULARS	Value
1	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities	0.8284
2	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Assets	1.0659
3	For 1% change in interest rate- Impact on Net worth	9130.56
4	For 2% change in interest rate- Impact on Net worth	18261.12

ब्याज दर में 1% के बदलाव का निवल मालियत पर प्रभाव ₹9130.56 मिलियन और 2% के बदलाव का प्रभाव ₹18261.12 मिलियन होगा जो निवल मालियत का 15.10% होगा।

ब्याज-दर जोखिम को मापने की आवृत्ति

बैंकिंग बही में ब्याज-दर जोखिम की संगणना बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। बैंक, ब्याज-दर में बदलाव के साथ ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में संभावित गिरावट की भी मासिक आधार पर गणना करता है। मासिक आधार पर जोखिम पर अर्जन की माप पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के द्वारा की जाती है।

टेबल डीएफ-10-प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक के पास व्युत्पन्नी जमाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उत्तम नीति है।
- बैंक, अपने तुलनपत्र में जोखिम से बचने के लिए और व्यापार/मार्केट तैयार करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी कारोबार करता है। बैंक, एफआरए, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली तथा मुद्रा विकल्प जैसे व्युत्पन्नी कारोबार बैंक एवं गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ करता है। बैंक केवल मुद्रा वायदा एक्सचेंज के मालिकाना ट्रेडिंग की स्थिति बताता है।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए संतोषजनक रेटिंग सहित पिछले निष्पादन-श्रेणी के तहत वायदा संविदाएँ ग्राहकों के लिए बुक की गई।
- मुद्रा वायदा में बैंक के लिए कोई जोखिम नहीं क्योंकि एक्सचेंज भुगतान की गारंटी देता है।
- वर्ष के दौरान बैंक ने बचाव के उद्देश्य से ब्याज दर अदला-बदली और एफआर ए को अपनाया ताकि लंदन शाखा में देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।
- मूल और ब्याज दोनों के लिए एक-एक करके विदेशी मुद्रा अदला-बदली अपनाई गई और इस प्रकार से बिना किसी लागत व्यय के विनिमय दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बचाव हो गया।
- लगातार 10 वर्षों तक बिना किसी जोखिम के उसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अदला-बदली जारी रही।
- केवल संतोषप्रद रेटिंग के ज़रिये गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली की गई।
- निगरानी करने के बजाए व्युत्पन्नों एवं एमआईएस के साथ जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने नियमित निगरानी की एक प्रणाली तैयार की है।
- बैंक ने, प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं के मूल्यांकन तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था की है।
- चालू ऋण एक्सपोज़र विधि (सीईएम) के आधार पर व्युत्पन्न लेन-देनों के लिए ऋण एक्सपोज़र की निगरानी की जाती है।
- क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/ कांटीन्यूएस लिंकड सेटलमेंट सिस्टम(सीएलएस) के द्वारा प्रतिपक्षकार

The impact on net worth for 1% change in the interest rate would be ₹ 9130.56 Millions and ₹18261.12 Millions for 2% change, which is 15.10% of net worth.

Frequency of Measurement of interest rate risk

Measurement and Computation of Interest rate risk in Banking Book is carried out by the Bank on a monthly basis. Bank also calculates on a monthly basis, the likely drop in Market Value of Equity with change in interest rates. Earnings-at-Risk is measured on a monthly basis using Traditional Gap Analysis.

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/ market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading Position in Currency Futures on the Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with satisfactory rating only and on complying with RBI guidelines
- Currency futures have no credit risk for the Bank as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year the Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for Hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with satisfactory rating only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counterparties.
- Credit exposure for derivatives transaction is monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- Credit risk is monitored by setting up counterparty exposure limits, setting country risk exposure limits and

एक्सपोज़र सीमाओं, देशी जोखिम एक्सपोजर सीमाओं और निपटान जोखिम को न्यूनतम करके ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है।

- हमारे प्रतिपक्षकार बैंकों और गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत लेन-देन किए जाते हैं। बिना किसी बाज़ार जोखिमों के एक-एक करके गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ लेन-देन किया जाता है।
- बैंक जटिल व्युत्पन्नों में कोई एक्सपोजर नहीं रखता है और न ही उप-प्रमुख आस्तियों में कोई सीधा एक्सपोजर रखता है।
- बैंक ने किसी खाते को न तो क्रिस्टिलाइज या अपलिखित किया है और न ही व्युत्पन्नों के लेन-देन में बचाव के अंतर्गत किसी प्रकारी की हानि उठाई है।
- ब्याज पर प्रतिकूल असर से बचने और जोखिम के स्तर को कम करने के लिए फ्रेंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में विभाजन किया गया है।
- मिड ऑफिस सीधे जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु को रिपोर्ट करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आईएसडीए करार प्रत्येक प्रतिपक्षकार बैंक/गैर-बैंक ग्राहकों के साथ निष्पादित /विनिमय किए जाते हैं।
- मिड ऑफिस व्यापारिक लेन-देनों में उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को स्वतंत्र रूप से कदम उठाते हुए निगरानी करता है।
- बोर्ड/भा.रि.बैं. द्वारा स्वीकृत समग्र अंतराल सीमाओं तथा निवल ओवरनाइट जोखिमरहित सीमाओं के तहत लेन-देन किए गए।
- बचाव के उद्देश्य से किया गया कोई भी लेन-देन यदि अप्रतिभूत होता है तो उसे ट्रेडिंग लेन-देन माना जाता है और उसे परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होती है।
- लेन-देनों को अलग से सुरक्षित या असुरक्षित लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अच्छे मूल्य के रूप में उसे माना गया।
- एक-एक करके कवर किए गए लेन-देनों तथा बैंक की आस्ति और देयताओं को जोखिम से बचाव सहित किए गए लेन-देनों का मूल्यांकन निर्धारित मूल्य और उपार्जन के आधार पर गणना किए गए ब्याज के अनुसार किया गया।
- यदि खरीदी के समय कोई प्रीमियम लिया गया हो तो उसका परिशोधन लेन-देन की अवधि के आधार पर किया जाएगा। लाभ का परिशोधन परिपक्वता पर किया गया। अग्रिम लेखा में प्राप्त आय के साथ बट्टे को रखा गया है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि खाते में समायोजित किया जाता है।
- जो बेजमानती होने में बाज़ार में हानि दर्शानेवाला बन जाता है उसके बचाव के उद्देश्य से किए गए लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।
- जहाँ बैंक की आस्तियों से ज्यादा तथा 1% का एक्स्पोजर हो जाता है वहाँ भी निवल निधिक देशी एक्स्पोजर के लिए प्रावधान किया जाता है।
- बाज़ार निर्माण के उद्देश्य से किए गए लेन-देन पाक्षिक आधार पर चिह्नित किए गए हैं और जो बचाव के उद्देश्य से किए गए हैं उसे उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संपार्श्विकों को भी लिया जाएगा।

mitigating settlement risk through Clearing Corporation of India Ltd (CCIL)/Continuous Linked Settlement System (CLS).

- The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counter party are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking the hedging transactions in derivatives.
- The segregation of front Office, Mid Office and Back office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk.
- The Mid office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bengaluru.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party bank and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board/RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.

हमारी लंदन शाखा में, वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा अदला-बदली। एफआरए/आईआरएस करार यूएसडी मुद्रा में होते हैं।

वायदा दर करार एवं ब्याज दर अदला-बदली

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	मद	31 मार्च 2015 की स्थिति
i)	अदला-बदली करार के आनुमानिक मूलधन	96250.00
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि	892.20
iii)	अदला-बदली में भाग लेने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य	12.40

नोट : तुलन पत्र के अंतर से बचने के लिए बैंक के प्रति सभी एफआरए एवं आईआरएस किया जाता है। समतुल्य परिपक्वतावाले ब्याज दर अदला-बदली करार में शामिल होते हुए निश्चित ब्याज दर देयता को अस्थिर दर देयता में परिवर्तित किया जाता है।

ए. हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा की अदला-बदली:

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	मद	31 मार्च 2015 की स्थिति
i)	अदला-बदली करार के आनुमानिक मूलधन	845.40
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि	192.90
iii)	अदला-बदली में भाग लेने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य	2.70

- हानियों को, ऋण एवं पुन:स्थापन जोखिम सहित कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उपर्युक्त अदला-बदली पर प्राप्य या देय निवल एमटीएम ही अदला-बदली बही का उचित मूल्य है।
- आस्थियों एवं देयताओं के असंतुलन का प्रबंधन और अपने बही खाताओं की बचाव व्यवस्था के लिए बैंक द्वारा वायदा दर करार (एफ आरए) और ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) किया जाता है।
- ऋण एवं राजकोष नीतियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाले प्रतिपक्षकारों के साथ इन व्युत्पन्न संव्यवहारों को किया जाता है। बोर्ड

Forward rate agreements//Interest rate swaps/Cross Currency Swaps at our London Branch. The FRA/IRS are contracted in USD Currency

Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps

(₹ In Millions)

Sl. No	Items	As on March 31, 2015
i)	The notional principal of the swap agreements	96250.00
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements (1)	892.20
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book (2)	12.40

Note: All FRA and IRS undertaken are against Banks to hedge Balance sheet gaps. The fixed interest rate liability was converted in to Floating rates by entering in to Interest Rate Swaps of matching maturity.

A. Currency swaps at Our International Division Mumbai in USD/INR :

(₹ In Millions)

Sl. No.	Items	As on March 31, 2015
i)	The notional principal of the swap agreements	845.40
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements(1)	192.90
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book(2)	2.70

- Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk
- Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps
- Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liability mismatches. Currency Swaps has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered Back-to Back with identical terms.
- These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit

द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण एवं बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए विभिन्न मानदंड/ सीमाएं होती हैं ।

- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार ही इन व्युत्पन्न संव्यवहारों के लिए लेखाकरण नीति बनाई गई है।

बी. विनिमय बाज़ार में व्यापारित व्युत्पन्न:

मुद्रा वायदे:

बैंक, तीन विनिमय कंपनियों में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा वायदों पर स्वामित्व व्यापार करता है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदों के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदे:

विनिमय बाज़ार में व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न कुछ नहीं है। बैंक, विनिमय बाज़ार में व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न में व्यवहार नहीं करता है।

टेबल डीएफ -11, 12, 13 एवं 14 के अंतर्गत प्रकटीकरण–पूँजी की संरचना और मिलान की आवश्यकताएं–विनियामक पूँजी लिखतों और मुद्दे से संबंधित नियम एवं शर्तें बैंक के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं जिनका यूआरएल www.syndicatebank.co.in है।

and Treasury Policies. These Board approved policies prescribes various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

- The accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines

B. Exchange Traded Derivatives

Currency Futures:

The Bank undertakes Proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There is no Outstanding Contracts under Currency future as on 31.03.2015.

Interest Rate future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Disclosure under Table DF-11, 12, 13 and 14–Composition of Capital and Reconciliation Requirements Main Features of regulatory Capital instruments and Terms & conditions of the issue are placed on the website of the Bank with the following URL www.syndicatebank.co.in

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक के संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2015 की स्थिति में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1482 शाखाओं की रिपोर्ट हैं, तथा स्थानीय लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित एक विदेशी शाखा की रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाएँ तथा अन्य लेखा परीक्षकों का चयन, बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते में वैसी 2026 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनका लेखा-परीक्षक अभी नहीं किया गया है। इन लेखा-अपरीक्षित शाखाओं के लेखा में 6.97 प्रतिशत अग्रिम, 22.19 प्रतिशत जमाराशियाँ, 5.40 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 20.12 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत, वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो कि इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका कारण जालसाजी या भूल, हो सकता है।

लेखा–परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा-परीक्षा किया है। उन मानदंडों के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा-परीक्षा करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा-परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधडीवश

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of SYNDICATEBANK, which comprise the Balance Sheet as on March 31, 2015, and Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1482 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by a local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2026 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.97 percent of advances, 22.19 percent of deposits, 5.40 percent of interest income and 20.12 percent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the

हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा-परीक्षा में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

राय

6. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार:

   i) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

   ii) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों और उनकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को लेखाकरण वर्ष का सही शेष दर्शाता है।

   iii) नकदी उपलब्धता विवरण अपनी वर्ष समाप्ति तिथि की स्थिति में सत्य एवं उचित विवरण दर्शाता है।

विषयवस्तु का महत्व

7. हम अपनी राय देने से पूर्व निम्नलिखित मदों पर ध्यानाकर्षण चाहेंगे :

   ए) एनपीए खाते में वसूली के विनियोजन से संबंधित वर्ष की लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट सं. 4 बी, वित्तीय विवरणी पर उसके प्रभाव की जांच जल्दी नहीं की जा सकती।

   बी) प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में अंतर के कारण लेखांकन आय एवं करयोग्य आय के बीच अंतर से संबंधित वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट सं. 8 सी) को स्थायी अंतर माना जाए और तदनुसार बैंक के कर सलाहकार की राय के अनुसार, 31 मार्च 2015 को ₹754.91 करोड़ की स्थगित कर देयता पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on March 31, 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and

   iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

   a) Note no. 4 b) in Schedule 18 to the financial statements regarding change in accounting policy for the year with respect to appropriation of recoveries in NPA accounts, the impact of which on financial statements is not readily ascertainable.

   b) Note no. 8 c) in Schedule 18 to the financial statements regarding the difference between accounting income and taxable income on account of difference in valuation of securities being treated as permanent difference and accordingly recognition of deferred tax liability ₹754.91 crores as at 31st March, 2015 not considered necessary based on opinion of tax consultant of the Bank.

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमश: ''ए'' और ''बी'' में तैयार किए गए हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   ए) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

   बी) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

   सी) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* एफ आर एन: 000833सी	कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* एफ आर एन: 108517डब्ल्यू	कृते के एन गोयल एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* एफ आर एन: 001084एन
कुणाल शर्मा *साझेदार* सदस्यता सं.: 405919	**विवेक एस शाह** *साझेदार* सदस्यता सं.: 112269	**माला राजन** *साझेदार* सदस्यता सं.: 087777
कृते गणेशन एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* एफ आर एन: 000859एस	कृते विष्णु राजेन्द्रन एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* एफ आर एन: 004741एस	
एस स्वामिनाथन *साझेदार* सदस्यता सं.: 023998	**टॉम जोसफ** *साझेदार* सदस्यता सं.: 201502	

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2015

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For **J N Sharma & Co** *Chartered Accountants* FRN : 000833C	For **Ramanlal G Shah & Co** *Chartered Accountants* FRN : 108517W	For **K N Goyal & Co** *Chartered Accountants* FRN : 001084N
Kunal Sharma *Partner* Membership No. 405919	**Vivek S Shah** *Partner* Membership No. 112269	**Mala Rajan** *Partner* Membership No. 087777
For **Ganesan and Company** *Chartered Accountants* FRN : 000859S	For **Vishnu Rajendran & Co.** *Chartered Accountants* FRN : 004741S	
S Swaminathan *Partner* Membership No. 023998	**Tom Joseph** *Partner* Membership No. 201502	

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2015

31 मार्च 2015 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
पूंजी/Capital	1	**662 05 92**	624 58 46
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**12396 71 69**	11219 61 04
जमाराशियाँ/Deposits	3	**255388 09 71**	212343 30 45
उधार/Borrowings	4	**26502 98 50**	19224 51 30
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**8185 39 40**	8449 46 13
योग/TOTAL		**303135 25 22**	251861 47 38
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**11974 53 81**	12711 99 20
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**11856 81 02**	2295 13 42
निवेश/Investments	8	**69339 66 69**	55539 38 02
अग्रिम/Advances	9	**202719 81 71**	173912 40 79
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**1608 35 90**	1468 83 51
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**5636 06 09**	5933 72 44
योग/TOTAL		**303135 25 22**	251861 47 38
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**132061 18 46**	96161 94 75
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**4997 02 09**	4489 14 76
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

आर एस पाण्डेय कार्यपालक निदेशक	**टी के श्रीवास्तव** कार्यपालक निदेशक	**एच प्रदीप राव** निदेशक	**R S Pandey** Executive Director	**T K Srivastava** Executive Director	**H Pradeep Rao** Director
रुद्र नारायण कर निदेशक	**शंकरन भास्कर अय्यर** निदेशक	**संजय अनंत मांजरेकर** निदेशक	**Rudra Narayan Kar** Director	**Sankaran Bhaskar Iyer** Director	**Sanjay Anant Manjrekar** Director
डॉ सी आर नसीर अहमद निदेशक	**आनंद के पंडित** निदेशक	**अतुल अशोक गलांडे** निदेशक	**Dr.C R Naseer Ahamed** Director	**Anand K Pandit** Director	**Atul Ashok Galande** Director
आर रामलिंगम सहायक महा प्रबंधक	**जी मोहन राव** उप महा प्रबंधक	**आई पी नागराज राव** महा प्रबंधक	**R Ramalingam** Asst. General Manager	**G Mohan Rao** Dy. General Manager	**I P Nagaraja Rao** General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2015

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2015

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2015 को	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2014 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**21615 16 19**	18621 26 03
	अन्य आय/Other Income	14	**2109 59 40**	1323 94 77
	योग/TOTAL		**23724 75 59**	19945 20 80
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**16094 87 23**	13080 50 48
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**3622 59 54**	3301 75 09
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**2484 35 73**	1851 49 45
	योग/TOTAL		**22201 82 50**	18233 75 02
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the Year		**1522 93 09**	1711 45 78
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)/Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**1522 93 09**	1711 45 78
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to :			
A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**380 73 27**	427 86 45
B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**1 99 99**	1 07 07
C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**500 31 75**	612 81 69
D	निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account		**0**	-12 20 10
E	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserve under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**265 00 00**	280 00 00
F	अनंतिम लाभांश (अनंतिम लाभांश कर - शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.54))/ Interim Dividend (Interim Dividend Tax NIL (Previous year - ₹ 26.54))		**0**	182 68 49
G	प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend		**311 16 98**	187 37 54
H	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Proposed Final Dividend		**63 71 10**	31 84 64
	योग/TOTAL		**1522 93 09**	1711 45 78
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10/- each) मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत) Basic and Diluted (Annualised)		**24.38**	28.21
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 000833सी)	कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 108517डब्ल्यू)	कृते के एन गोयल एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 001084एन)
(कुणाल शर्मा) *साझेदार* सदस्यता सं.: 405919	(विवेक एस शाह) *साझेदार* सदस्यता सं.: 112269	(माला राजन) *साझेदार* सदस्यता सं.: 087777
कृते गणेशन एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 000859एस)	कृते विष्णु राजेन्द्रन एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 004741एस)	
(एस स्वामिनाथन) *साझेदार* सदस्यता सं.: 023998	(टॉम जोसफ) *साझेदार* सदस्यता सं.: 201502	

For **J N Sharma & Co** *Chartered Accountants* (FRN : 000833C)	For **Ramanlal G Shah & Co** *Chartered Accountants* (FRN : 108517W)	For **K N Goyal & Co** *Chartered Accountants* (FRN : 001084N)
(KUNAL SHARMA) *Partner* Membership No : 405919	**(VIVEK S SHAH)** *Partner* Membership No : 112269	**(MALA RAJAN)** *Partner* Membership No : 087777
For **Ganesan and Company** *Chartered Accountants* (FRN : 000859S)	For **Vishnu Rajendran & Co** *Chartered Accountants* (FRN : 004741S)	
(S SWAMINATHAN) *Partner* Membership No : 023998	**(TOM JOSEPH)** *Partner* Membership No : 201502	

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I. **निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूंजी** ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**624 58 46**	601 95 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Year	**37 47 46**	22 63 46
66,20,59,172 (पिछले वर्ष 62,45,84,631) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 66,20,59,172 (Previous year 62,45,84,631) Equity Shares of ₹10/- each	**662 05 92**	624 58 46
ए) केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 45,83,94,888 (पिछले वर्ष 42,09,20,347) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 45,83,94,888 (Previous Year 42,09,20,347) Equity Shares of ₹10/- each	**458 39 49**	420 92 03
बी) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 20,36,64,284 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 20,36,64,284 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹10/- each	**203 66 43**	203 66 43
II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
योग/TOTAL	**662 05 92**	624 58 46

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को		As on दि. 31.03.2014 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**3002 28 55**		2574 42 10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**380 73 27**	**3383 01 82**	427 86 45	3002 28 55
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**139 55 65**		138 48 58	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**1 99 99**	**141 55 64**	1 07 07	139 55 65
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**1257 58 64**		1080 22 11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**422 52 55**	**1680 11 19**	177 36 53	1257 58 64
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**946 56 91**		975 75 36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		0	
	946 56 91		975 75 36	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**28 08 96**	**918 47 95**	29 18 45	946 56 91
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI. **निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account**				
अथशेष/Opening Balance	**0**		12 20 10	
घटाएँ: लाभ व हानि खाते को अंतरण/Less: Transfer to Profit and Loss Account	**0**	**0**	12 20 10	0
VII. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**4099 56 86**		3823 66 03	
घटाएं: मानक आस्तियों के प्रावधान पर डी टी ए का प्रत्यावर्तन Less: Reversal of DTA on provision for standard assets	**316 24 00**		0	
जोडें: अन्य समायोजन/Add: Other adjustments	**20**		0	
घटाएं: पिछले वर्षों की कमियों को पूरा करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत रखे गए विशिष्ट आरक्षित निधि में अंतरण। Less: Transfer to Special Reserve created under Section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961 to make good short creation for earlier years	**0**		66 62 71	
घटाएं: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2012-13 तक के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता। Less: Deferred Tax Liability on Special Reserve upto the Financial Year 2012-13 under Section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961	**0**		270 28 15	
	3783 33 06		3486 75 17	
जोडें: लाभ व हानि खाते से अंतरण/Add: Transfer from Profit and Loss Account	**500 31 75**	**4283 64 81**	612 81 69	4099 56 86
VIII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**94 25 32**		1 48 49	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**-49 14 15**	**45 11 17**	92 76 83	94 25 32
IX. **विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve (आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत) (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)**				
अथशेष/Opening Balance	**1098 62 71**		752 00 00	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**0**		0	
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि का अंतरण/Transfer from Revenue and Other Reserves	**0**		66 62 71	
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभ व हानि लेखा का अंतरण/Transfer from Profit and Loss Account for Financial Year 2014-15	**265 00 00**	**1363 62 71**	280 00 00	1098 62 71
योग/TOTAL		**12396 71 69**		11219 61 04

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
ए./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**133 27 37**	125 26 97
ii) अन्यों से/ From Others	**17112 71 97**	13842 65 44
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**46467 30 34**	42029 64 14
III. **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**38678 07 06**	30121 34 25
ii) अन्यों से/ From Others	**152996 72 97**	126224 39 65
योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	**255388 09 71**	212343 30 45
बी./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**225401 85 99**	186965 79 99
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**29986 23 72**	25377 50 46
योग(बी)(I+II)/TOTAL B(I+II)	**255388 09 71**	212343 30 45

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
बी/b. अन्य बैंक/Other Banks	**11921 98 12**	6062 43 73
सी/c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**583 77 43**	1367 17 76
डी/d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773 00 00**	773 00 00
ई/e. बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत/Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures	**0**	0
एफ/f. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर/Perpetual Cumulative Preference Shares	**0**	0
जी/g. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	**0**	0
एच/h. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर/Redeemable Cumulative Preference Shares	**0**	0
आई/i. गौण ऋण/Subordinated Debt	**4469 70 00**	3619 70 00
योग/TOTAL	**17748 45 55**	11822 31 49
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**8754 52 95**	7402 19 81
योग/TOTAL (I + II)	**26502 98 50**	19224 51 30
उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**9921 00 00**	4648 33 05

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I. देय बिल/Bills Payable	**916 55 75**	**814 65 45**
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**109 15 87**	**1338 58 93**
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1158 35 70**	**902 50 47**
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**966 92 99**	**930 39 23**
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**5034 39 09**	**4463 32 05**
योग/TOTAL	**8185 39 40**	**8449 46 13**

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**726 42 34**	454 65 30
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में/In Current Account	**11248 11 47**	12257 33 90
	अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
	योग/TOTAL	**11974 53 81**	12711 99 20

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	**भारत में/In India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**62 94 15**	81 59 20
	बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**2246 20 25**	1501 50 21
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
	ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**5948 85 76**	0
	बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
	योग/Total	**8258 00 16**	1583 09 41
II.	**भारत के बाहर/Outside India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**767 55 86**	130 86 46
	बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**2831 25 00**	581 17 55
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
	योग/Total	**3598 80 86**	712 04 01
	योग/TOTAL (I + II)	**11856 81 02**	2295 13 42

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	**भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**69260 98 96**	55462 03 25
	घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**218 20 17**	232 11 89
	भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**69042 78 79**	55229 91 36
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**62217 66 24**	48245 55 05
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
	शेयर/Shares	**333 49 60**	313 97 52
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**4351 91 39**	4255 14 83
	अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and / or Associates	**26 52 22**	26 52 22
	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सी.ओ.डी. इत्यादि)/ Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**2112 28 84**	2387 81 24
	योग/ TOTAL	**69042 78 79**	55229 91 36
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**296 87 90**	312 66 94
	घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**0**	3 20 28
	भारत के बाहर निवल निवेश/Net Investments Outside India	**296 87 90**	309 46 66
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**296 87 90**	309 46 66
	अन्य/Others	**0**	0
	योग/Total	**296 87 90**	309 46 66
	योग/TOTAL	**69339 66 69**	55539 38 02

अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
ए./A.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**2742 70 69**	1362 99 97
	ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**41246 04 84**	39294 08 21
	iii) मीयादी ऋण/Term Loans	**158731 06 18**	133255 32 61
	योग/Total	**202719 81 71**	173912 40 79
बी./B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**141075 91 93**	110887 24 34
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**37772 97 61**	30874 73 47
	iii) अरक्षित/Unsecured	**23870 92 17**	32150 42 98
	योग/Total	**202719 81 71**	173912 40 79
सी./C.	**I) भारत में अग्रिम/Advances in India**		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**56092 13 32**	50717 96 00
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**20201 73 45**	12929 55 66
	iii) बैंक/Banks	**2172 66 82**	2070 00 37
	iv) अन्य/Others	**83856 93 55**	75775 25 35
	योग/Total	**162323 47 14**	141492 77 38
	II) भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India		
	i) बैंकों से देय/Due from Banks	**29320 63 67**	26102 88 95
	ii) अन्यों से देय/Due from Others		
	ए)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	**212 08 33**	276 38 66
	बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**6263 74 05**	5790 39 75
	सी)/c) अन्य/Others	**4599 88 52**	249 96 05
	योग/Total	**40396 34 57**	32419 63 41
	योग सी (I + II)/TOTAL C (I + II)	**202719 81 71**	173912 40 79

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**1236 34 42**	1215 62 76
	जोडें: अवधि के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**30 61 75**	22 72 21
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2 05 86**	2 00 55
		1264 90 31	1236 34 42
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**208 67 04**	176 55 70
	योग/Total	**1056 23 27**	1059 78 72
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**97 63 79**	35 75 07
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा उपस्कर सहित)/Other Fixed Assets (including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1154 07 28**	1039 69 60
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**286 84 36**	173 69 06
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**57 86 10**	59 31 38
		1383 05 54	1154 07 28
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**928 56 70**	780 77 56
	योग/Total	**454 48 84**	373 29 72
	योग/TOTAL (I+II+III)	**1608 35 90**	1468 83 51

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II.	उपचित ब्याज/Interest accrued	**1609 91 80**	1313 74 93
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2054 50 85**	1425 41 26
IV.	लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**21 46 62**	16 61 02
V.	दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 26**	3 38
VI.	अन्य/Others	**1950 13 56**	3177 91 85
	योग/TOTAL	**5636 06 09**	5933 72 44

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो कर्ज़ के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**130 79 54**	117 94 15
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/Venture Funds	**40 33 78**	44 93 02
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**98343 57 04**	67941 66 04
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
	ए)/a) भारत में/In India	**14252 52 51**	10092 66 97
	बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 40**	7 98
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**4664 84 95**	3976 24 75
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
	i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	**15 48 32**	6 96 02
	ii) अन्य/Others	**14613 54 92**	13981 45 82
	योग/TOTAL	**132061 18 46**	96161 94 75

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**16119 99 99**	14419 64 05
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	**4889 68 51**	3782 32 63
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**588 70 11**	294 89 73
IV.	अन्य/Others	**16 77 58**	124 39 62
	योग/TOTAL	**21615 16 19**	18621 26 03

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**882 72 42**	567 05 79
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**657 22 27**	164 61 55
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**- 19 72**	-92 56
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**91 13**	164 72
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-1 01 81**	- 68 43
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**116 52 37**	113 39 55
	घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions	**-19 44 91**	- 15 15 56
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**0**	0
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**472 87 65**	493 99 71
	योग/TOTAL	**2109 59 40**	1323 94 77

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**15007 77 43**	**12076 99 59**
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**46 97 68**	**85 33 71**
III.	अन्य/Others	**1040 12 12**	**918 17 18**
	योग/TOTAL	**16094 87 23**	**13080 50 48**

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**2229 44 01**	2228 61 57
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**253 00 40**	216 20 41
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**25 53 41**	17 57 72
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**27 69 95**	26 01 97
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**186 56 88**	118 13 45
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 27 92**	1 26 39
VII.	लेखापरीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**26 03 33**	24 64 85
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**5 89 74**	7 79 24
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**83 16 86**	47 57 16
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**92 26 63**	79 17 73
XI.	बीमा/Insurance	**167 04 57**	118 74 90
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure	**524 65 84**	415 99 70
	योग/TOTAL	**3622 59 54**	3301 75 09

अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति: 2014-2015

1. (ए) लेखांकन पद्धति

विदेशी कार्यालय सहित बैंक की वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धातों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी रूप में माना जाता है बशर्ते अन्यथा न हो।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट पारिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है। सी सी आई एल–शून्य कूपन प्रतिफल कर्व (जेड़ सी वाई सी) दरों के प्रयोग द्वारा एम टी एम वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए बाजार के लिए चिन्हित (एम टी एम) परिणाम घटाया जाता है।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2014 - 2015

1. (A) ACCOUNTING CONVENTIONS

The financial statements of the Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

2.1 Exchange Rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at ongoing market rates.

2.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit/loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) is discounted to arrive at present value MTM by using CCIL- Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) rates.

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

सी) एएस 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में संचित किया गया।

3. निवेश

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को पुन: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां
बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
सी) शेयर
डी) डिबेंचर और बंध पत्र
ई) अनुषंगी/सहयोगी
एफ) अन्य

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

3.2.1 ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' और ''व्यापार के लिए धारित'' श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण, लागत याबाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो।

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एसजीएल खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफआईएमएमडीए/पीडीएआई नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार :

ए) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफआईएमएमडीए/पीडीएआई की

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

3. INVESTMENTS

3.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries/Associates
f) Others

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 Investments under 'Held to Maturity' are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at a premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition/carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades/quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI/FIMMDA/PDAI; and accordingly:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices/

कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाईटीएम) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है।

बी) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./ एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता है।

सी) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ., वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है।

डी) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता है जो भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक न हो।

ई) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर किया जाता है और जहाँ शेयर एक्सचेंज में भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य ('पुनर्मूल्यन रिज़र्व' यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है या ₹1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है, जहाँ अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

एफ) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य)।

जी) अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है।

एच) प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।

आई) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया जाता है।

जे) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

3.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के आधार पर किया गया है। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया है।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अभिलाभ, यदि कोई हो, लाभ और हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है (निवल करों और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली अपेक्षित रकम)।

Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA/PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures/Bonds are valued at Market price if quoted, otherwise on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI/ FIMMDA.

c) Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis and not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.

e) Equity Shares are valued at last traded prices if quoted; unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at ₹1 per company, where latest balance sheet is not available.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value).

g) Investment in Subsidiaries/ Joint ventures is valued at carrying cost.

h) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

i) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

j) Units of mutual funds are valued as per stock exchange quotations, if quoted; at Repurchase Price/Net Asset Value, if unquoted.

3.2.4 Investments are also categorized based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3 Gain, if any, on sale/disposal of securities in the Held to Maturity category is appropriated to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

3.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों का लेखाकरण क्रमश: उधार और वित्तीयन के रूप में किया गया है ।

4. व्युत्पन्न

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनको उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाता है ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाता है ।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाता है । मितीकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा/और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का

3.4 Transfer of securities from one category to another is carried out at lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.5 Floating/Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available For Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/Commission/Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expense.

3.7 Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

4. DERIVATIVES

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted for on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at monthly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

5. ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification

वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

5.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआइ/एनबीएफसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम लागत पर यानि प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एन.बी.वी. मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

6. परिसर और अन्य अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यहास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

ए) परिसर:	**दरें**
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

बी) अन्य आस्तियाँ:	**दरें**
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा

and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

5.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC)/Securitization Company (SC)/Banks/FIs/NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

6. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

(A) PREMISES:	**Rates**
i) Bank owned (freehold/ leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease – where lease period is not specified – where lease period is specified	10 % Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:	**Rates**
i) Furniture	10%
ii) Fixtures, Other Equipments, UPS, Generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic Equipments	40%
v) Computers and Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers

परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

8. राजस्व का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

एफ) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9. आय पर कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय के अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

and operating software, which is provided on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7. RETIREMENT BENEFITS

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 Liability towards leave encashment is accounted for on Cash Basis.

8. REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/ commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at the Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. देशी जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार देशी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) द्वारा प्रकाशित देशी जोखिम श्रेणी वर्गीकरण का अनुपालन कर रहा है।

11. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में ऋण की बढ़ रही आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र को रोकने के लिए एक नीति अपनाई है तथा उसे अनुमोदित किया है।

12. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

13. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधानें

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करने के द्वारा परिकलित की गई है।

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines and following the Country Risk Category classification published by Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

11. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

– Provision for Income Tax and Wealth Tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

14. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2014-2015

1. पूँजी

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	7.53	8.29
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	7.84	8.68
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.70	2.73
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	10.54	11.41
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	69.24	67.39
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	460.00	200.00
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	0.00	0.00
– पी.डी.आई.	0.00	0.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
– ऋण पूँजी लिखत	1,150.00	0.00
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस./प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	0.00	0.00

नोट: दि. 31.03.2015 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.92 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2014 की स्थिति में यह 12.01 प्रतिशत था।

बी. वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को, ₹10/- अंकित मूल्य के 3,74,74,541 ईक्विटी शेयरों को ₹112.75 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹459,99,99,907.75 है। तदनुसार, भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता 67.39% से 69.24% हो गया।

2. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	69,260.99	55,462.03
(बी) भारत के बाहर	296.87	312.67
(ii) मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	218.20	232.12
(बी) भारत के बाहर	0.00	3.20
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	69,042.79	55,229.91
(बी) भारत के बाहर	296.87	309.47
(2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	235.32	46.00
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	54.23	191.00
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	71.35	1.68
(iv) **इतिशेष**	218.20	235.32

2.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2015 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समयोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	26.00	2,936.96	515.82	540.80
(ii) सीमांत स्थाई सुविधा	52.00	1,040.00	230.66	0.00
(iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	104.00	9,777.04	2,155.98	9,777.04
(iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) सी आर ओ एम एस उधार	20.00	2,786.98	835.55	0.00

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2014 - 2015

1. **CAPITAL**

a. **Capital Adequacy Ratio as per Basel III** (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio **(%)**	7.53	8.29
ii) Tier 1 Capital Ratio **(%)**	7.84	8.68
iii) Tier 2 Capital Ratio **(%)**	2.70	2.73
iv) Total Capital Ratio (CRAR) **(%)**	10.54	11.41
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	69.24	67.39
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	460.00	200.00
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
– PNCPS	0.00	0.00
– PDI	0.00	0.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	1,150.00	0.00
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	0.00	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31.03.2015 as per Basel - II norms is 10.92% and as on 31.03.2014 it was 12.01%.

b. During the year, the Bank has allotted on preferential basis 3,74,74,541 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹112.75 aggregating ₹459,99,99,907.75 to Government of India. Consequently, the Government of India's shareholding has increased from 67.39% to 69.24%.

2. **INVESTMENTS** (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	69,260.99	55,462.03
b) Outside India	296.87	312.67
ii) Provisions for Depreciation and NPA		
a) In India	218.20	232.12
b) Outside India	0.00	3.20
iii) Net Value of Investments		
a) In India	69,042.79	55,229.91
b) Outside India	296.87	309.47
ii) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	235.32	46.00
ii) Add: Provisions made during the year	54.23	191.00
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	71.35	1.68
iv) **Closing balance**	218.20	235.32

2.1 **Repo Transactions** (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2015
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Repo	26.00	2,936.96	515.82	540.80
(ii) Marginal Standing Facility	52.00	1,040.00	230.66	0.00
(iii) Government Securities for Term Repo	104.00	9,777.04	2,155.98	9,777.04
(iv) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) CROMS Borrowing	20.00	2,786.98	835.55	0.00

रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	26.00	9,308.00	820.77	3,016.00
(ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	104.00	6,240.00	1,517.52	0.00
(iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) सी आर ओ एम एस उधार	27.15	14,522.84	4,776.24	0.00

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

2.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2015 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	''अनिर्धारित'' प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	2,176.60	2,162.14	1,166.78	378.34	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,538.52	1,538.52	165.56	1.13	1.13
(iii)	बैंक	1,635.92	741.42	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी नैगम	1,926.73	1,843.81	163.36	1.78	1.78
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	218.20	***	***	***	***
	कुल*	**7,121.09**	**6,347.41**	**1,495.70**	**381.25**	**2.91**

नोट: (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:

(ए) शेयर (बी) डिबेंचर और बंधपत्र

(सी) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (डी) अन्य

(2) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015			31.03.2014		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	**196.37**	**1.11**	**197.48**	38.74	12.22	50.96
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	86.01	0.00	86.01	158.75	-	158.75
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	-	1.11	1.11	1.12	11.11	12.23
इति शेष	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
रखे गए कुल प्रावधान	**206.38**	**0.00**	**206.38**	158.12	1.11	159.23

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आई.एन.आर. दरों में उतार–चढ़ाव से है।

iii) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) एसजीएल उछाल

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

2.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹4,03,96,846.21 (पिछली वर्ष ₹2,16,26,380.00) को लाभ एवं हानि खातों में लिया गया और ₹1,99,99,468 के कुल लाभ का 25% को तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।

Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Reverse Repo	26.00	9,308.00	820.77	3,016.00
(ii) Government Securities for Term Reverse Repo	104.00	6,240.00	1,517.52	0.00
(iii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) CROMS Lending	27.15	14,522.84	4,776.24	0.00

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent.

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2015.

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	2,176.60	2,162.14	1,166.78	378.34	0.00
(ii)	Financial Institutions (incl. NBFCs)	1,538.52	1,538.52	165.56	1.13	1.13
(iii)	Banks	1,635.92	741.42	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	1,926.73	1,843.81	163.36	1.78	1.78
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation	218.20	***	***	***	***
	TOTAL *	**7,121.09**	**6,347.41**	**1,495.70**	**381.25**	**2.91**

Note: (1) * Total under column 3 tallies with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.

(a) Shares (b) Debentures and Bonds

(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) Amounts reported under rows 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

ii) Non-performing Non-SLR Investments (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015			31.03.2014		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**196.37**	**1.11**	**197.48**	38.74	12.22	50.96
Additions during the year since 1st April	86.01	0.00	86.01	158.75	-	158.75
Reduction during the above period	-	1.11	1.11	1.12	11.11	12.23
Closing balance	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
Total provisions held	**206.38**	**0.00**	**206.38**	158.12	1.11	159.23

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

iv) SGL Bouncing

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2014-15.

2.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹4,03,96,846.21 (Previous Year ₹2,16,26,380.00) has been taken to Profit and Loss Account and 25% of such profit net of tax of ₹1,99,99,468 has been appropriated towards Capital Reserve Account.

2.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹53,92,64,029.01 (पिछले वर्ष ₹56,21,11,965.41) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसर अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

2.5 लंदन शाखा में धारित अस्थिर दर नोटों एवं विदेशी मुद्रा बांडों में की गई निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग में डाल दिया गया है और अंतिम दर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अस्थिर दर नोटों का निर्गतकर्ता के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

2.6 31.03.2015 की स्थिति में (अंकित मूल्य) निवेश खाते में सरकारी प्रतिभूतियों के धारण का समाधान

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियों के विवरण	प्रधान खाताबही शेष	एस.जी.एल. शेष		धारित बी आर	धारित एस.जी. एल. फार्म	धारित वास्तविक स्क्रिप	बकाया सुपुर्दगी
		पी डी ओ बहियों के अनुसार	बैंक/संस्था की बहियों के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्र सरकार	35,834.54	35,834.54	35,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार	26,608.19	26,608.19	26,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य अनुमोदित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई के यूनिट (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (शेयर एवं डिबेंचर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**62,442.73**	**62,442.73**	**62,442.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोट : पी.डी.ओ. बहियों की शेषराशि में योग्य प्रतिपक्षकार और स्टॉक एक्सचेंज में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

3. व्युत्पन्न

3.ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

- ***वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली***

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2015	31.03.2014
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**9,625.00**	10,856.95
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**89.22**	180.51
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**1.24**	43.74

नोट: सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली बैंक के तुलन-पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है । वित्तीय वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान, बैंक ने यू एस डी 1,400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है। स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला-बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है।

- ***मुद्रा अदला-बदली*** (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2015	31.03.2014
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**84.54**	137.37
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**19.29**	30.18
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**0.27**	0.61

2.4 The amortization charges of ₹53,92,64,029.01 (Previous Year ₹56,21,11,965.41) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

2.5 Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available for Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers' value.

2.6 Reconciliation of holdings of Government Securities in Investment Account as on 31.03.2015 (Face Value): (₹ in crores)

Particulars of Securities	General Ledger Balance	SGL Balance		BRs held	SGL forms held	Actual Scrips held	Outstanding Deliveries
		As per PDO Books	As per Bank's/ Institution's Books				
1	2	3	4	5	6	7	8
Central Government	35,834.54	35,834.54	35,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00
State Government	26,608.19	26,608.19	26,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Approved	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Units of UTI (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others (Shares & Debentures)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**62,442.73**	**62,442.73**	**62,442.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Note: The Balance as per PDO Books includes securities pledged with Qualified Counterparty and Stock Exchanges

3. DERIVATIVES

3.A Forward Rate Agreements/Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps

- ***Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2015	31.03.2014
i)	The notional principal of swap agreements	**9,625.00**	10,856.95
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**89.22**	180.51
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**1.24**	43.74

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 1,400.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

- ***Currency Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2015	31.03.2014
i)	The notional principal of the swap agreements	**84.54**	137.37
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**19.29**	30.18
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**0.27**	0.61

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं ।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2014-15 में प्रस्तुत हैं ।

3.बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदा:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। भा.रि.बै. ने ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र सं 147 दिनांक 20 जून 2014, के माध्यम से बैंकों को विनिमय व्यापारिक मुद्रा व्युत्पन्न व्यापारों को दुबारा शुरु करने की अनुमति दी है। पहले भा.रि.बै. ने ए.पी. (डी. आई.आर.) सीरिज परिपत्र सं. 07 दिनांक 08.07.2013 के माध्यम से विनिमय बजारो में बैंकों को मुद्रा वायदा लेन-देनों पर मालिकाना व्यापार करने पर रोक लगाया था। दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य और अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	

3. सी. व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) *गुणात्मक प्रकटीकरण*

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।

(1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Current Credit Exposure and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These derivative transactions are entered with counterparties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2014 - 2015.

3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. RBI, vide AP (DIR Series) circular no. 147 dated 20th June 2014, has allowed Banks to resume Exchange Traded Currency Derivatives Trades. Earlier RBI vide their AP (DIR) Series Circular no. 07 dated 08.07.2013 had restricted Banks to not to carry out Proprietary Trading in Currency Future in Exchange Markets. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31.03.2015.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2015 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) *Qualitative Disclosure*

- ✓ The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counterparties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ Currency futures have no credit risk for the Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- ✓ During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging purpose to mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.

- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की जाती है ।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- बैंक के पास संम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।

- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counterparties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss Account on maturity.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses.

➢ उन निवल निधिकृत देशी ऋणों के लिए भी प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।

➢ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

➢ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।

➢ 92.18% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

बी) दि. 31.03.2015 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015		31.03.2014	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	84.54	9,625.00	137.37	10,856.95
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	10.84	1.57	8.22	137.93
	बी) देयताएँ (–)	(-) 10.57	(-) 0.33	(-) 6.89	(-) 6.97
3.	**ऋण विनिवेश**	**19.29**	**89.22**	**30.18**	**180.51**
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	1.18	124.49	0.58	(-) 209.75
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए) अनर्जक आस्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31-03-2014
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**1.90%**	1.56%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष राशि	**4,611.13**	2,978.50
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**5,499.97**	3,695.11
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**3,668.72**	2,062.48
डी) इतिशेष	**6,442.38**	4,611.13
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**2,720.60**	1,124.77
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**3,770.64**	2,705.23
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**2,647.59**	1,109.40
डी) इतिशेष	**3,843.65**	2,720.60
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**1,764.20**	1,775.65
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1,729.33**	989.88
सी) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,026.65**	1,001.33
डी) इतिशेष	**2,466.88**	1,764.20
ई) प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**66.61%**	70.02%

✓ Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.

✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.

✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.

✓ 92.18% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2015.

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2015		31.03.2014	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	84.54	9,625.00	137.37	10,856.95
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	10.84	1.57	8.22	137.93
	b) Liability (-)	(-) 10.57	(-) 0.33	(-) 6.89	(-) 6.97
3	**Credit Exposure**	**19.29**	**89.22**	**30.18**	**180.51**
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	1.18	124.49	0.58	(-) 209.75
	b) On Trading Derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	NIL	NIL	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL	NIL	NIL

3.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

4. ASSET QUALITY

a) Non-Performing Assets

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**1.90%**	1.56%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**4,611.13**	2,978.50
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**5,499.97**	3,695.11
c. Reductions during the year	**3,668.72**	2,062.48
d. Closing balance	**6,442.38**	4,611.13
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**2,720.60**	1,124.77
b. Additions during the year	**3,770.64**	2,705.23
c. Reductions during the year	**2,647.59**	1,109.40
d. Closing balance	**3,843.65**	2,720.60
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**1,764.20**	1,775.65
b. Provisions made during the year	**1,729.33**	989.88
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,026.65**	1,001.33
d. Closing balance	**2,466.88**	1,764.20
e. Provision Coverage Ratio (%)	**66.61%**	70.02%

बी) एन पी ए खातों में वसूली की विनियोजन नीति में परिवर्तन :

अब तक, बैंक एन पी ए खातों के अंतर्गत की गई वसूलियों का विनियोजन पहले गैर-वसूली योग्य प्रभार में करना था और शेष रकम गैर-वसूली योग्य ब्याज और मूलधन में करना था। 1 अप्रैल 2014 से बैंक ने एमपीए खातों के अंतर्गत की गई वसूलियों की लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। इस प्रकार, ऐसे खातों के अंतर्गत की गई वसूलियों का विनियोजन अब पहले गैर-वसूली योग्य प्रभागों में और शेष रकम को मूलधन और ब्याज में किया जाता हैं। लेखाकरण नीति में हुए इस परिवर्तन का एन पी ए खातों पर प्राप्त ब्याज और निवल लाभ प्रभाव का तुरंत पता नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, यदि नीति को परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो वर्ष का लाभ अधिक हो सकता था।

b) Change in Policy on appropriation of recoveries in NPA Accounts:

Hitherto, the Bank was appropriating recoveries in NPA accounts first towards unrecovered charges and balance towards unrecovered interest and principal in that order. With effect from 1st April 2014, the Bank has changed its accounting policy for appropriation of recoveries in NPA accounts. Thus, recoveries in such accounts are now first appropriated towards unrecovered charges and balance towards unrecovered principal and interest in that order. The impact of this change in policy on interest income on NPA accounts for the year and on net profit for the year is not readily ascertainable. However, had the policy not been changed, the profit for the year would have been higher.

सी/c) वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2014 – 15 (₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार खातों में पुनर्संरचना का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2015																					
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2014	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	3	2	0	35	2024	393	777	173	3367	105941	6545	7571	1221	121278	107995	6941	8350	1394	124680
		बकाया राशि/AMT O/S	3,254.76	152.96	393.70	0.00	3,801.42	507.12	37.34	49.19	3.07	596.72	6,364.84	144.86	191.96	36.43	6,738.09	1,0126.72	335.16	634.85	39.50	1,1136.23
		प्रावधान/PROVISION	138.91	1.13	32.71	0.00	172.75	10.88	0.99	2.13	0.00	14.00	288.33	5.10	7.03	0.00	300.35	438.12	7.22	41.87	0.00	487.21
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	14	1	1	0	16	90	34	0	0	124	23237	196	29	42	23504	23341	231	30	42	23644
		बकाया राशि/AMT O/S	722.73	100.00	24.10	0.00	846.83	8.34	0.65	0.00	0.00	8.99	1,031.28	8.23	3.69	1.35	1,044.55	1,762.35	108.88	27.79	1.35	1,900.37
		प्रावधान/PROVISION	48.55	5.04	0.00	0.00	53.59	0.42	0.03	0.00	0.00	0.45	31.35	0.17	0.04	0.07	31.63	80.32	5.24	0.04	0.07	85.67
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	187	0	0	0	187	198	0	0	0	198
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0	0	0	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	13.48	0.00	0.00	0.00	13.48
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0	0	0	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	5	0	0	0	5	105	0	0	0	105	31221	0	0	0	31221	31331	0	0	0	31331
		बकाया राशि/AMT O/S	436.58	0.00	0.00	0.00	436.58	67.42	0.00	0.00	0.00	67.42	700.14	0.00	0.00	0.00	700.14	1204.14	0.00	0.00	0.00	1204.14
		प्रावधान/PROVISION	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	35.57	0.00	0.00	0.00	35.57
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	5	4	0	9	0	1215	5	26	1246	0	19848	260	55	20163	0	21068	269	81	21418
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	172.28	408.73	0.00	581.01	0.00	90.31	5.21	1.11	96.63	0.00	315.28	127.71	1.54	444.53	0.00	577.87	541.65	2.65	1122.17
		प्रावधान/PROVISION	0.00	8.32	13.35	0.00	21.67	0.00	3.01	0.00	0.00	3.01	0.00	11.63	4.44	0	16.07	0.00	22.96	17.79	0.00	40.75
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/ Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2015 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	5	7		42	597	1125	3258	486	5466	57010	19973	10762	1272	89017	57637	21103	14027	1758	94525
		बकाया राशि/AMT O/S	2,273.24	172.28	532.59		2,978.11	182.86	78.66	122.37	10.87	394.76	6,641.31	368.59	356.89	27.26	7,394.05	9,097.41	619.53	1,011.85	38.13	10,766.92
		प्रावधान/PROVISION	136.64	8.32	22.30		167.26	2.32	2.33	4.37	0	9.02	345.39	12.36	7.25	0	365.00	484.35	23.01	33.92	0	541.28

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31.03.2015 have been shown including these accounts.

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i) खातों की संख्या	5	शून्य
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	795.18	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	1115.22	शून्य
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	320.04	शून्य

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी) पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		अंतर्निहित रुप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		कुल	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
प्रतिभूति रसीद में निवेश का बही मूल्य	908.48	17.73	0.00	0.00	908.48	17.73

एफ) बैंक ने, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/बैंकों/वि.सं./एनबीएफसी को वित्तीय आस्तियों को बेचने पर अतिरिक्त प्रावधान किये जाने संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन किया है, बशर्ते बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा हो। अतिरिक्त प्रावधान को भावी नुकसान/अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुए नुकसान को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डीओबीडी. बीपी.बीसी.सं. 98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के अनुसार नीति बदल गई है और अतिरिक्त प्रावधान को उसी वर्ष के लाभ व हानि लेखा में वापस करना है जिस वर्ष रकम प्राप्त की गई है। यदि नीति में परिवर्तन नहीं किया गया होता तो वर्ष के निवल लाभ में ₹161.60 करोड़ कम हुआ होता, बेची गई आस्तियों के तहत ₹161.60 करोड़ अधिक हुआ होता तथा आरक्षित रकम ₹106.67 (कर का निवल) कम हुई होती।

जी) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. बेचे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

एच) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	771.19	654.04

d) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) No. of accounts	5	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	795.18	NIL
(iii) Aggregate consideration	1115.22	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	NIL
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	320.04	NIL

e) Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company(SCs)/Reconstruction Company (RCs).

(₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
Book Value of Investments in Security Receipts	908.48	17.73	0.00	0.00	908.48	17.73

f) The Bank has changed its policy with respect to treatment of excess provision on sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC)/Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs where the sale is at a value higher than the NBV. The excess provision was hitherto being maintained for utilization towards future shortfall/loss on account of sale of other financial assets. In accordance with RBI Circular No.DBOD.BP.BC.No.98/21.04.132/2013-14 dated 26th February, 2014, the policy has been changed and the excess provision is now reversed to the Profit & Loss Account in the year amounts are received. Had the policy not been changed, Net profit for the year would have been lower by ₹161.60 crores and provision against sold assets would have been higher by ₹161.60 crores and reserves would have been lower by ₹106.67 (net of Tax).

g) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B. Details of Non Performing Financial Assets Sold (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1. No. of Accounts Sold	NIL	NIL
2. Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate Consideration Received	NIL	NIL

h) Provisions on Standard Assets (₹ in crores)

Particulars	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Provisions towards Standard Assets	771.19	654.04

5. कारोबार अनुपात (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**8.22%**	8.54%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.80%**	0.60%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.52%**	1.63%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**0.58%**	0.78%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (₹ करोड़ में)	**15.39**	14.30
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	**5.55**	6.83

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

5. BUSINESS RATIOS (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	**8.22%**	8.54%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	**0.80%**	0.60%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	**1.52%**	1.63%
(iv)	Return on Assets (%)	**0.58%**	0.78%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee (₹ in Crores)	**15.39**	14.30
(vi)	Profit per Employee (₹ in Lakhs)	**5.55**	6.83

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

6. आस्ति देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों के परिपक्वता स्वरूप /MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्वता स्वरूप/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS

(भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2015 को	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमाराशि/Deposits	**1,241.61**	**8,228.49**	**7,071.01**	**6,644.23**	**41,790.02**	**48,651.78**	**58,536.04**	**73,724.23**	**8,043.44**	**1,457.25**	**2,55,388.10**
2	अग्रिम/Advances	**3,948.16**	**6,676.87**	**4,035.62**	**3,419.02**	**20,892.30**	**21,940.49**	**19,392.84**	**63,364.52**	**22,705.41**	**36,344.58**	**2,02,719.82**
3	निवेश/Investments	**41.42**	**32.04**	**98.61**	**901.30**	**3,223.96**	**1,036.09**	**502.85**	**9,226.90**	**13,257.32**	**41,019.18**	**69,339.67**
4	उधार/Borrowings	**2.09**	**6,611.00**	**3,310.00**	**1,000.00**	**144.35**	**26.35**	**42.60**	**5,725.49**	**6,669.59**	**2,971.52**	**26,502.99**
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	**514.54**	**4,697.01**	**2,336.08**	**2,533.76**	**13,325.20**	**11,166.68**	**6,621.30**	**537.51**	**394.18**	**167.70**	**42,293.96**
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	**248.97**	**3,021.64**	**2,359.83**	**1,834.60**	**15,601.98**	**4,354.08**	**2,729.67**	**6,137.91**	**5,726.92**	**0.00**	**42,015.60**

नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है ।/**Note:** Item No. 5 and 6 above are included in respective heads in item no. 1 to 4 above.

7. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2015	31.03.2014
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**22,513.29**	18,938.01
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**11,142.95**	9,939.27
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**7,878.63**	9,153.13
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**9,259.48**	7,281.33
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,392.30**	1,717.41
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश –		
ए. आवासीय	**90.81**	0.00
बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**627.75**	0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**2,881.76**	3,082.21
रियल इस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**25,395.05**	22,020.22

7. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31.03.2015	31.03.2014
a) Direct Exposure	**22,513.29**	18,938.01
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**11,142.95**	9,939.27
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**7,878.63**	9,153.13
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**9,259.48**	7,281.33
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,392.30**	1,717.41
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
a. Residential	**90.81**	0.00
b. Commercial Real Estate	**627.75**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**2,881.76**	3,082.21
Total Exposure to Real Estate Sector	**25,395.05**	22,020.22

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**211.63**	154.61
(ii)	शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.32**	0.12
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**1.00**	1.00
(vi)	शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**941.79**	685.69
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**58.67**	0.00
(x)	जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**158.91**	167.23
	पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1372.32**	1,008.65

सी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2015 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2015 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2014 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2014 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4275.08**	शून्य	4378.21	शून्य
कम	**1758.62**	शून्य	2843.42	शून्य
मध्यम कम	**19.14**	शून्य	28.98	शून्य
मध्यम	**6.72**	शून्य	2.90	शून्य
मध्यम अधिक	**1.82**	शून्य	0.47	शून्य
उच्च	**0.00**	शून्य	Nil	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**1.75**	शून्य	13.69	शून्य
ऋणेतर	**शून्य**	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**6063.13**	शून्य	7267.67	शून्य

नोट: बैंक ने 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

डी. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में, बैंक द्वारा सीमा से अधिक आहरण के ब्यौरे: शून्य

इ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	शून्य
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	लागू नहीं

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**211.63**	154.61
(ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.32**	0.12
(iii)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v)	Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**1.00**	1.00
(vi)	Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**941.79**	685.69
(vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix)	Finance to Stock brokers for margin trading	**58.67**	0.00
(x)	All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**158.91**	167.23
	Total Exposure to Capital Market	**1372.32**	1,008.65

C. Risk Category wise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2015	Provision held as at 31st March, 2015	Exposure (net) as at 31st March, 2014	Provision held as at 31st March, 2014
Insignificant	**4275.08**	**Nil**	4378.21	Nil
Low	**1758.62**	**Nil**	2843.42	Nil
Moderately Low	**19.14**	**Nil**	28.98	Nil
Moderate	**6.72**	**Nil**	2.90	Nil
Moderately High	**1.82**	**Nil**	0.47	Nil
High	**0.00**	**Nil**	Nil	Nil
Very High / Restricted	**1.75**	**Nil**	13.69	Nil
Off-Credit	**Nil**	**Nil**	Nil	Nil
Total	**6063.13**	**Nil**	7267.67	Nil

Note: The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31.03.2015 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

E. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	Nil
Estimated value of such intangible collaterals.	Not Applicable

8. कर प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

कर सलाहकारों की सलाह के अनुसार संगत नीति का अनुसरण करने पर यानी यह कि एमएटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू नहीं है; मूल बैंक द्वारा चालू वर्ष की देयता की गणना की गई और आयकर के लिए प्रावधान की गई अतिरिक्त बही में स्थित ₹335 करोड़ की रकम वापस जमा किया गया।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	642.36	72.99
संपत्ति कर का प्रावधान	1.74	1.51
डीटीए/डीटीएल	163.93	(142.55)
पिछले वर्ष एम टी ए प्रावधान का प्रत्यार्वतन	(335.00)	0.00
कुल	473.03	(68.05)

सी) एचटीएम प्रतिभूतियों पर आस्तिगत कर देयता :–

कर सलाहकारों के विचार में बैंक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में अंतर के कारण लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के अंतर को बैंक स्थायी अंतर के रूप में मानता है। तदनुसार, 31 मार्च, 2015 को पहचानी गई ₹754.91 करोड़ की आस्थगित देयताएँ कर को आवश्यक नहीं माना गया है।

9. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित³ मूल्य (औसत)	कुल भारित⁴ मूल्य (औसत)	कुल अभारित³ मूल्य (औसत)	कुल भारित⁴ मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियाँ					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		31,465.82		xxx
	नकद बहिर्गमन				
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
	(i) स्थायी जमा	46,753.56	2,337.68	xxx	xxx
	(ii) कम स्थायी जमा	67,081.64	6,708.16	xxx	xxx
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	xxx	xxx
	(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	26,103.30	10,441.32	xxx	xxx
	(iii) असुरक्षित ऋण	15,649.21	15,649.21	xxx	xxx
4	सुरक्षित थोक निधीयन		0.00		xxx
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	72.96	72.96	xxx	xxx
	(ii) ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	xxx	xxx
	(iii) ऋण और चलनिधि सुविधा	19,031.00	1,684.09	xxx	xxx
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	0.00	0.00	xxx	xxx

8. TAX PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Bank calculated its current year tax liability and the surplus provision of Income Tax lying in the books of ₹335 crores has been written back.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Income Tax (including London Branch)	642.36	72.99
Provision for Wealth Tax	1.74	1.51
(DTA)/ DTL	163.93	(142.55)
Reversal of MAT Provision of earlier years	(335.00)	0.00
Total	473.03	(68.05)

c) Deferred Tax Liability on HTM Securities:

Based on the opinion of tax consultant, the Bank considers the difference between accounting income and taxable income on account of difference in valuation of securities as permanent difference and accordingly recognition of Deferred Tax Liability of ₹754.91 crores as at 31st March 2015 has not been considered necessary.

9. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A) Quantitative Disclosures

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted³ Value (average)	Total Weighted⁴ Value (average)	Total Unweighted³ Value (average)	Total Weighted⁴ Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		31,465.82		xxx
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
	(i) Stable deposits	46,753.56	2,337.68	xxx	xxx
	(ii) Less stable deposits	67,081.64	6,708.16	xxx	xxx
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	xxx	xxx
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	26,103.30	10,441.32	xxx	xxx
	(iii) Unsecured debt	15,649.21	15,649.21	xxx	xxx
4	Secured wholesale funding		0.00		xxx
5	Additional requirements, of which				
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	72.96	72.96	xxx	xxx
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	xxx	xxx
	(iii) Credit and liquidity facilities	19,031.00	1,684.09	xxx	xxx
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	xxx	xxx

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)	कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	18,620.47	931.02	xxx	xxx
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		**37,824.45**		xxx
	नकद का आगमन				
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	3,219.96	3,219.96	xxx	xxx
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	18,771.86	12,671.79	xxx	xxx
11	अन्य नकद आगमन	10.28	10.28	xxx	xxx
12	**कुल नकद आगमन**	**22,002.10**	**22,002.10**	**xxx**	**xxx**
			समयोजित कुल मूल्य		**समयोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**31,465.82**		**xxx**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**21,922.42**		**xxx xxx**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**143.53%**		**xxx**

बी. गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है। परिपक्वता पूर्व विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की स्वीकृति से एक अवधि पर उसके अनुपात में सुधार आएगा।

2. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।

3. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।

4. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।

5. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।

6. भारतीय रुपया महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य मुद्रा में एलसीआर का महत्व नहीं है।

7. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी। तरलता के केन्द्रीकरण का स्तर ऊँचा होता है एवं समूह की ईकाइयों के बीच का संप्रेषण भी प्रभावकारी होता है।

8. बैंक के पास एल सी आर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
7	Other contingent funding obligations	18,620.47	931.02	xxx	xxx
8	**Total Cash Outflows**		**37,824.45**		xxx
	Cash Inflows				
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	3,219.96	3,219.96	xxx	xxx
10	Inflows from fully performing exposures	18,771.86	12,671.79	xxx	xxx
11	Other cash inflows	10.28	10.28	xxx	xxx
12	**Total Cash Inflows**	**22,002.10**	**22,002.10**	**xxx**	**xxx**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
13	**TOTAL HQLA**		**31,465.82**		**xxx**
14	**Total Net Cash Outflows**		**21,922.42**		**xxx xxx**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**143.53%**		**xxx**

B. Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are Excess liquid investments over the SLR requirement, the marginal standing facility(MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the Deposits. Promotion of acceptance of Term Deposits without pre-mature option will improve the ratio over a period.
2. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick up in the credit etc.
3. High Quality Liquid Assets(HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
4. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
5. Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant. Currently potential collateral calls are not significant.
6. Major currency is INR and the LCR in other currency is not significant.
7. Investment Committee is the top level committee, comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors and the General Managers from significant departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets preferably on daily basis and as may be required depending upon the urgency. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds and Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows will be discussed during this meeting. The degree of centralization of liquidity management is high and the communication between the group's units is high.
8. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for the purpose of LCR computation.

10.लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वावधि आय/व्यय मदें नहीं है जिसकी एएस 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

ii) मूल्यह्रास के लिए लेखाकरण (एएस 6):

प्रत्येक वर्ग के आस्तियों के लिए वर्ष में किए गए कुल मूल्यह्रास का विश्लेषण: (₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	31.03.2015		31.03.2014	
परिसर	34.13		35.01	
घटाएं : पुर्नमूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास	28.09	6.04	29.18	5.83
फर्नीचर और जुड़नार		52.38		42.53
कंप्यूटर एवं यूपीएस		128.15		69.77
कुल		186.57		118.13
कुल (सकल)		214.66		147.31

iii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची – 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iv) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹37.98 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹43.76 करोड़ की हानि) की हानि भी शामिल है जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयताएं के ए एस 11 मूल्यांकन के कारण, विनिमय में अंतर के तहत दर्ज किया गया।

बी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

v) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 2010-11 से कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया। तदनुसार, बैंक ने, शेष रकम ₹145.38 करोड़ को पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लाभ-व-हानि लेखों में लेखाकरण किया है।

भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 23.02.2015 के विभिन्न अधिकारी संघों और कामगार यूनियन के साथ दिनांक 01.11.2012 से वेतन और भत्तों में 15% की वृद्धि करने का समझौता किया है। तदनुसार बैंक, बकाया वेतन के प्राप्ति 31.03.2015 को ₹520 करोड़ का कुल प्रावधान किया है, जो वेतन और भत्तों का 15.72% है। चालू वर्ष के दौरान ₹180 करोड़ का प्रावधान किया गया। (तिमाही के लिए-शून्य)

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन-पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%	5.00%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.50%	8.50%	लागू नहीं

10. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

There were no material prior period income / expenditure items requiring disclosure under AS – 5.

ii) Accounting for Depreciation (AS 6):

Break up of total depreciation for the year for each class of assets: (₹ in crores)

Class of Assets	31.03.2015		31.03.2014	
Premises	34.13		35.01	
Less: Dep. on revalued portion	28.09	6.04	29.18	5.83
Furniture and Fixtures		52.38		42.53
Computers and UPS		128.15		69.77
TOTAL		186.57		118.13
TOTAL (GROSS)		214.66		147.31

iii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy no. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iv) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes an amount of loss of ₹37.98 crores {₹43.76 cr of Loss for the previous year} being the profit/ loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

v) Employee Benefits (AS 15):

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has amortised $1/5^{th}$ (₹145.38 crores) of the enhanced liability of ₹726.90 crores from the year 2010 - 11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Bank has charged remaining balance of ₹145.38 crores to the current year Profit and Loss Account being the last year.

The Indian Banks Association has made a settlement of wage negotiation with various Officers' Associations and Workmen Unions on 23.02.2015 to settle the annual wage increase in salary and allowances @ 15% w.e.f. 01.11.2012 and accordingly, the bank is holding a total provision of ₹520 crores as on 31.03.2015 towards wage arrears which is 15.72% of the salary and allowances. During the current year ₹180 crores provision was made (for the quarter - nil).

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a) Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%
Expected Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%
Return on Assets	8.50%	8.50%	NA

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन–प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) 01.04.2014 को पी वी ओ	**5048.83**	**1018.84**	**422.66**
बी) जोडें: ब्याज लागत	405.94	79.29	33.99
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	536.92	42.86	22.21
डी) घटाएं : प्रदत्त लाभ	546.18	172.06	45.64
ई) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/ लाभ प्राप्ति(-)	-85.33	10.17	24.16
एफ) 31.03.2015 को पी वी ओ	**5360.18**	**979.10**	**457.38**

सी) योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) दि. 01.04.2014 को योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	**4745.35**	**994.50**
बी) जोडें: योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	403.35	84.53
सी) जोडें: अंशदान	618.96	48.29
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	546.18	172.06
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	41.79	0.10
एफ) 31.03.2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5263.27**	**955.36**

डी) तुलन–पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	5360.18	979.1
बी) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5263.27	955.36
सी) अंतर	-96.91	-23.74
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	**-96.91**	**-23.74**

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	536.92	42.86	22.21
बी) ब्याज लागत	405.94	79.29	33.98
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	403.35	84.53	NA
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (-)	-127.12	10.07	24.16
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**412.39**	**47.69**	**80.35**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	303.48	24.34	0
लाभ एवं हानि में पहचाने गए व्यय	412.38	47.69	80.35
दिए गए अंशदान	618.95	48.29	0
अंतिम निवल देयता	96.91	23.74	80.35
वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान	**5360.18**	**979.1**	**457.38**

b) Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at 01.04.2014	**5048.83**	**1018.84**	**422.66**
b) Add: Interest Cost	405.94	79.29	33.99
c) Add: Current Service Cost	536.92	42.86	22.21
d) Less: Benefits Paid	546.18	172.06	45.64
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	-85.33	10.17	24.16
f) PVO as at 31.03.2015	**5360.18**	**979.10**	**457.38**

c) Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets as on 01.04.2014	**4745.35**	**994.50**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	403.35	84.53
c) Add: Contributions	618.96	48.29
d) Less: Benefits Paid	546.18	172.06
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	41.79	0.10
f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2015	**5263.27**	**955.36**

d) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	5360.18	979.1
b) Fair value of plan assets at the end of the year	5263.27	955.36
c) Net	-96.91	-23.74
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	**-96.91**	**-23.74**

e) Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	536.92	42.86	22.21
b) Interest Cost	405.94	79.29	33.98
c) Less: Expected Return on Plan Assets	403.35	84.53	NA
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	-127.12	10.07	24.16
Expenses Recognised in P&L Account	**412.39**	**47.69**	**80.35**

f) Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	303.48	24.34	0
Expenses recognised in P&L Account	412.38	47.69	80.35
Contributions Paid	618.95	48.29	0
Closing Net Liability	96.91	23.74	80.35
Closing Fund/Povision at the end of year	**5360.18**	**979.1**	**457.38**

vi) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए : कारोबार खंड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
राजस्व/Revenue	***6232***	***4241***	***11035***	***10270***	***6152***	***4935***	***289***	***499***	***23708***	***19945***
परिणाम/Result	1072	536	1939	2051	1081	844	51	132	4143	3563
अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2164	1920
अनांबटित आय/Unallocated Income	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17	0
आय कर/Income Tax	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	473	-68
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	0
शुद्ध लाभ/Net Profit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1523	1711
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	69340	55539	142826	121989	59894	51924	29467	20941	301527	250393
अनाबंटित आस्तियां/Unallocated Assets	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1608	1468
कुल आस्तियां/Total Assets	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	303135	251861
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	66707	53238	137403	116934	57619	49772	28348	20073	290077	240017
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	0
कुल देयताएं/Total Liabilities	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**290077**	**240017**

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी – भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	22,693	19,197	1,015	748	23,708	19,945
आस्तियां	2,63,978	2,17,488	39,157	34,373	3,03,135	2,51,861

vii) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:

प्रथमा बैंक

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधी	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2014-15	2013-14
श्री एस. के. जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21 सितंबर 2014 तक	13.60	12.59
श्री एम. आंजनेय प्रसाद	कार्यपालक निदेशक	30.11.2014 तक	15.70	19.57
श्री टी. के श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.09.2013 से	18.91	8.64
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से	0.95	0.00
कुल			**49.16**	**40.80**

Part B: Geographic Segments (₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	22,693	19,197	1,015	748	23,708	19,945
Assets	2,63,978	2,17,488	39,157	34,373	3,03,135	2,51,861

vii) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:

Syndbank Services Limited

b) Associates:

Prathama Bank

Karnataka Vikas Grameena Bank

Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (in lakhs)	
			2014-15	2013-14
Sri S K Jain	Chairman and Managing Director	Upto 21st Sep 2014	13.60	12.59
Sri M Anjaneya Prasad	Executive Director	Upto 30.11.2014	15.70	19.57
Sri T K Srivastava	Executive Director	From 01.09.2013	18.91	8.64
Sri R S Pandey	Executive Director	From 10.03.2015	0.95	0.00
TOTAL			**49.16**	**40.80**

डी) संबद्ध पार्टी लेन-देन (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
2.	बकाया जमा	0.58	-	0.58
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.81	-	0.81
3.	बकाया निवेश	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
4.	बकाया अग्रिम	0.29	0.39	0.68
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.33	0.39	0.72
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
8.	ब्याज प्रदत्त	0.02	-	0.02
9.	ब्याज प्राप्त	0.02	0.03	0.05
10.	पारिश्रमिक एवं अन्यभत्ते	0.49	-	0.49
11.	सेवाएँ दी गई	-	-	-
12.	सेवाएँ ली गई	-	-	-
13.	संविदाओं के प्रबंध	-	-	-
14.	कोई अन्य प्राप्य	-	-	-
15.	कोई अन्य देय	-	-	-

नोट: एएस 18 के पैरा 9 '' संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

viii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**1522,95,83**	1711,45,78
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**62,46,87,301**	60,67,86,954
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**24.38**	28.21
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

ix) आयकर का लेखाकरण (एएस 22)

बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹339.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ ₹(140.43) करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31.03.2015	31.03.2014
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	**155.46**	143.67
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**0.00**	316.24
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	**313.44**	342.29
डब्ल्यू डी वी के अचल आस्ति में अंतर	**8.28**	7.68
अन्य	**109.14**	82.76
कुल	**586.32**	**892.64**

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देयताएं	31.03.2015	31.03.2014
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	**470.54**	386.76
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	**455.52**	365.45
कुल	**926.06**	**752.21**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**339.74**	**(140.43)**

d) Related Party Transactions (₹in crores)

Sl. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
2.	Deposits outstanding	0.58	-	0.58
	Maximum during the year	0.81	-	0.81
3.	Investments outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
4.	Advances outstanding	0.29	0.39	0.68
	Maximum during the year	0.33	0.39	0.72
5.	Non funded commitments	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
6.	Leasing /HP arrangements availed	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
7.	Leasing /HP arrangements provided	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
8.	Interest paid	0.02	-	0.02
9.	Interest received	0.02	0.03	0.05
10.	Remuneration and other allowances	0.49	-	0.49
11.	Rendering of services	-	-	-
12.	Receiving of services	-	-	-
13.	Management of contracts	-	-	-
14.	Any other receivable	-	-	-
15.	Any other payable	-	-	-

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 - of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

viii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**1522,95,83**	1711,45,78
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**62,46,87,301**	60,67,86,954
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**24.38**	28.21
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

ix) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2015 amounting to ₹339.74 crores (P.Y. ₹(140.43) crores) consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Leave Encashment	**155.46**	143.67
Provision for Standard Assets	**0.00**	316.24
Provision for Restructured Assets	**313.44**	342.29
Difference in WDV of Fixed Assets	**8.28**	7.68
Others	**109.14**	82.76
Total	**586.32**	**892.64**

(₹ in crores)

Deferred Tax Liabilities	31.03.2015	31.03.2014
Interest accrued but not due on securities	**470.54**	386.76
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	**455.52**	365.45
Total	**926.06**	**752.21**
Net (DTA)/DTL	**339.74**	**(140.43)**

x) **अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):**

बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 17/08.91.001/2002-03 दिनांक 5 जून, 2003 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

xi) **आस्तियों की हानि (ए एस 28):**

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xii) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)**

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	14.42	12.47
वर्ष के दौरान उपलब्ध	0.11	1.95
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	2.01	-
अंतिम शेष	12.52	14.42
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखा परीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार ।

11. अन्य प्रकटीकरण

ए) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	**-16.10**	**202.83**
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**1,621.64**	**989.88**
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**473.03**	**-68.05**
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**405.78**	**726.83**
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**36.54**	33.44
पुनर्रचित खातों के लिए प्रावधान	**17.10**	271.42
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**180.00**	240.00
सा.छु. नकदीकरण के लिए प्रावधान	**34.71**	97.32
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**42.17**	35.47
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**32.11**	33.00
पिग्मी एजंट को देयता के लिए प्रावधान	**38.74**	0.00
धोखाघड़ी के मामलों के लिए प्रावधान	**9.83**	3.92
उपभोक्ता दीवानी मुकदमों लिए प्रावधान	**2.52**	-0.18
आरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	**35.00**	0.00
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन	**-42.94**	-7.56
कुल	**2484.35**	**1851.49**

बी) अस्थायी प्रावधान के संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**204.42**	306.63
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	शून्य
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**102.21**	102.21
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	204.42

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आर.बी.आई./2014-15/522/डी.बी.आर सं. बी.पी.बी.सी. 79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30.03.2015 के जरिए दी गई अनुमति और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने अस्थायी प्रावधान/अनुत्पादक आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हेतु, आवर्ती प्रावधानों से ₹102.21 करोड़ राशि का उपयोग किया है ।

x) **Interim Financial Reporting (AS 25):**

The Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS.ARS. No.BC. 17/08.91.001/2002-03 dated June 5, 2003.

xi) **Impairment of Assets (AS 28):**

In the opinion of the Management of the Bank, there is no impairment of assets of the Bank.

xii) **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):**

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	14.42	12.47
Provided during the year	0.11	1.95
Amount used during the year	2.01	-
Closing Balance	12.52	14.42
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

11. OTHER DISCLOSURES

a) Provisions and Contingencies: (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for depreciation on investment	**-16.10**	**202.83**
Provision towards NPA	**1,621.64**	**989.88**
Provision towards Income Tax, Wealth Tax (Net of Adjustments)	**473.03**	**-68.05**
Other provisions and contingencies	**405.78**	**726.83**
Provision towards Standard Assets	**36.54**	33.44
Provision for Restructured Accounts	**17.10**	271.42
Provision for Wage Revision	**180.00**	240.00
Provision for PL Encashment	**34.71**	97.32
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**42.17**	35.47
Provision for Cenvat Reversal	**32.11**	33.00
Provision for Gratuity liability of Pigmy Agents	**38.74**	0.00
Provision for Fraud Cases	**9.83**	3.92
Provision for Consumer/Civil Cases	**2.52**	-0.18
Provision for Unhedged Foreign Currency	**35.00**	0.00
Reversal of Excess provisions	**-42.94**	-7.56
Total	**2484.35**	**1851.49**

b) Movement of Floating Provision (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a) Opening Balance in the floating provision account	**204.42**	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**102.21**	102.21
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	204.42

As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no. RBI/2014-15/522/DBR No. BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30.03.2015 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Bank has during the year utilised a sum of ₹102.21 crores from Floating Provisions / Counter Cyclical Provisioning buffer towards specific provision for Non-Performing Assets.

सी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड

वर्ष के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (पिछला वर्ष कुछ नहीं) की धारा 46(4) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है।

डी) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधियाँ	आहरित राशि		उद्देश्य
		31.03.2015	31.03.2014	
1.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	316.24	--	चूंकि यह स्थाई अंतर के रूप में लिया जाता है अत: मानक आस्ति के प्रत्यावर्तन हेतु डीटीए का प्रावधान किया गया है।
2.	विशेष आरक्षित निधियाँ	--	270.28	आस्थगित कर देयता के निर्माण हेतु
		--	66.62	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत पिछले वर्ष हेतु विशेष आरक्षित निधियों में गिरावट हेतु प्रावधान
3.	निवेश आरक्षित निधियाँ	--	12.20	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए राजस्व एवं अन्य आरक्षित हेतु ऋण

ई) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**236**	130
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**4,833**	4,522
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**4,926**	4,416
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**143**	236

एफ) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**41**	44
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**601**	616
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**611**	619
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**31**	41

जी) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	9	16
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	9	16
4.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0

एच) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**360**	395
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**12,353**	22,027
3.	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**12,475**	22,062
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**238**	360

c) Penalties imposed by RBI

During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank under Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

d) Draw down from Reserves (₹ in crores)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		31.03.2015	31.03.2014	
1.	Revenue and Other Reserves	316.24	--	DTA created on provision for Standard Assets is reversed since it is treated as permanent difference.
2.	Special Reserve	--	270.28	To create Deferred Tax Liability
		--	66.62	Provided for short fall in Special reserve for earlier years under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961
3.	Investment Reserve	--	12.20	To Credit to Revenue and Other Reserves on Depreciation on Investments

e) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	**236**	130
2.	No. of complaints received during the year	**4,833**	4,522
3.	No. of complaints redressed during the year	**4,926**	4,416
4.	No. of complaints pending at the end of the year	**143**	236

f) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1.	Complaints Pending at the beginning of the year	**41**	44
2.	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**601**	616
3.	Cases Disposed during the year	**611**	619
4.	Cases pending at the end of the year	**31**	41

g) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9	16
3	No. of awards implemented during the year	9	16
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

h) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**360**	395
2	No. of complaints received during the year	**12,353**	22,027
3	No. of complaints redressed during the year	**12,475**	22,062
4	No. of complaints pending at the end of the year	**238**	360

आई) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियनकाचुकौतीआश्वासनपत्रजारीकियाऔरयू.एस.डॉलर100.00मिलियनकाप्रतिबद्धतापत्र (दि. 31.12.2015 तक वैध) जारी किया ।

बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2015 को ₹65.26 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं । (पिछला वर्ष ₹16.94 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करने है तो क्रेता को चुकौती आश्वासन पत्र पर करने शाखाओं द्वारा विभिन्न विदेशी बैंको और विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ₹5,664.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,573.77 करोड़) है ।

दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹5,730.17 करोड़ है । (पिछले वर्ष ₹1,770.43 करोड़)

चुकौती आश्वासन पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए चुकौती आश्वासन पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

जे) बैंकाश्योरेन्स कारोबार

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹1288.52 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1,054.95 लाख था । इसमें ₹615.71 लाख (पिछले वर्ष ₹486.78 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹672.81 लाख (पिछले वर्ष ₹568.17 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है ।

के) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्थियों का संकेन्द्रण

ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	47,966.69	26,539.08
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	18.78%	12.50%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**39,112.91**	29,572.74
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**15.62%**	17.00%

सी) निवेश का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2015	31-03-2014
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**39,358.73**	32,169.17
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा किए गए निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	**15.41%**	18.50%

i) Letters of comfort issued by the Bank

(A) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31.12.2015) with approval from the Board of Directors of the Bank.

(B) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹65.26 crore as on 31.03.2015 (Previous Year ₹16.94 crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹5,664.91crore as on 31.03.2015 (Previous Year ₹1,573.77 crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31.03.2015 stands at ₹5,730.17 crore (Previous Year ₹1,770.43 crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

j) Bancassurance Business

The total income from the Bancassurance Business during the year 2014 - 15 is ₹1288.52 Lakhs as against ₹1,054.95 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹615.71 Lakhs (PY ₹486.78 Lakhs) from Life Insurance business and ₹672.81 Lakhs (₹568.17 Lakhs) from Non Life Insurance business.

k) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Deposits of twenty largest depositors	47,966.69	26,539.08
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	18.78%	12.50%

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Advances to twenty largest borrowers	**39,112.91**	29,572.74
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	**15.62%**	17.00%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**39,358.73**	32,169.17
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	**15.41%**	18.50%

डी) आंतरिक-समूह एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**शून्य**	शून्य
20 बड़ी आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**शून्य**	शून्य
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	**शून्य**	शून्य
आंतरिक-समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**890.00**	811.03

एफ) क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	26,205.38	1,254.05	4.79	22,070.99	810.00	3.67
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	5,807.88	374.92	6.46	5,460.01	204.96	3.75
3	सेवाएँ	14,107.36	575.35	4.08	12,171.42	426.71	3.51
4	वैयक्तिक ऋणों	11,215.44	485.41	4.33	12,361.38	782.03	6.33
	उप-जोड (ए)	**57,336.06**	**2,689.73**	**4.69**	**52,063.80**	**2,223.70**	**4.27**
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	55,396.69	2,371.12	4.28	46,697.22	1,649.59	3.53
3	सेवाएँ	47,761.59	245.43	0.51	39,037.52	426.31	1.09
4	वैयक्तिक ऋण	45,309.53	1,136.10	2.51	38,442.52	311.53	0.81
	उप-जोड (बी)	**1,48,467.81**	**3,752.65**	**2.53**	**1,24,177.26**	**2,387.43**	**1.92**
	कुल (ए+बी)	**2,05,803.87**	**6,442.38**	**3.13**	**1,76,241.06**	**4,611.13**	**2.62**

एम) अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**4,611.13**	2,978.50
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**5,499.97**	3,695.11
उप-जोड (ए)	**10,111.10**	**6,673.61**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**1,527.09**	233.10
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**1,087.11**	804.79
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**1,006.54**	989.12
iv) उपरोक्त के (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामलें	**47.98**	35.47
उप-जोड़ (बी)	**3,668.72**	**2,062.48**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**6,442.38**	**4,611.13**

D. INTRA-GROUP EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total amount of intra-group exposures	**Nil**	Nil
Total amount of top-20 intra-group exposures	**Nil**	Nil
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**Nil**	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to top four NPA accounts	**890.00**	811.03

l) Sector-wise NPAs (₹ in crores)

Sl. No.	Sector*	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	26,205.38	1,254.05	4.79	22,070.99	810.00	3.67
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5,807.88	374.92	6.46	5,460.01	204.96	3.75
3	Services	14,107.36	575.35	4.08	12,171.42	426.71	3.51
4	Personal loans	11,215.44	485.41	4.33	12,361.38	782.03	6.33
	Sub-total (A)	**57,336.06**	**2,689.73**	**4.69**	**52,063.80**	**2,223.70**	**4.27**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	55,396.69	2,371.12	4.28	46,697.22	1,649.59	3.53
3	Services	47,761.59	245.43	0.51	39,037.52	426.31	1.09
4	Personal loans	45,309.53	1,136.10	2.51	38,442.52	311.53	0.81
	Sub-total (B)	**1,48,467.81**	**3,752.65**	**2.53**	**1,24,177.26**	**2,387.43**	**1.92**
	Total (A+B)	**2,05,803.87**	**6,442.38**	**3.13**	**1,76,241.06**	**4,611.13**	**2.62**

m) Movement of NPAs (₹ in crores)

PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
Gross NPAs at the beginning of the year	**4,611.13**	2,978.50
Additions (Fresh NPAs) during the year	**5,499.97**	3,695.11
Sub Total (A)	**10,111.10**	**6,673.61**
Less:		
(i) Upgradations	**1,527.09**	233.10
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**1,087.11**	804.79
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**1,006.54**	989.12
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**47.98**	35.47
Sub Total (B)	**3,668.72**	**2,062.48**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**6,442.38**	**4,611.13**

एन) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**4,462.41**	3,802.29
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,006.54**	989.12
उप-जोड़ (ए)	**5,468.95**	**4,791.41**
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ (बी)	**398.49**	329.00
वर्ष के अंत में इतिशेष (ए-बी)	**5,070.46**	**4,462.41**

ओ) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कुल आस्तियां	**41,230.25**	34,528.06
कुल अनर्जक आस्तियां	**538.14**	347.17
कुल एनपीआई	**-**	1.11
कुल राजस्व	**1,014.89**	747.76

पी) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

क्यू) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

आर) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

वर्ष 2011-12 (पिछला पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में किया गया है) के दौरान, बैंक स्वामित्व के परिसर का अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर वर्ष के लिए किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹28.09 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

एस) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

टी) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि में अंतरण (डीईएएफ) (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	0.00	शून्य
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	380.92	शून्य
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के माध्यम से प्रतिपूरित राशियां	4.02	शून्य
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	376.90	शून्य

नोट : दि. 31.03.2015 तक अदावी अतिदेय परिवक्व जमा ₹0.18 करोड़ समुच्चय रूप में ब्याज सहित डीईएएफ को प्रेषित किया जाना शेष है।

यू) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

संस्थाओं के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर न केवल एकल संस्था से संबद्ध है बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली से संबंधित क्षेत्र है। वैसी संस्थाएँ जो अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का बचाव नहीं करते हुए विनिमय संचालन द्वारा बड़ी हानियाँ उठाती हैं। इस प्रकार की हानियाँ बैंकिंग प्रणाली द्वारा की जानेवाले ऋण चुकौती की क्षमता को कम करती है और यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिति को प्रभावित करती है।

n) Movement of Technical/Prudential Write-offs (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	**4,462.41**	3,802.29
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	**1,006.54**	989.12
Sub-total (A)	**5,468.95**	**4,791.41**
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**398.49**	329.00
Closing balance as at the end of the year (A-B)	**5,070.46**	**4,462.41**

o) Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Assets	**41,230.25**	34,528.06
Total NPAs	**538.14**	347.17
Total NPIs	**-**	1.11
Total Revenue	**1,014.89**	747.76

p) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

q) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

r) **Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The bank owned premises have been revalued during the year 2011-12 (last revaluation done in the year 2006-07) at value determined based upon the appraisal by the approved valuers. Additional depreciation for the year aggregating to ₹ 28.09 crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserves.

s) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

t) **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(₹ in crores)

Particulars	FY 2014-15	FY 2013-14
Opening balance of amounts transferred to DEAF	0.00	Nil
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	380.92	Nil
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	4.02	Nil
Closing balance of amounts transferred to DEAF	376.90	Nil

Note: ₹0.18 crore being aggregate of unclaimed overdue matured deposits as on 31.03.2015 including interest thereon are yet to be remitted to DEAF.

u) **Unhedged Foreign Currency Exposure :**

Unhedged foreign currency exposures of the entities are an area of concern not only for individual entity but also to the entire financial system. Entities who don't hedge their foreign currency exposures can incur significant losses due to exchange rate movements. These losses may reduce their capacity to service the loans taken from the banking system and thereby affect the health of the banking system.

1. **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के खाते की बढ़ोतरी प्रावधान की गणना विधि :**
बढ़ोतरी प्रावधान और पूँजी आवश्यकताओं की गणना हेतु निम्न विधियाँ है :

ए) **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की राशि का निर्धारण (यू एफ सी ई) :**
विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का संदर्भ उधारकर्ता के तुलन पत्र के सभी मदों के सकल राशि से है जिनका प्रभाव विदेशी विनिमय दर के संचलन के कारण लाभ और हानि खातों पर पड़ता है।
एक-दूसरे के प्रभावकारी प्रतिरक्षित कारको (मदों) को यू एफ सी ई वर्जित कर सकती है। इस उद्देश्य से वित्तीय प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा को संदर्भित किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिरक्षा (हेज) साधारणत : वित्तीय संस्था से साथ व्युत्पन्न संविदा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा (नेचुरल हेज) का मतलब यह है कि जब कम्पनी के परिचालनों के बाहर नकदी का प्रवाह होता है तब विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बाहर प्रतितुलन जोखिम होती है।

बी) **संभाव्य हानि की सीमा का आकलन :**
यूएसडी-आई एन आर विनिमय दर के संचन के मामले में संस्था को हुई हानि का परिकलन वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करते हुए किया गया। इस उद्देश्य के लिए पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी-आई एन आर दरों में हुई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता को प्रतिकूल दिशा में यूएसडी-आई एन आर दर के संचलन के रूप में लिया गया।
संभाव्य हानि = यूएफसीई * पिछले 10 वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता

सी) **अरक्षित स्थिति के जोखिम का आकलन :**
यदि एक बार हानि के आंकडे का परिकलन किया जाता हो तो उसकी तुलना सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित घटकों के अद्यतन त्रैमासिक परिणाम के अनुसार वार्षिक ई बी आई डी के साथ की जाए। हानि का परिकलन ई बी आई डी की प्रतिशतता के रूप में किया जाता है। यह प्रतिशतता जितनी अधिक होगी संस्था के प्रतिकूल विनिमय दर संचलन की संभावना उतनी अधिक होगी। अतएव, ऐसी संस्थाओं के सभी एक्सपोजरों पर निम्नानुसार वृद्धिशील पूँजी और प्रावधान करना होगा:

संभाव्य हानि/ई बी आई डी (%)	मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त वृद्धिशील प्रावधान	वृद्धिशील पूँजी
15% तक	0	0
> 15% से 30% तक	20 बी पी एस	0
> 30% से 50% तक	40 बी पी एस	0
> 50% से 75% तक	60 बी पी एस	0
> 75%	80 बी पी एस	आर डब्ल्यू ए से 25% वृद्धि

डी) **वृद्धिशील प्रावधान**
यह प्रावधान, मानक प्रावधान के अतिरिक्त होगा। यू एफ सी ई पर वृद्धिशील प्रावधान की संकलित रकम का प्रावधान, जून 2014 को समाप्त तिमाही से किया गया है । पहले वर्ष में कुल प्रावधान की आवश्यकता को चार तिमाहियों में आबंटित किया जा सकता है।

बैंक जून 2015 को समाप्त होनेवाली तिमाही से यू एफ सी ई के संबंध में कुल वास्तविक वृद्धिशील प्रावधान का प्रबंध करेगा।

उपलब्ध डाटा के और उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त धोषणा पत्र, के आधार पर बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी 85/21.06.200/2013-14, दिनांक 15, जनवरी 2014 और स्पष्टीकरण परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी बी सी 116/21.06.200/2013-14, दिनांक 03.06.2014 को अनुसार अपने घटकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर ₹35 करोड़ की देयता का आकलन किया है।

वी) **पिछले वर्ष के आंकड़े**
पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

I. **Methodology of computation of Incremental provision on account of Unhedged Foreign Currency Exposure:**
For calculating the incremental provisioning and capital requirements, the following methodology is followed:

a) **Ascertainment of the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):**
Foreign Currency Exposure (FCE) refers to the gross sum of all items on the balance sheet of the borrowers that have impact on profit and loss account due to movement in foreign exchange rates.

UFCE may exclude items which are effective hedge of each other. For this purpose, both financial hedge and natural hedge can be considered. Financial hedge is ensured normally through a derivative contract with a financial institution. Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the foreign currency exposure.

b) **Estimation the extent of likely loss:**
The loss to the entity in case of movement in USD-INR exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the USD-INR rates during the period of last ten years is taken as the movement of the USD-INR rate in the adverse direction.

Likely loss = UFCE * Highest annual volatility of last ten years

c) **Estimation of the risk of unhedged position**
Once the loss figure is calculated, it is compared with the annual EBID as per the latest quarterly results of the constituents certified by the statutory auditors. This loss is computed as a percentage of EBID. Higher this percentage, higher will be the susceptibility of the entity to adverse exchange rate movements. Therefore, as a prudential measure, all exposures to such entities would attract incremental capital and provisioning requirements (i.e., over and above the present requirements) as under:

Likely Loss/ EBID (%)	Incremental Provision over the Standard Asset provision	Incremental Capital
Upto 15%	0	0
> 15% to 30 %	20 bps	0
> 30% to 50 %	40 bps	0
> 50% to 75 %	60 bps	0
> 75 %	80 bps	25% increase in RWA

d) **Incremental Provision**
This provision is over and above the standard provision requirement. This aggregated amount of the incremental provision on account of UFCE has been provided starting with the quarter ending June-2014. For the first year the total provision requirement can be apportioned for the four quarters.

Beginning with quarter ending June-2015, Bank shall provide the total actual incremental provision with respect to the UFCE.

Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹35 crores on Unhedged Foreign Currency Exposure of its constituents in terms of RBI circular no.DBOD no.BP.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and clarification vide Circular no.DBOD.NO.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014. Accordingly the Bank has made incremental provision for the year ended March 31, 2015 of ₹35 crores.

(v) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in thousands)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**21615 16 19**	18620 32 52
	अन्य आय/Other Income	**2109 70 08**	1323 91 99
	घटाएं/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**15706 69 60**	12694 61 04
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**5683 06 28**	5128 52 83
	आय पर कर/Taxes on income	**473 03 14**	-68 05 12
	जोड़ें/Add:		
	वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास/Depreciation charged during the year	**186 56 88**	118 13 45
I.	**परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)**	**2048 64 13**	2308 25 50
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities:		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customers and Banks	**43044 79 26**	26987 41 77
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks and Other Institutions	**6428 47 20**	6535 71 76
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for expenses made in the earlier years)	**-419 72 62**	2290 78 67
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets		
	अग्रिम/Advances	**-28807 40 92**	-26343 38 98
	निवेश/Investments	**-13800 28 67**	-9891 72 22
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**-18 57 65**	-2316 56 09
		6427 26 60	-2737 75 09
ए. A.	**परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (I+II) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**8475 90 73**	-429 49 59
	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**-292 40 19**	-172 05 99
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress	**-61 88 72**	-9 17 24
बी. B.	**निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**-354 28 91**	-182 19 52
	वित्तीयन कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	पूंजी जारी करना/Issue of Capital	**460 00 00**	199 99 99
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**-219 21 98**	-654 53 44
	गौण ऋण (टियर I और टियर II की पूँजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital)	**850 00 00**	-125 00 00
	टियर I और टियर II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**-388 17 63**	-385 89 44
सी. C.	**वित्तीयन कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**702 60 39**	-965 42 89
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी)/ TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	**8824 22 21**	-1577 12 00

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015		31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year**				
भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	**12711 99 20**		8095 31 40	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**2295 13 42**	**15007 12 62**	8488 93 22	16584 24 62
II. **वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	**11974 53 81**		12711 99 20	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**11856 81 02**	**23831 34 83**	2295 13 42	15007 12 62
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**8824 22 21**		-1577 12 00
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase / (Decrease) in Cash Flow				

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
उप महा प्रबंधक/DY. GENERAL MANAGER

आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO
महाप्रबंधक/GENERAL MANAGER

आर एस पाण्डेय/R S PANDEY
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

टी के श्रीवास्तव/T K SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2015. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000833सी/C

(कुणाल शर्मा/Kunal Sharma)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 108517डब्ल्यू/W

(विवेक एस शाह/Vivek S Shah)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./Membership No. 112269

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001084एन/N

(माला राजन/Mala Rajan)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 087777

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000859एस/S

(एस स्वामिनाथन/S Swaminathan)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No. 023998

कृते विष्णु राजेन्द्रन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Vishnu Rajendran & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 004741एस/S

(टॉम जोसफ/Tom Joseph)
साझेदार /Partner
सदस्यता सं./Membership No. 201502

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
दिनांक/Date : 09.05.2015

समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सिंडिकेटबैंक
निदेशक मंडल

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमनें सिंडिकेटबैंक (''समूह'') के समेकित संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2015 की स्थिति में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। जिनके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

   ए) हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09 मई 2015 द्वारा, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित, सिंडिकेटबैंक (बैंक) की वित्तीय विवरणी।

   बी) अपने लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित एकमात्र सहायक कंपनी की वित्तीय विवरणी जिसकी वित्तीय विवरणी में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आस्ति ₹ 8.52 करोड़ और कुल राजस्व ₹ 4.79 करोड़ दर्शाए गए हैं।

2. हमनें उन 3 संगठनों के गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों को भी विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणी, 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल आस्तियाँ ₹34,069 करोड़ तथा कुल राजस्व ₹3,063 करोड़ दर्शाती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

3. भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं सामान्यत: भारत में अनुमत लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी उपलब्धता का सही और स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो सही और स्पष्ट स्थिति दर्शाते हैं और इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका कारण जालसाजी या भूल हो सकता है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

4. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors of
SyndicateBank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of SYNDICATE BANK ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2015, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which the following are incorporated:

   a. The financial statements of SYNDICATE BANK (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 09, 2015.

   b. The financial statements of the lone Subsidiary audited by its auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹8.52 crores as on March 31, 2015 and total revenue of ₹4.79 crores for the year then ended.

2. We have also relied on the unaudited financial statements of the 3 Associates whose financial statements reflect total assets of ₹34,069 crores as on March 31, 2015 and total revenue of ₹3,063 crores.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

3. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, complying with Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our

समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा-परीक्षण किया है। उस मानदंड के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा परीक्षण करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

5. लेखा परीक्षण के अतंर्गत रकम तथा समेकित वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधड़ीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, समूह से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा समेकित वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं जिससे सही और स्पष्ट स्थिति का पता चलता है ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा परीक्षण में शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा परीक्षण साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

राय

6. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और ऊपर नोट किए गए अनुसार वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर किए गए विचार के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों कि अनुरूपता में सही और वास्तविक चित्र दर्शाते हैं:

   ए) समेकित तुलन-पत्र के मामले में, दि. 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति;

   बी) समेकित लाभ व हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का लाभ और

   सी) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का नकदी प्रवाह।

विषयवस्तु का महत्व

7. हम अपनी राय देने से पूर्व निम्नलिखित मदों पर ध्यानाकर्षण चाहेंगे:

   ए) एन पी ए खाते में वसूली के विनियोजन से संबंधित लेखांकन

audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected, depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the report of the other auditors on the financial statements as noted above, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

   a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on March 31, 2015;

   b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit of the Group for the year ended on that date and

   c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

   a) Note no. 7 b) in Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding change in

नीति में बदलाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट सं. 7 बी), समेकित वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव की जांच जल्दी नहीं की जा सकती ।

बी) प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में अंतर के कारण लेखांकन आय एवं कर योग्य आय के बीच अंतर से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट सं. 11 सी) को स्थायी अंतर माना जाए और तदनुसार बैंक के कर सलाहकार की राय के अनुसार, 31 मार्च 2015 को ₹754.91 करोड़ की स्थगित कर देयता पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000833सी

(कुणाल शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 108517डब्ल्यू

(विवेक एस शाह)
साझेदार
सदस्यता सं.: 112269

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001084एन

(माला राजन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 087777

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000859एस

(एस स्वामिनाथन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 023998

कृते विष्णु राजेन्द्रन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 004741एस

(टॉम जोसफ)
साझेदार
सदस्यता सं.: 201502

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2015

accounting policy with respect to appropriation of recoveries in NPA accounts, the impact of which on the consolidated financial statements is not readily ascertainable.

b) Note no. 11 c) in schedule 18 to the consolidated financial statements regarding the difference between accounting income and taxable income on account of difference in valuation of securities being treated as permanent difference and accordingly recognition of deferred tax liability for ₹754.91 crores as at 31st March, 2015 is not considered necessary based on opinion of the tax consultant of the bank.

For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
FRN : 000833C

Kunal Sharma
Partner
Membership No. 405919

For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
FRN : 108517W

Vivek S Shah
Partner
Membership No. 112269

For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN : 001084N

Mala Rajan
Partner
Membership No. 087777

For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
FRN : 000859S

S Swaminathan
Partner
Membership No. 023998

For **Vishnu Rajendran & Co**
Chartered Accountants
FRN : 004741S

Tom Joseph
Partner
Membership No. 201502

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2015

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च 2015 का समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी एवं देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2015 को**	As on दि. 31.03.2014 को
पूंजी/Capital	1	**662 05 92**	624 58 46
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**13647 18 24**	12333 81 72
जमाराशियाँ/Deposits	3	**255380 06 00**	212336 95 47
उधार/Borrowings	4	**26502 98 50**	19224 51 30
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**8185 34 63**	8449 37 12
योग/TOTAL		**304377 63 29**	252969 24 07
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**11974 53 81**	12711 99 20
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**11856 81 02**	2295 13 42
निवेश/Investments	8	**70582 08 02**	56647 11 78
अग्रिम/Advances	9	**202719 81 71**	173912 40 79
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**1608 41 97**	1468 91 22
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**5635 96 76**	5933 67 66
योग/TOTAL		**304377 63 29**	252969 24 07
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**132061 18 46**	96161 94 75
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**4997 02 09**	4489 14 76
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

आर एस पाण्डेय कार्यपालक निदेशक	**टी के श्रीवास्तव** कार्यपालक निदेशक	**एच प्रदीप राव** निदेशक	**R S Pandey** Executive Director	**T K Srivastava** Executive Director	**H Pradeep Rao** Director
रुद्र नारायण कर निदेशक	**शंकरन भास्कर अय्यर** निदेशक	**संजय अनंत मांजरेकर** निदेशक	**Rudra Narayan Kar** Director	**Sankaran Bhaskar Iyer** Director	**Sanjay Anant Manjrekar** Director
डॉ सी आर नसीर अहमद निदेशक	**आनंद के पंडित** निदेशक	**अतुल अशोक गलांडे** निदेशक	**Dr.C R Naseer Ahamed** Director	**Anand K Pandit** Director	**Atul Ashok Galande** Director
आर रामलिंगम सहायक महा प्रबंधक	**जी मोहन राव** उप महा प्रबंधक	**आई पी नागराज राव** महा प्रबंधक	**R Ramalingam** Asst. General Manager	**G Mohan Rao** Dy. General Manager	**I P Nagaraja Rao** General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2015

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2015

लाभ व हानि लेखा | PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2015 को	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2014 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**21615 16 19**	18621 26 03
	अन्य आय/Other Income	14	**2109 84 87**	1323 94 32
	योग/TOTAL		**23725 01 06**	19945 20 35
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**16094 24 56**	13080 00 13
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**3621 13 35**	3300 62 21
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**2485 11 76**	1852 02 26
	योग/TOTAL		**22200 49 67**	18232 64 60
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**1524 51 39**	1712 55 75
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	अनुषंगी उद्यमों के अपनी का शेयर/Share of earning in Associates	19	**142 56 73**	142 51 86
	योग/TOTAL		**1667 08 12**	1855 07 61
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to:			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Staturory Reserve		**380 73 27**	427 86 45
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**1 99 99**	1 07 07
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**501 90 05**	613 91 66
डी/D	समेकन पर आरक्षित निधि/ Capital Reserve on Consolidation		**142 56 73**	142 51 86
ई/E	निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account		**0**	-12 20 10
एफ/F	आयकर अधिनियम 1961 धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/Special Reserves Under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**265 00 00**	280 00 00
जी/G	**अनंतिम लाभांश** (अनंतिम लाभांश कर : शून्य (पिछले वर्ष –: ₹ 26.54 करोड़))/ **Interim Dividend**/(Interim Dividend Tax : Nil (Previous year - ₹ 26.54 Crores))		**0**	182 68 49
एच/H	**प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend**		**311 16 98**	187 37 54
आई/I	अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Final Dividend		**63 71 10**	31 84 64
	योग/TOTAL		**1667 08 12**	1855 07 61
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)		**26.69**	30.57
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत)/Basic and Diluted (Annualized)			
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000833सी

(कुणाल शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 108517डब्ल्यू

(विवेक एस शाह)
साझेदार
सदस्यता सं.: 112269

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001084एन

(माला राजन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 087777

For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
FRN : 000833C

(Kunal Sharma)
Partner
Membership No. 405919

For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
FRN : 108517W

(Vivek S Shah)
Partner
Membership No. 112269

For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN : 001084N

(Mala Rajan)
Partner
Membership No. 087777

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000859एस

(एस स्वामिनाथन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 023998

कृते विष्णु राजेन्द्रन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 004741एस

(टॉम जोसफ)
साझेदार
सदस्यता सं.: 201502

For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
FRN : 000859S

(S Swaminathan)
Partner
Membership No. 023998

For **Vishnu Rajendran & Co**
Chartered Accountants
FRN : 004741S

(Tom Joseph)
Partner
Membership No. 201502

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I. **निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी** ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**624 58 46**	601 95 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Period	**37 47 46**	22 63 46
66,20,59,172 (पिछले वर्ष 62,45,84,631) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 66,20,59,172 (Previous Year 62,45,84,631) Equity Shares of ₹10/- each.	**662 05 92**	624 58 46
a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 45,83,94,888 (पिछले वर्ष 42,09,20,347) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 45,83,94,888 (Previous year 42,09,20,347) Equity Shares of ₹10/- each.	**458 39 49**	420 92 03
b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/Held by Public and Others 20,36,64,284 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- 20,36,64,284 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹10/- each.	**203 66 43**	203 66 43
II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
योग/TOTAL	**662 05 92**	624 58 46

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को		As on दि. 31.03.2014 को	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**3002 28 55**		2574 42 10	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**380 73 27**	**3383 01 82**	427 86 45	3002 28 55
II.	**आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**139 55 65**		138 48 58	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**1 99 99**	**141 55 64**	1 07 07	139 55 65
III.	**समेकित पर आरक्षित पूंजी/Capital Reserve on consolidation**				
	अथशेष/Opening Balance	**1107 98 76**		1320 67 23	
	घटाएँ/कटौती/Less: Deduction	**7 89 16**		355 20 33	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**142 56 73**	**1242 66 33**	142 51 86	1107 98 76
	(अनुसूची 18 की नोट संख्या 12 (xi) का संदर्भ लें/Refer note no. 12 (xi) of Schedule 18)				
IV.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष/Opening Balance	**1257 58 64**		1080 22 11	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**422 52 55**	**1680 11 19**	177 36 53	1257 58 64
V.	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**946 56 91**		975 75 36	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		0	
		946 56 91		975 75 36	
	वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**28 08 96**	**918 47 95**	29 18 45	946 56 91
VI.	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VII.	**निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account**				
	अथशेष/Opening Balance			12 20 10	
	घटाएं: लाभ व हानी लेखे में अंतरण/Less: Transfer to Profit and Loss Account		**0**	12 20 10	0
VIII.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves**				
	अथशेष/Opening Balance	**4105 78 78**		3828 77 98	
	घटाएं: मानक आस्तियों के प्रावधान पर डीटीए का प्रत्यावर्तन/ Less: Reversal of DTA on provision for standard assets	**316 24 00**		0	
	जोड़ें: अन्य समायोजन/Add: Other adjustments	**20**		0	
	घटाएं: ए) पिछले वर्षों की कमियों को पूरा करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i)(viii) के अंतर्गत रखे गए विशिष्ट आरक्षित निधि में अंतरण। Less: a) Transfer to Special Reserve created under section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 to make good short creation for earlier years	**0**		66 62 71	
	बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2012-13 तक के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता। b) Deferred Tax Liability on Special Reserve upto the Financial Year 2012-13 under section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961	**0**		270 28 15	
		3789 54 98		3491 87 12	
	जोड़ें: लाभ व हानि लेखे में अंतरण/Add: Transfers from Profit and Loss Account	**501 90 05**	**4291 45 03**	613 91 66	4105 78 78
IX.	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**94 25 32**		1 48 49	
	जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**-49 14 15**	**45 11 17**	92 76 83	94 25 32
X.	**विशिष्ट प्रारक्षित निधि/Special Reserve आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत** (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)				
	अथशेष/Opening Balance	**1098 62 71**		752 00 00	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year				
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में अंतरण/Transfer from Revenue and Other Reserves	**0**		66 62 71	
	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभ व हानि लेखे से अंतरण/Transfer from Profit and Loss Account for Financial Year 2014-15	**265 00 00**	**1363 62 71**	280 00 00	1098 62 71
	योग/TOTAL		**13647 18 24**		12333 81 72

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
ए/A. I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**133 27 37**	125 26 97
ii) अन्यों से/ From Others	**17112 59 34**	13842 53 70
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**46467 30 34**	42029 64 14
III. **सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**38678 07 06**	30121 34 25
ii) अन्यों से/ From Others	**152988 81 89**	126218 16 41
योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	**255380 06 00**	212336 95 47
बी/B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**225393 82 28**	186959 45 01
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**29986 23 72**	25377 50 46
योग/TOTAL	**255380 06 00**	212336 95 47

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
बी/b. अन्य बैंक/Other Banks	**11921 98 12**	6062 43 73
सी/c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**583 77 43**	1367 17 76
डी/d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) Innovative Perpetual Debt Instruments	**773 00 00**	773 00 00
ई/e. बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures	**0**	0
एफ/f. बेमियादी संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares	**0**	0
जी/g. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	**0**	0
एच/h. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares	**0**	0
आई/i. गौण ऋण/Subordinated Debt	**4469 70 00**	3619 70 00
योग/TOTAL	**17748 45 55**	11822 31 49
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**8754 52 95**	7402 19 81
योग/TOTAL (I + II)	**26502 98 50**	19224 51 30
उपरोक्त I और II में शामिल रक्षित उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**9921 00 00**	4648 33 05

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I. देय बिल/Bills Payable	**916 55 75**	814 65 45
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**109 15 87**	1338 58 93
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1158 35 70**	902 50 47
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**966 92 99**	930 39 23
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**5034 34 32**	4463 23 04
योग/TOTAL	**8185 34 63**	8449 37 12

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	726 42 34	454 65 30
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में/In Current Account	11248 11 47	12257 33 90
	अन्य खातों में/In Other Accounts	0	0
	योग/TOTAL	11974 53 81	12711 99 20

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	भारत में/In India		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	62 94 15	81 59 20
	बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	2246 20 25	1501 50 21
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
	ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	59488576	0
	बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	0	0
	योग/Total	8258 00 16	1583 09 41
II.	भारत के बाहर/Outside India		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	767 55 86	130 86 46
	बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	2831 25 00	581 17 55
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	0	0
	योग/Total	3598 80 86	712 04 01
	योग/TOTAL	11856 81 02	2295 13 42

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)	70503 40 29	56569 77 01
	घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	218 20 17	232 11 89
	भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	70285 20 12	56337 65 12
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	62217 66 24	48245 55 05
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	90 50	90 50
	शेयर/Shares	333 49 60	313 97 52
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	4351 91 39	4255 14 83
	अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	1268 93 55	1134 25 98
	अन्य (वाणिज्यक पेपर, उद्यम पूँजी, सीओडी इत्यादी) /Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	2112 28 84	2387 81 24
	योग/ Total	70285 20 12	56337 65 12
II.	भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)	296 87 90	312 66 94
	घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation		3 20 28
	भारत के बाहर शद्ध निवेश/Net Investments Outside in India	296 87 90	309 46 66
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	0	0
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	296 87 90	309 46 66
	अन्य/Others	0	0
	योग/Total	296 87 90	309 46 66
	योग/TOTAL	70582 08 02	56647 11 78

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**2742 70 69**	1362 99 97
	ii)	नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**41246 04 84**	39294 08 21
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**158731 06 18**	133255 32 61
		योग/Total	**202719 81 71**	173912 40 79
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित)/Secured by tangible assets (Includes advances against book debts)	**141075 91 93**	110887 24 34
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**37772 97 61**	30874 73 47
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**23870 92 17**	32150 42 98
		योग/Total	**202719 81 71**	173912 40 79
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**56092 13 32**	50717 96 00
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**20201 73 45**	12929 55 66
		iii) बैंक/Banks	**2172 66 82**	2070 00 37
		iv) अन्य/Others	**83856 93 55**	75775 25 35
		योग/Total	**162323 47 14**	141492 77 38
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**29320 63 67**	26102 88 95
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		ए)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	**212 08 33**	276 38 66
		बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**6263 74 05**	5790 39 75
		सी)/c) अन्य/Others	**4599 88 52**	249 96 05
		योग/Total	**40396 34 57**	32419 63 41
		योग ग (I + II)/TOTAL C (I + II)	**202719 81 71**	173912 40 79

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/Revaluation as on March 31, of the preceding year	**1236 34 42**	1215 62 76
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**30 61 75**	22 72 21
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2 05 86**	2 00 55
		1264 90 31	1236 34 42
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**208 67 04**	176 55 70
	योग/Total	**1056 23 27**	1059 78 72
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**97 63 79**	35 75 07
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्निचर और जुड़नार सहित)/Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1154 23 40**	1039 84 43
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**286 84 51**	173 75 55
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**57 87 10**	59 36 58
		1383 20 81	1154 23 40
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**928 65 90**	780 85 97
	योग/Total	**454 54 91**	373 37 43
	योग/TOTAL (I+II+III)	**1608 41 97**	1468 91 22

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II.	उपचित ब्याज/Interest accrued	**1609 91 80**	1313 74 93
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2054 56 24**	1425 48 31
IV.	लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**21 46 62**	16 61 02
V.	दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 26**	3 38
VI.	अन्य/Others	**1949 98 84**	3177 80 02
	योग/TOTAL	**5635 96 76**	5933 67 66

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2015 को	As on दि. 31.03.2014 को
I.	बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**130 79 54**	117 94 15
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture funds	**40 33 78**	44 93 02
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**98343 57 04**	67941 66 04
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of Constituents		
	ए)/a) भारत में/In India	**14252 52 51**	10092 66 97
	बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 40**	7 98
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**4664 84 95**	3976 24 75
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which Bank is contingently liable		
	i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**15 48 32**	6 96 02
	ii) अन्य/Others	**14613 54 92**	13981 45 82
	योग/TOTAL	**132061 18 46**	96161 94 75

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**16119 99 99**	14419 64 05
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	**4889 68 51**	3782 32 63
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**588 70 11**	294 89 73
IV.	अन्य/Others	**16 77 58**	124 39 62
	योग/TOTAL	**21615 16 19**	18621 26 03

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**882 72 42**	567 05 79
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**657 22 27**	164 61 55
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**-19 72**	-92 56
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**91 13**	1 64 72
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-1 01 81**	-68 43
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**116 52 37**	113 39 55
	घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions	**-19 44 91**	-15 15 56
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**0**	0
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**473 13 12**	493 99 26
	योग/TOTAL	**2109 84 87**	1323 94 32

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**15007 14 76**	12076 49 24
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**46 97 68**	85 33 71
III.	अन्य/Others	**1040 12 12**	918 17 18
	योग/TOTAL	**16094 24 56**	13080 00 13

अनुसूची – 16: परिचालनगत व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**2230 07 24**	2229 18 56
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**253 00 45**	216 20 46
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**25 66 80**	17 69 94
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**27 69 95**	26 01 97
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**186 58 61**	118 14 65
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 27 92**	1 26 39
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**26 04 23**	24 65 54
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**5 89 74**	7 79 24
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**83 18 30**	47 67 86
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**92 27 36**	79 18 58
XI.	बीमा/Insurance	**167 04 59**	118 75 04
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure	**522 38 16**	414 03 98
	योग/TOTAL	**3621 13 35**	3300 62 21

अनुसूची – 17

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ: 2014-2015

1. **(ए) लेखांकन पद्धतियाँ**

विदेशी कार्यालय सहित समूह के वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) के अनुरूप होते हैं, जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित किए जाने वाले आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाएं तथा आकलन करें। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार का संशोधन चालू तथा आगामी अवधि के लिए प्रत्याशित माना जाएगा, बशर्ते कोई अन्यथा वर्णन न हो।

2. **समेकन प्रक्रिया**

बैंक और उसकी अनुषंगियों के समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणों और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई)/नेशनल एडवाइज़री कमिटी ऑन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (एन ए सी ए एस) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस) -21-''समेकित वित्तीय विवरणों'' के आधार पर तैयार किया गया है।

बैंक और उसके अनुषंगियों के वित्तीय विवरण को अंतर समूह लेन-देनों और अप्राप्त लाभ एवं हानि को हटाकर और आस्तियों, देयताओं, आय एवं खर्चों की रकमों को एक साथ जोडकर सिलसिलेवार तरीके से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी उचित है वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक सम ायोजन किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

समेकन तिथि को सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है और सहयोगी संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से

SCHEDULE – 17

CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2014-2015

1. **(A) ACCOUNTING CONVENTIONS**

The Consolidated Financial Statements of the Group including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India, in respect of foreign office, statutory provision and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. **CONSOLIDATION PROCEDURE**

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank, its Subsidiary has been prepared on the basis of the financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)/National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the Bank and its Subsidiary have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the Subsidiary are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method

में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आई सी ए आई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए एस) 23 ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अलग रूप से दर्शाया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

3.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

3.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

3.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

3.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

3.5 गारंटियों, वायदा संविदाओं, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

3.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, तथा आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया है।

सी) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associates in accordance with Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

3.1 Exchange Rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

3.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at ongoing market rates.

3.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit/loss is taken to revenue.

3.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

3.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

3.6 Foreign Branch of the Bank (Parent) is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS 11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

4. INVESTMENTS

4.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

प्रत्येक वर्ग को पुन: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:
ए) सरकारी प्रतिभूतियां बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
सी) शेयर डी) डिबेंचर और बंध पत्र
ई) अनुषंगी/सहयोगी एफ) अन्य

4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

4.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

4.2.2 'विक्रय के लिए उपलब्ध' एवं 'ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित' श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का श्रेणीवार समुच्चयन किया जाता है । शुद्ध मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

4.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -

I. लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो।

II. बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आई. की नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार :

ए) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है।

बी) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./ एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता है।

सी) तिजोरी बिल, ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.), वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया जाता है ।

डी) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार पर किया जाता हैं तथा यह भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा।

ई) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर किया जाता है और जहाँ शेयर एक्सचेंज में भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य ('पुनर्मूल्यन रिज़र्व' यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है या ₹1 प्रति कंपनी की दर पर

Each category is further classified into:
a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries/Associates
f) Others

4. 2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

4.2.1 Investments under 'Held to Maturity' are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at a premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

4.2.2 Investments held under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

4.2.3 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition/carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades/quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI/FIMMDA/ PDAI; and accordingly:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices/ Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA/PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures/Bonds are valued at Market price if quoted, otherwise on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI/ FIMMDA.

c) Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis and not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.

e) Equity Shares are valued at last traded prices if quoted; unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at ₹1 per

किया जाता है, जहाँ अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

एफ) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत (यानी बही मूल्य) के आधार पर किया जाता है ।

जी) अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों मे किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया जाता है।

एच) प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण/वर्गीकरण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर-एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निवेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

आई) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने उन वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया जाता है जो 18 महीनों से ज्यादा पुराने नहीं हों।

जे) म्यूच्युअल फंड के इकाइयों का मूल्य निर्धारण शेयर बाजार की भाव दर के अनुसार किया जाता है, और यदि भाव दर उपलब्ध न हो तो पुनः खरीदी मूल्य/निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

4.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। अनर्जक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया है।

4.3 परिपक्वता श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, को लाभ और हानि लेखा के जरिए आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया जाता है (निवल करों और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली अपेक्षित रकम)।

4.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है ।

4.5 विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोट, निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्य निर्धारण, नाममात्र मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया जाता है । इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया जाता है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में तदनुरूपी प्रभार अंकित किया गया है।

4.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि की, प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों का लेखाकरण क्रमशः उधार और वित्तीयन के रूप में किया जाता है ।

company, where latest balance sheet is not available.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value)

g) Investment in Subsidiaries/Joint ventures is valued at carrying cost.

h) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

i) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

j) Units of mutual funds are valued as per stock exchange quotations, if quoted; at Repurchase Price/Net Asset Value, if unquoted.

4.2.4 Investments are also categorized based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

4.3 Gain, if any, on sale/disposal of securities in the Held to Maturity category is appropriated to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

4.4 Transfer of securities from one category to another is carried out at lowest of acquisition cost/book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.5 Floating/Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available For Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

4.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/Commission/ Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expense.

4.7 Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

5. व्युत्पन्न

5.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

5.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाता है और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

5.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनको उचित मूल्य पर आंका जाता है।

5.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया गया है ।

5.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाता है जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाता है।

5.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाता है। मितीकाटे को अग्रिम लेखे में, प्राप्त आय के तहत रखा जाता है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाता है।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

6.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

6.3 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतीकरण कंपनी (एस सी)/बैंक/एफ आई/एन बी एफ सी को निवल बही मूल्य (एन बी वी) से कम लागत पर यानी प्रावधान बही मूल्य को घटाकर बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाला गया है तथा एन बी वी मूल्य से अधिक मूल्य के बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस वर्ष वह रकम प्राप्त हुई है।

7. परिसर और अन्य अचल आस्तियां

7.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास से घटाने के बाद, परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया

5. DERIVATIVES

5.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

5.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

5.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

5.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted for on interest accrual basis.

5.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

5.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

6. ADVANCES

6.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

6.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

6.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC)/Securitization Company (SC)/Banks/FIs/NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value Less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and loss account in the year in which the amounts are received.

7. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers.

जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

7.2 परिसर पर मूल्यहास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

7.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान, उक्त के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर किया जाता है:

(ए) परिसर:	दरें
i) बैंक के स्वामित्व वाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियाँ:	दरें
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर इत्यादि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और परिचालन सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

7.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 कर्मचारी, जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान, बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

8.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता का नकदी आधार के अनुसार लेखाकरण किया जाता है।

9. राजस्व का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन, गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया,

Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

7.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

(A) PREMISES:	Rates
i) Parent Company owned (freehold/ leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10%
– where lease period is specified	Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:	Rates
i) Furniture	10%
ii) Fixtures, Other Equipments, UPS, generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic Equipments	40%
v) Computers and Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

7.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is provided on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

8. RETIREMENT BENEFITS

8.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

8.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

8.3 Liability towards leave encashment is accounted for on Cash Basis.

9. REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax

अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

एफ) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

10. आय पर कर

10.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

10.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

11. देशीय जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

12. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में बढते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति बनाई तथा उसका अनुमोदन किया गया ।

13. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाहय तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

14. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at the Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Current Tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

10.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

11. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Company has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines and following the Country Risk Category classification published by Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

12. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Parent Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

13. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों पर प्रावधान
– निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

– Provision for Income Tax and Wealth Tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

15. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

अनुसूची 18 : 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहायक संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

   ए) **अनुषंगी:**
   सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

   बी) **सहायक संस्थाएं:**
   प्रथमा बैंक
   कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
   आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

   अनुषंगी और सहायक संस्थाओं में निवेश के ब्यौरे:

अनुषंगी	स्वामित्व
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	100%
सहायक संस्थाएं	
प्रथमा बैंक	35%
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	35%
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	35%

2. **अनुषंगी और सहायक संस्थाओं का वित्तीय विवरण**
   अनुषंगी/सहयोगियों की वित्तीय विवरण अनुषंगी की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण और सहयोगियों की गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण मूल के रिपोर्टिंग तिथि भी उसी तारीख तक के लिए बनाई गई है जिस तारीख तक की मूल की है यानि 31 मार्च, 2015.
3. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के टिप्पणियों पर निर्भर है।

4. पूँजी

ए) बसेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.53**	8.29
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.84**	8.68
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.70**	2.73
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**10.54**	11.41
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता (%)	**69.24**	67.39
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**460.00**	200.00
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी जिसमें		
- पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
- पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी जिसमें		
- ऋण पूँजी लिखत	**1,150.00**	0.00
- अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31.03.2015 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार मूल बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.92 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2014 के स्थिति में यह 12.01 प्रतिशत था।

बी) वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने भारत सरकार को, ₹10/- अंकित मूल्य के 3,74,74,541 ईक्विटी शेयरों को ₹112.75 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹459,99,99,907.75 है। तदनुसार, भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता 67.39% से 69.24% हो गया।

5. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**69,260.99**	55,462.03
(बी) भारत के बाहर	**296.87**	312.67
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**218.20**	232.12
(बी) भारत के बाहर	**0.00**	3.20
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**69,042.79**	55,229.91
(बी) भारत के बाहर	**296.87**	309.47

SCHEDULE – 18 Notes on Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2015

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of Syndicate Bank (parent) and the following subsidiary and Associates.

   a) **Subsidiary:**
   Syndbank Services Limited

   b) **Associates:**
   Prathama Bank
   Karnataka Vikas Grameena Bank
   Andhra Pragathi Grameena Bank

   Particulars of investments in Subsidiary and Associates

Subsidiary	Ownership
Syndbank Services Limited	100%
Associates	
Prathama Bank	35%
Karnataka Vikas Grameena Bank	35%
Andhra Pragathi Grameena Bank	35%

2. **Financial Statements of the Subsidiary/Associates**
   The Audited financial statement of Subsidiary and unaudited financial statements of the Associates have been drawn up to the same reporting date as that of parent. i.e. March 31, 2015.
3. The accounts of the subsidiary for the year ended March 31, 2015 are subject to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956.
4. **CAPITAL**

   a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	**7.53**	8.29
ii) Tier 1 Capital Ratio (%)	**7.84**	8.68
iii) Tier 2 Capital Ratio (%)	**2.70**	2.73
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**10.54**	11.41
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**69.24**	67.39
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**460.00**	200.00
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
– PNCPS	**0.00**	0.00
– PDI	**0.00**	0.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	**1,150.00**	0.00
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Bank as on 31.03.2015 as per Basel - II norms is 10.92% and as on 31.03.2014 it was 12.01%.

b. During the year, the Parent Bank has allotted on preferential basis 3,74,74,541 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹112.75 aggregating ₹459,99,99,907.75 to Government of India. Consequently, the Government of India's shareholding has increased from 67.39% to 69.24%.

5. **INVESTMENTS** (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	**69,260.99**	55,462.03
b) Outside India	**296.87**	312.67
ii) Provisions for Depreciation and NPA		
a) In India	**218.20**	232.12
b) Outside India	**0.00**	3.20
iii) Net Value of Investments		
a) In India	**69,042.79**	55,229.91
b) Outside India	**296.87**	309.47

(2) *निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन*		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	**235.32**	46.00
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**54.23**	191.00
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**71.35**	1.68
(iv) **इतिशेष**	**218.20**	235.32

5.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.15 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियां	26.00	2,936.96	515.82	540.80
(ii) सीमांत स्थाई सुविधा	52.00	1,040.00	230.66	0.00
(iii) मीयादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियां	104.00	9,777.04	2,155.98	9777.04
(iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) सी आर ओ एम एस उधार	20.00	2,786.98	835.55	0.00
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियां	26.00	9,308.00	820.77	3016.00
(ii) मीयादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियां	104.00	6,240.00	1,517.52	0.00
(iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	00.0	0.00	0.00
(iv) सी आर ओ एम एस उधार	27.15	14,522.84	4,776.24	0.00

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

5.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2015 को गैर एस.एल.आर. निवेशों की जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"निर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	पी.एस.यू.	2,176.60	2,162.14	1,166.78	378.34	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,538.52	1,538.52	165.56	1.13	1.13
(iii)	बैंक	1,635.92	741.42	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कॉरपोरेट	1,926.73	1,843.81	163.36	1.78	1.78
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	218.20	***	***	***	***
	कुल*	**7,121.09**	**6,347.41**	**1,495.70**	**381.25**	**2.91**

नोट: (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के होना चाहिए:

(ए) शेयर (बी) डिबेंचर और बंधपत्र

(सी) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (डी) अन्य

(2) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015			31.03.2014		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	**196.37**	**1.11**	**197.48**	38.74	12.22	50.96
वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से परिवर्धन	86.01	0.00	86.01	158.75	-	158.75
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	-	1.11	1.11	1.12	11.11	12.23
इति शेष	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
रखे गए कुल प्रावधान	**206.38**	**0.00**	**206.38**	158.12	1.11	159.23

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	**235.32**	46.00
ii) Add: Provisions made during the year	**54.23**	191.00
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	**71.35**	1.68
iv) **Closing balance**	**218.20**	235.32

5.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2015
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Repo	26.00	2,936.96	515.82	540.80
(ii) Marginal Standing Facility	52.00	1,040.00	230.66	0.00
(iii) Government Securities for Term Repo	104.00	9,777.04	2,155.98	9,777.04
(iv) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) CROMS Borrowing	20.00	2,786.98	835.55	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Reverse Repo	26.00	9,308.00	820.77	3,016.00
(ii) Government Securities for Term Reverse Repo	104.00	6,240.00	1,517.52	0.00
(iii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) CROMS Lending	27.15	14,522.84	4,776.24	0.00

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent.

5.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2015.

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	2,176.60	2,162.14	1,166.78	378.34	0.00
(ii)	Financial Institutions (incl. NBFCs)	1,538.52	1,538.52	165.56	1.13	1.13
(iii)	Banks	1,635.92	741.42	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	1,926.73	1,843.81	163.36	1.78	1.78
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation	218.20	***	***	***	***
	TOTAL *	**7,121.09**	**6,347.41**	**1,495.70**	**381.25**	**2.91**

Note: (1) * Total under column 3 tallies with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.:

(a) Shares (b) Debentures and Bonds

(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) Amounts reported under rows 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

ii) Non-performing Non-SLR Investments (₹in crores)

Particulars	31.03.2015			31.03.2014		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**196.37**	**1.11**	**197.48**	38.74	12.22	50.96
Additions during the year since 1st April	86.01	0.00	86.01	158.75	-	158.75
Reduction during the above period	-	1.11	1.11	1.12	11.11	12.23
Closing balance	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
Total provisions held	**206.38**	**0.00**	**206.38**	158.12	1.11	159.23

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

iii) ***एच.टी.एम. श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण***

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) ***एस.जी.एल. उछाल***

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एस.जी.एल. उछाल के कोई उदाहरण नहीं है।

5.3 एच.टी.एम. वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹4,03,96,846.21 (पिछली वर्ष ₹2,16,26,380.00) को लाभ एवं हानि खातों में लिया गया और ₹1,99,99,468 के कुल लाभ का 25% को तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।

5.4 एच.टी.एम. वर्ग के प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹53,92,64,029.01 (पिछले वर्ष ₹56,21,11,965.41) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

5.5 लंदन शाखा में धारित अस्थिर दर नोटों एवं विदेशी मुद्रा बांडों में की गई निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग में डाल दिया गया है और अंतिम दर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अस्थिर दर नोटों का निर्गतकर्ता के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

5.6 31.03.2015 (अंकित मूल्य) तक निवेश खाते में सरकारी प्रतिभूतियों के धारण का समाधान:

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियों के विवरण	प्रधान खाताबही शेष	एस जी एल शेष		बी आर धारित	एस जी एल फार्म धारित	वास्तविक स्क्रिप धारित	बकाया अंतरण
		पी डी ओ बहियों के अनुसार	बैंकों/संस्थाओं के बहियों के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्र सरकार	35,834.54	35,834.54	35,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार	26,608.19	26,608.19	26,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य अनुमोदित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई के यूनिट्स (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (शेयर एवं डिबेंचर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**62,442.73**	**62,442.73**	**62,442.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोट: पीडीओ बहियों के अनुसार शेष में अर्हता प्राप्त प्रतिपक्षकार एवं स्टॉक एक्सचेंज में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

6. व्युत्पन्न

6.ए. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली

- ***वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली*** (₹करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2015	31.03.2014
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**9,625.00**	10,856.95
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**89.22**	180.51
iii)	अदला-बदली में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**1.24**	43.74

नोट: सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली बैंक के तुलन-पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान, मूल बैंक ने यू एस डी 1,400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है। स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला-बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है।

iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

iv) SGL Bouncing

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2014-15.

5.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹4,03,96,846.21 (Previous Year ₹2,16,26,380.00) has been taken to Profit and Loss Account and 25% of such profit net of tax of ₹1,99,99,468 has been appropriated towards Capital Reserve Account.

5.4 The amortization charges of ₹53,92,64,029.01 (Previous Year ₹56,21,11,965.41) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

5.5 Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available for Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers' value.

5.6 Reconciliation of holdings of Government Securities in Investment Account as on 31.03.2015 (Face Value): (₹ in crores)

Particulars of Securities	General Ledger Balance	SGL Balance		BRs held	SGL forms held	Actual Scrips held	Outstanding Deliveries
		As per PDO Books	As per Bank's/ Institution's Books				
1	2	3	4	5	6	7	8
Central Government	35,834.54	35,834.54	35,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00
State Government	26,608.19	26,608.19	26,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Approved	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Units of UTI (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others (Shares & Debentures)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**62,442.73**	**62,442.73**	**62,442.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Note: The Balance as per PDO Books includes securities pledged with Qualified Counter Party and Stock Exchanges

6. DERIVATIVES

6.A Forward Rate Agreements/Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps

- ***Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2015	31.03.2014
i)	The notional principal of swap agreements	**9,625.00**	10,856.95
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**89.22**	180.51
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**1.24**	43.74

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Parent Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 1,400.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

• *मुद्रा अदला-बदली* (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2015	31.03.2014
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**84.54**	137.37
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**19.29**	30.18
iii)	अदला-बदली में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**0.27**	0.61

1) हानियों को कुल ऋण एक्सपोजर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण एक्सपोजर और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं। (सकारात्मक एम टी एम)

2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) कार्य अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए मूल बैंक द्वारा किया गया था । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन काउंटर पार्टियों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2014-15 में प्रस्तुत हैं ।

6.बी. विनिमय व्यापारिक ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा फ्यूचर्स:

मूल बैंक तीन विनियमों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। भा.रि.बैं. ने ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र सं. 147 दिनांक 20 जून 2014, के माध्यम से बैंकों को विनिमय व्यापारिक मुद्रा व्युत्पन्न व्यापारों को दुबारा शुरू करने की अनुमति दी हो । पहले भा.रि.बैं. ने ए.पी. (डी. आई.आर.) सीरीज परिपत्र सं. 07 दिनांक 08.07.2013 के माध्यम से विनिमय बजारों में बैंकों को मुद्रा वायदा लेन-देनों पर मालिकाना व्यापार करने पर रोक लगाया था। दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। मूल बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य और ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

6. सी. व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

(ए) *गुणात्मक प्रकटीकरण*

✓ व्युत्पन्न लेन-देन के लिए मूल बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

✓ मूल बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।

• ***Currency Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2015	31.03.2014
i)	The notional principal of the swap agreements	**84.54**	137.37
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**19.29**	30.18
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**0.27**	0.61

(1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Current Credit Exposure and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Parent Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These derivative transactions are entered with counterparties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2014 - 2015.

6.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Parent Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. RBI, vide AP (DIR Series) circular no. 147 dated 20th June 2014, has allowed Banks to resume Exchange Traded Currency Derivatives Trades. Earlier RBI vide their AP (DIR) Series Circular no. 07 dated 08.07.2013 had restricted Banks to not to carry out Proprietary Trading in Currency Future in Exchange Markets. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31.03.2015.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Parent Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2015 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

6.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) *Qualitative Disclosure*

✓ The Parent Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.

✓ The Parent Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. The Parent Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counterparties. The Parent Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.

- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ मुद्रा वायदे मूल बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- ✓ वर्ष के दौरान मूल बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ विदेशी मुद्रा अदला-बदली 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया जाता है जिसमें किसी जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ मूल बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- ✓ मूल बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी प्रतिपक्षकार निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- ✓ हमारे प्रतिपक्षकार बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ मूल बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ मूल बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- ✓ खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि में किया जाता है। परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाता है। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाता है और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाता है।

- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ Currency futures have no credit risk for the Parent Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- ✓ During the year Parent Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging purpose to mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Parent Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Parent Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter parties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counter party Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Parent Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Parent Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized onmaturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss Account on maturity.

✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो गए हैं जिससे बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।

✓ उन निवल निधिकृत देशी ऋणों के लिए भी प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि मूल बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।

✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

✓ मंजूरी की शर्तो के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।

✓ 92.18% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से अल्प अवधि के अंतर्गत आते हैं।

बी) दि. 31.03.2015 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015		31.03.2014	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	84.54	9,625.00	137.37	10,856.95
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	10.84	1.57	8.22	137.93
	बी) देयताएँ (–)	(-) 10.57	(-) 0.33	(-) 6.89	(-) 6.97
3.	**ऋण विनिवेश**	**19.29**	**89.22**	**30.18**	**180.51**
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	1.18	124.49	0.58	(-) 209.75
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6. डी) ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

7. आस्ति गुणवत्ता

ए) *अनर्जक आस्ति*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**1.90%**	1.56%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष राशि	**4,611.13**	2,978.50
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**5,499.97**	3,695.11
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**3,668.72**	2,062.48
डी) इतिशेष	**6,442.38**	4,611.13
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**2,720.60**	1,124.77
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**3,770.64**	2,705.23
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**2,647.59**	1,109.40
डी) इतिशेष	**3,843.65**	2,720.60
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**1,764.20**	1,775.65
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1,729.33**	989.88
सी) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,026.65**	1,001.33
डी) इतिशेष	**2,466.88**	1,764.20
ई) प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**66.61%**	70.02%

✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses.

✓ Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Parent bank's assets.

✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.

✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.

✓ 92.18% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2015. (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2015		31.03.2014	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	84.54	9,625.00	137.37	10,856.95
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	10.84	1.57	8.22	137.93
	b) Liability (-)	(-) 10.57	(-) 0.33	(-) 6.89	(-) 6.97
3	**Credit Exposure**	**19.29**	**89.22**	**30.18**	**180.51**
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	1.18	124.49	0.58	(-) 209.75
	b) On Trading Derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	NIL	NIL	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL	NIL	NIL

6.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Parent Bank has not traded in Credit Default Swaps.

7. ASSET QUALITY

a) *Non-Performing Assets* (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**1.90%**	1.56%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**4,611.13**	2,978.50
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**5,499.97**	3,695.11
c. Reductions during the year	**3,668.72**	2,062.48
d. Closing balance	**6,442.38**	4,611.13
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**2,720.60**	1,124.77
b. Additions during the year	**3,770.64**	2,705.23
c. Reductions during the year	**2,647.59**	1,109.40
d. Closing balance	**3,843.65**	2,720.60
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**1,764.20**	1,775.65
b. Provisions made during the year	**1,729.33**	989.88
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,026.65**	1,001.33
d. Closing balance	**2,466.88**	1,764.20
e. Provision Coverage Ratio (%)	**66.61%**	70.02%

बी) एन पी ए खातों में वसूली की विनियोजन नीति में परिवर्तन:

अब तक, मूल बैंक एनपीए खातों के अंतर्गत की गई वसूलियों का विनियोजन पहले अप्राप्य प्रभार का करता था और शेष रकम गैर वसूली योग्य ब्याज और मूलधन में करता था। 1 अप्रैल, 2014 से बैंक ने एनपीए खातों के अंतर्गत की गई वसूलियों की लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। इस प्रकार, ऐसे खातों के अंतर्गत की वसूलियों का विनियोजन अब पहले गैर वसूली योग्य प्रभागों में और शेष रकम को मूलधन और ब्याज में किया जाता है। लेखाकरण नीति में हुए इस परिवर्तन का एनपीए खातों पर प्राप्त ब्याज और निवल लाभ प्रभाव का तुरंत पता नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, यदि नीति को परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो वर्ष का लाभ अधिक हो सकता था।

b) Change in Policy on appropriation of recoveries in NPA Accounts:

Hitherto, the Parent Bank was appropriating recoveries in NPA accounts first towards unrecovered charges and balance towards unrecovered interest and principal in that order. With effect from 1st April 2014, the Parent Bank has changed its accounting policy for appropriation of recoveries in NPA accounts. Thus, recoveries in such accounts are now first appropriated towards unrecovered charges and balance towards unrecovered principal and interest in that order. The impact of this change in policy on interest income on NPA accounts for the year and on net profit for the year is not readily ascertainable. However, had the policy not been changed, the profit for the year would have been higher.

सी/c) वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2014 – 15

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार खातों में पुनर्संरचना का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2015																					
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2014	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	3	2	0	35	2024	393	777	173	3367	105941	6545	7571	1221	121278	107995	6941	8350	1394	124680
		बकाया राशि/AMT O/S	3,254.76	152.96	393.70	0.00	3,801.42	507.12	37.34	49.19	3.07	596.72	6,364.84	144.86	191.96	36.43	6,738.09	1,0126.72	335.16	634.85	39.50	1,1136.23
		प्रावधान/PROVISION	138.91	1.13	32.71	0.00	172.75	10.88	0.99	2.13	0.00	14.00	288.33	5.10	7.03	0.00	300.35	438.12	7.22	41.87	0.00	487.21
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	14	1	1	0	16	90	34	0	0	124	23237	196	29	42	23504	23341	231	30	42	23644
		बकाया राशि/AMT O/S	722.73	100.00	24.10	0.00	846.83	8.34	0.65	0.00	0.00	8.99	1,031.28	8.23	3.69	1.35	1,044.55	1,762.35	108.88	27.79	1.35	1,900.37
		प्रावधान/PROVISION	48.55	5.04	0.00	0.00	53.59	0.42	0.03	0.00	0.00	0.45	31.35	0.17	0.04	0.07	31.63	80.32	5.24	0.04	0.07	85.67
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	187	0	0	0	187	198	0	0	0	198
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0	0	0	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	13.48	0.00	0.00	0.00	13.48
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0	0	0	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	5	0	0	0	5	105	0	0	0	105	31221	0	0	0	31221	31331	0	0	0	31331
		बकाया राशि/AMT O/S	436.58	0.00	0.00	0.00	436.58	67.42	0.00	0.00	0.00	67.42	700.14	0.00	0.00	0.00	700.14	1204.14	0.00	0.00	0.00	1204.14
		प्रावधान/PROVISION	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	35.57	0.00	0.00	0.00	35.57
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	5	4	0	9	0	1215	5	26	1246	0	19848	260	55	20163	0	21068	269	81	21418
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	172.28	408.73	0.00	581.01	0.00	90.31	5.21	1.11	96.63	0.00	315.28	127.71	1.54	444.53	0.00	577.87	541.65	2.65	1122.17
		प्रावधान/PROVISION	0.00	8.32	13.35	0.00	21.67	0.00	3.01	0.00	0.00	3.01	0.00	11.63	4.44	0	16.07	0.00	22.96	17.79	0.00	40.75
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/ Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2015 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	5	7		42	597	1125	3258	486	5466	57010	19973	10762	1272	89017	57637	21103	14027	1758	94525
		बकाया राशि/AMT O/S	2,273.24	172.28	532.59		2,978.11	182.86	78.66	122.37	10.87	394.76	6,641.31	368.59	356.89	27.26	7,394.05	9,097.41	619.53	1,011.85	38.13	10,766.92
		प्रावधान/PROVISION	136.64	8.32	22.30		167.26	2.32	2.33	4.37	0	9.02	345.39	12.36	7.25	0	365.00	484.35	23.01	33.92	0	541.28

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31.03.2015 have been shown including these accounts.

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i) खातों की संख्या	5	शून्य
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	795.18	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	1115.22	शून्य
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	320.04	शून्य

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित के रूप में समर्थित एनपीए बैंक द्वारा बेचा गया		अंतर्निहित के रूप में समर्थित एनपीए अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गया		कुल	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
प्रतिभूति रसीद में निवेश का बही मूल्य	908.48	17.73	0.00	0.00	908.48	17.73

एफ) बैंक ने, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/बैंकों/वि.सं./एनबीएफसी को वित्तीय आस्तियों को बेचने पर अतिरिक्त प्रावधान किये जाने संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन किया है, बशर्ते बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा हो। अतिरिक्त प्रावधान को भावी नुकसान/अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुए नुकसान को पूरा करने के लिए उपयोग किय जाता है। भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डीओबीडी. बीपी.बीसी.सं. 98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के अनुसार नीति बदल गई है और अतिरिक्त प्रावधान को उसी वर्ष के लाभ व हानि लेखा में वापस करना है जिस वर्ष रकम प्राप्त की गई है। यदि नीति में परिवर्तन नहीं किया गया होता तो वर्ष के निवल लाभ में ₹161.60 करोड़ कम हुआ होता, बेची गई आस्तियों के तहत ₹161.60 करोड़ अधिक हुआ होता तथा आरक्षित रकम ₹106.67 (कर का निवल) कम हुई होती।

जी) खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय अस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. बेचे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

एच) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	771.19	654.04

d) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) No. of accounts	5	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	795.18	NIL
(iii) Aggregate consideration	1115.22	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	NIL
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	320.04	NIL

e) Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company(SCs)/Reconstruction Company (RCs)

(₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Parent Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
Book Value of Investments in Security Receipts	908.48	17.73	0.00	0.00	908.48	17.73

f) The Parent Bank has changed its policy with respect to treatment of excess provision on sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC)/Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs where the sale is at a value higher than the NBV. The excess provision was hitherto being maintained for utilization towards future shortfall/loss on account of sale of other financial assets. In accordance with RBI Circular No.DBOD.BP.BC.No.98/21.04.132/2013-14 dated 26th February, 2014, the policy has been changed and the excess provision is now reversed to the Profit & Loss Account in the year amounts are received. Had the policy not been changed, Net profit for the year would have been lower by ₹161.60 crores and provision against sold assets would have been higher by ₹161.60 crores and reserves would have been lower by ₹106.67 (net of Tax).

g) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B. Details of Non Performing Financial Assets Sold (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1. No. of Accounts Sold	NIL	NIL
2. Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate Consideration Received	NIL	NIL

h) Provisions on Standard Assets (₹ in crores)

Particulars	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Provisions towards Standard Assets	771.19	654.04

8. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**8.22%**	8.54%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.80%**	0.60%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.52%**	1.63%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**0.58%**	0.78%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (₹ करोड़ में)	**15.39**	14.30
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	**5.55**	6.83

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

8. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	**8.22%**	8.54%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	**0.80%**	0.60%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	**1.52%**	1.63%
(iv)	Return on Assets (%)	**0.58%**	0.78%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee (₹ in Crores)	**15.39**	14.30
(vi)	Profit per Employee (₹ in Lakhs)	**5.55**	6.83

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

9. आस्ति देयता प्रबंधन/ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप /MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्वता पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS

(भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2015 को	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमाराशि/Deposits	**1,241.61**	**8,228.49**	**7,071.01**	**6,644.23**	**41,790.02**	**48,651.78**	**58,536.04**	**73,724.23**	**8,043.44**	**1,457.25**	**2,55,388.10**
2	अग्रिम/Advances	**3,948.16**	**6,676.87**	**4,035.62**	**3,419.02**	**20,892.30**	**21,940.49**	**19,392.84**	**63,364.52**	**22,705.41**	**36,344.58**	**2,02,719.82**
3	निवेश/Investments	**41.42**	**32.04**	**98.61**	**901.30**	**3,223.96**	**1,036.09**	**502.85**	**9,226.90**	**13,257.32**	**41,019.18**	**69,339.67**
4	उधार/Borrowings	**2.09**	**6,611.00**	**3,310.00**	**1,000.00**	**144.35**	**26.35**	**42.60**	**5,725.49**	**6,669.59**	**2,971.52**	**26,502.99**
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	**514.54**	**4,697.01**	**2,336.08**	**2,533.76**	**13,325.20**	**11,166.68**	**6,621.30**	**537.51**	**394.18**	**167.70**	**42,293.96**
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	**248.97**	**3,021.64**	**2,359.83**	**1,834.60**	**15,601.98**	**4,354.08**	**2,729.67**	**6,137.91**	**5,726.92**	**0.00**	**42,015.60**

नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है ।/**Note:** Item No. 5 and 6 above are included in respective heads in item no. 1 to 4 above.

10. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2015	31.03.2014
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**22,513.29**	18,938.01
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**11,142.95**	9,939.27
उपरोक्त से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**7,878.63**	9,153.13
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**9,259.48**	7,281.33
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,392.30**	1,717.41
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश –		
ए.आवासीय	**90.81**	0.00
बी.वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**627.75**	0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**2,881.76**	3,082.21
रियल इस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**25,395.05**	22,020.22

10. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31.03.2015	31.03.2014
a) Direct Exposure	**22,513.29**	18,938.01
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**11,142.95**	9,939.27
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**7,878.63**	9,153.13
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**9,259.48**	7,281.33
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,392.30**	1,717.41
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
a. Residential	**90.81**	0.00
b. Commercial Real Estate	**627.75**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**2,881.76**	3,082.21
Total Exposure to Real Estate Sector	**25,395.05**	22,020.22

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**211.63**	154.61
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.32**	0.12
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**1.00**	1.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**941.79**	685.69
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**58.67**	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**158.91**	167.23
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1372.32**	1,008.65

सी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2015 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2015 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2014 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2014 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4275.08**	**शून्य**	4378.21	शून्य
कम	**1758.62**	**शून्य**	2843.42	शून्य
मध्यम कम	**19.14**	**शून्य**	28.98	शून्य
मध्यम	**6.72**	**शून्य**	2.90	शून्य
मध्यम अधिक	**1.82**	**शून्य**	0.47	शून्य
उच्च	**0.00**	**शून्य**	शून्य	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**1.75**	**शून्य**	13.69	शून्य
ऋणेतर	**शून्य**	**शून्य**	शून्य	शून्य
कुल	**6063.13**	**शून्य**	7267.67	शून्य

नोट: मूल बैंक ने 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश मूल बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित मूल बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

डी. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में बैंक द्वारा सीमा से अधिक आहरण के ब्यौरे: शून्य

ई. गैर जमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	शून्य
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	लागू नहीं

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**211.63**	154.61
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.32**	0.12
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**1.00**	1.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**941.79**	685.69
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**58.67**	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**158.91**	167.23
Total Exposure to Capital Market	**1372.32**	1,008.65

C. Risk Category wise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2015	Provision held as at 31st March, 2015	Exposure (net) as at 31st March, 2014	Provision held as at 31st March, 2014
Insignificant	**4275.08**	**Nil**	4378.21	Nil
Low	**1758.62**	**Nil**	2843.42	Nil
Moderately Low	**19.14**	**Nil**	28.98	Nil
Moderate	**6.72**	**Nil**	2.90	Nil
Moderately High	**1.82**	**Nil**	0.47	Nil
High	**0.00**	**Nil**	Nil	Nil
Very High / Restricted	**1.75**	**Nil**	13.69	Nil
Off-Credit	**Nil**	**Nil**	Nil	Nil
Total	**6063.13**	**Nil**	7267.67	Nil

Note: The Parent Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31.03.2015 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Parent Bank.

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

E. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	Nil
Estimated value of such intangible collaterals.	Not Applicable

11. कर प्रावधान

ए) आयकर प्रावधान

कर सलाहकार की सलाह के अनुसार संगत नीति का अनुसरण करने पर यानी यह कि एमएटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू नहीं है; मूल बैंक द्वारा चालू वर्ष की देयता की गणना और आयकर के लिए प्रावधान की रकम और अतिरिक्त बही स्थिति में ₹335 करोड़ की रकम को वापस जमा किया गया।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**642.36**	72.99
संपत्ति कर का प्रावधान	**1.74**	1.51
(डी टी ए)/डी टी एल	**163.93**	(142.55)
पिछले वर्ष एम ए टी प्रावधान का प्रत्यावर्तन	**(335.00)**	0.00
कुल	**473.03**	(68.05)

सी) एचटीएम प्रतिभूतियों पर आस्तिगत कर देयता:

कर सलाहकारों के विचार में बैंक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में अंतर के कारण लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच का अंतर के बैंक स्थायी अंतर के रूप में मानता है। तदनुसार, 31 मार्च 2015 को पहचानी गई ₹754.91 करोड़ की आस्थगित देयताएँ कर रचना को आवश्यक नहीं माना गया है।

12. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) गुणात्मक प्रकटन

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियाँ					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		31,465.82		xxx
	नकद बहिर्गमन				
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें:				
	(i) स्थायी जमा	46,753.56	2,337.68	xxx	xxx
	(ii) कम स्थायी जमा	67,081.64	6,708.16	xxx	xxx
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें:				
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	xxx	xxx
	(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	26,103.30	10,441.32	xxx	xxx
	(iii) असुरक्षित ऋण	15,649.21	15,649.21	xxx	xxx
4	सुरक्षित थोक निधीयन		0.00		xxx
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें:				
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपाश्विक आवश्यकताएं	72.96	72.96	xxx	xxx
	(ii) ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	xxx	xxx
	(iii) ऋण और चलनिधि सुविधा	19,031.00	1,684.09	xxx	xxx
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	0.00	0.00	xxx	xxx

11. TAX PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Parent Bank calculated its current year tax liability and the surplus provision of Income Tax lying in the books of ₹335 crores has been written back.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Income Tax (including London Branch)	**642.36**	72.99
Provision for Wealth Tax	**1.74**	1.51
(DTA)/ DTL	**163.93**	(142.55)
Reversal of MAT Provision of earlier years	**(335.00)**	0.00
Total	**473.03**	(68.05)

c) Deferred Tax Liability on HTM Securities:

Based on the opinion of tax consultant, the Parent Bank considers the difference between accounting income and taxable income on account of difference in valuation of securities as permanent difference and accordingly recognition of Deferred Tax Liability of ₹754.91 crores as at 31st March 2015 has not been considered necessary.

12. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A) Quantitative Disclosures

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		31,465.82		xxx
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
	(i) Stable deposits	46,753.56	2,337.68	xxx	xxx
	(ii) Less stable deposits	67,081.64	6,708.16	xxx	xxx
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	xxx	xxx
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	26,103.30	10,441.32	xxx	xxx
	(iii) Unsecured debt	15,649.21	15,649.21	xxx	xxx
4	Secured wholesale funding		0.00		xxx
5	Additional requirements, of which				
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	72.96	72.96	xxx	xxx
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	xxx	xxx
	(iii) Credit and liquidity facilities	19,031.00	1,684.09	xxx	xxx
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	xxx	xxx

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	18,620.47	931.02	xxx	xxx
8	**कुल नकद का बहिर्गमन**		**37,824.45**		xxx
	नकद का आगमन				
9	रक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो)	3,219.96	3,219.96	xxx	xxx
10	पूर्ण रूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	18,771.86	12,671.79	xxx	xxx
11	अन्य नकद आगमन	10.28	10.28	xxx	xxx
12	**कुल नकद आगमन**	**22,002.10**	**22,002.10**	**xxx**	**xxx**
			समायोजित कुल मूल्य		**समायोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**31,465.82**		**xxx**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**21,922.42**		**xxx xxx**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**143.53%**		**xxx**

बी. गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है। परिपक्वता पूर्व विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की स्वीकृति से एक अवधि पर उसके अनुपात में सुधार आएगा।

2. ब्याज दर दृश्य लेख (परिदृश्य) में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी तेजी (वृद्धि होती है) आती है।

3. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।

4. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।

5. मूल बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उनके योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण (ज्यादा) नहीं है।

6. भारतीय मुद्रा महत्वपूर्ण रुपया है तथा अन्य मुद्रा में एलसीआर का महत्व नहीं है।

7. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पड़ने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी। तरलता के केन्द्रीकरण का स्तर ऊँचा होता है एवं समूह की ईकाइयों के बीच का संप्रेषण भी प्रभावकारी होता है।

8. बैंक के पास एल सी आर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
7	Other contingent funding obligations	18,620.47	931.02	xxx	xxx
8	**Total Cash Outflows**		**37,824.45**		xxx
	Cash Inflows				
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	3,219.96	3,219.96	xxx	xxx
10	Inflows from fully performing exposures	18,771.86	12,671.79	xxx	xxx
11	Other cash inflows	10.28	10.28	xxx	xxx
12	**Total Cash Inflows**	**22,002.10**	**22,002.10**	**xxx**	**xxx**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
13	**TOTAL HQLA**		**31,465.82**		**xxx**
14	**Total Net Cash Outflows**		**21,922.42**		**xxx xxx**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**143.53%**		**xxx**

B. Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are Excess liquid investments over the SLR requirement, the marginal standing facility(MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the Deposits. Promotion of acceptance of Term Deposits without pre-mature option will improve the ratio over a period.

2. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick up in the credit etc.

3. High Quality Liquid Assets(HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.

4. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.

5. Parent Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant. Currently potential collateral calls are not significant.

6. Major currency is INR and the LCR in other currency is not significant.

7. Investment Committee is the top level committee, comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors and the General Managers from significant departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets preferably on daily basis and as may be required depending upon the urgency. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds and Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows will be discussed during this meeting. The degree of centralization of liquidity management is high and the communication between the group's units is high.

8. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for the purpose of LCR computation.

13. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदे तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वावधि आय/व्यय मदें नहीं है जिसकी एएस 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

ii) मूल्यहास के लिए लेखाकरण (एएस 6):

प्रत्येक वर्ग की आस्तियों के लिए वर्ष में किए गए कुल मूल्यहास का पृथकीकरण: (₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	31.03.2015		31.03.2014	
परिसर	**34.13**		35.01	
घटाएं: पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास	**28.09**	**6.04**	29.18	5.83
फर्नीचर और जुडनार		**52.38**		42.53
कंप्यूटर एवं यूपीएस		**128.15**		69.77
कुल		**186.57**		**118.13**
कुल (सकल)		**214.66**		**147.31**

iii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची – 17, में दिए गए महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iv) विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹37.98 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹43.76 करोड़ की हानि) की हानि भी शामिल है जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयताएं के ए एस 11 मूल्यांकन के कारण, विनिमय में अंतर के तहत दर्ज किया गया।

बी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन–पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

v) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मूल बैंक ने 2010-11 से कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया । तदनुसार, पिछले वर्ष की तरह मूल बैंक ने शेष बची राशि ₹145.38 करोड़ को पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया है।

भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 23.02.2015 के विभिन्न अधिकारी संघों और कामगार यूनियनों के साथ दिनांक 01.11.2012 से वेतन और भत्तों में 15% की वृद्धि करने का समझौता किया है। तदनुसार बैंक, बकाया वेतन के लिए 31.03.2015 को ₹520 करोड़ का कुल प्रावधान किया है, जो वेतन और भत्तों का 15.72% है। चालू वर्ष के दौरान ₹180 करोड़ का प्रावधान किया गया। (तिमाही के लिए – शून्य)

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन–पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान

(₹करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	निधिक उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%	5.00%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.50%	8.50%	NA

13. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

There were no material prior period income / expenditure items requiring disclosure under AS – 5.

ii) Accounting for Depreciation (AS 6):

Break up of total depreciation for the year for each class of assets: (₹ in crores)

Class of Assets	31.03.2015		31.03.2014	
Premises	**34.13**		35.01	
Less: Dep. on revalued portion	**28.09**	**6.04**	29.18	5.83
Furniture and Fixtures		**52.38**		42.53
Computers and UPS		**128.15**		69.77
TOTAL		**186.57**		**118.13**
TOTAL (GROSS)		**214.66**		**147.31**

iii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy No. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iv) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes an amount of loss of ₹37.98 crores {₹43.76 Cr of Loss for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

v) Employee Benefits (AS 15):

In accordance with the RBI guidelines, the Parent Bank has amortised 1/5th (₹145.38 crores) of the enhanced liability of ₹726.90 crores from the year 2010 - 11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Parent Bank has charged remaining balance of ₹145.38 crores to the current year Profit and Loss Account being the last year.

The Indian Banks Association has made a settlement of wage negotiation with various Officers' Associations and Workmen Unions on 23.02.2015 to settle the annual wage increase in salary and allowances @ 15% w.e.f. 01.11.2012 and accordingly, the bank is holding a total provision of ₹520 crores as on 31.03.2015 towards wage arrears which is 15.72% of the salary and allowances. During the current year ₹180 crores provision was made (for the quarter - nil).

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a) Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%
Expected Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%
Return on Assets	8.50%	8.50%	NA

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पी वी ओ)–प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) 01.04.2014 को पी वी ओ	**5048.83**	**1018.84**	**422.66**
बी) जोडें: ब्याज लागत	405.94	79.29	33.99
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	536.92	42.86	22.21
डी) घटाएं : प्रदत लाभ	546.18	172.06	45.64
ई) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/ लाभ प्राप्ति(–)	-85.33	10.17	24.16
एफ) 31.03.2015 को पी वी ओ	**5360.18**	**979.10**	**457.38**

सी) योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) दि. 01.04.2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4745.35**	**994.50**
बी) जोडें: योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	403.35	84.53
सी) जोडें: अंशदान	618.96	48.29
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	546.18	172.06
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(–)हानि	41.79	0.10
एफ) 31.03.2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5263.27**	**955.36**

डी) तुलन–पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	5360.18	979.1
बी) वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5263.27	955.36
सी) निवल	-96.91	-23.74
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	**-96.91**	**-23.74**

इ) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	536.92	42.86	22.21
बी) ब्याज लागत	405.94	79.29	33.98
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	403.35	84.53	NA
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (–)	-127.12	10.07	24.16
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**412.39**	**47.69**	**80.35**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	303.48	24.34	0
लाभ एवं हानि में पहचाने गए व्यय	412.38	47.69	80.35
दिए गए अंशदान	618.95	48.29	0
अंतिम निवल देयता	96.91	23.74	80.35
वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान	**5360.18**	**979.1**	**457.38**

b) Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at 01.04.2014	**5048.83**	**1018.84**	**422.66**
b) Add: Interest Cost	405.94	79.29	33.99
c) Add: Current Service Cost	536.92	42.86	22.21
d) Less: Benefits Paid	546.18	172.06	45.64
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	-85.33	10.17	24.16
f) PVO as at 31.03.2015	**5360.18**	**979.10**	**457.38**

c) Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets as on 01.04.2014	**4745.35**	**994.50**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	403.35	84.53
c) Add: Contributions	618.96	48.29
d) Less: Benefits Paid	546.18	172.06
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	41.79	0.10
f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2015	**5263.27**	**955.36**

d) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	5360.18	979.1
b) Fair value of plan assets at the end of the year	5263.27	955.36
c) Net	-96.91	-23.74
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	**-96.91**	**-23.74**

e) Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	536.92	42.86	22.21
b) Interest Cost	405.94	79.29	33.98
c) Less: Expected Return on Plan Assets	403.35	84.53	NA
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	-127.12	10.07	24.16
Expenses Recognised in P&L Account	**412.39**	**47.69**	**80.35**

f) Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	303.48	24.34	0
Expenses recognised in P&L Account	412.38	47.69	80.35
Contributions Paid	618.95	48.29	0
Closing Net Liability	96.91	23.74	80.35
Closing Fund/Povision at the end of year	**5360.18**	**979.1**	**457.38**

vi) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए : कारोबार खंड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
राजस्व/Revenue	***6232***	***4241***	***11035***	***10270***	***6152***	***4935***	***432***	***642***	***23851***	***20088***
परिणाम /Results	1072	536	1939	2051	1081	844	195	276	4287	3707
अनांबटित व्यय/Unallocated Expenses	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2164	1920
अनांबटित आय/Unallocated Income	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17	0
आय कर/Income Tax	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	473	-67
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	0
शुद्ध लाभ/Net Profit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1667	1855
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	69340	55539	142826	121989	59894	51924	29467	20935	301527	250387
अनाबंटित आस्तियां/Unallocated Assets	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2851	2582
कुल आस्तियां/Total Assets	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	304378	252969
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	66706	53238	137403	116934	57619	49772	28340	20067	290068	240011
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	0
कुल देयताएं/Total Liabilities	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**290077**	**240017**

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी – भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	22710	19340	1015	748	23725	20088
आस्तियां	265221	218596	39157	34373	304378	252969

vii) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2014-15	**2013-14**
श्री एस. के. जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21 सितंबर 2014 तक	13.60	12.59
श्री एम. आंजनेय प्रसाद	कार्यपालक निदेशक	30.11.2014 तक	15.70	19.57
श्री टी. के श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.09.2013 से	18.91	8.64
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से	0.95	0.00
कुल			**49.16**	**40.80**

Part B: Geographic Segments (₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	22710	19340	1015	748	23725	20088
Assets	265221	218596	39157	34373	304378	252969

vii) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (in lakhs)	
			2014-15	**2013-14**
Sri S K Jain	Chairman and Managing Director	Upto 21st Sep 2014	13.60	12.59
Sri M Anjaneya Prasad	Executive Director	Upto 30.11.2014	15.70	19.57
Sri T K Srivastava	Executive Director	From 01.09.2013	18.91	8.64
Sri R S Pandey	Executive Director	From 10.03.2015	0.95	0.00
TOTAL			**49.16**	**40.80**

डी) संबद्ध पार्टी लेन-देन (₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
2.	बकाया जमा	0.58	-	0.58
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.81	-	0.81
3.	बकाया निवेश	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
4.	बकाया अग्रिम	0.29	0.39	0.68
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.33	0.39	0.72
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
8.	ब्याज प्रदत्त	0.02	-	0.02
9.	ब्याज प्राप्त	0.02	0.03	0.05
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.49	-	0.49
11.	सेवाएँ दी गई	-	-	-
12.	सेवाएँ ली गई	-	-	-
13.	संविदाओं के प्रबंध	-	-	-
14.	कोई अन्य प्राप्य	-	-	-
15.	कोई अन्य देय	-	-	-

नोट: एएस 18 के पैरा 9 ''संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

viii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**1522,95,83**	1711,45,78
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**62,46,87,301**	60,67,86,954
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**24.38**	28.21
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (₹)	**10.00**	10.00

ix) समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, एएस 21 और मूल बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है ।

x) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22)

मूल बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है । 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार (डी.टी.ए.)/डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ 339.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹(140.43) करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31.03.2015	31.03.2014
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	**155.46**	143.67
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**0.00**	316.24
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	**313.44**	342.29
डब्ल्यू डी वी के अचल आस्ति में अंतर	**8.28**	7.68
अन्य	**109.14**	82.76
कुल	**586.32**	**892.64**

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देयताएं	31.03.2015	31.03.2014
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूति पर देय ब्याज नहीं है	**470.54**	386.76
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	**455.52**	365.45
कुल	**926.06**	**752.21**
निवल (डी.टी.ए.)/डी. टी. एल.	**339.74**	**(140.43)**

d) Related Party Transactions (₹in crores)

Sl. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
2.	Deposits outstanding	0.58	-	0.58
	Maximum during the year	0.81	-	0.81
3.	Investments outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
4.	Advances outstanding	0.29	0.39	0.68
	Maximum during the year	0.33	0.39	0.72
5.	Non funded commitments	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
6.	Leasing /HP arrangements availed	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
7.	Leasing /HP arrangements provided	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
8.	Interest paid	0.02	-	0.02
9.	Interest received	0.02	0.03	0.05
10.	Remuneration and other allowances	0.49	-	0.49
11.	Rendering of services	-	-	-
12.	Receiving of services	-	-	-
13.	Management of contracts	-	-	-
14.	Any other receivable	-	-	-
15.	Any other payable	-	-	-

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 - of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

viii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**1522,95,83**	1711,45,78
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**62,46,87,301**	60,67,86,954
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**24.38**	28.21
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

ix) Consolidated Financial Statements (AS 21):

The consolidated financial statements for the year ended March 31, 2015 have been prepared in accordance with AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Parent Bank, M/s. Syndbank Services Limited.

x) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2015 amounting to ₹339.74 crores (P.Y. ₹(140.43) crores) consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Leave Encashment	**155.46**	143.67
Provision for Standard Assets	**0.00**	316.24
Provision for Restructured Assets	**313.44**	342.29
Difference in WDV of Fixed Assets	**8.28**	7.68
Others	**109.14**	82.76
Total	**586.32**	**892.64**

(₹ in crores)

Deferred Tax Liabilities	31.03.2015	31.03.2014
Interest accrued but not due on securities	**470.54**	386.76
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	**455.52**	365.45
Total	**926.06**	**752.21**
Net (DTA)/DTL	**339.74**	**(140.43)**

xi) समेकित वित्तीय विवरणों (एएस 23) में सहायक संस्थाओं के निवेश का लेखाकरण:

लेखाकरण मानक (एएस 23) के अनुपालन में दि. 31.03.2014 एवं 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, मूल बैंक ने ईक्विटी विधि द्वारा सहयोगी संस्थाओं के दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2015 के वर्षांत तक सहयोगियों के निवेशों में परिणामी अधिमूल्यन को ''समेकन पर आरक्षित पूंजी'' के रूप में अलग से दर्शाया गया है तथा दि. 31.03.2015 के वर्षांत के लिए सहयोगियों के परिचालन परिणामों के बैंक का हिस्सा लाभ एवं हानि लेखे के समेकित विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

xii) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):

मूल बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डीबीएस.एआरएस.सं. बी.सी. 17/08.91.001/2002-03 दिनांक 5 जून 2003 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

xiii) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

मूल बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार मूल बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है।

xiv) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोड़कर) (₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	14.42	12.47
वर्ष के दौरान उपलब्ध	0.11	1.95
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	2.01	-
अंतिम शेष	12.52	14.42
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखापरीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार।

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**-16.10**	**202.83**
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**1,621.64**	**989.88**
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**473.03**	**-68.05**
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**405.78**	**726.83**
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**36.54**	33.44
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	**17.10**	271.42
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**180.00**	240.00
सा.छु. नकदीकरण के लिए प्रावधान	**34.71**	97.32
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**42.17**	35.47
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**32.11**	33.00
पिग्मी एजेंट के उपदान देयता हेतु प्रावधान	**38.74**	0.00
धोखा मामले के लिए प्रावधान	**9.83**	3.92
उपभोक्ता/दीवानी मामले के लिए प्रावधान	**2.52**	-0.18
आरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	**35.00**	0.00
अधिक प्रावधानों के लिए प्रत्यावर्तन	**-42.94**	-7.56
कुल	**2484.35**	**1851.49**

बी) अस्थायी प्रावधान का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**204.42**	306.63
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	शून्य
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**102.21**	102.21
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	204.42

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आर.बी.आई./2014-15/522/डीबीआर सं. बीपीबीसी. 79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30.03.2015 के जरिए दी गई अनुमति के अनुसार और मूल बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अनुत्पादक आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हेतु अस्थायी प्रावधान/आवर्ती प्रावधानों से ₹102.21 करोड़ राशि का उपयोग किया है।

xi) Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements(AS 23): :

In compliance with Accounting Standard (AS-23), the Parent Bank has valued long term investments in associates as at 31.03.2014 and 31.03.2015 under equity method and resultant appreciation in investments of associates up to the year March 31, 2015 has been separately reflected as 'Capital Reserve on consolidation' and for the Bank's share of the results of operation of the associates for the year ended 31.03.2015 is reflected separately in the consolidated statements of the profit and loss account.

xii) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Parent Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS. ARS.No.BC. 17/08.91.001/2002-03 dated June 5, 2003.

xiii) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the Management of the Parent Bank, there is no impairment of assets of the Parent Bank.

xiv) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	14.42	12.47
Provided during the year	0.11	1.95
Amount used during the year	2.01	-
Closing Balance	12.52	14.42
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

14. OTHER DISCLOSURES

a) Provisions and Contingencies: (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for depreciation on investment	**-16.10**	**202.83**
Provision towards NPA	**1,621.64**	**989.88**
Provision towards Income Tax, Wealth Tax (Net of Adjustments)	**473.03**	**-68.05**
Other provisions and contingencies	**405.78**	**726.83**
Provision towards Standard Assets	**36.54**	33.44
Provision for Restructured Accounts	**17.10**	271.42
Provision for Wage Revision	**180.00**	240.00
Provision for PL Encashment	**34.71**	97.32
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**42.17**	35.47
Provision for Cenvat Reversal	**32.11**	33.00
Provision for Gratuity liability of Pigmy Agents	**38.74**	0.00
Provision for Fraud Cases	**9.83**	3.92
Provision for Consumer/Civil Cases	**2.52**	-0.18
Provision for Unhedged Foreign Currency	**35.00**	0.00
Reversal of Excess provisions	**-42.94**	-7.56
Total	**2484.35**	**1851.49**

b) Movement of Floating Provision (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a) Opening Balance in the floating provision account	**204.42**	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**102.21**	102.21
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	204.42

As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no. RBI/2014-15/522/ DBR No. BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30.03.2015 and also pursuant to Parent Bank's Board approved policy, the Parent Bank has during the year utilised a sum of ₹102.21 crores from Floating Provisions / Counter Cyclical Provisioning buffer towards specific provision for Non-Performing Assets.

सी) भा. रि. बैं. द्वारा लगाया गया दंड

वर्ष के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (पिछले वर्ष-शून्य) की धारा 46(4) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है ।

डी) आरक्षित निधियों से आहरण द्वारा गिरावट (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधियाँ	आहरित राशि		उद्देश्य
		31.03.2015	31.03.2014	
1.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	316.24	--	चूंकि इसे स्थायी अंतर के रूप में लिया जाता है अत: मानक आस्ति के प्रत्यावर्तन हेतु डी टी ए के सृजन का प्रावधान किया गया है।
2.	विशेष आरक्षित निधियाँ	--	270.28	आस्थगित कर देयता का सृजन के लिए
		--	66.62	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत पहले की वर्षों के लिए विशेष आरक्षित निधियों में हुई कमी के लिए प्रावधान
3.	निवेश के लिए आरक्षित निधियाँ	--	12.20	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में जमा हेतु

ई) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**236**	130
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**4,833**	4,522
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**4,926**	4,416
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**143**	236

एफ) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**41**	44
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**601**	616
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**611**	619
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**31**	41

जी) मूल बैंक के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	9	16
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	9	16
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0

एच) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**360**	395
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**12,353**	22,027
3.	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**12,475**	22,062
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**238**	360

c) Penalties imposed by RBI

During the year no penalty was imposed by RBI on the Parent Bank under Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

d) Draw down from Reserves (₹ in crores)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		31.03.2015	31.03.2014	
1.	Revenue and Other Reserves	316.24	--	DTA created on provision for Standard Assets is reversed since it is treated as permanent difference.
2.	Special Reserve	--	270.28	To create Deferred Tax Liability
		--	66.62	Provided for short fall in Special reserve for earlier years under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961
3.	Investment Reserve	--	12.20	To Credit to Revenue and Other Reserves on Depreciation on Investments

e) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	**236**	130
2.	No. of complaints received during the year	**4,833**	4,522
3.	No. of complaints redressed during the year	**4,926**	4,416
4.	No. of complaints pending at the end of the year	**143**	236

f) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1.	Complaints Pending at the beginning of the year	**41**	44
2.	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**601**	616
3.	Cases Disposed during the year	**611**	619
4.	Cases pending at the end of the year	**31**	41

g) Awards passed against the Parent Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9	16
3	No. of awards implemented during the year	9	16
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

h) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**360**	395
2	No. of complaints received during the year	**12,353**	22,027
3	No. of complaints redressed during the year	**12,475**	22,062
4	No. of complaints pending at the end of the year	**238**	360

आई) मूल बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी समुद्रपारीय शाखा लंदन के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

मूल बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

मूल बैंक के राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने निदेशक मंडल/के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और (दि. 31.12.2015 तक वैध) यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र जारी किया।

बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2015 को ₹65.26 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं। (पिछला वर्ष ₹16.94 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करने है तो क्रेता को चुकौती आश्वासन पत्र पर शाखाओं द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों और विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ₹5,664.91करोड़ (पिछले वर्ष ₹1573.77 करोड़) है।

दि. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार हमारी मूल बैंक की शाखाओं द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹5,730.17 करोड़ है । (पिछले वर्ष ₹1,770.43 करोड़)

चुकौती आश्वासन पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए चुकौती आश्वासन पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं।

जे) बैंकाश्योरेन्स कारोबार

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त कुल आय ₹1288.52 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1,054.95 लाख था। इसमें ₹615.71 लाख (पिछले वर्ष ₹486.78 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹672.81 लाख (पिछले वर्ष ₹568.17 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है।

के) जमाराशियों, अग्रिमों, निवेशों तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	47,966.69	26,539.08
मूल बैंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	18.78%	12.50%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**39,112.91**	29,572.74
मूल बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**15.62%**	17.00%

सी) निवेशों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण	**39,358.73**	32,169.17
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर मूल बैंक द्वारा किए गए कुल निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर निवेश की प्रतिशतता	**15.41%**	18.50%

i) Letters of comfort issued by the Parent Bank

(A) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches

The Parent Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31.12.2015) with approval from the Board of Directors of the Parent Bank.

(B) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹65.26 crore as on 31.03.2015 (Previous Year ₹16.94 crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India is ₹5,664.91crore as on 31.03.2015 (Previous Year ₹1,573.77 crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31.03.2015 stands at ₹5,730.17 crore (Previous Year ₹1,770.43 crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

j) Bancassurance Business

The total income from the Bancassurance Business during the year 2014 - 15 is ₹1288.52 Lakhs as against ₹1,054.95 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹615.71 Lakhs (PY ₹486.78 Lakhs) from Life Insurance business and ₹672.81 Lakhs (₹568.17 Lakhs) from Non Life Insurance business.

k) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Deposits of twenty largest depositors	47,966.69	26,539.08
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Bank	18.78%	12.50%

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Advances to twenty largest borrowers	**39,112.91**	29,572.74
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Parent Bank	**15.62%**	17.00%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**39,358.73**	32,169.17
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Parent Bank on borrowers / customers	**15.41%**	18.50%

डी) आंतरिक ग्रुप निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आंतरिक ग्रुप निवेश की कुल राशि	शून्य	शून्य
20 बड़े आंतरिक ग्रुप निवेश की राशि	शून्य	शून्य
मूल बैंक द्वारा उधारकर्ता/ग्राहकों में कुल निवेश में आंतरिक ग्रुप निवेश का प्रतिशत	शून्य	शून्य
विनियामक कार्यवाही और आंतरिक-ग्रुप निवेश में सीमाओं के भंग होने के ब्यौरे	शून्य	शून्य

ई) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
चार बड़े एनपीए खातों को दिए गए कुल उधार	890.00	811.03

एल) क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	26,205.38	1,254.05	4.79	22,070.99	810.00	3.67
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	5,807.88	374.92	6.46	5,460.01	204.96	3.75
3	सेवाएँ	14,107.36	575.35	4.08	12,171.42	426.71	3.51
4	वैयक्तिक ऋणों	11,215.44	485.41	4.33	12,361.38	782.03	6.33
	उप-जोड़ (ए)	**57,336.06**	**2,689.73**	**4.69**	**52,063.80**	**2,223.70**	**4.27**
बी	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	55,396.69	2,371.12	4.28	46,697.22	1,649.59	3.53
3	सेवाएँ	47,761.59	245.43	0.51	39,037.52	426.31	1.09
4	वैयक्तिक ऋण	45,309.53	1,136.10	2.51	38,442.52	311.53	0.81
	उप-जोड़ (बी)	**1,48,467.81**	**3,752.65**	**2.53**	**1,24,177.26**	**2,387.43**	**1.92**
	कुल (ए+बी)	**2,05,803.87**	**6,442.38**	**3.13**	**1,76,241.06**	**4,611.13**	**2.62**

एम) अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**4,611.13**	2,978.50
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**5,499.97**	3,695.11
उप-जोड़ (ए)	**10,111.10**	**6,673.61**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**1,527.09**	233.10
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**1,087.11**	804.79
iii) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,006.54**	989.12
iv) ऊपर (iii) के अलावा अन्य अपलेखन	**47.98**	35.47
उप-जोड़ (बी)	**2,000.35**	**2,062.48**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां **(ए-बी)**	**6,442.38**	**4,611.13**

एन) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**4,462.41**	3,802.29
जोड़ें : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,006.54**	989.12
उप-जोड़ (ए)	**5,468.95**	**4,791.41**
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	**398.49**	329.00
वर्ष के अंत में इतिशेष (ए-बी)	**5,070.46**	**4,462.41**

D. INTRA-GROUP EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total amount of intra-group exposures	**Nil**	Nil
Total amount of top-20 intra-group exposures	**Nil**	Nil
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Parent bank on borrowers/ customers	**Nil**	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to top four NPA accounts	**890.00**	811.03

l) Sector-wise NPAs (₹ in crores)

Sl. No.	Sector*	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	26,205.38	1,254.05	4.79	22,070.99	810.00	3.67
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5,807.88	374.92	6.46	5,460.01	204.96	3.75
3	Services	14,107.36	575.35	4.08	12,171.42	426.71	3.51
4	Personal loans	11,215.44	485.41	4.33	12,361.38	782.03	6.33
	Sub-total (A)	**57,336.06**	**2,689.73**	**4.69**	**52,063.80**	**2,223.70**	**4.27**
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	55,396.69	2,371.12	4.28	46,697.22	1,649.59	3.53
3	Services	47,761.59	245.43	0.51	39,037.52	426.31	1.09
4	Personal loans	45,309.53	1,136.10	2.51	38,442.52	311.53	0.81
	Sub-total (B)	**1,48,467.81**	**3,752.65**	**2.53**	**1,24,177.26**	**2,387.43**	**1.92**
	Total (A+B)	**2,05,803.87**	**6,442.38**	**3.13**	**1,76,241.06**	**4,611.13**	**2.62**

m) Movement of NPAs (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Gross NPAs at the beginning of the year	**4,611.13**	2,978.50
Additions (Fresh NPAs) during the year	**5,499.97**	3,695.11
Sub Total (A)	**10,111.10**	**6,673.61**
Less:		
(i) Upgradations	**1,527.09**	233.10
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**1,087.11**	804.79
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**1,006.54**	989.12
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**47.98**	35.47
Sub Total (B)	**2,000.35**	**2,062.48**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**6,442.38**	**4,611.13**

n) Movement of Technical/Prudential Write-offs (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	**4,462.41**	3,802.29
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	**1,006.54**	989.12
Sub-total (A)	**5,468.95**	**4,791.41**
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**398.49**	329.00
Closing balance as at the end of the year (A-B)	**5,070.46**	**4,462.41**

ओ) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कुल आस्तियां	**41,230.25**	34,528.06
कुल अनर्जक आस्तियां	**538.14**	347.17
कुल एनपीआई	-	1.11
कुल राजस्व	**1,014.89**	747.76

पी) **तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)**

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

क्यू) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि मूल बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

आर) **अचल आस्तियाँ**

मूल बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल बैंक के पास हैं।

वर्ष 2011-12 (पिछला पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में किया गया है) के दौरान, मूल बैंक स्वामित्व के परिसर का अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर वर्ष के लिए किए गए अतिरिक्त मूल्यहास की कुल राशि ₹28.09 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

एस) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

टी) **जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
डीईएएफ की अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	0.00	शून्य
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	380.92	शून्य
घटाएं : डीईएएफ द्वारा दावे के माध्यम से प्रतिपूरित राशियाँ	4.02	शून्य
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	376.90	शून्य

नोट : दि. 31.03.2015 तक अदावी अतिदेय परिपक्व जमा ₹0.18 करोड़ समुच्चय रूप में ब्याज सहित डीईएएफ को प्रेषित किया जाना शेष है।

यू) **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :**

संस्थाओं के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर न केवल एकल संस्था से संबद्ध है बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली से संबंधित क्षेत्र है। वैसी संस्थाएँ जो अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का बचाव नहीं करते हुए विनिमय संचालन द्वारा बड़ी हानियाँ उठाती हैं। इस प्रकार की हानियाँ बैंकिंग प्रणाली द्वारा की जानेवाले ऋण चुकौती की क्षमता को कम करती है और यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिति को प्रभावित करती है।

1. **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के खाते की बढ़ोतरी प्रावधान की गणना विधि :**

बढ़ोतरी प्रावधान और पूँजी आवश्यकताओं की गणना हेतु निम्न विधियाँ है :

ए) **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की राशि का निर्धारण (यू एफ सी ई) :**

विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (एफसीई) का संदर्भ उधारकर्ता के तुलन पत्र के सभी मदों के सकल राशि से है जिनका प्रभाव विदेशी विनिमय दर के संचलन के कारण लाभ और हानि खातों पर पड़ता है।

o) **Overseas Assets, NPAs and Revenue** (₹ in crores)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Assets	**41,230.25**	34,528.06
Total NPAs	**538.14**	347.17
Total NPIs	-	1.11
Total Revenue	**1,014.89**	747.76

p) **Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

q) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Parent Bank has not sponsored any SPVs.

r) **Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Parent Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The Parent bank owned premises have been revalued during the year 2011-12 (last revaluation done in the year 2006-07) at value determined based upon the appraisal by the approved valuers. Additional depreciation for the year aggregating to ₹ 28.09 crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserves.

s) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

t) **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(₹ in crores)

Particulars	FY 2014-15	FY 2013-14
Opening balance of amounts transferred to DEAF	0.00	Nil
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	380.92	Nil
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	4.02	Nil
Closing balance of amounts transferred to DEAF	376.90	Nil

Note: ₹0.18 crore being aggregate of unclaimed overdue matured deposits as on 31.03.2015 including interest thereon are yet to be remitted to DEAF.

u) **Unhedged Foreign Currency Exposure :**

Unhedged foreign currency exposures of the entities are an area of concern not only for individual entity but also to the entire financial system. Entities who don't hedge their foreign currency exposures can incur significant losses due to exchange rate movements. These losses may reduce their capacity to service the loans taken from the banking system and thereby affect the health of the banking system.

I. **Methodology of computation of Incremental provision on account of Unhedged Foreign Currency Exposure:**

For calculating the incremental provisioning and capital requirements, the following methodology is followed:

a) **Ascertainment of the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):**

Foreign Currency Exposure (FCE) refers to the gross sum of all items on the balance sheet of the borrowers that have impact on profit and loss account due to movement in foreign exchange rates.

एक-दूसरे के प्रभावकारी प्रतिरक्षित कारकों (मदों) को यू एफ सी ई वर्जित कर सकती है। इस उद्देश्य से वित्तीय प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा को संदर्भित किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिरक्षा (हेज) साधारणत: वित्तीय संस्था के साथ व्युत्पन्न संविदा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा (नेचुरल हेज) का मतलब यह है कि जब कम्पनी के परिचालनों के बाहर नकदी का प्रवाह होता है तब विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बाहर प्रतितुलन जोखिम होती है।

बी) संभाव्य हानि की सीमा का आकलन :

यूएसडी-आई एन आर विनिमय दर के संचन के मामले में संस्था को हुई हानि का परिकलन वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करते हुए किया गया। इस उद्देश्य के लिए पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी-आई एन आर दरों में हुई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता को प्रतिकूल दिशा में यूएसडी-आई एन आर दर के संचलन के रूप में लिया गया।

संभाव्य हानि = यूएफसीई * पिछले 10 वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता

सी) अरक्षित स्थिति के जोखिम का आकलन :

यदि एक बार हानि के आंकडे का परिकलन किया जाता हो तो उसकी तुलना सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित घटकों के अद्यतन त्रैमासिक परिणाम के अनुसार वार्षिक ई बी आई डी के साथ की जाए। हानि का परिकलन ई बी आई डी की प्रतिशतता के रूप में किया जाता है। यह प्रतिशतता जितनी अधिक होगी संस्था के प्रतिकूल विनिमय दर संचलन की संभावना उतनी अधिक होगी। अतएव, ऐसी संस्थाओं के सभी एक्सपोजरों पर निम्नानुसार वृद्धिशील पूँजी और प्रावधान करना होगा:

संभाव्य हानि/ई बी आई डी (%)	मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त वृद्धिशील प्रावधान	वृद्धिशील पूँजी
15% तक	0	0
> 15% से 30% तक	20 बी पी एस	0
> 30% से 50% तक	40 बी पी एस	0
> 50% से 75% तक	60 बी पी एस	0
> 75%	80 बी पी एस	आर डब्ल्यू ए से 25% वृद्धि

डी) वृद्धिशील प्रावधान

यह प्रावधान, मानक प्रावधान के अतिरिक्त होगा। यू एफ सी ई पर वृद्धिशील प्रावधान की संकलित रकम का प्रावधान, जून 2014 को समाप्त तिमाही से किया गया है। पहले वर्ष में कुल प्रावधान की आवश्यकता को चार तिमाहियों में आबंटित किया जा सकता है।

बैंक, जून 2015 को समाप्त होनेवाली तिमाही से यू एफ सी ई के संबंध में कुल वास्तविक वृद्धिशील प्रावधान का प्रबंध करेगा।

उपलब्ध डाटा के और उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा पत्र, के आधार पर बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी 85/21.06.200/2013-14, दिनांक 15, जनवरी 2014 और स्पष्टीकरण परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी बी सी 116/21.06.200/2013-14, दिनांक 03.06.2014 को अनुसार अपने घटकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर ₹35 करोड़ की देयता का आकलन किया है।

वी) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

UFCE may exclude items which are effective hedge of each other. For this purpose, both financial hedge and natural hedge can be considered. Financial hedge is ensured normally through a derivative contract with a financial institution. Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the foreign currency exposure.

b) Estimation the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in USD-INR exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the USD-INR rates during the period of last ten years is taken as the movement of the USD-INR rate in the adverse direction.

Likely loss = UFCE * Highest annual volatility of last ten years

c) Estimation of the risk of unhedged position

Once the loss figure is calculated, it is compared with the annual EBID as per the latest quarterly results of the constituents certified by the statutory auditors. This loss is computed as a percentage of EBID. Higher this percentage, higher will be the susceptibility of the entity to adverse exchange rate movements. Therefore, as a prudential measure, all exposures to such entities would attract incremental capital and provisioning requirements (i.e., over and above the present requirements) as under:

Likely Loss/ EBID (%)	Incremental Provision over the Standard Asset provision	Incremental Capital
Upto 15%	0	0
> 15% to 30 %	20 bps	0
> 30% to 50 %	40 bps	0
> 50% to 75 %	60 bps	0
> 75 %	80 bps	25% increase in RWA

d) Incremental Provision

This provision is over and above the standard provision requirement. This aggregated amount of the incremental provision on account of UFCE has been provided starting with the quarter ending June-2014. For the first year the total provision requirement can be apportioned for the four quarters.

Beginning with quarter ending June-2015, Bank shall provide the total actual incremental provision with respect to the UFCE.

Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹35 crores on Unhedged Foreign Currency Exposure of its constituents in terms of RBI circular no.DBOD no.BP.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and clarification vide Circular no.DBOD.NO.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014. Accordingly the Bank has made incremental provision for the year ended March 31, 2015 of ₹35 crores.

(v) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची – 19: अर्जित अनुषंगियों द्वारा अर्जित शेयर/
SCHEDULE – 19: SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	Year ended दि. 31.03.2015 को	Year ended दि. 31.03.2014 को
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Gramina Bank	**57 77 22**	61 63 13
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक/ Karnataka Vikas Grameen Bank	**54 51 92**	49 15 04
प्रथमा बैंक/Prathama Bank	**30 27 59**	31 73 69
योग/TOTAL	**142 56 73**	142 51 86

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in thousands)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**21615 16 19**	18620 32 52
	अन्य आय/Other Income	**2109 84 87**	1324 87 83
	घटाइए/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**15706 06 93**	12694 10 69
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**5682 36 12**	5127 92 76
	आय पर कर/Taxes on income	**473 03 14**	-68 05 12
	जोड़िए/Add:		
	वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास/Depreciation charged during the year	**186 58 61**	118 14 65
I.	**परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS *(Prior to changes in operating Assets & Liabilities)***	**2050 13 48**	2309 36 67
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/*Increase/(Decrease) in Liabilities:*		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customers and Banks	**43043 10 53**	26986 14 63
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks and Other Institutions	**6428 47 20**	6535 71 76
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for expenses made in the earlier years)	**-419 68 38**	2290 93 97
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/*Decrease/(Increase) in Assets*		
	अग्रिम/Advances	**-28807 40 92**	-26343 38 98
	निवेश/Investments	**-13800 28 67**	-9891 72 22
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**-18 53 10**	-2316 49 56
		6425 66 66	-2738 80 40
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**8475 80 14**	-429 43 73
	निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**-292 29 60**	-173 08 14
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress	**-61 88 72**	-9 17 24
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**-354 18 32**	-182 25 38
	वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	पूंजी जारी करना/Issue of Capital	**460 00 00**	199 99 99
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**-219 21 98**	-654 53 44
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital)	**850 00 00**	-125 00 00
	चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**-388 17 63**	-385 89 44
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**702 60 39**	-965 42 89
	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (ए+बी+सी)/ TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	**8824 22 21**	-1577 12 00

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015		31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year**				
भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with the R.B.I.	**12711 99 20**		8095 31 40	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**2295 13 42**	**15007 12 62**	8488 93 22	16584 24 62
II. **वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with the R.B.I.	**11974 53 81**		12711 99 20	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**11856 81 02**	**23831 34 83**	2295 13 42	15007 12 62
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**8824 22 21**		-1577 12 00
नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
उप महा प्रबंधक /Dy. General Manager

आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO
महा प्रबंधक/General Manager

आर एस पाण्डेय/R S PANDEY
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

टी के श्रीवास्तव/T K SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/AUDITORS' CERTIFICATE

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन-पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank ("the group") for the year ended 31.03.2015. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **J N Sharma & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000833सी/C

(कुणाल शर्मा)
साझेदार
(Kunal Sharma)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 405919

कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ramanlal G Shah & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 108517डब्ल्यू/W

(विवेक एस शाह)
साझेदार
(Vivek S Shah)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 112269

कृते के एन गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **K N Goyal & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001084एनN

(माला राजन)
साझेदार
(Mala Rajan)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 087777

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000859एस/S

(एस स्वामिनाथन)
साझेदार
(S Swaminathan)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 023998

कृते विष्णु राजेन्द्रन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Vishnu Rajendran & Co**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 004741एस/S

(टॉम जोसफ)
साझेदार
(Tom Joseph)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 201502

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
दिनांक/Date : 09.05.2015

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

31 मार्च, 2015 का तुलन–पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2015 को	As at दि. 31.03.2014 को
I **इक्विटी और देयताएं/EQUITY AND LIABILITIES**			
1 **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
ए /a) शेयर पूँजी/Share Capital	3	**2,500,000**	2,500,000
बी/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	4	**78,022,414**	62,192,048
2 **आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS**		–	–
3 **गैर–चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings			
बी/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net)			
सी/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities			
डी/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions	5	**1,524,095**	1,248,235
4 **चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings			
बी/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables			
सी/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities	6	**2,692,988**	1,626,095
डी/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions	7	**424,482**	424,482
कुल/TOTAL		**85,163,979**	67,990,860
II **आस्तियां/ASSETS**			
1. **गैर–चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS**			
ए /a) अचल आस्तियां/Fixed Assets			
(i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets	8	**606,758**	771,310
(ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets			–
(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress			–
(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under-Development			–
बी/ b) गैर–चालू निवेश/Non-Current Investments			
सी/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net)	9	**644,074**	544,096
डी/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances	10	**1,500**	28,900
ई/e) अन्य गैर–चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets			
2. **चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS**			
ए /a) चालू निवेश/Current Investments			
बी/ b) माल सूची/Inventories			
सी/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables	11	**2,836,936**	2,255,619
डी/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents	12	**77,112,375**	62,273,931
ई/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances	13	**405,050**	615,793
एफ/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	14	**3,557,285**	1,501,211
कुल/TOTAL		**85,163,979**	67,990,860
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	2		
इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं			
Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा/Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580एस
As per our report of even date
FOR M/s NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 30.04.2015
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31-03-2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	ब्यौरे/PARTICULARS	नोट सं. Notes No.	2014-15	2013-14
I.	**परिचालन से प्राप्त राजस्व/Revenue From Operations**	15	**41,643,022**	27,865,048
II.	**अन्य आय/Other Income**	16	**6,297,734**	5,056,483
III.	**कुल राजस्व/Total Revenue**		**47,940,756**	32,921,531
IV.	**व्यय/Expenditure :**			
	वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	**6,503,430**	5,859,233
	परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	**17,831,129**	10,664,429
	मूल्यह्रास/Depreciation	8	**172,891**	119,645
V.	**कुल व्यय/Total Expenses**		**24,507,450**	16,643,306
VI.	**कर से पहले लाभ/Profit Before Tax**		**23,433,306**	16,278,225
VII.	**कर संबंधी व्यय/Tax Expenses**			
	– चालू कर/Current Tax		**7,702,918**	5,406,687
	– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(99,978)**	(125,217)
VIII.	**उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period**		**15,830,366**	10,996,754
IX.	ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		**63.32**	51.57
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा/Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 30.04.2015
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580एस
As per our report of even date
FOR M/s NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2015 को	As at दि. 31.03.2014 को
नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत/Authorised :		
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each	**100,000,000**	100,000,000
(पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)		
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital		
2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid	**2,500,000**	2,500,000
(पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)		
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित हैं/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees		
कुल/Total	**2,500,000**	2,500,000
नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus		
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**9,635,042**	8,535,367
जोड़ें: लाभ व हानि लेखा विवरण में शेष अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement of Profit and Loss Account	**1,583,036**	1,099,675
इतिशेष/Closing Balance	**11,218,078**	9,635,042
लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**52,557,006**	42,659,926
वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year	**15,830,366**	10,996,755
घटाएं/Less: विनियोजन/Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve	**1,583,036**	1,099,675
लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c	**66,804,336**	52,557,006
नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions		
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity	**1,524,095**	1,248,235
कुल/Total	**1,524,095**	1,248,235
नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities		
पीएफ में प्रबंधन का अंशदान/Mgmt. cont. PF # #	**458,554**	229,252
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses # #	**1,672,868**	1,024,403
देय आय कर/Income Tax Payable	**425,000**	225,000
देय टीडीएस/TDS Payable	**135,366**	146,040
उचंत व्यावसायिक कर/Professional Tax Suspense	**1,200**	1,400
कुल/Total	**2,692,988**	1,626,095

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2015 को	As at दि. 31.03.2014 को
नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment	**424,482**	424,482
कुल/Total	**424,482**	424,482
नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances		
किराया जमा/Rent Deposits	-	27,900
दूरभाष जमा/Telephone Deposits	**1,500**	1,000
कुल/Total	**1,500**	28,900
नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank	**2,584,527**	2,255,619
अन्य/Others	**252,409**	0
कुल/Total	**2,836,936**	2,255,619
नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents		
नकदी शेष/Cash in Hand	–	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks		
मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit	**75,848,924**	61,100,000
चालू खाते में–सिंडिकेटबैंक/In Current A/c – SyndicateBank	**1,263,451**	1,173,931
कुल/Total	**77,112,375**	62,273,931
नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम + फुटकर अग्रिम/Staff Festival Advance + Sundry Advance	**157,025**	188,300
पूर्वदत्त बीमा/Prepaid Insurance	**7,700**	–
अग्रिम आय कर/टीडीएस/Advance Income Tax/TDS	**240,325**	427,493
कुल/Total	**405,050**	615,793
नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets		
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits	**3,258,670**	1,224,313
प्राप्य सेवा कर/Service Tax Receivable	**298,615**	276,898
कुल/Total	**3,557,285**	1,501,211

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

नोट सं./Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

	सकल खण्ड/Gross Block				मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block					निवल खण्ड/Net Block	
ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2014 को शेष राशि Balance as on 01.04.2014	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2015 को शेष राशि Balance as on 31.03.2015**	दि. 01.04.2014 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2014	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	दि. 31.03.2015 को शेष राशि Balance as on 31.03.2015	दि. 31.03.2014 को मूल्यह्रसित मूल्य WDV as on 31.03.2014	**दि. 31.03.2015 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2015**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:											
फर्नीचर/Furniture	87,214	-		**87,214**	67,234	15.00%	2,997		**70,231**	19,980	**16,983**
विद्युत जुडनार Electrical Fittings	24,450	-		**24,450**	17,510	20.00%	1,388		**18,898**	6,940	**5,552**
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals	833,609		90,800	**742,809**	713,250	35.00%	41,210	88,185	**666,275**	120,359	**76,534**
मोबाइल फोन Mobile Phones	14,700	15,000	9,900	**19,800**	6,661	40.00%	4,097	5,854	**4,904**	8,039	**14,896**
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	7,790	-		**7,790**	3,907	20.00%	777		**4,684**	3,883	**3,106**
मोटर कार/Motor Car	644,570			**644,570**	32,461	20.00%	122,422		**154,883**	612,109	**489,687**
कुल/Total	**1,612,333**	**15,000**	**100,700**	1,526,633	**841,023**		**172,891**	**94,039**	919,875	**771,310**	606,758
पिछला वर्ष Previous Year	1,482,833			**1,612,333**	1,177,462		119,645	456,084	**841,023**	305,371	**771,310**

नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX

आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	आय कर Income Tax		वित्तीय विवरण Financial Statements	अंतर Difference	आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred Tax Assets
अचल आस्तियां: कर मूल्यह्रास और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के बीच के अंतर का प्रभाव/ Fixed Assets: Impact of difference between Tax Depreciation and Depreciation charged for Financial Reporting	643,308.00		606,758	36,550	11,859
लाभ व हानि विवरण को प्रभारित परंतु कर के प्रयोजन हेतु भुगतान आधार पर अनुमत व्ययों का प्रभाव/ Impact of Expenditure charged to the Statement of Profit and Loss but allowed for Tax purpose on payment basis	0		1,948,577	1,948,577	632,216
कुल आस्थगित कर आस्तियां/Total Deferred Tax Assets					644,074

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास का परिकलन/Calculation of depreciation under Income Tax Act, 1961

ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2014 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 01.04.2014	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	दि. 31.03.2015 को शेष राशि Balance as on 31.03.2015	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए मूल्यह्रास Depreciation for the Year	दि. 31.03.2015 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2015
फर्नीचर/Furniture	50636.00	0.00		50636.00	10.00%	5064.00	45572.00
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स/Computer & pheripherals	48432.00	15000.00	6661.00	56771.00	60.00%	34063.00	22708.00
संयंत्र एवं मशीनरी/Plant & machinery	676503.00			676503.00	15.00%	101475.00	575028.00
कुल/Total	775571.00	15000.00	6661.00	783910.00		140602.00	643308.00

कर की दर/Tax rate 0.32445

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं
NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2015 को	As at दि. 31.03.2014 को
नोट सं./Note No. 15: परिचालन से प्राप्त राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**5,257,040**	3,254,870
अनियमित खुदरा ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow up of Irregular Retail Loans	**8,917,831**	8,885,252
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue	**–**	–
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**15,392,571**	7,673,302
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income	**–**	4,000
सीएमएस-एसएमएस से प्राप्त आय/CMS-SMS Income	**–**	168,206
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	**5,080,600**	5,179,218
कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	**3,363,067**	2,189,081
समाशोधन चेक वापसी नोटिस आय/Clg Cheque Ret. Notices Income	**413,688**	–
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	**–**	–
आउटसोर्सिंग आय/Outsourcing Income	**3,218,225**	511,119
कुल/Total	**41,643,022**	27,865,048
नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज/Bank Interest	**6,267,466**	5,035,269
आय कर वापसी पर ब्याज/Interest on Income Tax Refund	**1,282**	–
विविध आय/Miscellaneous Income	**28,985**	21,214
कुल/Total	**6,297,734**	5,056,483
नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**5,614,741**	4,881,625
पेंशन, भविष्य निधि और अन्य को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other	**229,302**	229,252
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	**275,860**	427,863
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	**383,527**	320,493
कुल/Total	**6,503,430**	5,859,233
नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation expenses	**10,656,967**	4,975,911
ई-फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	**7,833**	3,040
इंटरनेट बैंकिंग लेखन सामग्री व्यय/Internet Banking Stationary Expenses	**323,830**	245,117
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	**930,839**	948,524
दूरभाष प्रभार और एसएमएस/Telephone charges & SMS	**137,457**	240,897
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	**5,000**	5,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	**16,599**	12,100
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	**20,000**	20,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**20,000**	20,000
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**50,251**	29,387
अनुपालन और अन्य हेतु व्यावसायिक प्रभार/Professional charges for Compliance & others	**–**	22,500
निदेशकों की बैठक का शुल्क/Director's sitting fees	**–**	–
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**104,455**	140,981
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance expenses	**217,427**	238,150

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2015 को	As at दि. 31.03.2014 को
कार बीमा/Car Insurance	**1,535**	14,071
वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development charges	**2,500**	6,800
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**84,357**	28,578
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**163,866**	206,242
कार्यालय का किराया/Office Rent	**336,000**	336,000
आंकडा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry charges	**582,204**	165,280
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**30,815**	33,280
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**46,322**	58,280
आंतरिक लेखा परीक्षकों का शुल्क/Internal Auditors Fees	**–**	–
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
समाशोधन चेक वापसी नोटिस व्यय/Clg. Chq. Ret. Notice Expense	**45,992**	–
डाक व्यय/Postal Charges	**6,538**	1,223
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	**2,437,659**	1,568,920
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses	**16,462**	12,463
आउटसोर्सिंग व्यय/Outsourcing Expenses	**1,510,220**	423,048
आर ई सी एस व्यय/RECS Expenditure	**–**	–
साफ्टवेयर विकसित करने का व्यय/Software development Expenses	**40,000**	45,000
पिन मेलर के प्रेषण पर व्यय/PIN Mailers Dispatch Expenses	**–**	827,636
कुल/Total	**17,831,129**	10,664,429

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा/Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 30.04.2015
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580एस
As per our report of even date
FOR M/s NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

अनुसूची सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

ए. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है।

बी. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

सी. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है।

डी. मूल्यह्रास

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिगृहण की तारीख को प्रचलित दरों पर आनुपातिक आधार पर किया गया है।

ई. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

एफ. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके । पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी, जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

Schedule No. 2: Notes to Accounts

1. Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 2013.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

जी. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यत: सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है। इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना। कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

एच. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी है और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपादान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है।

आई. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

जे. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

के. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं की राशियों तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

एल. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो।

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to SyndicateBank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, Card Personalisation services, creating various customer database and other services facilitating banking operations. All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to SyndicateBank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of SyndicateBank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by SyndicateBank.

I. Contingent Liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earning per Share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण

Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 2013

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

I.	**पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details**	यू 72300 केए2006ओकेसीओ38305 / U72300KA2006OKCO38305		
	राज्य कूट/State Code	08	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date	31-3-2015
II.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year**			
	सार्वजनिक निर्गम/Public issue	0	अधिकार निर्गम/Right issue	0
	बोनस निर्गम/Bonus issue	0	निजी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement	0
III.	**निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति Position of Mobilisation and Deployment of Funds**			
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	85,163.98	कुल आस्तियाँ/Total Assets	85,163.98
	निधियों का स्रोत/Sources of Funds :			
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2,500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	78,022.41
	जमानती ऋण/Secured Loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans	0.00
	निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds:			
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets	0.00	निवेश/Investments	0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses	0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	83,911.65	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset	644.07
IV.	**कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company**			
	आय/Income	47,940.76	व्यय/Expenditure	24,507.45
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	23,433.31	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	15,830.37
	प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share ₹	63.32	लाभांश की दर/Dividend rate %	0
V.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम Generic names of three principal products/services of the company :**			
	मद कूट सं (आईटीसी कूट)/Item Code No. (ITC Code):	लागू नहीं/N A		
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description :	सेवाएँ/Services		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(दिनेश एम. सिन्हा/Dinesh M. Sinha)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580एस
As per our report of even date
FOR M/s NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 30.04.2015
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2014-15	2013-14
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	**23,433,306**	16,278,225
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	**172,891**	119,645
उपदान के लिए प्रावधान/Gratuity Provisions	**275,860**	302,709
आस्ति की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Assets	**(27,385)**	(21,214)
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision	**–**	125,154
ब्याज आय/Interest Income	**(6,267,466)**	(5,035,269)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	**17,587,206**	11,769,250
कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ाव/Movement in Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	**1,066,893**	538,815
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	**(581,317)**	1,139,108
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	**27,400**	–
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि/(कमी)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	**23,575**	(118,820)
अन्य चालू आस्तियों में हुई वृद्धि (कमी)/Decrease/(increase) in other current assets	**(2,056,074)**	(205,185)
परिचालनों से सृजित नकद/Cash generated from operations	**16,067,682**	13,123,168
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (net of refund)	**(7,515,750)**	(5,206,345)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह/Net cash flow from operating activities	**8,551,932**	7,916,823
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी/Net cash from operating activities	**8,551,932**	7,916,823
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Cash flow from investing activities		
आस्ति की खरीद/Purchase of Assets	**(15,000)**	(649,370)
आस्ति की बिक्री/Sale of Assets	**34,046**	85,000
प्राप्त ब्याज/Interest received	**6,267,466**	5,035,269
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities	**6,286,512**	4,470,899
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	**–**	–
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	**–**	–
नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**14,838,444**	12,387,722
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year	**62,273,931**	49,886,209
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year	**77,112,375**	62,273,931
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित है। **Notes:** Accounting Standard-3 on Cash Flow Statement as per the Companies Act, 2013.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/	ह/Sd/	ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)	**(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)**	**(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)**
अध्यक्ष/Chairman	निदेशक/Director	निदेशक/Director
ह/Sd/	ह/Sd/	ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)	**(के. प्रीतम लाल/K. Preetam Lal)**	**(दिनेश एम. सिन्हा/Dinesh M. Sinha)**
निदेशक/Director	निदेशक/Director	प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580एस
As per our report of even date
FOR M/s NAYAK & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 30.04.2015
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

SyndicateBank

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ईसीएस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधे जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
   क) परेषण में हानि,
   ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई,
   ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समय से सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस लेन-देन को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से केवल ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलने की आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है तो ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा।
7. **निवेषकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में अपने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ बैंक खाते ब्यौरे अद्यतन कराएं। कागज़ी रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में इसके साथ संलग्न ईसीएस अधिदेश फार्म प्रस्तुत करें।**
8. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आई एफ एस सी कूट और एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है । हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को <u>सीधे</u> उनके खाते में जमा किया जा सके।
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक,** कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक: 28.05.2015

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit,
   b) Fraudulent encashment by third parties,
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc, that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. **Investors are requested to update bank account details with their Depository Participants (DP) in respect of shares held in electronic form. ECS Mandate form annexed may be submitted in respect of shares held in physical form.**
8. We request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self-attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for <u>DIRECT CREDIT</u> of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Unit: SyndicateBank,** Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 to 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(R RAVI)
COMPANY SECRETARY

Date: 28.05.2015

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
(केवल कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के लिए ही प्रस्तुत किया जाए)

ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES
(to be submitted only in respect of shares held in physical form)

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 to 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   ए) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   बी) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   सी) खाता संख्या (जो चेक बुक पर लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   डी) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) :
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ☐ ब.बैं. SB   ☐ चालू Current   ☐ नकदी उधार Cash Credit

   ई) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   एफ) बैंक द्वारा निर्गत एमआईसीआर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank :

   ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या निरस्त किया हुआ एक कोरा चेक संलग्न करें।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी ।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का अवश्य उल्लेख करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक: 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
ENCL: Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना ।
Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम..और...

और .... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. ....

के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतदद्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : ____

पता : ____

____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ____

नाम और पता ____

____

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक:

गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. ______________________________	______________________________
2. ______________________________	______________________________

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है । यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. .... नामांकन प्रपत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. .... दिनांक: ....

टिप्पणी: ....

....

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We..and..
and ……….................................. the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : ____________________

Address : ____________________

____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is ____________________

Name and Address: ____________________

____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

....

Date :

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

Date :

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1. ____________________	____________________
____________________	
2. ____________________	____________________
____________________	

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL. NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON ....

REGISTRATION NO. .... DATE: ....

REMARKS: ....

....

Encl : Self-attested copy of PAN Card

प्रिय शेयरधारक,

विषय: नैगम अभिशासन में हरित पहल:
कागज़ रहित

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (''मंत्रालय'') ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपरलेस अनुपालन अपनाकर नैगम अभिशासन में हरित पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 और 18/2011 दि. 29.04.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आई. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आई.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और (यदि आपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो) मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक, वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्टें, उन निवेशकों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं ।

कृपया नोट करें कि यदि आप फिर भी सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस 'हरित पहल' में सहभागी (ग्रीन इनीशिएटिव) बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

Date: 28.05.2015

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance:
Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the circular bearing no.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices/documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd. (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank will be sending Annual Reports 2014-2015, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email –IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let's be part of this 'Green Initiative'.

With warm regards

Yours faithfully,

(R Ravi)

Date: 28.05.2015

COMPANY SECRETARY

पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं.: 31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

प्रिय महोदय,

विषय: पते में परिवर्तन

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन .... के लिए मेरे/हमारे पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

	पुराना पता	**नया पता**
शहर :		
राज्य :		
पिन कूट :		
ई मेल आई डी :		
दूरभाष संख्या :		

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व-प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक:

भवदीय,

(____________________________________)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर
(पंजीकृत नमूने के अनुसार)

अनुलग्नक:
1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. पता प्रमाण (स्व-प्रमाणित दूरभाष बिल / नवीनतम बिजली बिल / पासपोर्ट / मतदान पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / बैंक पासबुक जिसमें पता हो, के पहले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To

Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No.: 31 to 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

Dear Sir,

Reg: Change of Address

I/We hereby request you to please update my / our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN............................

Old Address **New Address**

City :

State :

Pin Code :

Email ID :

Phone No. :

As requested by you, I / we am / are attaching herewith self-attested copy of Proof of Address (POA) and self-attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Date :

Yours faithfully,

(____________________________________)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN card.
2. Address Proof (Self-attested copy of Telephone Bill/Electricity Bill as on a recent date/Passport/Voters ID Card/Driving Licence/Attested copy of I page of Bank Passbook containing address, etc.)

सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि.16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों को जो सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती हैं, उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक हर वर्ष लाभांश की घोषणा करता रहा है । वर्ष 2006-2007 तक के अप्रदत्त लाभांश को भारत सरकार के आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। **उन शेयरधारकों ने जिन्होंने अपने लाभांश वारंट, वर्ष 2007-2008 के अंतिम लाभांश वारंट, वर्ष 2008-2009 का अंतरिम तथा अंतिम, लाभांश 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 तथा वर्ष 2013-2014 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र,कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।**

सेबी ने अधिदेश दिया है कि लाभांश को निवेशकों के बैंक खाते में एन ई एफ टी/ऑन-लाइन के माध्यम से सीधे जमा करें । हमारा आपसे अनुरोध है **यदि कागज़ी रूप में शेयर रखें हैं तो** आप अपने बैंक खाते के ब्यौरे को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और निरस्त चेक पन्ने के साथ-साथ इस रिपोर्ट में संलग्न ई सी एस अधिदेश में भरकर निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में बैंक के लाभांश को सीधे जमा करने में सुविधा हो।

''कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, गाँधीनगर, बेंगलूरु – 560 009''.

यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखा गया है तो जिस डिपॉजिटरी सहभागी (डी पी) के पास डी मैट खाते को रखा गया है उसके पास अपने बैंक खाते के ब्यौरे अद्यतन करें।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

दिनांक : 28.05.2015

दूरभाष सं.: 080 22283030

ई-मेल आईडी : inrc@syndicatebank.co.in

syndinvest@syndicatebank.co.in

Appeal to all Shareholders

Dear Shareholder,

RE: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956. In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

The Bank has a track record of declaring dividends every year. Unpaid dividends till the year 2006-2007 have already been transferred to IEPF of Government of India. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) Final Dividend Warrant 2007-08, Interim and Final 2008-2009, Dividend 2009-10, 2010-11, 2011-2012, 2012-2013 and Interim and Final Dividend 2013-2014 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

SEBI has mandated credit of dividend directly to the Bank account of investors through NEFT / online. We request you to update Bank account details by submitting ECS Mandate annexed to this report alongwith self-attested copy of PAN Card and cancelled cheque leaf to our office at the following address, **if the shares are held in physical form,** to facilitate direct credit of future dividends of the Bank.

"The Company Secretary, Syndicate Bank, Corporate Office, Investor Relations Centre, Gandhinagar, Bengaluru 560 009"

If the shares are held in Electronic form, Address and Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,

(R Ravi)

COMPANY SECRETARY

Date : 28.05.2015

Phone No. 080 22283030

Email ID : inrc@syndicatebank.co.in

syndinvest@syndicatebank.co.in

अनुबंध/ANNEXURE

निदेशकों का चुनाव – संगत अधिनियमों, योजना और विनियमावलियों इत्यादि का उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी की सीमा तक ही की जाए।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की संगत धारा तथा इस संबंध में क्रमश: सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 और भा.रि.बैं. के उचित और उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की संगत विनियमावलियों को शेयरधारकों की सूचना हेतु नीचे दोहराया गया है:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध – धारा 16(1)

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने बोर्ड में ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त न करें जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध – धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए, कोई भी बैंकिंग कंपनी–
   - क) अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या
   - ख) निम्नलिखित को या निम्नलिखित की ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई वायदा नहीं करेगा–
     - I. अपने किसी निदेशक
     - II. कोई फर्म, जिसमें उसका कोई निदेशक-साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हित रखता हो, या
     - III. कोई कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी संस्थान न हो या कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या कोई सरकारी कंपनी (या होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी कंपनी), जिसका कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता हो, या
     - IV. कोई भी व्यक्ति, जिसके संबंध में उसके कोई निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

Election of Directors - Extracts of Relevant Acts, Scheme, and Regulations Etc.

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under Clause (C) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and RBI's fit and proper guidelines, respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, -
   - a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
   - b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –
     - I. any of its Directors,
     - II. any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
     - III. any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
     - IV. any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा संस्वीकृत ऋण या अग्रिम के लिए कोई वायदा न किया गया हो, बशर्ते जिस तारीख को ऋण या अग्रिम मंजूर किया गया था उस तारीख को उप धारा (1) के खंड (बी) प्रचलन में हो (या ऋण को बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ के बाद बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, किंतु उक्त धारा के प्रारंभ से पूर्व किए गए वायदे के अनुसरण में किया गया हो) तो ऐसे मामले में ऋण या अग्रिम की वजह से बैंकिंग कंपनी को देय राशि तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम को उसकी मंजूरी के समय निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी है तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर उसकी चुकौती की जाए।

बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, इस संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्षों से अधिक न हो, जो ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जो भा.रि.बैं. द्वारा उचित समझा जाए।

आगे, यह उप धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को रिक्त कर देता है भले ही वह निदेशक की मृत्यु की वजह से हो, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से हो।

3. उप-धारा (2) या उसके किसी भाग में संदर्भित किसी भी ऋण या अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विप्रेषित न किया जाए और ऐसे अनुमोदन के बिना दी गयी छूट अमान्य और निष्प्रभावी हो जाएगी।

4. यदि उप-धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जिसकी चुकौती उक्त उप- धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को नहीं की गयी है तो, ऐसा व्यक्ति, उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

इस धारा का स्पष्टीकरण –

क. ''ऋण या अग्रिम'' में वे लेन-देन शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेन-देन के स्वरूप पर विचार करते हुए निर्दिष्ट अवधि के भीतर और ढंग से तथा परिस्थितियों के अधीन लेन-देन के कारण देय किसी राशि की उगाही होने की संभावना हो, जमाकर्ता के हित और अन्य संगत प्रतिफल जिनका उल्लेख उक्त धारा के उद्देश्य हेतु सामान्य या विशेष आदेश में ऋण या अग्रिम के रूप में न किया गया हो।

2. Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit.

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

a. "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

ख. ''निदेशक'' में वह सदस्य शामिल है जो भारत में किसी बोर्ड या उस समिति का सदस्य हो जिसका गठन किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने किसी या सभी कार्यों के प्रबंधन के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से किया गया हो।

5. यदि इस धारा के प्रयोजन हेतु किसी लेन-देन का ऋण या अग्रिम होने का कोई प्रश्न उठता है तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

ऋण एवं अग्रिम - वैधानिक एवं अन्य निषेध, पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मास्टर परिपत्र आरबीआई/2014-15/64 डीबीओडी सं. डीआईआर बीसी. 16/13.03.00/2014-15 दि. 1 जुलाई 2014 जारी किया है ।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन पत्र भरने से पूर्व उक्त परिपत्र का अध्ययन कर लें ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 [अधिनियम]

मताधिकार पर प्रतिबंध

3(2 ई): अनुरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार से भिन्न, अनुरूपी नये बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के **दस** प्रतिशत (बैंकिंग संशोधन बिल 2012 के तहत संशोधित) से अधिक शेयर रखता है, तो यह उक्त अतिरिक्त शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

9(3)(i) धारा 3 की उप-धारा (2 बी) खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी:

I. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है तो, एक निदेशक,

II. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो, दो निदेशक

III. कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो, तीन निदेशक

इनका चयन उन्हीं शेयरधारकों में से किया जाएगा जो केन्द्र सरकार से भिन्न हैं:

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे निदेशकों का चयन करने के बाद उनके पदग्रहण करने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत समान संख्या में निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले संबंधित नये बैंक में चयनित निदेशकों की संख्या उप खण्ड (i) या उप खण्ड (ii) या उप खण्ड (iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक है तो, ऐसे चयनित अतिरिक्त निदेशकगण, योजना में विनिर्दिष्ट ढंग

b. "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Reserve Bank of India has issued a Master Circular RBI/2014-15/64 (DBOD.No.Dir.BC. 16/13.03.00/2014-15 dated July 1, 2014 on Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions.

Shareholders are requested to go through the aforesaid Circular before filling their nomination form as a candidate for the Election.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970 [ACT]

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of **Ten** percent (amended vide Banking amendment bill 2012) of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under Clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

I. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director,

II. more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, two Directors

III. more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this Clause, equal number of Directors under Clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Provided that in case the number of the Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in corresponding new bank exceed the number of Directors specified in sub

से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अपने पद से समयपूर्व ढंग से निवृत्त होनेवाले ऐसे अतिरिक्त निदेशक अपनी पदावधि के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

9 (3 ए): उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित निदेशकों से अपेक्षित है कि वे –

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के संबंध में उनके पास विशिष्ट जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो, उदाहरणार्थ:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारी
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य कोई विशेष जानकारी और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय के अनुसार, संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, या

(सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

9(3एए): उप-धारा (3ए) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या प्रचलित किसी विधि में शामिल किसी बात के होते हुए किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उक्त व्यक्ति अच्छा ट्रेक रिकार्ड, निष्ठा के आधार पर उचित और उपर्युक्त स्थिति बनाए रखता हो तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचित अन्य मानदण्डों का पालन करता हो।

9(3एबी): भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उचित और उपयुक्त स्थिति को निर्धारित करने का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण का ढंग, ऐसे निर्धारण के संबंध में पालन की जानेवाली प्रक्रिया तथा अन्य मामलों का उल्लेख भी कर सकेगा जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा गया हो।

9(3बी): जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक मानता है कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुरूपी नया बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है तो यह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और इस प्रकार निदेशक को निकालने के बाद अगली वार्षिक आम बैठक के दौरान अनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत् चयन किए जाने तक निदेशक मंडल, हटाए गए

Clause (I) or sub Clause (II) or sub Clause (III), as the case may be, such excess number of Director elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said Clause (i) of sub-section (3) shall –

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely –

- agriculture and rural economy
- Banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

9(3AA): Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under Clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB): The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under Clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person

व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में सहयोजित कर सकता है जो उप-धारा (3ए) और (3ए ए) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को अनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत् चयनित निदेशक समझा जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व:

13(2): हर निदेशक, स्थानीय या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक,सलाहकार या अनुरूपी नए बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी से अपेक्षित है कि वे अपने कार्य शुरू करने से पहले तीसरी अनुसूची में दिए गए फॉर्म के अनुसार निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 (योजना)

4ए. अतिरिक्त चयनित निदेशक की निवृत्ति का ढंग:

अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के दूसरे परंतुक के अनुसार किया जाएगा और शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चयनित निदेशकों की संख्या के बराबर की संख्या के निदेशक सेवा निवृत्त हो जाऐंगे और जिस निदेशक ने सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है उसकी सेवा निवृत्ति सब से पहले होगी।

बशर्ते, यदि दो या अधिक निदेशकों ने एक ही अवधि के लिए सेवा की है तो उनमें से अधिक उम्रवाले निदेशक पहले निवृत्त होंगे।

चयनित निदेशक की पदावधि

खण्ड 9(4):

चयनित निदेशक की पदावधि तीन वर्ष की होगी और वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते, कोई भी निदेशक निरंतर छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों की अनर्हता

खण्ड 10:

किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मामले में निदेशक बनने से अनर्ह किया जा सकता है:

ए. यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान को रोका हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो, या

बी. उसको सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त मस्तिष्क वाला व्यक्ति घोषित किया गया हो; या

सी. उसको किसी ऐसे अपराध के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल हो।

fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholder of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970 [SCHEME]

4A. Manner of retirement of excess elected director:

"The number of excess directors shall be determined under the second proviso to Clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first."

Terms of office of elected Director

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election;

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10:

A person shall be disqualified from being appointed as, and from being a Director:

a. if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or

b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c. If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.

डी. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में, पूर्णकालिक निदेशक के पद से भिन्न, बैंक के कर्मचारियों में से उक्त अधिनियम धारा 9 की उप-धारा(3) के खण्ड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक एवं निदेशक सहित किसी लाभकारी पद को ग्रहण किए हुए हो।

निदेशकों के पद को रिक्त करना, इत्यादि

खण्ड 11:

ए. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अंतर्गत आता हो या वह निरंतर तीन या उससे अधिक बैठकों में बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता हो तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और तदनुसार उसका पद रिक्त हो जाएगा।

बी. उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) या खण्ड (सी) या खण्ड (डी) में यथाउल्लिखित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक का या कोई निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और यदि उसका इस्तीफा सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; अन्य निदेशक भी केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा केन्द्र सरकार द्वारा इस्तीफा की सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

सी. पूर्वगामी उपखण्डों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) और (एफ) में उल्लिखित निदेशक का पद तब रिक्त हो जाएगा, जब निदेशक की, कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवाएं समाप्त हो जाती है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से भिन्न, जिसका वह निदेशक है।

डी. चयनित निदेशक से भिन्न किसी अन्य निदेशक का पद रिक्त हो जाता है तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

चयनित निदेशक को पद से हटाया जाना:

खण्ड 11-ए:

केन्द्र सरकार से भिन्न, शेयरधारक, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित किसी भी निदेशक को उन शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटा सकते हैं, जिनकी शेयरधारिता सभी शेयरधारकों द्वारा रखी गयी कुल शेयर पूँजी के ½ से कम न हो।

d. If he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under Clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors, etc.

Clause 11:

a. If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

b. The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Clause (b) or Clause (c) or Clause (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

c. Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalized bank of which he is a Director.

d. Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected director

Clause 11-A:

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

चयनित निदेशक पद में हुई रिक्ति को भरना

खण्ड 11-बी:

(1) यदि चयनित निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त हो जाता है तो उक्त रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा:

बशर्ते, यदि रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है तो, उक्त रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जाए।

(2) उप-खण्ड (1) के अंतर्गत चयनित या स्वयोजित व्यक्ति, इनमें से जो भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती निदेशक की अवधि के असमाप्त भाग के लिए पदभार संभाल सकता है।

निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण

खण्ड 12 (8):

कोई निदेशक, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा या उनकी ओर से की गयी या की जानेवाली किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से संबद्ध या हितबद्ध हो, उससे अपेक्षित है कि ज्यों ही उसे संगत परिस्थितियों की सूचना मिलती है, वह अपने हितों की प्रकृति को यथाशीघ्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रकट करेगा और उस मंडल बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के बारे में उक्त बैठक में चर्चा की जाती हो, बशर्ते, इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो और बैठक में उपस्थित होनेवाले कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते, इस उप-खण्ड में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित कारणों से ऐसे निदेशक पर उक्त खण्ड लागू होगा:

(i) कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या किसी निगम जो भारत में फिलहाल प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित हो या किसी सहकारी समिति जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव हेतु करार किया हो या करार करने का प्रस्ताव किया हो उसमें उसकी प्रदत्त पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक शेयर न रखता हो।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के धारा 9 के उप-धारा (3) के खण्ड (ई) या खण्ड (एफ) में उल्लिखित निदेशक हो।

Filling of vacancy in the office of an elected director

Clause 11-B:

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-Clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors

Clause 12 (8):

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-Clause shall apply to such director by reason only of his being —

(i) a shareholder (other than a director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or

(ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998

संयुक्त धारक के अधिकारों का प्रयोग

विनियमन 10

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले उल्लेख किया गया है उसे मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस जारी करने या शेयरों के अंतरण से भिन्न बैंक से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में एकल शेयरधारक माना जाएगा।

आम बैठकों में मतदान

विनियमन 61

i) किसी भी आम बैठक में मतदान हेतु प्रस्तुत संकल्प को हाथ उठाकर निर्धारित किया जाएगा बशर्ते मतदान की माँग न की गयी हो।

ii) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आम बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

iii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत जब तक मतदान के लिए मांग नहीं की जाती है और बैठक के अध्यक्ष यह घोषणा नहीं करते हैं कि संकल्प को हाथ उठाकर पारित किया जाए या किया गया है भले ही उसे एक मत से पारित किया गया हो या बहुमत से और जिसकी प्रविष्टि बैठक के कार्यवृत से संबंधित बही में की गयी हो, तब तक इस तथ्य को ऐसे संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए वोटों के अनुपात की संख्या के सबूत के बिना निर्णायक सबूत माना जाएगा।

iv) मतदान के परिणामों की घोषणा करने से पहले या उसके बाद या हाथ उठाकर किसी संकल्प पारित करने के बाद बैठक के अध्यक्ष अपने स्व निर्णय से मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में किसी शेयरधारक या स्वयं उपस्थित शेयरधारकों या उस प्रॉक्सी जिसके पास बैंक के शेयर हो जिससे उसको मतदान करने का अधिकार हो और जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान अधिकार के 1/5 से कम न हो, उनकी ओर से की गयी मांग पर या उनके द्वारा दिए जानेवाले आदेश के अनुसार मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं।

v) मतदान के लिए जो मांग की जाती है उसे उसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है जिसने मांग की हो।

vi) बैठक के स्थगन और अध्यक्ष के चुनाव के मामले में मतदान हेतु मांग की जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

vii) अन्य किसी मामले में मतदान के लिए मांग की जाती है तो उस पर बैठक के अध्यक्ष के निदेशानुसार मांग किए जाने के समय से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

viii) किसी व्यक्ति के मतदान की अर्हता और मतदान में कोई व्यक्ति कितने वोट डालने के लिए सक्षम है, इस पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिया जाता वह अंतिम निर्णय होगा।

SYNDICATEBANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1998

EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

Regulation 10

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

VOTING AT GENERAL MEETINGS:

Regulation 61

i) At any General Meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a General Meeting shall be decided by a majority of votes.

iii) Unless a poll is demanded under Sub-Regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

iv) Before or on the declaration of the result of the voting or any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the Meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v) The demand for the poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

vi) The poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

आम बैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशक

विनियमन 63

i) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत किसी निदेशक का चयन केन्द्र सरकार से भिन्न, रजिस्टर में शामिल शेयरधारकों द्वारा बैंक की आम बैठक में शेयरधारकों में से किया जाएगा।

ii) यदि किसी आम बैठक में निदेशक का चयन करना है तो इसकी सूचना बैठक आयोजित करने के संबंध में जारी की जानेवाली नोटिस में शामिल की जानी चाहिए। ऐसी प्रत्येक नोटिस में चयनित होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए चुनाव आयोजित किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियमन 64

i) इन विनियमावलियों के विनियम 63 के उपविनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु रजिस्टर पर शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिसमें से निदेशक का चयन किया जाएगा।

ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, संख्या और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उक्त शेयरों को पंजीकृत करवाने की तारीख तथा चुनाव के लिए आयोजित की जानेवाली बैठक की तारीख को वे कितने वोटों के लिए पात्र हैं, आदि जैसे ब्यौरे शामिल होंगे और सूची की प्रतियां खरीद के लिए उपलब्ध होंगी, जो मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी बशर्ते इसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता हो।

चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन:

विनियमन 65

i) निदेशक के रूप में चयन के लिए उसका नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह -

ए) बैंक में 100 (एक सौ) से अधिक शेयर रखनेवाला शेयरधारक न हो;

बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित करने के लिए अनर्ह नहीं किया गया हो;

सी) उसने, एकल रूप में या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से रखे गए बैंक शेयरों से संबंधित सभी मांग राशियों को भुगतान हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पहले भुगतान न कर दिया हो;

डी) लिखित नामांकन पर कम से कम एक सौ शेयरधारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उनके सम्यक् रूप से नियुक्त अटर्नी द्वारा निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र हो, बशर्ते नामांकन

DIRECTORS TO BE ELECTED AT GENERAL MEETING

Regulation 63

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

LIST OF SHAREHOLDERS:

Regulation 64

i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

Regulation 65

i) 'No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless -

a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;

b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who

किया जानेवाला शेयरधारक एक कंपनी है तो नामांकन को उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जाए और ऐसे मामले में संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाए जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो जिसमें उक्त संकल्प को पारित किया गया हो और ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

ई) नामांकन के साथ एक घोषणा-पत्र भी संलग्न हो या शामिल हो जो अभ्यर्थी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्युरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो और उक्त घोषणा पत्र में यह उल्लेख हो कि वे नामांकन को स्वीकार करेंगे और वे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तथा उनको उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमावलियों के अंतर्गत निदेशक बनने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक यह पूरी तरह भरे हुए संगत दस्तावेजों के साथ प्राप्त नहीं होता है और वह बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से चौदह कार्य दिवसों से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए।

नामांकन की छानबीन

विनियमन 66

i) नामांकनों की छानबीन नामांकनों की पावती के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है तो ऐसे नामित अभ्यर्थी को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पते को प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे मामले में बैठक में कोई चुनाव आयोजित नहीं किया जाएगा और यदि बैठक को उपर्युक्त चुनाव आयोजित करने के लिए ही बुलाया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

ii) चुनाव आयोजित किए जाने के मामले में यदि प्राप्त वैध नामांकनों की संख्या चयनित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

iii) वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने निर्वाचन की तारीख या उसे चयनित समझे जाने की तारीख के अगले दिन कार्यग्रहण कर लिया है।

is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director.

ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

SCRUTINY OF NOMINATIONS:

Regulation 66

i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

चुनाव संबंधी विवाद:

विनियमन 67

i) यदि चयनित समझे गए या चयनित घोषित किए गए व्यक्ति या निदेशक या कोई व्यक्ति जो एक अभ्यर्थी या शेयरधारक हो जो उक्त चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हो उसकी अर्हता या अनर्हता के बारे में संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित करने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित सूचना दी जा सकती है और उक्त सूचना में उन सभी कारणों का उल्लेख किया जाए जिनकी वजह से उन्होंने चुनाव की वैधता पर संदेह या विरोध किया है।

ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के बाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद पर निर्णय लेने हेतु उसे तुरंत एक समिति को संदर्भित करेंगे जिसमें बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के अंतर्गत नामित कोई दो निदेशक शामिल होंगे।

iii) इस मामले में उप-विनियम (ii) में उल्लिखित समिति द्वारा आवश्यक जाँच की जाएगी और यदि समिति द्वारा चुनाव वैध पाया जाता है तो वह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या समिति द्वारा यह पाया जाता है कि चुनाव वैध नहीं था तो समिति जाँच शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोबारा मतदान आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निदेश पारित करेगी जो परिस्थितियों के अनुरूप उचित समझा जाए।

iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा जारी किए गए आदेश और निदेश निर्णायक होंगे।

मताधिकारों का निर्धारण:

विनियमन 68

i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जिसे आम बैठक तारीख से पहले रजिस्टर के समापन की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक वोट डालने के लिए पात्र है और मतदान के मामले में वह अपने पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट डाल सकेगा।

ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं हो, और बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो या जो एक कंपनी हो और बैठक में एक विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो तो उसके पास हाथ उठाकर एक वोट डालने का अधिकार होगा और मतदान के मामले में उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अनुसार उसके पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

ELECTION DISPUTES:

Regulation 67

i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) On receipt of an intimation under Sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

DETERMINATION OF VOTING RIGHTS:

Regulation 68

i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए ''कंपनी'' का अर्थ किसी निकाय से होगा।

iii) बैंक के शेयरधारक जो आम बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए पात्र हैं वे अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त कर सकते हैं; परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

विनियमन 69

1. कोई शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार हो या कंपनी हो, किसी संकल्प द्वारा, इनमें से जो भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को शेयरधारकों की आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इस विनियमावली में ''विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि'' कहा गया है) केन्द्र सरकार या उस कंपनी की ओर से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग के लिए पात्र है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जैसा कि वह बैंक का एक वैयक्तिक शेयरधारक हो। इस प्रकार दिए गए प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसे मामले में केवल एक ही व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप कार्य कर सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक उपस्थित नहीं हो सकेगा या वोट नहीं डाल सकेगा जब तक वह उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने से संबंधित संकल्प की प्रति को बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करता हो, जो इस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो जिसमें उक्त संकल्प पारित किया जाएगा।

प्रॉक्सी

विनियमन 70

i. प्रॉक्सी की लिखत तभी वैध होगी जब व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए अथवा किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

ii. बशर्ते प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए किंतु शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह ऊपर अंगूठा-निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

VOTING BY DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Regulation 69

1. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a 'duly authorised representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/Company.

2. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

PROXIES

Regulation 70

i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.

ii. Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar

का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।

iii. प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह विधिवत स्टांपित न हो तथा बैठक हेतु निर्धारित तिथि से चार दिन पहले उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न किया गया हो, इसके साथ ही, मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो जिसके तहत हस्ताक्षर किया गया हो, तो उसे भी जमा किया जाए; अथवा उस मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार की प्रमाणित सत्य प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया हो बशर्ते ऐसा मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो ।

iv. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म ''बी'' में न हो ।

v. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिमसंहरणीय होगी ।

vi. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाए ।

vii. इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी लिखत के व्यक्ति को उस बैठक से संबंधित लिखत पर व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

viii. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

भारतीय रिज़र्व बैंक का उचित और उपयुक्त मानदण्ड से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत

भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 (एए) और 3(एबी) के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीओडी बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दि.01 नवंबर 2007 में जारी की है जिसमें उन्होंने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूर्ति किए जानेवाले विशिष्ट ''उचित और उपयुक्त'' मानदण्ड दिए हैं।

मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं

1. ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति इत्यादि को निर्धारित करने का प्राधिकार, ढंग/प्रक्रिया और मानदण्ड निम्नवत् हैं:

(ए) प्राधिकार:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षा है कि वे एक ''नामांकन समिति'' का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल में से कम-से-कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। निदेशक मंडल को

or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Syndicate Bank.

iii. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a Power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

iv. No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".

v. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

vi. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vii. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

viii. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI) in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 has issued notification DBOD BC No. 46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific "fit and proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

1. The authority, manner/procedure and criteria for deciding the "fit and proper" status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a 'Nomination Committee' consisting of a minimum of three directors (all independent/ non-executive directors) from amongst the Board

चाहिए कि वे अपने किसी निदेशक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करें। कोरम् अध्यक्ष सहित तीन सदस्यगण होने चाहिए। यदि पहले से नामित कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो, निदेशक मंडल आगामी बैठक के लिए अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड उसकी अवधि का निर्धारण कर सकता है।

(बी) ढंग और प्रक्रिया

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित व्यक्ति/वर्तमान चयनित निदेशक की ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति के निर्धारण हेतु सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें। इस उद्देश्य हेतु बैंकों से अपेक्षा है कि वे उन वर्तमान चयनित निदेशकों से विनिर्दिष्ट संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध-I) में आवश्यक सूचना और घोषणा पत्र प्राप्त करें जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे अभ्यर्थी के चयन करने के मामले में नामांकन की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख से पहले बैठक आयोजित करें और निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर व्यक्ति की अभ्यर्थिता को स्वीकार करना है या नहीं इसके बारे में उक्त बैठक में निर्णय लें। बैठक में समिति द्वारा जो चर्चा की जाती है उसको औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड किया जाए और यदि मतदान किया गया है तो वर्तमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के ब्यौरे नोट किए जाएं। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे विधिवत् हस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को स्वीकार करने या न करने के बारे में निर्णय लें और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को दी जाए ताकि उपर्युक्त अपेक्षाओं के संबंध में उनके अनुपालन की पुष्टी की जा सके।

(सी) मानदण्ड

नामांकन समिति को चाहिए कि वे वर्तमान चयनित निदेशकों/प्रस्तावित अभ्यर्थियों की ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित व्यापक मानदण्डों के आधार पर करें:

i) शैक्षिक योग्यता

ii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र

iii) ट्रैक रिकार्ड और ईमानदारी इत्यादि

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उपर्युक्त किसी मानदण्ड के अनुपालन से क्या वर्तमान चयनित निदेशक/प्रस्तावित अभ्यर्थी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाल सकता है, इसकी जाँच करें। पुन:, यदि अभ्यर्थी के खिलाफ किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी या दिवालिया या किसी बैंक की वित्तीय

of Directors. The board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the Nomination Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the Board of Directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the Nomination Committee the board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure

The Nomination Committee should undertake a process of due diligence to determine the "fit and proper" status of existing elected directors/the person to be elected as director under Section 9(3)(i) of the Act. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the specified format, from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The Nomination Committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(c) Criteria

The Nomination Committee should determine the "fit and proper" status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

i. Educational Qualification

ii. Experience and field of expertise

iii. Track record and integrity, etc.

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the

संस्था से लिए गए ऋण की चुकौती में की गयी चूक की वजह से प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है तो अभ्यर्थी को बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुपयुक्त ठहराया जाएगा।

(डी) अन्य मामले

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित निदेशक एक प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करेंगे (भा. रि.बैं. के परिपत्र डीबीओडी सं. बीसी. 116/08.139.001/2001-02 दि. 20 जून 2002 के तहत डॉ. गांगुली ग्रूप की सिफारिशों के अनुसरण में) और दि. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष भी करेंगे।

यह भी अनिवार्य है कि सभी चयनित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत की गयी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि उससे कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएं। यदि उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे नए सिरे से सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें और निदेशक की ''उचित एवं उपयुक्त'' स्थिति की जाँच करें।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एफ आई/आर बी आई/बीमा कंपनियों में गैर-सरकारी निदेशक के चयन करने के मापदंड

ए. अनुभव का मापदंड

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति में निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा :

ए) साधारणतया कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनामिक्स, बिजनैस मैनैजमैंट, मानव संसाधन, फाइनैंस, कॉरपोरेट लॉ, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आई.टी. के क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त और विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। किसी उच्च पद पर 20 वर्षों का औद्योगिक अनुभव, संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता (किसी प्रतिष्ठित संस्थान को सफलता पूर्वक चलाना और किसी विफल संस्थान की काया पलट करना) प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

बी) 20 वर्ष के कुल अनुभव और संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखनेवाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के सेवानिवृत्त सी.एम. डी./ई.डी./पीएसबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए उन सेवानिवृत्त सी.एम.डी/ई.डी के नामों पर विचार नहीं किए जाएंगे जो

candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a Bank.

(d) Other Matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI Circular DBOD No. BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March and that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the Nomination Committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the "fit and proper" status of the director.

Criteria laid in by the Government of India for consideration as non-official Director in Public Sector Banks/Fis/RBI/insurance Companies

A. Criteria of experience

The following categories of persons will be considered for appointment of Part-Time Non-Official Director on the Boards of Public Sector Banks/Reserve Bank of India/ Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies:

(a) Person's of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law; Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

(b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from

उसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं जिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति होती है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कार्यरत सीएमडी/ईडी के नामों पर किसी भी पीएसबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सी) 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखनेवाले शिक्षक/प्रीमियर मैनेजमेंट/बैंकिंग संस्थाओं के निदेशक तथा प्रोफेसर । 20 वर्ष का अनुभव (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) रखनेवाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी।

बी. शैक्षिक योग्यता का मापदंड

गैर-सरकारी निदेशक, कम से कम, किसी प्रमुख क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए मुख्यतया बिजनेस मैनेजमैंट, जोखिम प्रबंधन, फाइनैंस, मानव संसाधन एवं आईटी में विशेषज्ञता।

सी. उम्र का मापदंड

सर्च कमेटी की अनुशंसा की तिथि को निदेशक की उम्र 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

डी. कार्य अनुभव का मापदंड

व्यावसायिकों/विद्वानों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने का सामान्यतः 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए ।

ई. अयोग्यता के मापदंड

ए) किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई)/आरबीआई/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी में पहले से ही कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशक पद के नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

बी) हायर परचेज, फाइनैन्सिंग इन्वेस्टमेंट, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग से संबंद्ध व्यक्ति/एमपी/एमएलए/एमएलसी/और स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । हायर परचेज, फाइनेन्सिंग इन्वेस्टमेंट, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग के निवेशक को गैर-सरकारी निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका इन कंपनियों में कोई या किसी भी प्रकार का प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है ।

सी) किसी भी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनःनामित नहीं हो सकता है यदि उसने पूर्व में उस संस्था में किसी भी श्रेणी में निदेशक के रूप में दो कार्यकाल पूरे कर लिए हों या छः वर्षों तक, जो भी अधिक हो, काम किया हो ।

एफ. कार्यकाल का मापदंड

एक गैर-सरकारी निदेशक को किसी भी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए यदि वह किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में छः वर्षों तक निरंतर या अंतरालों में गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक रह चुका हो।

which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.

(c) Academicians/Directors of premier Management/Banking Institutes and Professors having more than 20 years experience. Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.

B. Criteria of Educational Qualification

An NoD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

C. Criteria of age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

D. Criteria of Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

E. Criteria of Disqualification_

(a) A Director already on a Bank/Financial Institution(FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NoD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

(b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

(c) No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

F. Criteria of Tenure

An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NoD/Shareholder Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

This Page is Left Blank